माला, खंड 3, अंक 18

गुरुवार, 6 अप्रैल, 1990
16 चैत्र, 1912 (शक)

I Bundle

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(पांच) रा...
कमी...
के लिए

मूल्य : चार रुपये

विषय	पृष्ठ
श्री हरीश रावत	217
श्री प्यारे लाल हान्डू	222
श्री राघव जी	225
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	228
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	230
श्री एम०एस० पाल	232
कुमारी मायावती	234
श्रीमती बासव राजेश्वरी	237
श्री ए०एन० सिंह देव	239
नियम 377 के अधीन मामले	240—243
(एक) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए महाजन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर	240
(दो) दूसरे विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दिए जाने की मांग प्रो० पी० जे० कुरियन	240
(तीन) बिहार के सहरसा जिले में उद्योग लगाए जाने की मांग श्री सूर्य नारायण यादव	240
(चार) बोलनगीर जिले में 1982 में बाढ़ के कारण आई दरारों की मरम्मत करने के लिए उड़ीसा सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता श्री बाल गोपाल मिश्र	241
(पांच) राजस्थान सरकार को, राज्य में पेयजल की कमी दूर करने तथा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	241

विषय	पृष्ठ
(छः) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच विवाद निपटाए जाने की आवश्यकता श्री दिलीप सिंह जू देव	242
सात) केरल को चावल का अधिक कोटा दिए जाने की मांग श्री पी०सी० थामस	242
आठ) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग श्रीमती उमा गजपति राजू	243

लोक सभा

शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1990/16 चैत्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति।

डा० तम्बि दुरै : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब भी हमारे किसी पूर्व सदस्य की मृत्यु होती है, हम शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। आप कृपया बैठ जाइए। अब, श्री रामलाल राही।

हिन्दी]

आज भी लोग नहीं है।

अनुवाद]

अगला प्रश्न—श्री भोसले।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दूरदर्शन के लिए अंतरिम बोर्ड

*353. **श्री प्रतापराव जी० भोसले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन के पर्यवेक्षण के लिए एक अंतरिम बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाया जाएगा;

(घ) क्या अंतरिम बोर्ड में जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्य पर नजर रखने के लिए सरकार का एक अंतरिम माध्यम सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है जिसमें संचार माध्यमों, सिनेमा कला और संस्कृति क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्ति, विद्वान कृषि और ग्रामीण विकास के विशिष्ठ व्यक्ति शामिल होंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोसले : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने पहले घोषणा की थी कि इन माध्यमों को हम स्वायत्तता देंगे । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनको स्वायत्तता देने में कितना समय लगेगा ? अपने उत्तर में मंत्री जी ने इसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । दूसरी बात यह है कि मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि इसके लिए क्या बोर्ड का गठन करने का कोई प्रस्ताव है ? उत्तर में इस बारे में यह लिखा है कि इसमें अंतरिम माध्यम सलाहकार समिति के चेयरमैन रहेंगे । मैं जानना चाहूंगा कि इसको आप कितने अधिकार देंगे और इसकी कितनी अवधि रहेगी व उस समिति में कितने मेम्बर रहेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, 29 दिसम्बर, 1989 को इस सदन में प्रसार भारती विधेयक प्रस्तुत करते हुए, मैंने कहा था कि विधेयक इस वर्ष, बल्कि इस सत्र के दौरान, पारित कर दिया जाएगा और उसके बाद, कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने में हमें छः से सात महीने लगेंगे और नया निगम अगले साल के प्रारम्भ में काम करना शुरू कर देगा। हम इस कार्यक्रम की पहले ही घोषणा कर चुके हैं ।

विधेयक के अनुसार, एक बोर्ड आफ गवर्नर गठित किया जाएगा, जिसका चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारत के उप-राष्ट्रपति, प्रेस कौंसिल के चेयरमैन और एक संचार माध्यम विशेषज्ञ होंगे जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे । तथा इस बोर्ड का चयन इस तीन सदस्य समिति द्वारा किया जाएगा । निगम के गठन से पहले, विधेयक प्रस्तुत करते हुए मैंने अपने भाषण में कहा था : "इसे एक प्रक्रिया द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जोकि अधिनियम को लागू करने से पहले इस निगम को स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता देने के मूल विचार में छिपी है, हमने तत्काल ही पांच सदस्यों का एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें संचार माध्यमों से, सिने संस्वर से, कला तथा संस्कृति से, विद्वता वर्ग से, कृषि तथा ग्रामीण विकास के प्रतिष्ठित लोगों को लिया जाएगा, जो आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे ।"

इस अंतरिम प्रबोधन समिति गठन करने का उद्देश्य अगले वर्ष तक संचार माध्यमों को स्वायत्त काम काज के लिए तैयार करना है । यह शुद्ध रूप से एक सलाहकार समिति है और इस समिति के सदस्यों के नामों का अब अंतिम रूप से चयन किया जा रहा है । आने वाले कुछ ही दिनों में हम संचार माध्यम प्रबोधन समिति की घोषणा कर देंगे जोकि पूरी तरह एक सलाहकार समिति है; यह प्रस्तावित बोर्ड आफ गवर्नर की जगह नहीं बनाई गई है ।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोसले : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वैसे तो वह ठीक ही है । लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके चेयरमैन कौन रहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आप रहेंगे ।

श्री प्रतापराव बी० भोसले : बहुत बहुत बधाई । स्वायत्तता के बारे में जो कानून बनाने

जायेंगे उसके लिए क्या इस सलाहकार समिति को केवल सलाह देने का ही अधिकार होगा या फिर उसे दूसरे अधिकार भी प्राप्त होंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : हम अनेक प्रख्यात व्यक्तियों के नामों पर विचार कर रहे हैं और मैं इस सदन में उस समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करूंगा। इनमें से एक सदस्य चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे। जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं, यह पूर्णतः एक सलाहकार समिति ही होगी। और जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न में दूसरे भाग का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि यह विशुद्ध रूप से एक सलाहकार समिति है और इसे कोई कानूनी कार्य नहीं सौंपे जाएंगे।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण से उद्धरण दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के गठन से पहले, एक तदर्थ समिति बनाई जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि वे पिछले सात दिनों से एक राष्ट्रीय प्रेस में छपने वाली खबर से वे अवगत हैं अथवा नहीं। वर्तमान मंत्री पूर्व मंत्री श्री के० के० तिवारी जी से ज्यादा हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति हैं। श्रीमान् मैं अखबार में छपी उसी खबर को बताना चाहता हूं। मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं आप पर या मंत्री जी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता। जब भारत के राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित किया था तो एक माननीय सदस्य खड़े हुए थे और उन्होंने कुछ कहा था, जिसे हम खुद भी देख चुके हैं। उस समय, सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। समाचार पत्रों में यह छपा था कि मंत्री ने दूरदर्शन के छायाकार को अपने कमरे में बुलाया था उसे निर्देश दिया था कि व्यवधानों को न तो दूरदर्शन के समाचारों में और ना ही सीधे प्रसारण में दिखाए जाएं। समाचार पत्र में यह छपा था। मैं गलत भी हो सकता हूं। किन्तु मुझे खुशी होगी अगर, कार्यवाही-वृत्तान्त में यह उल्लेख किया जाए कि जो हुआ था, वह गलत था। सीधे प्रसारण के दौरान दूरदर्शन पर भी व्यवधान नहीं दिखाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है और यदि यह सत्य नहीं है तो उन्होंने इसका खंडन क्यों नहीं किया ? यह मंत्रालय पर आक्षेप है।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष व अध्यक्ष के सचिवालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं। किन्तु उनका सचिवालय क्या कर रहा है ? उन्हें इसका खंडन करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। पिछले तीन महीनों से आपको देखते हुए, मैं यह मानता हूं कि आप यह नहीं कर सकते। क्या आप मामले को स्पष्ट करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : हम सोचते हैं कि आप पिछले चालीस सालों से यह कर रहे हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं माननीय सदस्य द्वारा हाल ही के मंत्रियों से की गई तुलना से खास तौर पर संतुष्ट नहीं हूं। किन्तु मैं एक बात बता सकता हूं कि अभी तो दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकारी संस्थाएं हैं। आज की तारीख में स्वायत्त नहीं हैं। मैं या मेरा मंत्रालय इनकी सही कार्य-प्रणाली के अपने उत्तरदायित्व को छोड़ नहीं सकता। जहां तक हस्तक्षेप का सवाल है, वहां काम करने वाले लोग मेरे पास आए थे और मुझे बताया था कि किस प्रकार वहां हॉटलाइन टेलीफोन रखे हुए थे, कि किस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्री के कार्यालय से निर्देश आते रहते थे,

किस प्रकार समाचारों की कांट छांट की जाती थी और इसी तरह की कई बातें उन्होंने बताई थी। इस प्रकार, उन्होंने स्वतन्त्र रूप से काम करने की अपनी क्षमता ही खो दी थी और आज वही मेरे लिए सबसे बड़ी अड़चन बन गई है···(व्यवधान)···इसीलिए, आज हमने उन्हें कार्य करने की स्वतन्त्रता दे दी है। किन्तु यह अधिकार मेरे पास है कि मैं उनके कार्य की जांच कर सकूं और अगर कोई भूलचूक हुई हो तो उसे दिखा सकूं। यह मेरा कर्तव्य है और मैं इसे करता रहूंगा। जहां तक सदन के संयुक्त-अधिवेशन का सम्बन्ध है मैंने राज्य सभा में भी संयुक्त अधिवेशन संबंधी नियमों को स्पष्ट कर दिया था। संयुक्त अधिवेशन सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए होता है, और कैमरा सिर्फ राष्ट्रपति पर केन्द्रित किया जाता है, और इसके अतिरिक्त किसी अन्य कार्यवाही को नहीं दिखाया जा सकता। उस दिन अन्य कोई भी कार्यवाही दूरदर्शन पर प्रसारित नहीं की गई थी। उस दिन राज्यसभा में मैंने यही सब कहा था। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम सदन की कार्यवाही को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का निर्णय नहीं लेते। संयुक्त अधिवेशन में, माननीय सदस्यों द्वारा किये गए व्यवधानों को नहीं दिखाया जा सकता।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तब सरकार की ओर से एक अच्छा वायदा यह किया गया था कि विभिन्न चरणों में इस विधेयक पर होने वाली बहस और चर्चाओं में व्यक्त की गई आम राय को विधेयक का अन्तिम मसौदा तैयार करते वक्त ध्यान में रखा जाएगा, और जनता के मत का भी ध्यान रखा जाएगा। आज, प्रसार भारती विधेयक को लेकर हर स्तर पर बहुत बहस की जा रही है। जब हम एक अस्थायी सलाहकार बोर्ड का गठन करने जा रहे है तो यह जनता की राय पर विचार करने व उससे प्रतिपुष्टि का अच्छा अवसर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या वे इस सलाहकार बोर्ड से संबंधित किसी ऐसी क्रियाविधि पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत जनमत पर विचार किया जाए और उसे शामिल किया जाए।

श्री पी० उपेन्द्र : इस विधेयक के प्रस्तुतीकरण के बाद और प्रस्तुत करते समय भी मैंने यह कहा था कि विधेयक एक प्रयोगात्मक प्रयास है और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। इसके अनुसार, हमने जनता के विचार जानने हेतु चर्चा करवाई। दूरदर्शन, आकाशवाणी और अखबारों ने भी कई समूहों में चर्चा करवाई है। इसके अतिरिक्त, स्वयं मैंने देश की लगभग 1200 संस्थाओं को व्यक्तिगत पत्र लिखे और उनके सुझाव मांगे, और हमें विभिन्न संस्थाओं से सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति में भी विधेयक पर काफी विचार विमर्श किया गया था। इस महीने की 18 तारीख को मैं इस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए और राज्य सरकारों का मत जानने के लिए राज्यों के सूचना मंत्रियों की एक बैठक भी बुला रहा हूं। हम उन्हें लिख भी चुके हैं, और अब हम उस बारे में औपचारिक विचार विमर्श करेंगे। हमें कई सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में प्रतिपुष्टि भी बहुत अच्छी है। मेरे मंत्रालय में एक अलग कक्ष खोला गया है। सभी सुझावों को खंडवार कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और उन्हें छांटा जा रहा है। बाद में, जब समिति नियुक्त की जाएगी, तो हम उन्हें कहेंगे कि वह सुझावों पर भी विचार करे और तदनुसार हम उसमें आवश्यक संशोधन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं,

क्या केवल बोर्ड बना देने से दूरदर्शन में सुधार होने की गुंजाइश है? इस समय दूरदर्शन को करोड़ों लोग देखते हैं। इस समय जो वहां पर इक्विपमेंट हैं या जो आदमी काम करते हैं, न तो वहां पर पूरा प्रोफेशनल आउट-लुक है, न पूरे इक्विपमेंट हैं, इसलिए केवल बोर्ड बना देने से सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती है। दूरदर्शन के कार्यक्रम लोगों की आशाओं के अनुरूप बनने चाहिए। पिछले सौ दिनों में हमें कोई सुधार नहीं दिखाई दिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, उसके अन्दर विशेष सुधार के लिए इक्विपमेंट मंगाने या उसको प्रोफेशनलाइज करने के लिए क्या कदम उठा रहे है और क्या वे ऐसा समझते है कि बोर्ड बना देने से सुधार हो जाएगा? खेलों के मामले में आपने देखा है, चीजें दिखाते है लेकिन ठीक मौके पर मिस कर जाते हैं। इसके लिए भी दूरदर्शन क्या कदम उठा रहा है?

श्री पी० उपेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह तो नहीं कि सिर्फ बोर्ड बना देने से सुधार हो जाएगा, बोर्ड सुधार करने के लिए कोशिश करेगा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, सोफ्ट-वेयर, हार्ड-वेयर और फर्दर इम्प्रूमेंट के लिए हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में कई स्कीम रखने जा रहे है।

श्री संतोष मोहन देव : इंडिपेंडेंट फाइनेंस।

श्री पी० उपेन्द्र : यहां फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन्क्लयूड करेंगे।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : अभी, मंत्री जी ने कहा है कि वे दूरदर्शन के कार्य के निरीक्षण के लिए बनाये जाने वाले सलाहकार बोर्ड में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के नामों की घोषणा करेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या संसद के कुछ सदस्यों को भी मंत्री जी बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में शामिल करेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो सदस्यों को एक मौका मिला था, और सलाहकार समिति में भी हमने चर्चा की थी। जब सदन में विधेयक विचार के लिए व पारित होने के लिए लाया जाएगा तब उन्हें एक मौका मिलेगा। मैं नहीं सोचता, कि हमें उन्हें सलाहकार बोर्ड में सम्मिलित करना चाहिए।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह लघु चलचित्रों के दूरदर्शन पर दिखाए जाने को प्रोत्साहन दे रहे है।

पिछली सरकार के शासन के दौरान 'वाइसेस ऑफ बलियापाल' फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब इस फिल्म को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है और दो लाख रु० से अधिक का पुरस्कार दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह इस फिल्म को दूरदर्शन पर दिखायेंगे अथवा नहीं।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, क्या यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के ही अन्तर्गत है?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है परन्तु यदि आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते है।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, हम सामान्यतः इस प्रकार की फिल्मों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और यह फिल्म भी दिखाई जायेगी ।

भारतीय चाय के विदेशी खरीदार

*354. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के प्रमुख विदेशी खरीददार भारतीय चाय की नीलामी में सीधे ही बोली लगाते हैं और इससे भारतीय चाय के स्पर्द्धी मूल्यों और सस्ते भारतीय श्रमिकों का फायदा उठाते हैं,

(ख) इस प्रकार रुपए का भुगतान करके खरीदी गई चाय का दुर्लभ मुद्रा बाजारों को पुनः निर्यात किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप रुपये का और अवमूल्यन हो जाता है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (घ) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) अन्य मूल की चायों की तुलना में भारतीय चाय सस्ती नहीं बैठती है । फिर भी यह सच है कि रुपए में भुगतान करने वाले और सामान्य मुद्रा क्षेत्र दोनों जगह के प्रमुख विदेशी क्रेता भारत में प्राथमिक नीलामियों से चाय खरीदना पसन्द करते हैं ।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान में पैदा होने वाली श्रेष्ठ आरथोडोक्स, सी० टी० सी०, दार्जिलिंग चाय विदेशों में चली जाती है और इन तीन ग्रेडों के बाद जो इनफीरियर क्वालिटी की चाय रहती है वह हिन्दुस्तान के बाजारों में बिकने के लिए आती है । मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड या रूस जो यहां से चाय खरीद कर ले जाते हैं वह चाय कहीं दूसरे देशों में बिकती है या नहीं बिकती है, इसको मंत्री महोदय ने उत्तर में नहीं बताया है । मैं आपके द्वारा प्रमाणिकता से कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से सहयोग के लिए टी० बोर्ड है, रूस और यू०के० में वाणिज्य दूतवास हैं । 1989 में लन्दन में जो चाय का आक्शन हुआ था उस आक्शन में रूस भी भाग लेने के लिए गया था । अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से जितना चाय का एक्सपोर्ट होता है उसका 70 परसेंट रूस और ईरान खरीदता है । रूस जो चाय खरीदता है वह आक्शन में बेचता है ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपका जो डेयरी डवलपमेंट बोर्ड है, उससे लोगों में दूध नहीं है। दूध की जगह चाय पीने लगे हैं लोग तो चाय नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं होता है आप सवाल पूछिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : जो चाय रूस ले जा रहा है, वह जून में आता है और यहां से चाय ले जाता है। आपने 1989 में उसे 35 रुपए में चाय बेची जिससे आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक्सपोर्ट पालिसी को रेशनेलाईज करने की कोशिश करेंगे और जो देश यहां से चाय ले जाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे है, उसे रोकने का आपका विचार है ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : माननीय सदस्य कह रहे है उसमें पहली चीज तो यह है कि रूस जो भी चाय खरीदता है, वह जो आक्शन सिस्टम होता है, उसमें खरीदता है। हमारे यहां से रूस को 100 मिलियन से 120 मिलियन किलो चाय का एक्सपोर्ट हो रहा है। टी० बोर्ड के अनुसार, हमारे पास जो इंफर्मेशन है कि जो भी रूस हमसे चाय खरीदता है, उसे एक्सपोर्ट नहीं करता है। रूस में चाय की खपत 500 मिलियन किलोग्राम है और रूस में चाय का उत्पादन 120 मिलियन किलोग्राम होता है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि वह 70 फीसदी चाय इन्टरनेशनल मार्किट में एक्सपोर्ट करता है, अगर माननीय सदस्य उसका कोई सबूत दें तो हम जांच करा सकते है।

माननीय सदस्य ने ईरान की बात की है। ईरान जनरल करेंसी एरिया में आता है, आक्शन में हार्ड करेंसी में चाय लेता है। अब अगर वह किसी और को बेचे तो उसको कैसे रोक सकते है। इस वक्त 28 हजार करोड़ रुपए का चाय का एक्सपोर्ट है और कुल एक्सपोर्ट हमारा 600 करोड़ का है, इसलिए जो आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए पूरी एक्सपोर्ट पालिसी को नहीं बदला जा सकता और अगर कोई हिन्दुस्तान से चीज खरीद रहा है, उसको कैसे रोक सकते है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल पूछने का जो बुनियादी कारण है, वह बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दो साल में चाय की कीमत दुगनी हो चुकी है और इसकी पृष्ठभूमि में न तो चाय उगाने की लागत बढ़ी है और न ही मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है, यह सिर्फ गलत नीतियों का ही परिणाम है। अब तो परिवर्तन हुआ है, वह केवल इधर से उधर चेहरों का परिवर्तन नहीं है, नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दो साल के अंदर चाय के दाम बढ़े है, इसलिए बढ़े है कि सरकार की नीतियां गलत थीं। आज आम आदमी को खराब और हल्की चाय मिल रही है। आम आदमी को सस्ती और अच्छी चाय मिले, बढ़िया चाय हिन्दुस्तानी लोगों के घरों तक पहुंचे, क्या इसके लिए आप कोशिश करेंगे। साल डेढ़ साल पहले चाय के दाम 23 रुपये प्रति किलो थे जो अब बढ़कर 45-46 रुपए किलो हो गए है, इन दामों को कम करने के लिए सरकार क्या नीति अपनाने जा रही है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : चाय का जो उत्पादन हिन्दुस्तान में है, पिछले साल हम लोगों को थोड़ी तकलीफ थी, मानसून साउथ इंडिया में और नार्थ ईस्ट में समय पर नहीं आया, जिसकी वजह से 20-25 मिलियन किलोग्राम उत्पादन कम हुआ। जब हम लोगों ने देखा कि चाय के

दाम बढ़ रहे हैं तो हमने एक्सपोर्ट थोड़ा कम किया, इसके कारण आक्शन मार्केट में दाम थोड़े गिरे हैं। पिछले तीन महीने में कलकत्ता और गोहाटी में आक्शन की कीमतें गिरी हैं। (व्यवधान) मैं टी बोर्ड की आक्शन प्राइस दे सकता हूं, रीटेल प्राइस नहीं दे सकता। सरकार दामों को रेगुलेट नहीं करती, टी आक्शन सप्लाई और डिमांड के अनुसार होता है। उत्पादन कम हुआ था, एक्सपोर्ट थोड़ा कम किया, इसलिए कि यहां पर कीमतें स्टेबिलाइज करनी थीं। दूसरी बात यह है कि बंगाल और आसाम की सरकारों ने लेवीज काफी बढ़ा दी हैं, सेल्स टैक्स और ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं, इस वजह से भी प्राइसेस बढ़ी हैं। इस बारे में हमारी इन राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है।

श्री राघवजी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय मार्केट में चाय बेचने वाले मुख्य देश कौन कौन से हैं और इसमें भारत का प्रतिशत कितना है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : इस वक्त अफ्रीका में, इंडोनेशिया में बहुत सारी मल्टी-नेशनल कंपनीज हैं, साउथ अमरीका में, अफ्रीका में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस वक्त हिन्दुस्तान, सीलोन और कीनिया मेजर एक्सपोर्टर हैं, मगर पूरे विश्व में इस वक्त देखें तो चारों तरफ चाय का उत्पादन इस वक्त बढ़ रहा है। करीब 110 मिलियन किलोग्राम हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कंजम्शन 55 मिलियन किलोग्राम बढ़ रहा है। इसमें नए देश काफी आ गए हैं और उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन भी काफी कम है, मगर क्वालिटी कीनिया की हिन्दुस्तान से काफी हल्की होती है और इस वक्त हिन्दुस्तानी चाय की मांग काफी है। इंटरनेशनल मार्केट में जब आक्शन होता है तो सबसे ज्यादा रियलाइजेशन हमारी चाय को मिलता है।

श्री नानी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ईस्ट योरोपियन कंट्रीज में रीसेंटली जो घटनाएं हुई हैं, उनसे यह मालूम होता है कि वहां पर अगर नया मार्केट खोलने का इंतजाम किया जाए तो और चाय बिकेगी, इस बारे में सरकार क्या सोच रही है। दूसरा यह कि डोमेस्टिक कंजम्शन के लिए टी बोर्ड की तरफ से प्रमोशन का इंतजाम चल रहा है, इसका क्या नतीजा हुआ, यह आप बता सकते हैं ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : स्पीकर सर, ईस्टर्न यूरोप में हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, रूपी एरिया में हो रहा है। भविष्य में उस सिस्टम में परिवर्तन लाएंगे, चाहे रूपी एरिया हो या जनरल करेंसी ट्रेड हो, एक्सपोर्ट पहले भी था और अब भी होगा। दूसरी चीज, जो उत्पादन बढ़ाने की बात है, इस वक्त टी-बोर्ड की तरफ से बहुत सी योजनायें हैं, आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं, बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, ये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं केवल शीर्षक दे देता हूं। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। वे हैं : चाय बागान वित्त योजना, चाय मशीनरी और उपस्कर किराया खरीद योजना, चाय के पुनर्रोपण सम्बन्धी राज-सहायता (पुराने बागानों के लिए), चाय क्षेत्र चकबन्दी योजना, नई चाय इकाई वित्त योजना और दार्जिलिंग ब्याज राजसहायता योजना। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 355—श्री चिरंजी लाल वर्मा यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 356—श्री प्यारेलाल खंडेलवाल, डा० ए० के० पटेल—दोनों ही यहां उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

सवाल दे देते हैं, मौजूद नहीं रहते हाउस में। यह ठीक नहीं है।

अखबारी कागज की आवंटन नीति

[अनुवाद]

*357. श्री लोकनाथ चौधरी
श्रीमती जे० जमुना } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखबारी कागज की आवंटन नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के लिए अखबारी कागज की आवंटन-नीति तैयार की जा रही है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं उन नई विशेषताओं और अतिरिक्त बातों के बारे में जानना चाहता हूं जिन पर यह नई आवंटन नीति को अन्तिम रूप देते समय विचार किए जाने का प्रस्ताव है। (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : कुछ समय पहले अखबारी कागज सम्बन्धी सलाहकार समिति के साथ मेरी बैठक हुई थी और हमने अपना विचार बना लिया है और नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में हम सदन में इसकी घोषणा करेंगे।

एक बड़ा परिवर्तन यह है कि समाचार-पत्र उच्च वृद्धि दरों के आधार पर आवंटनों की भी मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व हम पांच प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि दर पर विचार करते थे। अब नई नीति में, हम इसे 7 प्रतिशत तक बढ़ाने को सहमत हो गए है अर्थात अखबारी कागज सात प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर आबंटित किया जाएगा। यह एक बड़ा परिवर्तन है।

वे अखबारी कागज के आयात पर सीमा शुल्क में कुछ छूट चाहते थे। माननीय वित्त मंत्री जी आयातित अखबारी कागज के सीमा शुल्क में प्रति टन 100 रु० की कटौती की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। ये मुख्य बातें हैं।

आयात के असरणीकरण की उनकी मुख्य मांग पर सहमति नहीं हो सकी है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं : छोटे समाचार पत्र एक लम्बे अर्से से आन्दोलन कर रहे हैं। उन्हें अपेक्षित मात्रा में अखबारी कागज नहीं मिल रहा है। क्या नई नीति छोटे समाचार-पत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देगी और क्या यह भी सत्य है कि

अनेक बड़े समाचार-पत्र अपने वास्तविक बिक्री प्रसार से कहीं अधिक प्रसार आंकड़े देते हैं। वे कृत्रिम आवश्यकता पैदा करते हैं, और वे अपना अखबारी कागज बाजार में बिक्री के लिए भेजते हैं। क्या यह मंत्री जी के नोटिस में है?

श्री पी० उपेन्द्र : छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों की अपेक्षाओं का हम ध्यान रख रहे हैं। जो कुछ वे चाहते हैं उन्हें उनका पूरा आबंटन किया जा रहा है।

जहां तक दर का सम्बन्ध है, छोटे समाचार पत्रों के लिए छूट दी गई है। वे सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त हैं और जहां तक मध्यम समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है, बड़े समाचार पत्रों पर लगाए गए सीमा-शुल्क का आधा सीमा-शुल्क उन पर लगता है।

माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह भी सत्य है कि अनेक समाचार पत्र कृत्रिम बिक्री प्रकार आंकड़े देते हैं।

और उसके आधार पर उन्हें कागज आबंटित हो जाता है और वे अखबारी कागज की कालाबाजारी भी करने लगते हैं। हमें कुछेक मामलों का पता चला है। परन्तु इस समय हमारे पास इन समाचार-पत्रों के दैनिक बिक्री प्रसार की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। परन्तु हम व्यवस्था कड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि बिक्री प्रसार सम्बन्धी आंकड़े सही-सही दिए जायें। (व्यवधान)

श्रीमती जे० जमुना : इस समय अखबारी कागज की कमी की क्या स्थिति है?

श्री पी० उपेन्द्र : वार्षिक आवश्यकता 5.65 लाख मीटरी टन है। उसमें से, स्वदेशी मिलें 2.95 लाख मीटरी टन का उत्पादन करती हैं। हमारे पास 2.70 लाख टन की कमी है और वह हम आयात कर रहे हैं।

प्रो० के० वी० थामस : यह एक दुःखद सच्चाई है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में बड़े समाचार पत्र बड़े व्यापारिक घरानों के नियंत्रण में हैं। अकसर वे अपने हितों के अनुसार जनता के मत को मोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ, कुछ छोटे और मध्यम समाचार-पत्र हैं जिनका ऐसा कोई हित नहीं होता है। इनका संचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनका हित या तो माध्यम में होता है अथवा पत्रकारों में होता है। अतएव इन मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों तथा क्षेत्रीय समाचार-पत्रों की सहायता करने के उद्देश्य से क्या आप इस विषय पर अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक उदार दृष्टिकोण अपनायेंगे? अकसर समाचार पत्रों का कोटा आबंटित कर दिया जाता है। उन पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वे इसे कालाबाजार में बेच रहे हैं। इस प्रकार की बात कहां हो सकती है, मैं इस पर विवाद नहीं कर रहा हूं। परन्तु देश के हित को ध्यान में रखते हुए और उन बड़े व्यक्तियों को देखते हुए जो जनता के विचारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों की मदद करेंगे?

श्री पी० उपेन्द्र : जैसा कि हम सभी जानते हैं, कई समाचार-पत्र जिनमें राष्ट्रीय समाचार-पत्र भी शामिल हैं, बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा संचालित हैं। यह जीवन की एक सच्चाई है। मैं नहीं समझता कि हम इस समय इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, और हम समाचार पत्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। परन्तु जहां तक छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है, अभी

हुए ही श्री अखबारी कागज सम्बन्धी सलाहकार समिति में बड़े समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि आयात का असरणीकरण चाहते थे अर्थात् वे चाहते थे कि उन्हें परमिट दे दिए जाएं जिससे कि वे राज्य व्यापार नियम के बदले अपने आप आयात कर सकें और उससे छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को नुकसान होगा। अतएव, हम असरणीकरण के लिए सहमत नहीं हुए; इससे छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे स्वयं अखबारी कागज का आयात नहीं कर सकते। दूसरे, हम छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को अधिक से अधिक विज्ञापन देकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस प्रकार हम बड़े समाचार-पत्रों की बजाए छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को विज्ञापन देकर किफायत भी कर रहे हैं।

श्री मगनभाई मणिभाई पटेल : छोटे समाचार पत्रों के कुछ मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं। सरकार कब तक इन छोटे समाचार-पत्रों के मामलों का निपटान करने की सोच रही है जिन्होंने अपने कोटे की मांग रखी है?

श्री पी० उपेन्द्र : ये कोटे हर तीन महीने बाद दिये जाते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी मामला लम्बित है।

श्री राम नाईक : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि छोटे समाचार-पत्रों की सभी अपेक्षायें पूरी की जायेंगी। वे अपेक्षायें क्या हैं?

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने कहा है कि कुल आवश्यकता 5.65 लाख टन है। इसमें छोटे और मध्यम, दोनों समाचार-पत्रों के आंकड़े शामिल हैं। और हम छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों की सभी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारीलाल पुरोहित : माननीय मंत्री जी स्माल और मीडियम न्यूज पेपर्स की मदद करने की बात करते हैं। उनको क्वाटरली एलोकेशन न्यूजप्रिंट का करते हैं, चाहे मीडियम हो या स्माल न्यूजपेपर्स हों उनको आप द्वारा किए गये पांच डिवीजनों में से एलोकेशन होता है और उनको अपनी डिलीवरी लेने के लिए 5-7 एम्प्लाईज करने पड़ते हैं जोकि सब जगह पैसा लेकर देते हैं। ऐसी डिफकल्ट सिचुएशन में आपको स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स के लिए पॉलिसी चेंज करना चाहिए कि जिसको जो नजदीक हो, यह ऑप्शन देना चाहिए कि जिसके नजदीक में जो इंडीजीनियस फैक्ट्रीज हैं, वहां से ले लें लेकिन आपने कम्पैल कर रखा है। इस तरह यदि सौ टन का एलोकेशन होगा और 15-15,20-20 टन को पांच जगह पर बांटेंगे तो पांचों जगहों से उसको उठाने में तकलीफ होगी और कोटा उठाने में अड़चन होती है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पॉलिसी में रद्दो-बदल करेंगे?

श्री पी० उपेन्द्र : नहीं, अभी जो इंडीजिनियस फैक्ट्रीज को अलॉटमेंट हो रही है, उसके हिसाब से नजदीक की फैक्टरी को दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई केस हो तो दूर की मिल से कोटा दिया होगा। उसको चेंज करेंगे और देखेंगे कि नजदीक की मिल से कोटा मिल जाए।

दूरदर्शन रिले केंद्र, कटिहार

*358. श्री युवराज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन रिले केन्द्र, कटिहार में पुरानी मशीनें लगाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह केन्द्र कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

आगरा में फरवरी, 1985 में एक उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किया गया था। तथापि, आगरा के प्रसारण केन्द्र के स्थल को वैकल्पिक स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगरा में ट्रांसमीटर स्थानांतरित करने में दूरदर्शन सेवा में कोई बाधा न हो, चयनित वैकल्पिक स्थल पर इस प्रयोजन के लिए एक अलग ट्रांसमीटर लगाया गया था। उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की कार्रवाई के रूप में, इस प्रकार उपलब्ध मूल ट्रांसमीटर को कटिहार में लगाने का निर्णय लिया गया। तथापि, यह ट्रांसमीटर पूर्णतः कार्य करने की स्थिति में है और इसकी मियाद बरकरार है। इस ट्रांसमीटर के कटिहार में लगाने से इस क्षेत्र की अपेक्षाओं पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कटिहार में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि कटिहार दूरदर्शन रिले केन्द्र में आगरा की पुरानी मशीन क्यों लगायी जा रही है ? इस प्रश्न के पहले भी मैंने नियम 377 के द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। आगरा में फरवरी, 1985 में एक उच्च शक्ति 10 कि० वाट का ट्रांसमीटर चालू किया गया था। आगरा के प्रसारण केन्द्र के स्थल को वैकल्पिक स्थान पर ले जाने का सरकार ने निर्णय किया और उस स्थल का ट्रांसमीटर का सामान नए स्थल पर न लगाकर कटिहार भेज दिया गया और इस प्रकार आगरा में नयी मशीन लगाई गई, क्यों ? यह माननीय मंत्री जी को पता है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट अथार-रेज ने जब मुझे पत्र लिखा और सदन में ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद जब इस पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने यह प्रश्न किया है। तो मेरा कहना है कि जब आगरा में स्थल का परिवर्तन किया गया तो वहां की पुरानी मशीन न लगाकर नयी क्यों लगायी नयी और उस पुरानी मशीन को कटिहार क्यों भेजा गया ?

श्री पी० उपेन्द्र : इसके बारे में माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और विस्तार से चर्चा की थी। यह सही है कि आगरा में स्थल परिवर्तन होने पर वहां 10 कि० वाट का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाया गया क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के कथनानुसार ताजमहल के आसपास के स्थान पुराने केन्द्र से प्रभावित हो रहे थे इसलिए वहां से 3 कि० मी० दूर स्थान पर अर्थात चमरौली विलेज में यह शिफ्ट किया गया। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आगरा स्टेशन की सर्विस बंद हो जाती। इसलिए चमरौली में यह ट्रांसमीटर शिफ्ट किया गया। इसके बाद उस

मशीन को कटिहार से लाया गया। चूंकि उस मशीन की लाईफ पन्द्रह साल है और उसको टैस्ट किया गया था, इसलिए टैस्ट में प्रमाणित होने पर कि यह ठीक से काम कर रहा है, इसलिए कटिहार से लाया गया है। उसे हम रिप्लेस करेंगे।

[अनुवाद]

हम दस वर्ष से पहले भी इसके स्थान पर नया ट्रांसमीटर लगाएंगे यदि वह ठीक से कार्य नहीं करता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि ट्रांसमीटर अच्छी प्रकार कार्य करे, इसके लिए हम सभी कार्यवाही करेंगे अन्यथा नया ट्रांसमीटर स्थापित करने में दो वर्ष का समय लगेगा। यदि वे उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। परन्तु इसे स्थापित किया जा चुका है। भवन तैयार है। प्रत्येक चीज तैयार है। हम इसे दो महीनों में चालू करने जा रहे हैं। यदि हम इसे इस अवस्था में रोक देते है तो लोग इसे अच्छा नहीं समझेंगे।

[हिन्दी]

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर वहां के लोगों और डिस्ट्रिक्ट ओथोरिटीज में भारी डिस्प्लेजर है। मेरे पास इस सम्बन्ध में अनेकों पत्र आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो मशीन आगरा से, मचरोली या किसी दूसरे वैकल्पिक स्थान पर आपने लाकर लगायी है, एक ही शक्ति की वह मशीन है, दस किलोवाट की मशीन है, फिर आपने कहा कि उसमें चूंकि समय लग जाता, जिससे ट्रांसमिशन को, रिले करने के काम को, बंद करना पड़ता। क्या इसलिए उस मशीन को उठाकर कटिहार भेज दिया गया? लेकिन पुरानी मशीन कटिहार में न लग सके। इसको लेकर अब तक लोगों ने वहां प्रतिरोध किया है और आपकी मशीन अभी तक वैसे ही पड़ी हुई है, आपने यह भी कहा कि उसकी लाइफ 10 वर्ष है, जिसमें से 6 वर्ष के लगभग अब तक बीत चुके है, इसलिए चार वर्ष बाद आपको फिर वह मशीन बदलनी पड़ेगी। पहले ही आप क्यों न उसे किसी दूसरी जगह ले जाते। मैं यही जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर कटिहार के लोगों में, जन-साधारण और डिस्ट्रिक्ट ओथोरिटीज में, सरकारी क्षेत्रों में, जब भारी असंतोष व्याप्त है तो मंत्री जी उस मशीन को वहां न लगाकर, कोई नई मशीन कटिहार में क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? यदि कटिहार में आप कोई नई मशीन लगाने के लिए तैयार हैं तो वह कब तक लगा दी जाएगी।

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने पहले ही कहा है कि उस मशीन की लाइफ 15 साल है, दस साल नहीं, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, जिसमें से दस साल उसकी लाइफ अभी बाकी है। मैं ऑनरेबल मेम्बर को आश्वासन देना चाहता हूं कि आवश्यकता हुई तो मैं उनके साथ कटिहार चलूंगा और देखूंगा कि उसमें क्या दिक्कत है। आपको ठीक तरह से चालू करके दिखाया जाएगा। यदि उसकी सर्विस ठीक पाई गई, आप लोग सैटिस्फाई होंगे, तभी उसे चालू किया जाएगा। यदि ठीक तरह से वह चालू नहीं होगी तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की पुरानी ट्रांसमीशन की मशीनें देश के अन्य कई भागों में भी लगी हुई हैं, क्या माननीय मंत्री जी के पास जानकारी है कि वे कहां-कहां लगी है और उनके सम्बन्ध में क्या शिकायतें हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब कभी हम कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर अधिक शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाते हैं तो कभी-कभी हम ट्रांसमीटर की कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, यह पुरानी और नई मशीनों का मामला नहीं है, मामला इस बात का है कि दूरदर्शन केन्द्रों से किस किस्म का प्रसारण आता है। यदि अच्छी किस्म का प्रसारण आये तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। मगर कई रिले केन्द्रों से प्रसारण अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में अनेक जगहों पर यद्यपि हाई कैपेसिटी के ट्रांसमीटर्स लगे हैं, फिर भी उनका प्रसारण बहुत खराब आता है। आप तो उम्मीद करते हैं कि हमने हाई कैपेसिटी के ट्रांसमीटर्स लगा दिये, इसलिए सारे का सारा एरिया कवर हो गया होगा, परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि उनका प्रसारण ठीक से दिखाई नहीं देता है, उनका प्रसारण ठीक नहीं होता। हमारी चिन्ता यह है कि इन्दौर में जो अपने ट्रांसमीटर लगाया है, उसमें पता नहीं क्या दोष है कि उज्जैन वालों को बड़ा कमजोर और अस्पष्ट प्रसारण मिलता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे जिन स्थानों पर कमजोर प्रसारण होता है, उसमें सुधार लाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : मूल प्रश्न तो कटिहार में ट्रांसमीटर को चालू किये जाने से सम्बन्धित है, जो अभी तक चालू नहीं हुआ। कहां से प्रसारण अच्छा होता है, कहां से खराब होता है, यह तो स्थानीय जनता को मालूम हो जाता है। वैसे हमारे डिपार्टमैंट के लोग हर जगह टैस्ट करके देखते हैं कि प्रसारण ठीक चल रहा है या नहीं। यदि इन्दौर या किसी दूसरी जगह आपको जानकारी है, कोई स्पेसिफिक केस है तो आप मुझे बताएं हम उसकी इंक्वायरी करायेंगे और ठीक कराने का प्रयास करेंगे।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे बेतिया में जो ट्रांसमीटर लगाया गया है, वह भी बड़ा डिफैक्टिव है, जिसके परिणामस्वरूप वहां के लोगों को दौलतपुर केन्द्र के या काठमाण्डु के प्रसारण देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उन केन्द्रों के प्रसारण बहुत स्पष्ट और अच्छे आते हैं जबकि हमारे प्रसारण वहां साफ दिखाई नहीं देते। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बेतिया के ट्रांसमीटर को भी रिप्लेस करने की कृपा करेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं उसे देखूंगा, क्या हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (अनुपस्थित) अगला प्रश्न।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हुआ घाटा

*360 श्री दिलीप सिंह भूरिया†
श्री के० प्रधानी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1990 को इन बैंकों को कुल मिलाकर कितना घाटा हुआ था; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि देश में कार्य कर रहे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 194 के संबंध में सूचना बैंक के पास उपलब्ध है। 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के परिणामों को देखने से पता चलता है कि 46 बैंकों ने 14.74 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया जबकि 148 बैंकों को लगभग 61.39 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुए घाटे की राशि कुल मिलाकर 191.04 करोड़ रुपए बैठती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं उनके प्रायोजक बैंकों को उपचारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर कार्यदल (केलकर समिति) की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति मजबूत करने के लिए, इनकी निर्गमित पूंजी में वृद्धि प्रायोजक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पुनर्वित्त ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर सांविधिक नकदी अनुपात से अतिरिक्त निधि का बेहतर लाभ के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश आदि जैसे कई रचनात्मक उपाय किए गए हैं।

प्रायोजक बैंकों को भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निधि प्रबंधन, कर्मचारी प्रशिक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी गई है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के इस स्टेटमेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ग्रामीण बैंक एक दिन खत्म हो जाएंगी। खास करके जब ये बैंक बनाई गई थीं तो इसलिए बनाई गई थीं कि ग्रामीण लोगों को वहां पर क्रेडिट मिल जाए और बिचौलियों से उनका पीछा छूट जाए, लेकिन इस राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने लोगों से कर्ज माफी की घोषणा कर दी, लेकिन आज तक किसान को सर्टिफिकेट नहीं मिला और इस अप्रैल और मई महीनों में किसान डिफाल्टर होगा, किसी बैंक से कोई कर्ज नहीं ले सकेगा। मंत्री जी ने इस बजट में इन लोगों के कर्ज माफ करने के लिए सिर्फ एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, तो इस छोटी सी राशि से कैसे आप सब किसानों के कर्ज माफ करेंगे ? दूसरी बात यह है कि आपने लोगों से वायदा किया कि हम कर्ज माफ कर देंगे अगर सत्ता में आ गए, तो अब जब लोगों ने आपको वोट दिया है और आपको सत्ता दे दी है, तो आप क्यों इस बात की स्पष्ट घोषणा नहीं करते हैं कि कितना बैंकों का कर्ज है, उनको वह रुपया कितने दिनों में आप दे देंगे, इस बात की आप स्पष्ट घोषणा क्यों नहीं करते हैं ? अगर ऐसा नहीं किया गया, तो मजबूर होकर किसान फिर मिडिल मैन के पास कर्ज लेने के लिए जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बस मैं यही जानना चाहता हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, मूल सवाल तो अलग है, लेकिन चूंकि इन्होंने प्रश्न पूछा

है, इसलिए जवाब देना चाहता हूं। जो उन्होंने सवाल पूछा है, बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। फिर भी मैं उसको यहां दोहराना चाहता हूं आपकी इजाजत से; जैसा मैंने बताया, ऋण माफ करने के सिलसिले में, हम लोगों ने कुछ आधार बनाए हैं और जैसा मैंने बताया था कि 2800 करोड़ रुपए की राशि पब्लिक सैक्टर के बैंक और रूरल रीजनल बैंक, इन बैंकों से जिन्होंने कर्जा लिया है, उसको वापस करने के लिए, उसको माफ करने के लिए, 2800 करोड़ रुपए लगेंगे, सिर्फ उन लोगों के नहीं, उसमें जिले के अन्दर जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं, उनको मिलकर 2800 रुपए की राशि होती है। करीब-करीब 45 या 55, या 50-50, इस प्रकार से तकसीम हो सकती है, लेकिन हमने ऐलान किया है और हम जिम्मेदारी डालेंगे नहीं, ये क्षेत्रीय बैंकों का प्रश्न है, इसलिए मैं साफ करना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए, जिन्होंने दस हजार रुपए से कम कर्जा लिया है, उन सब लोगों का कर्जा माफ हम लोगों की बजट की राशि के जरिए किया जाएगा। इसमें आप लोगों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : दूसरा सवाल अध्यक्ष महोदय, यह है कि आपने अपने मैनीफेस्टो में जो बात कही है कर्ज माफी की उसके कारण आज क्षेत्रीय बैंकों की कोई कर्ज वसूली नहीं की जा रही है, न डिपॉजिटर्स डिपॉजिट कर रहे हैं जिसके कारण बैंकों की स्थिति यह है वे अपने मैनेजर तक को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से साफ शब्दों में जानना चाहता हूं कि कितने समय में बैंकों में वह रुपया जमा कर दिया जाएगा, महीने में, पन्द्रह दिन में या और कितना समय लगेगा? जब आपको जनता ने बिना शर्त वोट दिया और गद्दी पर बैठा दिया तो आप क्यों स्पष्ट घोषणा करने में डर रहे हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : जनता ने हमें पॉवर में लाया, इसलिए आपको धन्यवाद। लेकिन मूल प्रश्न की तरफ मैं जाता हूं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंकों की वायबिलिटी, जहां तक रूरल रीजनल बैंक का सवाल है, हम लोगों ने सारे ऋण की व्यवस्था कर ली है, उनके ऊपर कोई नया बोझ आने वाला नहीं है, वह हम अपने संसाधनों के जरिए करेंगे, जो हमने बजट में प्रावधान किया है, उसके जरिए किया जाएगा। इसलिए हमारे मैनीफेस्टो में क्या है, इस पर आपको जाने की जरूरत अभी नहीं है। आपने जो सवाल पूछा है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं···

श्री जग पाल सिंह : टाइम लिमिट बताईए, कब तक माफ करेंगे,···

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा यह रही है कि जिनका मूल सवाल है, वही पूरक प्रश्न पूछ सकता है, यहां ये दूसरे सदस्य, पूरक सदस्य बनकर आ रहे हैं, (व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें कितना समय लगेगा?

प्रो० मधु दण्डवते : कितना समय लगेगा, इस सवाल का जवाब देने के लिए समय देंगे या नहीं? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही फाइनैंस बिल स्वीकृत किया जाएगा, हमने इंतजाम तैयार किया है, बजट का सत्र और फाइनैंस बिल पूरा होने के बाद ही हमारा काम शुरू हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मुख्य प्रश्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में है। यह एक कम लागत की संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कम लागत की संस्थाएं हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों, की सेवा करके अत्यधिक अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं और पुराने एवं पहले से स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटा नहीं उठा रहे हैं। परन्तु कुछ क्षेत्रों से मांग की गई है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ मिला दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रकृति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से बिल्कुल भिन्न है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी हासिल कर सकता हूं कि वे स्पष्ट रूप से यह बताएंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विलय नहीं होगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, पिछली सरकार के शासन में एक केलकर समिति थी। (व्यवधान) मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। महोदय उस समय अनेक सुझाव दिए गए थे। उनमें से एक सुझाव यह था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंक में विलय किया जाना चाहिए। हम इस प्रस्ताव के पक्ष में कतई नहीं हैं। इसके विपरीत एक समिति ने अत्यधिक रचनात्मक सुझाव दिए थे। एक सुझाव यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के घाटे में जाने का मुख्य कारण क्षेत्राधिकार का सीमित होना, श्रेणियों का प्रतिबन्ध एवं चुनाव, कार्य क्षेत्र के साथ-साथ दूसरे प्रतिबन्ध और इसलिये उन्होंने सुझाव दिया कि हमें इन बैंकों को विस्तृत पूंजी आधार मुहैया कराना चाहिए, हमें उन्हें कम ब्याज दर पर रकम देनी चाहिए और हमें निवेश की अच्छी सुविधाएं मुहैया करने में सक्षम होना चाहिए। हम इन रचनात्मक सुझावों को ध्यान में रखेंगे और उन आशंकाओं से बचेंगे जो माननीय सदस्य के मन में हैं।

श्री बालगोपाल मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, जोकि देश के प्राचीनतम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से एक है, ने गत वर्ष में 3.75 करोड़ रुपये की हानि उठायी है। सरकार के पास इस हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रो० मधु दण्डवते : हमें इसकी जानकारी है और इस संकट को दूर करने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है।

[हिन्दी]

श्री एच० के० एल० भगत : आनरेबल मिनिस्टर साहब से मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी बजट स्पीच में यह था कि उन लोगों का कर्जा माफ किया जाएगा जो कर्जा देने के काबिल नहीं हैं। उसका क्राईटेरिया क्या है, उसको तय कौन करेगा कि कौन देने के काबिल नहीं है, क्या इसमें करप्शन नहीं होगी, क्या इनफास्ट्रक्चर अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे करप्शन न हो, कौन डिसाइड करेगा कि लोन माफ किया जाएगा ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैं पुनः उत्तर दूंगा। हम इसे बैंक अधिकारियों की दया पर, कि कौन जानबूझकर ऋण लौटाने से बचना

चाहता है, नहीं छोड़ेंगे। उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और इसलिए एक मापदण्ड स्वीकार करने का आधार यह है कि यदि कोई रुपया वापिस करने की क्षमता रखता है और वापिस नहीं कर रहा है तो उसे बैंक द्वारा जानबूझकर अदा न करने वाला समझा जायेगा और जानबूझकर रुपया अदा न करने वाला पूर्व स्वीकृत आधार जिसे आप (पिछली सरकार) इन सभी वर्षों में स्वीकार करते आए हैं, उसका अनुकरण नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भवन निर्माताओं को सहायता के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रस्ताव

*351. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक के उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है जिसमें भवन निर्माताओं/मालिकों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने के उद्देश्य से साधारण बीमा निगम के सहयोग से एक सहायक कम्पनी बनाने की अनुमति मांगी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को साधारण बीमा निगम के साथ बैंक की साझेदारी में एक आवास वित्त अनुषंगी कम्पनी स्थापित करने के बारे में इंडियन ओवरसीज बैंक से एक प्रस्ताव मिला था। मामला विचाराधीन है।

चाय का उत्पादन तथा निर्यात

[हिन्दी]

* 352. श्री राम लाल राही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात में गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चाय के निर्यात में प्रति वर्ष कितनी गिरावट आई है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) इस शताब्दी के अंत तक भारत द्वारा चाय के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है,

(घ) क्या चाय का उत्पादन भी कम हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) पिछले चार वर्षों के दौरान भारत से चाय के निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नवत हैं :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा०)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1986-87	200.04	615.00
1987-88	207.57	621.82
1988-89 (अनन्तिम)	208.82	644.26
1989-90 (अनन्तिम) (अप्रैल-फरवरी)	192.67	812.63

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि निर्यात में गिरावट नहीं आई है।

(ग) सरकार ने यह अनुमान नहीं लगाया है कि इस शताब्दी के अन्त तक चाय का निर्यात कितना होगा। फिर भी, आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 305 मिलियन किग्रा० चाय के निर्यात का प्रस्तावित लक्ष्य है।

(घ) और (ङ) नीचे दी गई सारणी पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में हुए चाय के उत्पादन को दर्शाती है:—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन किग्रा०)
1985-86	648.96
1986-87	621.40
1987-88	683.81
1988-89	683.59
1989-90 (अप्रैल-दिसम्बर)	648.34

फिर भी, कैलेण्डर वर्ष 1988 के दौरान 701 मिलियन किग्रा० के रिकार्ड उत्पादन से, वर्ष 1989 के दौरान उत्पादन कम होकर 684.13 मिलियन किग्रा० हो गया। यह गिरावट मुख्यतया दक्षिण भारत में और आंशिक रूप से उत्तर-पूर्व भारत में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण आई।

ऋण देने के सम्बन्ध में बैंकों को दिशा-निर्देश

[अनुवाद]

*355. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋण देने के सम्बन्ध में बैंकों को जारी किए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : भारतीय रिजर्व बैंक ऋणकर्ताओं को ऋण देने के सम्बन्ध में बैंकों को समय-समय पर विस्तृत मार्ग निर्देश जारी करता है। बैंकों के प्रबंधन भारतीय

रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण करते हैं और तत्संबंधी अनुदेश जारी करते हैं। यह सुनिश्चित करना होता है कि ऋण और अग्रिम नीचे दिए गए तीन मूलभूत उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं :—

(एक) ऋण युक्तिसंगत आधार पर उनकी वापसी सुनिश्चित करते हुए दिए जाएं।

(दो) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने सम्बन्धी दी गई हिदायतों और परामर्श को ध्यान में रखते हुए, जहां विस्तृत राष्ट्रीय हितों को देखते हुए लाभप्रदता पर जोर नहीं दिया जाता, वहां मामलों में बैंक निधियों को लाभप्रद ढंग से निवेश करना।

(तीन) बैंकों के प्रचालनों के क्षेत्रों के समुदायों की उत्पादकता एवं अन्य वांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

बैंक को आंतरिक सूचना प्रणाली, निरीक्षण एवं समीक्षा के माध्यमों द्वारा कुशल निगरानी प्रणाली की व्यवस्था भी करनी होती है।

मूल्य निर्धारित करने के लिए समिति

*356. श्री प्यारेलाल कंडेलवाल
डा० ए० के० पटेल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी, धागे, वनस्पति आदि के मामले में उनकी उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य के बीच वर्तमान अनुपात का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है ताकि वह उचित लाभ का अनुपात तय कर सके और मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति रोकी जा सके,

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इन्हें कार्यान्वियत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लौह अयस्क का निर्यात

*359. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम जापान और अन्य देशों को लौह अयस्क का निर्यात कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्रत्येक देश को कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1988-89 और 1989-90 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान एम० एम० टी० सी० द्वारा किए गए लौह अयस्क के निर्यात का देशवार ब्यौरा

देश	1988-89		1989-90	
	मात्रा	मूल्य	(अप्रैल-फरवरी) (अनन्तिम)	
			मात्रा	मूल्य
जापान	10.496	247.25	9.001	279.73
दक्षिण कोरिया	3.112	71.53	2.551	79.34
रूमानिया	2.356	29.61	1.829	26.16
हंगरी	0.031	0.70	0.010	0.33
जी० डी० आर०	0.612	11.29	0.660	16.51
युगोस्लाविया	0.036	0.81	—	—
दुबई	0.146	2.81	0.318	6.29
कुवैत	0.021	0.30	—	—
उत्तरी कोरिया	0.343	6.20	0.345	6.99
पाकिस्तान	0.338	6.93	0.338	8.83
चीन	0.151	3.82	0.251	7.34
आस्ट्रेलिया	—	—	0.149	5.05
नेपाल	0.002	0.03	0.002	0.03
कुल योग :	17.644	381.28	15.454	436.60

राजस्थान में भवन-निर्माण के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

[हिन्दी]

*361. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सहकारी एवं अन्य बैंकों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों समेत निम्न और मध्यम आय वर्गों के लोगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार भवन निर्माण के लिए ऋण दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिला-वार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के संयोजक बैंक, बैंक आफ बड़ोदा ने सूचित किया है कि राज्य में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों, निम्न और माध्यम आय वर्ग के लोगों को ऋण मंजूर किए गए हैं। दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार 43,648 खातों में 14.35 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। खातों की जिले-वार संख्या और उनमें बकाया राशि से सम्बन्धित दिसम्बर 1989 की स्थिति के अनुसार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राजस्थान में अन्य बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्गों सहित अन्य वर्गों को गृह निर्माण के लिए दिया गया ऋण

(दिसम्बर 1989 की स्थिति)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	खाते	बकाया राशि
1.	अजमेर	2578	75.33
2.	अलवर	2695	84.79
3.	बांसवाड़ा	1046	27.52
4.	बाड़मेर	1648	48.58
5.	बीकानेर	952	28.18
6.	भीलवाड़ा	2205	64.25
7.	भरतपुर	2254	67.23
8.	बूंदी	932	29.11
9.	चितौड़गढ़	2048	59.30
10.	चुरू	1146	35.16
11.	धौलपुर	748	20.09
12.	डूंगरपुर	1146	38.79
13.	जैसलमेर	662	17.96
14.	जयपुर	962	122.31
15.	जालौर	1686	52.57
16.	झुंझुनू	1090	38.64

क्रम संख्या	जिले का नाम	खाते	(लाख रुपए में) बकाया राशि
17.	झालावाड़	1380	40.40
18.	जोधपुर	1537	46.34
19.	कोटा	638	18.33
20.	नागौर	1782	56.81
21.	पाली	2050	58.47
22.	सवाई माधोपुर	1804	55.52
23.	सीकर	1501	46.05
24.	सिरोही	1432	43.31
25.	श्री गंगानगर	2780	100.88
26.	टोंक	898	27.59
27.	उदयपुर	4048	131.25
	कुल :	43648	1434.76

भूमि का मूल्य निर्धारण सूत्र

[अनुवाद]

*362. श्रीमती वासव राजेश्वरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने भूमि का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक सूत्र का सुझाव दिया है जो परस्पर अंतरण के आधार पर विभिन्न वर्गों को उपलब्ध होने वाली राज-सहायता (क्रास सबसिडाइजेशन) के सिद्धान्त पर आधारित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास बोर्डों और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों जैसी सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास और शेल्टर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते एक योजना बनाई है। इस योजना को अब सहकारी आवास वित्त सोसाइटियों, व्यावसायिक विकासकर्ताओं के साथ-साथ किराया आवास योजनाओं पर भी लागू किया गया है। भूमि की लागत और आधारभूत सुविधाएं तथा विभिन्न आय वर्गों के लिए कीमतें निम्नलिखित सिद्धान्तों पर निर्धारित की गई हैं :

(एक) निम्न आय वर्गों के लिए प्लाट/एकक भूमि और न्यूनतम शैल्टर लागत के लिए क्षमता को ध्यान में रखते हुए औसत विकास लागत से कम

(दो) उच्च आय वर्गों के लिए प्लाट/एकक बाजार कीमतों के लगभग।

(तीन) वाणिज्यिक प्लाट अनुमानित विक्रय मूल्य

(चार) कार्य स्थल/संस्थाएं इत्यादि विकास लागत पर अथवा उसके लगभग

हरिद्वार में टी०वी० टावर

*363. श्री जगपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरिद्वार में टी०वी० टावर स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां टी०वी० टावर लगाने के लिए भूमि प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त स्थान पर दूरदर्शन द्वारा एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। बिजली न मिलने के कारण, अभी तक, इस ट्रांसमीटर को नियमित रूप से सेवा के लिए शुरू करना सम्भव नहीं हो पाया है। तथापि, राज्य सरकार से नियमित रूप से बिजली मिलने तक, दूरदर्शन ने 4 अप्रैल, 1990 से परीक्षण के आधार पर सायंकालीन प्रसारण के लिए ट्रांसमीटर स्थल पर एक डीजल जनरेटर लगा लिया है।

फीचर फिल्मों के चयन हेतु दिशा-निर्देश

*364. श्री शरत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा दिखाई जाने वाली फिल्मों का दिल्ली तथा अन्य केन्द्रों द्वारा किस आधार पर चयन किया जाता है;

(ख) रविवार के लिए फीचर फिल्मों और प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों तथा पुरानी लोकप्रिय फिल्मों के चयन के लिए क्या दिशा-निर्देश, यदि कोई हैं, निर्धारित किए गए हैं;

(ग) नई हिन्दी फीचर फिल्मों, प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों तथा पुरानी हिन्दुस्तानी लोकप्रिय फिल्मों के मामले में देय धनराशि निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है;

(घ) अनेक रविवारों को अलोकप्रिय हिन्दी फिल्में प्रसारित किए जाने का औचित्य क्या है; और

(ङ) क्या अच्छी फिल्मों का ही चयन करने की दृष्टि से वर्तमान प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए पुरानी उत्कृष्ट फिल्मों सहित हिन्दी फीचर फिल्मों का चयन दूरदर्शन महानिदेशालय फिल्म चयन समिति द्वारा निर्माताओं/अधिकार धारकों द्वारा

प्रसारण के लिए प्रस्तावित फिल्मों में से निम्नलिखित मुख्य मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

1. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त
2. विषयवस्तु महत्व
3. सिने महत्व
4. मनोरंजन
5. परिवार में देखने के लिए उपयुक्तता
6. निर्माण वर्ष

25 वर्ष पहले निर्मित फीचर फिल्मों पर ही पुरानी उत्कृष्ट श्रेणी के अधीन प्रसारण के लिए विचार किया जाता है।

प्रादेशिक फीचर फिल्में जिन्होंने निम्नलिखित कोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता हो/पेनोरमा स्तर प्राप्त किया हो, रविवार को राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारण की पात्र हैं :

1. वर्ष की सर्वश्रेष्ठ या दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फीलम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सभी भाषाओं में।
2. किसी क्षेत्रीय भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का "रजत कमल" पुरस्कार;
3. राष्ट्रीय एकता के लिए नर्गिस दत्त पुरस्कार;
4. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, और
5. किसी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव में भारतीय पेनोरमा खण्ड में शामिल।

प्रसारण के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों का चयन सम्बद्ध दूरदर्शन केन्द्र की चयन समितियों द्वारा किया जाता है।

(ग) दूरदर्शन महानिदेशालय में एक फिल्म वर्गीकरण समिति तथा प्रादेशिक केन्द्रों पर तीन ही समितियों द्वारा प्रसारण से पहले, रायल्टी के भुगतान के प्रयोजन से फिल्मों की तीन श्रेणियां अर्थात् "क" "ख" और "ग" में रखा जाता है। राष्ट्रीय नेटवर्क पर रविवार को प्रसारित क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों और पुरानी उत्कृष्ट फिल्मों को हमेशा "क" वर्ग में रखा जाता है। इन फिल्मों के लिए भुगतान समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। श्वेत-श्याम फिल्मों के मामले में रंगीन फिल्मों की तुलना में 25 प्रतिशत कम भुगतान किया जाता है।

(घ) प्रसारण के वास्ते अच्छी फिल्मों के लिए दूरदर्शन का चयन विभिन्न निर्माताओं अधिकार धारकों द्वारा प्रसारण के लिए प्रस्तावित फिल्मों तक सीमित होता है। चूंकि फिल्म निर्माण मुख्यतया निजी क्षेत्र में है, अतः सरकार बाक्स आफिस पर इन फिल्म की स्थिति के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखती।

(ङ) फिल्मों के चयन की वर्तमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अच्छे स्तर की फिल्में प्रसारित की जाएं एक पुनरीक्षण समिति प्रसारण के लिए अनुमोदित फिल्मों की फिर से जांच की जा रही है।

मानव कंकालों का अवैध निर्यात

*365. श्री शंकर सिंह वघेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पूर्वोत्तर राज्यों से बंगला देश को मानव कंकालों का अवैध रूप से निर्यात किया जा रहा है, जिन्हें वहां से पश्चिमी देशों को भेजा जाता है; और

(ख) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं और इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भारत-बंगला देश सीमा पर जिन एजेंसियों को तस्करी-रोधी कार्य सौंपा गया है, उन्होंने ऐसे किसी अवैध निर्यात किए जाने की कोई सूचना नहीं भेजी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार

*366. श्री कल्पनाथ राय
श्री उत्तम राठौड़ } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में और विस्तार किए जाने हेतु यदि कोई कार्यक्रम है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) 31-12-1989 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 33,640 शाखाएं थीं। 1-4-1985 (सातवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में) की स्थिति के अनुसार ऐसी शाखाओं की संख्या 29,837 थी। पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति 31-3-1990 को समाप्त हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

चुंगी तथा बिक्री-कर की समाप्ति

*367. श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विगत कुछ समय से चुंगी तथा बिक्री-कर समाप्त करने के मामले पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) चुंगी तथा बिक्री-कर दोनों ही संविधान के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। सरकार बिक्री-कर समाप्त करने के मामले पर विचार नहीं कर रही है। चुंगी समाप्त करने का मामला अप्रत्यक्ष कराधान

बाध समिति, लकड़वाला समिति आदि जैसी बहुत-सी ऐसी समितियों और विशेषज्ञ अध्ययन दलों द्वारा जांच का विषय रहा है जिन्होंने चुंगी शुल्क को धीरे-धीरे समाप्त/प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया है। इस मामले पर 1980 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया और सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति हो गई कि चुंगी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। स्थानीय सरकार तथा शहरी विकास विषयक केन्द्रीय परिषद् ने भी अपनी विभिन्न बैठकों में चुंगी समाप्त करने के मामले पर विचार-विमर्श किया और परिषद् के सुझाव के आधार पर, शहरी विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो कि चुंगी समाप्त करने की स्थिति में स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस समिति की रिपोर्ट को राज्य सरकारों को सूचना हेतु परिचालित किया जा रहा है।

शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण देना

*368. श्रीमती उमा गजपति राजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले वर्तमान लाभार्थियों की संख्या 1981 की पुरानी जनगणना और प्रति 300 व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को ऋण के फार्मूले पर आधारित है; और

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए सरकार का उन क्षेत्रों में जहां यह योजना लागू है, लाभार्थियों की संख्या की समीक्षा करने तथा इसमें वृद्धि करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम वर्ष 1986-87 के दौरान आरंभ किया गया था। प्रारंभ में, इस योजना में 1981 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की आबादी वाले महानगरों, शहरी एवं अर्ध-शहरी केन्द्रों में प्रत्येक 500 की आबादी के लिए एक हिताधिकारी को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना में संशोधन किया गया और इस समय इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक 300 की आबादी के लिए एक हिताधिकारी को सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान फार्मूला में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

अनिवासी भारतीयों को धनराशि की वापसी के लिए परमिट

*369. श्री रामजी लाल सुमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें शहरी विकास मंत्रालय के भूमि और विकास अधिकारी ने वर्ष 1989 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से अनिवासी भारतीयों को वह अग्रिम राशि विदेशी मुद्रा में लौटाने के लिए आवश्यक परमिट जारी करने का अनुरोध किया था, जो उन्होंने दिल्ली में प्लाटों के आवंटन के लिए जमा की थी;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने मामलों में आवश्यक परमिट जारी किए हैं;

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो इस प्रकार के परमिट जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) इन परमिटों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

बैंक ऋणों को माफ करना

*370. श्री मुरला पल्ली रामचन्द्रन
श्री ए० अशोकराज } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृ

करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक केवल वास्तविक मामलों में ही ऋणों को माफ करें और वे ऋणों को अंधाधुंध बट्टे-खाते में न डालें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सरकार द्वारा घोषित ऋण राहत योजना 10,000/- रुपए तक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं पर लागू होगी और इसके अंतर्गत दिनांक 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार अल्पावधिक एवं सावधि ऋणों सहित सभी अतिदेय रकमें शामिल होंगी। उधारकर्ताओं की भूमि की जोतों के आकार संबंधी कोई सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, जान-बूझकर चूक करने वालों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा विवरणियां

3698. श्री हेत राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की वर्ष 1987-88 और 1988-89 में 50,000/- रुपये या इससे अधिक की राशि का लेन-देन/जमा करने वाले सभी खाताधारियों की सूची भेजने के लिए सम्मन जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयकर विभाग को कुल कितने मामलों के बारे में जानकारी दी गयी है;

(ग) क्या इससे बैंकों आदि के खाताधारियों में चिन्ता और असंतोष व्याप्त है; और

(घ) सरकार खाताधारियों के बैंकों आदि के साथ लेन-देन की गोपनीयता में उनका विश्वास बनाये रखने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) आयकर विभाग की केन्द्रीय सूचना शाखाएं विभिन्न स्रोतों, जिनमें अन्य स्रोतों के साथ-साथ बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं, के साथ किए गए वित्तीय लेन-देनों से संबंधित जानकारी मंगवाती हैं और तत्पश्चात कर की चोरी का पता लगाने के उद्देश्य से उक्त सूचना की जांच-पड़ताल करती हैं। 50,000/- रुपये से अधिक की राशि के निक्षेपों, बैंक-ड्राफ्टों, टेलीग्राफ द्वारा किए गए अन्तरणों तथा ट्रेवलर

बैंकों के संबंध में सूचना बैंकों से नियमित आधार पर एकत्र की जाती है। निक्षेपों तथा बांडों के संबंध में सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से भी मंगवाई जाती है। केन्द्रीय सूचना शाखाओं ने 1987-88 तथा 1988-89 के वित्त वर्षों के दौरान बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों सहित सभी स्रोतों से क्रमशः 8,21,632 तथा 8,48,123 सूचनाएं एकत्र कीं।

(ग) इस बात का कोई आधार नहीं है कि आयकर विभाग द्वारा बैंकों से सूचना एकत्र करने के परिणामस्वरूप वास्तविक जमाकर्ताओं में चिन्ता तथा भय उत्पन्न हो गया है।

(घ) आयकर अधिनियम की धारा 138 के उपबंधों के अनुसार बैंकों से एकत्र की गयी सूचना को आयकर प्राधिकारियों के पास गोपनीय रखा जाता है।

न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अकादमी

3699. चौ० जगदीप धनखड़ : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाया है जैसी कि विधि आयोग ने अपनी 117-वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) विधि आयोग की रिपोर्ट की जांच कर ली गयी है। न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

3700. श्री मदन लाल खुराना
चौ० जगदीप धनखड़ } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की समस्या की जांच और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जनवरी, 1989 में गठित उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समिति की रिपोर्ट/सिफारिशें कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

G
V2,31 N90
152 P5 NO.3,4
Nehru Memorial Museum and Library
Acc. No. J 249

(ग) आशा है कि समिति का समस्त कार्य, आगामी तीन या चार मास में पूरा हो जाएगा।

निर्यात से होने वाली आय में केरल द्वारा हिस्से की मांग

3701. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में निर्यात से होने वाली आय में अपने हिस्से का दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) केरल राज्य निर्यात व्यापार विकास परिषद् ने अपने दिनांक 24.4.1989 के पत्र के द्वारा इस मंत्रालय को एक अभिवेदन दिया है। जिसके अनुसार केरल राज्य ने भारत सरकार को सुझाव दिया था कि राज्य से होने वाली निर्यात आय का कुछ प्रतिशत उत्पाद विकास निधि के सृजन के लिए वापस किया जाना चाहिए। इस मामले पर विचार किया गया, परन्तु इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

महिलाओं का संयुक्त वैवाहिक सम्पत्ति में अधिकार

3702. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को महिलाओं को संयुक्त वैवाहिक सम्पत्ति में अधिकार देने के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में महिला संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त वैवाहिक सम्पत्ति से सम्बन्धित विधि के अधिनियमन के लिए विधियों में, जिनके अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को लागू स्वीय विधि भी है, व्यापक परिवर्तन करना होगा। सरकार की यह घोषित नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधि में तब तक परिवर्तन न किया जाए जब तक उसके लिए उन समुदायों से भी पर्याप्त पहल न की जाए।

गोवा में लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना

3703. प्रो० गोपालराव मायकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा की जनता गोवा में एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना की निरंतर मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा स्रोत तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में विद्युत चाप भट्टी प्रक्रिया की मार्फत लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना की नीति में केवल जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में ही इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमति है। देश के अन्य भागों में इस्पात निर्माण क्षमता की नई क्षमता की स्थापना के लिए इस समय अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि इस क्षेत्र में काफी क्षमता विद्यमान है।

तांबे का आयात

3704 श्री एन० डेनिस : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितने मूल्य के तांबे का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या तांबे का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन देशों के नाम क्या-क्या हैं जहां से गत पांच वर्षों के दौरान तांबे का आयात किया गया; और

(ङ) देश-वार कितने मूल्य के तांबे का आयात किया गया ?

ऊर्जा स्रोत तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग का एक सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड देश में प्राथमिक तांबे का एकमात्र उत्पादक है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कम्पनी के दो धातु कारखानों-खेतड़ी कापर कम्पलेक्स (राजस्थान) तथा इंडियन कापर कम्पलेक्स (बिहार) में उत्पादित तथा विदेश में टोल प्रद्रावित तांबे की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मात्रा मीटरी टन में
मूल्य लाख रुपए में

वर्ष	खेतड़ी कम्पलेक्स (राजस्थान)		घाटसिला कम्पलेक्स (बिहार)		विदेश से टोल प्रद्रावित	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1985-86	17722	7993	12001	5412	14119	6368
1986-87	23000	10488	11393	5195	10170	4637
1987-88	20412	12594	10546	6507	11176	6896
1988-89	27864	22563	11732	9500	12524	10141
1989-90 (अनंतिम)	28732	24125	11346	9530	8487	7129

(ख) जी हां।

(ग) देश की समूची मांग को पूरा करने में देशी उत्पादन के अपर्याप्त होने से शेष आवश्यकता की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) : भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) द्वारा गत पांच वर्षों में देश-वार आयातों का मूल्य संलग्न विवरण में है।

विवरण

1985-86 से 1988-89 तक एम०एम०टी०सी० द्वारा तांबे का देश-वार आयात

मूल्य लाख रु० में

देश	1985-86 मूल्य	1986-87 मूल्य	1987-88 मूल्य	1988-89 मूल्य	1989-90 (अनन्तिम) (मूल्य)
जाम्बिया	8062	3858	13062	9598	11863
जैरे	2208	2901	7955	9794	3220
चिली	955	1070	202	753	6555
स्पेन	—	305	—	—	—
सऊदी अरब	—	86	609	—	—
युगोस्लाविया	—	—	466	—	—
दक्षिण कोरिया	—	—	—	323	—
पश्चिम जर्मनी	10	—	928	209	—
तुर्की	—	—	—	40	1723
सोवियत संघ	—	—	—	2225	3480
फ्रांस	705	—	—	283	—
ब्रिटेन	1191	—	—	—	—
बेल्जियम	20	5	—	—	168
पेरू	195	—	—	—	—
पोलैंड	—	—	—	52	—
आस्ट्रिया	—	—	—	6	—
इटली	—	—	—	1216	—
अन्य	—	—	43	—	—
जोड़:	13574	8225	23265	24499	27009

भारतीय दण्ड संहिता के उड़िया संस्करण को स्वीकृति

3705. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भारतीय दण्ड संहिता का उड़िया संस्करण भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमान मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने भारतीय दण्ड संहिता के उड़िया पाठ के प्रारूप को अन्तिम रूप देकर उसे राज्य सरकार को इस उद्देश्य से लौटा दिया है कि राज्य सरकार उसकी एज्योर प्रतियां तैयार करके उसे, प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन अधिप्रमाणित किए जाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेज सके।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

[हिन्दी]

3706. **श्री हरिन पाठक**
श्री रवी नारायण पाणि } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31 जनवरी, 1990 तक) की गई जांच के परिणामस्वरूप प्रथमदृष्ट्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, (फेरा) के उपबंधों का उल्लंघन करने सम्बन्धी 3,744 मामले प्रकाश में आए है।

(ख) अधिनिर्णयन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए है।

इस्पात का उत्पादन

[अनुवाद]

3707. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार देश में इस्पात की वास्तविक मांग कितनी थी तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान इसका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : तैयार इस्पात की की गई मांग और उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

(हजार टन)

वर्ष	अनुमानित मांग	कुल उत्पादन (अंत: संयंत्र अन्तरण सहित)
1985-86	11354	10501
1986-87	11615	10978
1987-88	12585	11684
1988-89	13755	12841 (अनंतिम)
1989-90	14310	12853 (अनुमानित)

(स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति)

ऋण की बकाया राशि

3708. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अथवा इसके अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्त संस्थानों में से प्रत्येक बैंक और प्रत्येक संस्थान द्वारा दिए गए वाणिज्यक ऋण की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) कितनी कम्पनियों/व्यक्तियों संस्थाओं पर दस करोड़ से अधिक राशि बकाया है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। बैंकों से 10 करोड़ रुपए या अधिक तक आहरण सीमा प्राप्त पार्टियों की कुल बकाया राशि सितम्बर, 1989 की अन्त की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार 79355 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि की तुलना में 12341 करोड़ रुपये थी। दिसम्बर, 1988 के अन्त की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार बड़े और मझोले उद्योगों, लघु उद्योगों, कृषि और अन्य क्षेत्रों के मामलों में बैंकों की कुल अतिदेय राशि 12304 करोड़ रुपए थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेश शाखाओं का पुनर्गठन

3709. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेश शाखाओं को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के नेटवर्क के परिचालनों और लाभप्रदता को युक्तिसंगत बनाने, सुदृढ़ बनाने एवं उसमें सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के परि-

चालनों का, सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों द्वारा "निरंतर" आधार पर पुनरीक्षण किया जाता है। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के परिचालनों से पुनर्गठन का प्रस्ताव इस "निरंतर" प्रक्रिया का ही एक भाग है।

पलामू (बिहार) में खनिज भंडारों का पता लगाना

[हिन्दी]

3710. श्री जोरावर राम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पलामू जिले में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कौन-कौन से खनिजों का पता लगाया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) पलामू जिले में पाये गए खनिज हैं—कोयला, बाक्साइट, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, फायरक्ले, लोह अयस्क, बेराइट, एन्डेलुसाइट तथा स्टीटाइट।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

3711. श्री जनार्दन पुजारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, जिससे रबड़ के सम्बन्धी लघु उद्योग के सामान-निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्यों में कमी लाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जिन महीनों में रबड़ का कम उत्पादन होता है उनमें देशी रबड़ की कीमतें बढ़ जाती है तथा जब इनकी आपूर्ति में सुधार हो जाता है, ये स्थिर हो जाती हैं। फरवरी-मार्च के दौरान उत्पादन विशेषकर कम होता है क्योंकि रबड़ वृक्षों पर चीरा (टैपिंग) नहीं लगाया जाता है।

सरकार पर्याप्त मात्रा में आयात करके और समय से उपयुक्त रूप में इनको रिलीज करके कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

उड़ीसा में परिवार अदालतें

3712. श्री भार्गव गोवर्धन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारिवारिक विवादों, विशेष रूप से तलाक संबंधी विवादों आदि के शीघ्र निपटान के लिए परिवार अदालतें गठित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में 31 दिसम्बर, 1989 तक कितनी परिवार अदालतें गठित की जा चुकी हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) निम्नलिखित राज्य सरकारों ने कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर दी है :—

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

3713. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान के साथ किए जा रहे व्यापार को दुगना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (घ) जी हां, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है । वर्तमान मदों के आयात और निर्यात बढ़ाने तथा उन नए उत्पादों को जिनका भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार किया जा सकता है, को अभिज्ञात करने पर ध्यान है । औद्योगिक सहयोग पर भी विचार किया जा रहा है ताकि व्यापार स्तर को बढ़ाया जा सके ।

राज्यों का ओवरड्राफ्ट

3714. श्री ए० विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ओवरड्राफ्ट के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के बारे में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार की ओवरड्राफ्ट भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, हां । कुछ राज्यों ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवरड्राफ्टों को निपटाए जाने की समय-सीमा में वृद्धि की जाए ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि कार्यों के लिए ऋण

3715. श्री परशराम भारद्वाज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों द्वारा किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों की शर्तें क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक ऐसे ऋणों के आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) बैंकों द्वारा किसानों से ऐसे ऋण की प्रत्येक राज्य में वसूल की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) बैंक, कृषि क्षेत्र को, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ही एक अंग है, उदार शर्तों पर ऋण देते हैं। 7500/-रुपये तक के फसल ऋणों पर 10% वार्षिक की कम दर पर ब्याज लगाया जाता है और छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा लिए गए किसी भी निवेश ऋण पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। 10000 रु० तक के ऐसे ऋणों पर कोई संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी गारन्टी और मार्जिन की मांग नहीं की जाती है इसके अलावा, छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋणों के मामले में, जिसे डाली गई ब्याज की रकम मूल रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए और 25,000 रुपये से अधिक ऋणों पर बैंक द्वारा दण्डात्मक ब्याज नहीं लगाया जाता है। कृषि क्षेत्र में बर्तमान देय ऋणों पर ब्याज पर ब्याज लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण-आवेदनों का एक पखवाड़े तथा 25,000 रुपये से अधिक ऋण सीमा वाले आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटाने की अपेक्षा की जाती है।

1986,1987 और 1988 के पिछले तीन वर्षों के लिए (अद्यतन उपलब्ध) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में कृषि (प्रत्यक्ष) ऋणों के रूप में राज्यवार संवितरित रकम और बकाया ऋणों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

विवरण-I

जून 1986, 1987 और 1988 के अन्तिम शुक्रवार (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए किए गए संवितरण (प्रत्यक्ष वित्त) की राज्यवार रकम

(करोड़ रु०)

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1986	वर्ष 1987	वर्ष 1988
	उत्तर क्षेत्र	463.57	554.40	508.65
1.	हरियाणा	85.24	112.43	121.84
2.	हिमाचल प्रदेश	8.92	11.92	10.66
3.	जम्मू एवं कश्मीर	3.39	2.95	2.38
4.	पंजाब	267.11	287.60	238.94
5.	राजस्थान	75.05	107.30	112.80

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1986	वर्ष 1987	वर्ष 1988
6.	चण्डीगढ़	19.28	26.81	17.71
7.	दिल्ली	4.58	5.39	4.32
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	24.31	23.40	26.37
8.	असम	15.66	14.95	14.45
9.	मणिपुर	1.15	0.59	0.56
10.	मेघालय	1.72	1.44	2.34
11.	नागालैंड	1.60	1.90	4.18
12.	त्रिपुरा	3.34	2.53	2.85
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.25	0.94	0.57
14.	मिजोरम	0.22	0.44	0.56
15.	सिक्किम	0.37	0.61	0.86
	पूर्वी क्षेत्र	234.58	240.66	251.90
16.	बिहार	92.52	96.11	111.52
17.	उड़ीसा	53.96	58.16	63.45
18.	पश्चिम बंगाल	67.48	85.61	76.60
19.	अण्डमान व निकोबार	0.62	0.77	0.33
	मध्य क्षेत्र	304.49	401.36	441.73
20.	मध्य प्रदेश	99.47	158.78	176.97
21.	उत्तर प्रदेश	205.02	242.58	264.76
	पश्चिम क्षेत्र	349.20	436.90	497.28
22.	गुजरात	141.37	157.64	189.05
23.	महाराष्ट्र	200.81	271.75	300.51
24.	गोवा, दमन व दीव	6.96	7.22	7.48
25.	दादरा व नगर हवेली	0.06	0.29	0.24
	दक्षिण क्षेत्र	1263.58	1550.87	1663.41
26.	आन्ध्र प्रदेश	463.15	544.03	573.71
27.	कर्नाटक	264.90	306.49	234.01
28.	केरल	142.04	212.38	275.34

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1986	वर्ष 1987	वर्ष 1988
29.	तमिलनाडु	384.65	475.32	564.32
30.	पांडिचेरी	8.86	12.45	15.90
31.	लक्षद्वीप	0.08	0.20	0.13
	अखिल भारत	2639.73	3207.59	3389.34

विवरण-2

जून1986, 1987 और 1988 के अन्तिम शुक्रवार (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए दिए गए बकाया अग्रिमों (अल्पावधि वित्त) की राज्य वार रकम

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1986	वर्ष 1987	वर्ष 1988
	उत्तर क्षेत्र	1611.43	1826.28	2142.35
1.	हरियाणा	343.24	396.02	502.23
2.	हिमाचल प्रदेश	33.43	49.90	56.04
3.	जम्मू एवं कश्मीर	19.30	21.55	23.46
4.	पंजाब	635.93	740.78	812.26
5.	राजस्थान	387.64	413.02	564.89
6.	चण्डीगढ़	158.37	158.86	134.13
7.	दिल्ली	33.52	46.15	49.34
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	97.06	104.55	127.58
8.	असम	63.65	67.37	81.99
9.	मणिपुर	2.99	3.53	4.24
10.	मेघालय	7.24	7.11	8.26
11.	नागालैंड	8.74	9.54	12.01
12.	त्रिपुरा	11.82	12.38	14.84
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.59	1.43	1.66
14.	मिजोरम	0.60	0.96	1.28

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1986	वर्ष 1987	वर्ष 1988
15.	सिक्किम	1.43	2.23	3.30
	पूर्वी क्षेत्र	878.49	1004.94	1770.22
16.	बिहार	328.14	396.10	480.33
17.	उड़ीसा	207.49	236.23	267.95
18.	पश्चिम बंगाल	341.46	370.79	420.22
19.	अण्डमान और निकोबार	1.40	1.82	1.72
	मध्य क्षेत्र	1329.41	1406.60	1797.91
20.	मध्य प्रदेश	441.90	516.58	652.98
21.	उत्तर प्रदेश	887.51	890.02	1144.93
	पश्चिम क्षेत्र	1379.12	1405.70	1957.59
22.	गुजरात	564.08	514.65	805.23
23.	महाराष्ट्र	793.08	872.02	1125.42
24.	गोवा, दमन व दीव	21.76	18.53	26.40
25.	दादरा एवं नगर हवेली	0.20	0.50	0.54
	दक्षिण क्षेत्र	2953.86	3374.97	3951.54
26.	आंध्र प्रदेश	1042.55	1132.39	1327.43
27.	कर्नाटक	709.79	834.83	955.04
28.	केरल	338.72	397.98	451.84
29.	तमिलनाडु	842.89	986.41	1188.66
30.	पांडिचेरी	19.54	23.02	28.24
31.	लक्षद्वीप	0.37	0.34	0.33
	अखिल भारत	8249.37	9123.04	11147.13

अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक से सहायता

3716. श्री भक्त चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सीमा शुल्क, आयकर और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

3717. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 तक की अवधि के दौरान आयकर की चोरी, अभिगोपी और तस्करी के सामान को पकड़ने के लिए सीमा शुल्क, आयकर और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में कितने छापे मारे गए हैं; और

(ख) श्रेणी-वार सम्बद्ध कुल राशि का तथा चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सीमा शुल्क, आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कर अपवंचन और तस्करी के माल का पता लगाने के लिए मारे गए छापों/ली गई तलाशियों का विवरण निम्न प्रकार है :

	छापों/तलाशियों की संख्या	जब्त किए गए माल या परिसंपत्तियों/अपवंचन या पता चली छिपाई गई धनराशि
		(करोड़ रुपए में)
आयकर (दिसम्बर 89 से फरवरी 1990 तक)	401	15.67 (जब्त की गई परिसंपत्तियां) 25.94 (स्वीकार की गई लेखाबाह्य आय)
सीमा शुल्क (दिसम्बर 1989 से मार्च, 1990 तक)	1383	31.34 (निषिद्ध माल)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दिसम्बर, 1989 से फरवरी 1990 तक)	266	7.29 (पता चली अपवंचन की राशि)

उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन पड़े हत्याओं से सम्बन्धित मुकदमे

3718. बाबा सुरेश सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय में हत्याओं के कितने मुकदमें निर्णयाधीन पड़े हैं; और

(ख) ये मुकदमे कब से निर्णयाधीन पड़े हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) हत्या के दो निर्देश भारत के उच्चतम न्यायालय में क्रमशः 29-4-1987 और 21-12-1989 से लंबित हैं।

कर्नाटक में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल

3719. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बेलूर और हालेबिड में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों/मोटलों की संख्या कितनी है,

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने नए होटलों/मोटलों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार का, हालेबिड और बेलूर में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पंचसितारा होटलों का निर्माण करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्नाटक राज्य में बेलूर और हालेबिड में कोई मोटल/होटल नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) 1990-91 के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना में बेलूर तथा हालेबिड में नए मोटल/होटल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ निजी पार्टियों ने बेलूर और हालेबिड में तीन स्टार होटल के निर्माण के लिए सहायता हेतु उससे अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

अभ्रक का उत्पादन

3720. श्री राम दास सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1978 के दौरान अभ्रक की कितनी खानों में कार्य हो रहा था और इनमें कितना उत्पादन हुआ,

(ख) क्या एजेन्सी के माध्यम से निर्यात शुरू किए जाने के पश्चात, अभ्रक की खानों की संख्या में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) वर्ष 1971 और 1978 के दौरान उत्पादन करने वाली अभ्रक खानों की संख्या तथा अभ्रक का उत्पादन इस प्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन करने वाली खानों की संख्या	अभ्रक का कुल उत्पादन
1971	520	19,775
1978	251	14,274

(ख) सरणीकरण शुरू होने से पहले ही उत्पादन करने वाली अभ्रक खानों की संख्या में कमी होनी शुरू हो गई थी तथा यह प्रवृत्ति सरणीकरण के बाद भी बनी रही।

(ग) उत्पादन करने वाली अभ्रक खानों की संख्या में कमी होने के मुख्य कारण है, सतह आरक्षण समाप्त हो जाना, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण संसाधित अभ्रक की मांग में कमी जिसके फलस्वरूप कृत्रिम प्रतिस्थापन का विकास हो गया है तथा अभ्रक खान के स्वामियों की आर्थिक लाभप्रदता में कमी आई है।

मद्रास में हवाला घोटाला

3721. श्री माणिकराव होडल्या गावित
श्री आर० एन० राकेश } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में एक हवाला घोटाले का भंडा फोड़ हुआ है जिसमें 18 मार्च, 1990 को मद्रास में प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय द्वारा मदुरै के एक मुख्य निर्यातक से 80 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जैसाकि दिनांक 19 मार्च, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "स्पीज 80 लाख सीज्ड इन हवाला रैकेट" शीर्षक से समाचार भी प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी हुई है,

(घ) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ङ) प्रवर्तन निदेशालय मद्रास के अधिकारियों ने सिंदूर होटल, मद्रास के कमरा नं० 210 में ठहरे मदुरै के श्री एम० एस० मोहम्मद मजरूक को दिनांक 15/16.3.90 को तलाशी ली। तलाशी के परिणामस्वरूप 79,99,700/-रुपये राशि की भारतीय मुद्रा जब्त की गई थी। पकड़ी गई भारतीय मुद्रा की राशि हवाला लेन-देन के लिए ही होने का आरोप है।

श्री एम० एस० मोहम्मद मजरूक को दिनांक 16.3.90 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में रिमाण्ड पर रखा गया। जांच कार्य चल रहा है।

क्योंझर, उड़ीसा के लिए कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर

3722. श्री गोविन्द चन्द्र मुदा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्योंझर, उड़ीसा में एक कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता/प्रसारण क्षेत्र क्या है, इसके पूरा होने की निर्धारित

तारीख क्या है तथा इसके प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) इस समय क्योंझर जिले में क्योंझरगढ़, जोड़ा और अनन्तपुर में एक-एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है, प्रत्येक ट्रांसमीटर भूभागीय परिस्थितियों के अधीन निकटवर्ती क्षेत्रों सहित लगभग 25 कि० मी० के क्षेत्र के भीतर सेवा प्रदान करता है। सरकार का यह प्रयास है कि देश के ऐसे अन्य क्षेत्रों की तरह इस जिले के कवर न हुए बाकी हिस्सों को शीघ्र ही दूरदर्शन सेवा पहुंचाये जाए लेकिन यह दूरदर्शन प्रसार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कथक्कली पर धारावाहिक

3723. श्री टी० बशीर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कथक्कली पर धारावाहिक का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कथक्कली धारावाहिक के निर्माण एवं दूरदर्शन पर इसके प्रसारण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) दूरदर्शन ने "कथक्कली प्रबोध कार्यक्रम" पर 13 कड़ियों वाला धारावाहिक बनाने का काम मैसर्स पोथूजनम टेलीविजन कार्यक्रम केन्द्र को सौंपा है। इसका निर्माण पूरा हो चुका है और यह धारावाहिक दूरदर्शन को सौंपा दिया गया है। इसके प्रसारण के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व, जांच समिति द्वारा इसकी समीक्षा और अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

आयातित रबड़ का वितरण

3724. श्री पी० सी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, आयातित रबड़ का वितरण नियोजित रूप से करने का है, ताकि देशी बाजार में इसके मूल्यों पर प्रभाव न पड़े; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी हां। सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि रबड़ उत्पादकों के हित सुरक्षित रहें तथा साथ ही रबड़ के उपभोक्ता उद्योगों को उचित दर पर रबड़ की निरन्तर आपूर्ति भी सुनिश्चित हो, सरकार आयात की मात्रा और समय के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यक्रम बनाकर इस दिशा में सभी संभव उपाय कर रही है।

रामपुरा अगुचा खनन काम्पलेक्स

3725. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुरा अगूचा खनन काम्पलेक्स क्षेत्र के भूमि-मालिकों को, उनकी अधिगृहित भूमि का मुआवजा दे दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूमि का मूल्य निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) 845.7 हैक्टर भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि-मालिकों को मुआवजे के रूप में 2,84,58,458/- रु० दिए गए हैं ।

(ग) यह मुआवजा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भूमि अधिग्रहण अधिकारी के फैसले के अनुसार दिया गया है ।

एस्बेस्टॉस खनन उद्योग

3726. श्री ए० प्रताप राव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्बेस्टॉस खनन उद्योग में रुग्णता है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में एस्बेस्टॉस फाइबर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खनिकों को कोई छूट देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) हालांकि भारत में एस्बेस्टॉस खानों की संख्या 1987 में 82 से घटकर 1989 में 70 रह गई, परन्तु एस्बेस्टॉस का उत्पादन 1987 में 29528 टन से बढ़कर 1989 में 36502 टन हुआ ।

(ग) और (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एस्बेस्टॉस खनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भारत सरकार ने इसके खनन का और आगे विस्तार न करने का निर्णय किया है ।

एस्बेस्टॉस रेशे (फाइबर) की घरेलू आवश्यकता की कमी को आयातों से पूरा किया जा रहा है ।

बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में गांवों को अपनाना

3727. श्री जी० एम० नेगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों द्वारा "सर्विस एरिया अप्रोच" के अन्तर्गत अभी तक जिला-वार कुल कितने गांव अपनाए गए हैं,

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में जिला-वार उन गांवों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक-वार अपनाने का प्रस्ताव है,

(ग) यदि गढ़वाल क्षेत्र में कोई भी गांव नहीं अपनाया गया है तो बैंकों द्वारा गांव अपनाने का मानदंड क्या है और इस योजना के अन्तर्गत गढ़वाल जिले के गांवों को न अपनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) बैंकों द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में गांवों को अपनाने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत गढ़वाल क्षेत्र के गांवों को विभिन्न बैंक शाखाओं को आवंटित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को आवंटित गांवों की संख्या का ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में रायगढ़ में दूरदर्शन का प्रसारण स्पष्ट न आना

[हिन्दी]

3728. श्री नंद कुमार साय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल रायगढ़ जिले में दूरदर्शन कार्यक्रमों का टेलीविजन पर प्रसारण स्पष्ट नहीं आता है,

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं,

(ग) क्या सरकार का वर्तमान टावर के स्थान पर शक्तिशाली टावर की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान टावर को कब तक बदल दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) रायगढ़ में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वैन्सी बैंड का अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर-अन्दर संतोषजनक सेवा प्रदान करता है, इसमें आसपास के वे इलाके भी शामिल हैं जहां ऊंचे एंटीना और/अथवा बूस्टरों की मदद से अच्छा संग्रहण संभव है।

(ग) और (घ) यद्यपि फिलहाल, इस ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। लेकिन सरकार का यह प्रयास है कि जिले के कवर न हुए हिस्से में भी दूरदर्शन सेवा का शीघ्र विस्तार किया जाए। परन्तु यह दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं के प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जीवन बीमा निगम का कार्यालय खोलना

3729. डा० बंगाली सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) हाथरस शहर में, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है, पहले ही भारतीय जीवन बीमा निगम का एक शाखा कार्यालय है। निगम का इस समय अलीगढ़ जिले में नया शाखा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अभ्रक सम्बन्धी टी० चन्द्रशेखरन समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

3730. श्री ए० के० राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक उद्योग और व्यापार के बारे में टी० चन्द्रशेखरन समिति की रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अजय कुमार मेहता) : (क) और (ख) श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर सरकार द्वारा पहले ही लिए गए निर्णय दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

(क) अभ्रक सम्बन्धी समिति की मुख्य सिफारिशें

1. मिटको का एम० एम० टी० सी० के साथ विलय करना :

यह सिफारिश की जाती है कि मिटको को एम० एम० टी० सी० के साथ मिला दिया जाए और वह एम० एम० टी० सी० में एक अलग प्रभाग के रूप में कार्य करे जो अभ्रक व्यापार के लिए उत्तरदायी होगा।

2. सरणीयन नीति :

यह सिफारिश की जाती है कि रुपया भुगतान के क्षेत्रों को निर्यात के लिए मिटको/एम० एम० टी० सी० की मार्फत प्रसंस्कृत अभ्रक के निर्यात का शत-प्रतिशत सरणीकरण होना चाहिए। सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को प्रसंस्कृत अभ्रक का निर्यात गैर-सरणीकृत किया जाए।

3. अभ्रक छीलन पर निर्यात शुल्क :

यह सिफारिश की जाती है कि अभ्रक छीलन पर निर्यात शुल्क समाप्त किया जाए। एक उपयुक्त एम० ई० पी० निर्धारित किया जाए ताकि निर्यात कीमत में गिरावट न हो (इस समय स्क्रैप रूबी अभ्रक की निर्यात कीमत लगभग

8,700 ह० पी० एम० टी० और शीन माइका स्क्रैप का निर्यात लगभग 4,800 ह० पी० एम० टी० है)।

4. श्रमिक कल्याण उपकर :

समिति इस बात के प्रति निश्चित थी कि श्रमिक कल्याण उपकर से एकत्रित राजस्व से किए गए कार्यकलाप अच्छे थे और उन्हें समर्थन दिए जाने की आवश्यकता थी। यह सिफारिश की जाती है कि अभ्रक खान कामगारों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए मौजूदा संस्थाएं (जैसे अस्पताल, डिस्पेन्सरियां विद्यालय, आदि) जारी रखी जाएं। इस बात को देखते हुए कि इन क्रियाकलापों पर होने वाला मौजूदा व्यय उपकर से इस समय जमा होने वाली राशि की तुलन में अधिक है, यह सिफारिश की जाती है कि उपकर वसूली की दर 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दी जाए।

5. अभ्रक खनन :

(क) पट्टों का नवीनीकरण :

यह सिफारिश की जाती है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों से कहा जाए कि वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर पट्टों के नवीनीकरण सम्बन्धी निर्णय शीघ्र ले लें। समिति की राय है कि अभ्रक खनन क्रियाकलाप में गिरावट को देखते हुए उन सभी पट्टेधारियों को प्रथम तथा द्वितीय नवीनीकरण स्वतः ही दिया जाए जिन्होंने खान को यथोचित रूप से संचालित किया हो। पर्यावरण सम्बन्धी क्लीयरेंस और जंगलात क्षेत्रों में खनन हेतु क्लीयरेंस भी शीघ्र प्रदान की जाए।

(ख) अभ्रक खनन पट्टों के लिए कार्य योजना शर्तें :

समिति की यह सुविचारित राय है कि अभ्रक के भूमिगत भण्डार का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है क्योंकि अभ्रक भण्डार का विस्तार बहुत ही अधिक है। तदनुसार, यह सिफारिश की जाती है कि अभ्रक पट्टों के आवेदकों को पांच वर्षीय कार्य योजना प्रस्तुत करने की शर्त से छूट दी जाए।

(ग) यथोचित लागत पर अभ्रक भण्डारों के सर्वेक्षण और नक्शानवीसी के कार्य के लिए अभ्रक पट्टियों में आई० बी० एम० को चाहिए कि वे और अधिक तकनीकी प्रकोष्ठ खोलें।

(घ) अभ्रक खनन को औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम के अधीन उद्योग घोषित किया जाए।

6. अनुसंधान तथा विकास :

समिति का यह सर्वसम्मत विचार था कि शीट अभ्रक की घटती हुई अन्तर्राष्ट्रीय मांग को देखते हुए न केवल अभ्रक खनन में बल्कि अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों के विभिन्न नए उपयोगों के निर्धारण के लिए भी अनुसंधान तथा विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। यह सिफारिश की जाती है कि

सरकार को अभ्रक उत्पादों के लिए निश्चित अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ करनी चाहिए।

7. अभ्रक/अभ्रक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन :

यह सिफारिश की जाती है कि निर्यात हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहनों पर विचार किया जाए :—

(क) प्रसंस्कृत अभ्रक, फैब्रिकेटेड अभ्रक और अभ्रक उत्पादों को कवर करने के उद्देश्य से धारा 80 एच० एच० सी० का विस्तार किया जाए।

(ख) अभ्रक पाउडर/फ्लेक्स, अभ्रक उत्पादों यथा—अभ्रक कागज, माइकेनाइट और अन्य अनुप्रवाही उत्पादों के निर्यात के लिए सी० सी० एस० तथा आर० ई० पी० लाइसेंस।

(ग) चान्दीयुक्त अभ्रक प्लेटों तथा फैब्रिकेटेड अभ्रक के निर्यात पर अधिक सी० सी० एस०।

8. चान्दीयुक्त अभ्रक प्लेटों, प्रसंस्कृत अभ्रक और अभ्रक पाउडर/फ्लेकों के एम० ई० पी० में वृद्धि :

समिति का यह विचार था कि अभ्रक छीलन के एम० ई० पी० में लगभग 25 प्रतिशत की तत्काल वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। अन्य प्रसंस्कृत अभ्रक मदों के एम० ई० पी० में भी यथोचित वृद्धि की जाए। मिटको ने तदनुसार (समिति की अन्तरिम सिफारिशों पर) अभ्रक छीलन तथा प्रसंस्कृत अभ्रक की विभिन्न मदों के निर्यात पर एम० ई० पी० में यथोचित वृद्धि कर दी है। यह भी सिफारिश की जाती है कि 325 मेश के अभ्रक पाउडर/फ्लेकों के निर्यात पर 2200 रु० पी० एम० टी० और 325 से अधिक मेश के अभ्रक पाउडर के निर्यात पर 2700 रु० पी० एम० टी० का एम० ई० पी० निर्धारित किया जाए। यह भी सिफारिश की जाती है कि चान्दीयुक्त अभ्रक प्लेटों के निर्यात पर (31 मार्च, 1988 तक विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू मौजूदा एम० ई० पी० में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि सहित) एम० ई० पी० निर्धारित किया जाए। यह सिफारिश की जाती है कि विभिन्न अभ्रक मदों पर एम० ई० पी० की सरणीयन अभिकरण/सरकार द्वारा हर हालत में छमाही आधार पर समीक्षा की जाए। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार रुख और साथ ही विनिमय दर में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए एम० ई० पी० में उपयुक्त ऊर्ध्वमुखी संशोधन अवश्य किए जाएं।

9. मिटको के प्रबन्धन का सुव्यवस्थीकरण :

यह सिफारिश की जाती है कि मिटको में स्टाफ व्यवस्था कार्यालयों, विश्राम गृहों, स्टाफ द्वारा विदेशी दौरों, आन्तरिक यात्रा तथा मनोरंजन और स्टाफ को पेशगियों, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले अत्यधिक ऊपरी खर्चों में कटौती करने

हेतु तत्काल कारंवाई की जाए। यह भी सिफारिश की जाती है कि मिटको की तैयार माल की सूची के अंकित मूल्य का भी तत्काल तकनीकी तथा वित्तीय विश्लेषण किया जाए। विपणन स्कन्ध को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रबन्धकीय काडर का पुनर्गठन किया जाए। सरणीकृत उत्पादों की खरीद नीतियों में भी सुधार और यौक्तिकीकरण किया जाए। इस बात की भी सिफारिश की जाती है कि सरणीयन अभिकरण को चाहिए कि वह अपनी निर्यात हेतु तैयार माल की खरीद कीमत और निर्यात कीमत के बीच अपना सकल मार्जिन लगभग 30 प्रतिशत के यथोचित स्तर तक ही सीमित रखे। यह भी सिफारिश की जाती है कि सरणीकरण अभिकरण, सरणीकृत उत्पादों की खरीद-मात्रा में अवश्य वृद्धि करे और उसके साथ-साथ निर्यात विपणन के लिए अधिकाधिक प्रयास करें।

(ख) सरकार द्वारा पहले ही की गई कारंवाई :

1. मिटको का एम० एम० टी० सी० के साथ विलय करना :

यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

2. अभ्रक छीलन पर निर्यात शुल्क :

निर्यात शुल्क को वर्ष 1990-91 के बजट प्रस्तावों में वापस ले लिया गया है।

3. न्यूनतम निर्यात कीमत (एम० ई० पी०) में वृद्धि :

अभ्रक छीलन और अन्य प्रसंस्कृत अभ्रक मदों पर एम० ई० पी० में उपयुक्त वृद्धि कर दी गई है। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई० ई० पी० सी०) ने भी अभ्रक पाउडर/फ्लेकों के निर्यात हेतु "न्यूनतम कीमत" निर्धारित कर दी है।

4. मिटको के प्रबन्धन का सुव्यवस्थीकरण :

मिटको के प्रबन्ध मण्डल द्वारा ऊपरी खर्च में कटौती करने के लिए विवेकपूर्ण कारंवाई की गई है।

पंजाब में पर्यटन गृहों/यात्री निवासों का निर्माण

3731. श्री कमल चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के हितलाभ और सुविधा के लिए वहां पर्यटन गृहों/यात्री निवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अगस्त 1986 में जालंधर में 23.97 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक यात्री निवास की मंजूरी प्रदान की थी और इस परियोजना के लिए 15.00 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई। पंजाब सरकार ने मोहाली और माधोपुर में यात्री निवास के निर्माण के लिए दो और प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

असम में मतदाता सूचियों को अन्तिम रूप देना

3732. श्री संतोष मोहन देव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में मतदाता सूचियों को अन्तिम रूप देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। पहली अप्रैल, 89 को अर्हक तारीख मानकर असम की निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण करने के बाद तारीख 23-12-1989 को वे अन्तिम रूप में प्रकाशित कर दी गई हैं। इस प्रकार प्रकाशित नामावलियों में 1,19,27,949 निर्वाचक हैं। नामावलियों के प्रकाशन के पश्चात् निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई विशिष्ट शिकायतें, जिनमें नामों के अनुचित रूप से निकाल दिए जाने का अभिकथन किया गया है, संबंधित निर्वाचन आफिसरों को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जा रही हैं कि सभी पात्र व्यक्तियों के नाम नामावलियों में सम्मिलित हो जाएं। आशा है कि यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिणी भारत के फिल्म उद्योग की समस्यायें

3733. श्री ए० अशोकराज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ इंडिया फिल्म चैम्बर आफ कामर्स, दि फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ साउथ इंडिया तथा साउथ इंडियन फिल्म इण्डिस्ट्रियलिस्टस एसोसिएशन द्वारा दिसम्बर, 1989 में उन्हें संबोधित किए गए स्वागत भाषण में दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग की किन-किन समस्याओं का उल्लेख किया गया था; और

(ख) इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सदर्न फिल्म इंडस्ट्री मुख्य समस्याओं/मांगों तथा इन मांगों/

समस्याओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा दिया गया है।

विवरण

विभिन्न फिल्म संस्थाओं द्वारा दिसम्बर, 1989 में सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री के स्वागत में दिए गए भाषण में उल्लिखित दक्षिण के फिल्म उद्योग की मुख्य समस्याएं/मांगें तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा :—

मांग/समस्या	की गई कार्रवाई
1. वीडियो की चोरी से निपटने के लिए फीचर फिल्मों के जारी प्रिंटों से उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिए।	1990-91 के बजट प्रस्तावों में फीचर फिल्मों के जारी प्रिंटों पर उत्पाद शुल्क हटा लिया गया है।
2. चलचित्र अधिनियम, 1952 के फिल्म प्रमाणन और प्रशासन का विषय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दे दिया जाना चाहिए।	चलचित्र अधिनियम, 1952 का फिल्म प्रमाणन और प्रशासन का विषय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अन्तरित कर दिया गया है।
3. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक विशिष्ट उपाध्यक्ष मद्रास में नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे नीति संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों को निपटाने के पर्याप्त अधिकार हों।	मद्रास में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक सदस्य पहले से ही बोर्ड के अध्यक्ष के कुछ अधिकारों का उपयोग कर रहा है।
4. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म के सिने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि और मूल्य संबंधी नीति के पीछे तर्क आधार की जांच करने के लिए उद्योग मंत्रालय से अनुरोध किया जाना चाहिए।	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा फिल्म उद्योग को सिने कच्ची फिल्में औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो द्वारा निर्धारित फामूले के अनुसार सप्लाई की जाती हैं।
5. दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फिल्मों की सूची में अधिकाधिक अन्य क्षेत्रीय फिल्में शामिल की जानी चाहिए, विशेष रूप से जिन्होंने राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त किया हो या जिनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई हो या जो बहुत लोकप्रिय हों।	राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय फिल्में रविवार और देर रात्रि के समय तथा दिल्ली और उससे जुड़े ट्रांसमीटरों पर हर महीने के चौथे बृहस्पतिवार को प्रसारित की जाती हैं। ये फिल्में क्षेत्रीय केन्द्र से भी प्रसारित की जाती हैं। क्षेत्रीय केन्द्रों और राष्ट्रीय नेटवर्क से प्रसारित की जाने वाली फिल्मों की संख्या को देखते हुए यह पता चलता है कि वर्ष भर में प्रसारित की जाने वाली क्षेत्रीय भाषा की

मांग/समस्या	की गई कार्रवाई
	फिल्मों की कुल संख्या की प्रसारित की जाने वाली हिन्दी फिल्मों की संख्या से अधिक है। वर्तमान में राष्ट्रीय पुरस्कार पैनोरमा के वर्जे के पात्रता मापदण्ड के अनुसार राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए प्रतीक्षा सूची में पात्र फिल्मों की संख्या काफी अधिक है। पुरानी उत्कृष्ट क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के प्रसारण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
6. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क पर दिखाई जाने वाली फिल्मों की रायल्टी की दरें बढ़ाई जानी चाहिए।	इस विषय पर सरकार सतर्कता से विचार कर रही है।
7. दिल्ली को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह स्थल बनाए रखने पर फिर से विचार किया जाए।	सिद्धान्त रूप से स्वीकृत।
8. पैनोरमा खंड की फिल्मों या उनके प्रतिनिधियों को दी जाने वाली सुविधाएं मुख्य धारा खंड में शामिल फिल्मों को भी दी जानी चाहिए और दोनों खंड सभी दृष्टि से समान होने चाहिए।	मामला विचाराधीन है।
9. "अनुमोदित फिल्मों" के प्रदर्शन पर सिनेमा हाउस पर लगाए गए प्रभार हटा दिए जाने चाहिए।	सरकार मामले की समीक्षा कर रही है।
10. अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए फिल्म उद्योग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय अध्ययन दल को फिल्म उद्योग के बड़े संगठनों से विचार-विमर्श करना चाहिए।	सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए फिल्म उद्योग के बड़े संगठन से परामर्श किया गया।
11. सिनेमा को उद्योग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।	फिल्म उद्योग एक सृजनात्मक कार्य है जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अनुशासन के अधीन नहीं आता क्योंकि यह अधिनियम मूलतः उत्पाद संबंधी कार्यों का विनियमन करने के लिए है। इसके अलावा, फिल्म उद्योग

मांग/समस्या	की गई कार्रवाई
	की समस्याओं से सम्बन्धित उच्च अधिकार प्राप्त समिति का यह मत था कि फिल्म उद्योग के रूप में घोषित कर देने से इसे कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि यदि इस उद्योग को विनियमित किया जाता है/लाइसेंस दिया जाता है तो इस पर कतिपय प्रतिबन्ध/शर्तें लागू हो जाएगी और इससे कुछ परिचालन समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
12. एक अलग पुलिस बल का गठन करके भारतीय फिल्मों के गैर-कानूनी वीडियो प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए।	वीडियो चोरी निरोधक कानून को लागू करना मुख्य रूप से राज्यों का विषय है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो चोरी को असर-दार तरीके से रोकने के लिए राज्य सरकारों को पहले ही लिखा है।
13. अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को प्रतियोगी बनाया जाना चाहिए।	इस पर विचार किया जा रहा है।
14. ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थानों की शूटिंग सुलभ होनी चाहिए।	फिल्म उद्योग की समस्या सम्बन्धी उच्च अधि-कार प्राप्त समिति द्वारा इस मांग पर विचार किया गया और समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐतिहासिक इमारतों सहित प्रतिबंधित क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग के नियम और विनियम को उदार बनाया जाना चाहिए।
15. पैनोरमा फिल्मों के चयन के लिए गठित केन्द्रीय पैनल में संबद्ध क्षेत्रों के प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में होने चाहिए।	केन्द्रीय पैनल में विभिन्न क्षेत्रों के पर्याप्त प्रतिनिधि होते है।

चाय, कॉफी, मसाला और रबड़ बोर्डों की संयुक्त बैठक

3734. श्री के० एस० राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1990 के प्रथम सप्ताह में चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड और प्लान्टर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया के प्रति-निधियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है कि कॉफी की खेती के अन्तर्गत सीमान्त भूमि पर रबड़ की खेती की जाये; और

देना साध्य नहीं पाया गया। उन्हें मताधिकार देने के लिए सुझाव बाद में प्राप्त हुए हैं, किन्तु सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

जयपुर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम

[हिन्दी]

3737. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर दूरदर्शन केन्द्र में इस समय कितने "कार्यक्रम अधिकारी" हैं; और

(ख) इन अधिकारियों द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान तैयार किए गए कार्यक्रमों के नाम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० धनंजय) : (क) दिनांक 19-3-1990 की स्थिति के अनुसार दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर में इस समय 19 कार्यक्रम अधिकारी काम कर रहे हैं।

(ख) इन अधिकारियों द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान कुल मिलाकर लगभग 1290 कार्यक्रम तैयार किए गए। इनमें ग्रामीण विकास, कृषि स्वास्थ्य, युवा तथा महिला वाचा, संगीत, लोक संगीत तथा नृत्य, साहित्य, विशेष समाचार कार्यक्रम, वृत्तचित्र, बच्चों के कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

आस्ट्रिया के साथ व्यापार

[अनुवाद]

3738. श्रीमती विद्या चेन्नुपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया के विदेश मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान उसके साथ दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। आस्ट्रिया के विदेश मंत्री के साथ आम मुद्दों पर बातचीत और विचारों का आदान-प्रदान हुआ। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। यह महसूस किया गया कि तीसरे देश की परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने की अच्छी गुंजाइश है।

चीनी की तस्करी

[हिन्दी]

3739. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत से नेपाल और बंगला देश को चीनी की तस्करी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या चीनी की तस्करी में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के कुछ अधिकारियों

की सांठ-गांठ होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) चीनी सहित सभी जिन्सों की तस्करी रोकने के लिए भारत-नेपाल तथा भारत बंगलादेश सीमाओं पर तस्करी-रोधी एजेन्सियां सतर्क रहती हैं । राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे चीनी की तस्करी को रोकने में सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि बंगलादेश तथा नेपाल के सीमावर्ती जिलों में चीनी की जमाखोरी न हो । भारत-नेपाल और भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने के लिए जिम्मेदार सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है ।

इस शिकायत की जांच करने पर पुष्टि नहीं हो सकी है कि गोरखपुर के एक चीनी कारखाने ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की सांठ-गांठ से भारत से नेपाल को बड़ी मात्रा में चीनी की तस्करी की थी ।

गरीबों के लिए आवास

[अनुवाद]

3740. श्री वी० कृष्ण राव
श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए आवास हेतु क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए आवास सुविधा को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) प्राथमिक ऋणदाताओं द्वारा 40 वर्ग मीटर तक के आवास के लिए दिए गए एक लाख रुपए तक का प्रत्यक्ष ऋण या उसकी लागत जो 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो के लिए पुनर्वित्त;

(ii) 20,000 रुपए तक के आवास ऋणों पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक और 20,000 से 50,000 रुपए तक के आवास ऋणों पर 12.0 प्रतिशत की रियायती वार्षिक ब्याज दर का लिया जाना;

(iii) 50,000 रुपए तक ऋण लेने वालों को गृह ऋण खाता योजना के अन्तर्गत जमा राशियों पर कुल जमा राशि का चार गुना ऋण का दिया जाना और इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक के ऋणों पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज का लिया जाना;

(iv) और आवासीय सुविधा के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है जबकि अन्य निर्माण कार्यों के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक का ब्याज लिया जाता है ।

भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार परिषद

3741. श्री आर०एन० राकेश : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चाधिकार प्राप्त भारतीय व्यापार शिष्टमंडल ने 12-13 मार्च, 1990 को आकलैंड में आयोजित भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार परिषद् की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया था;

(ग) क्या किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां। भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार परिषद् की दूसरी बैठक दिनांक 11-12 मार्च, 1990 को आकलैंड में हुई थी।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) बैठक के अन्त में संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार संयुक्त व्यापार परिषद् ने द्विपक्षीय व्यापार-प्रवाह बढ़ाने और ऐसे संयुक्त उद्यमों के लिए साथ-साथ कार्य करने का वचन दिया, जिनमें दूसरे देशों को पुनर्निर्यात के लिए घरेलू बाजार हेतु प्रौद्योगिकी अन्तरण एवं व्यापार-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य अन्तर्ग्रस्त हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस बात पर सहमति हुई कि कार्य योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल स्थापित किया जाए, जो व्यापार की नई दिशाएं अभिज्ञात करेगा तथा अगले पांच वर्ष तक इसमें वृद्धि के लिए नीति तैयार करेगा।

विवरण

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. श्री एस०एस० कन्नोरिया, अध्यक्ष
अध्यक्ष,
इंडिया-न्यूजीलैंड जे०बी०सी०,
अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर,
कन्नोरिया केमिकल्स ऐंड इंडस्ट्रीज लि०,
कलकत्ता।

2. श्री एम०बी० मुदगप्पा सह-अध्यक्ष
सह-अध्यक्ष,
इंडिया न्यूजीलैंड जे०बी०सी०
प्रबन्ध निदेशक,
मै० कारबोरंडम यूनिवर्सल लि०,
मद्रास।

3\. श्री एस॰के॰ अहलुवालिया,
निदेशक (कमर्शियल)
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि॰
नई दिल्ली।

4\. श्री आर॰ अरुमुगम,
मै॰ गोमाटी स्पिनर,
चित्तोड़ डिस्ट्रिक्ट (आंध्र प्रदेश)

5\. श्री नरेन्द्र कुमार ए॰ बालदोता,
मिनिरल्स सेल्स प्रा॰ लि॰,
होस्पेट-583203
बेलरी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक

6\. श्री रंजन भटनागर,
माटकोन एक्सपोर्ट इन्टरप्राइसिज लि॰,
बम्बई-4000020।

7\. डा॰ ए॰ एस॰ बिन्द्रा,
हिटैक सिस्टम,
नई दिल्ली

8\. श्री बी॰एन॰ चौधरी,
बैंक आफ क्रेडिट ऐंड कॉमर्स
इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लि॰,
बम्बई।

9\. मि॰ एस॰ मुक्सटान,
मुक्लो जूट मिल्स, कलकत्ता।

10\. श्री रामू एस॰ देवड़ा,
अध्यक्ष,
बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोस्मेटिक्स
एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, बम्बई।

11\. श्री कनाई लाल देव,
ब्लू फ्लेम (एजेंसी) प्रा॰ लि॰,
कलकत्ता।

12\. मि॰ विलियम टी॰ ड्रमंड,
मदुरा कोट्स लि॰ बंगलौर

13\. श्री विजय पी॰ गोखले,
यूनियन कार्बाइड इंडिया लि॰
बम्बई।

14. श्री जे०एम० मौसकर,
बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोस्मेटिक्स एक्सपोर्ट
प्रोमोशन काउन्सिल, बम्बई ।

15. श्री विनय कुमार मोदी,
बम्बई टायर्स इंटरनेशनल लि०,
नई दिल्ली ।

16. श्री महेन्द्र कुमार मेहता
श्री भवानी कॉटन मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०,
नई दिल्ली ।

17. श्री कनक नानावटी,
दि नूतन मिल्स लि०, अहमदाबाद ।

18. श्री डी०एच० पई पानन्दीकर,
सैक्रेटरी जनरल,
फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज,
नई दिल्ली ।

19. श्रीमती दुर्गा पेरिवाल,
दि प्रीमियर केबल्स कम्पनी लि०,
नई दिल्ली ।

20. श्री एच०एम० पेरिवाल,
दि प्रीमियर केबल्स कम्पनी लि०,
नई दिल्ली ।

21. श्री फेरनन्द कोस्टा पिन्टो,
ए०एन०जेड० ग्रिन्डलेज बैंक पी०एल०सी०,
न्यू दिल्ली ।

22. श्री एन०वी० रघुनाथन,
स्टड इंडिया,
मद्रास ।

23. श्री अनिल कुमार एस० डूंगा,
दि कोल्हापुर शुगर मिल्स लि०,
बम्बई ।

24. श्री डी०सी० सिंघानिया,
सिंघानिया एण्ड कं०
एडवोकेट्स
न्यू दिल्ली ।

25. श्रीमती अम्बिका शर्मा, सदस्य-सचिव
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स ऐंड इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली।

मछलियों का निर्यात

3742. श्री जी० एस० वासवराज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की मछलियों का निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान मछलियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मछली (अर्थात समुद्री उत्पादों) के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	(मूल्य करोड़ रुपए में)
1986-87	460.67
1987-88	531.20
1988-89	597.85

(स्रोत : एम्पीडा, कोचीन)

(ख) आठवीं पंच वर्षीय योजना में समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) नई प्रौद्योगिक और मूल्यवर्धन को शामिल करना;

(ii) संसाधन सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी में सुधार तथा अपशिष्ट में कमी;

(iii) विपणन संवर्धन के उत्साहवर्द्धक उपाय;

(iv) मछली पकड़ने की नौकाओं का विकास करके निर्यात-उत्पादन में वृद्धि करना;

(v) मत्स्य पालन के उत्पादन को निम्नलिखित द्वारा बढ़ावा देना;

(क) श्रिम्प फार्मों से प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाकर; और

(ख) श्रिम्प पालन द्वारा निर्यात उत्पादन के तहत और अधिक क्षेत्र लाकर।

सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा पोर्ट-एजेंटों की नियुक्ति

3743. श्री बबनराव ढाकणे : क्या शिप मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों को अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या कम्पनी के प्रबन्धक इस समय बम्बई और कलकत्ता में पोर्ट एजेंटों को नियुक्त

करने की योजना बना रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसके अपने कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ग) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि कम्पनी और उसके कर्मचारी यूनियन के बीच हुए समझौते के अनुसरणों में, उसके परिचालनों में व्यापक पैमाने पर हुई कमी को देखते हुए उसके कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है।

(ख) बताया गया है कि कम्पनी ने बम्बई अथवा कलकत्ता में कोई पोर्ट एजेन्ट नियुक्त नहीं किया है। वे मामले की समीक्षा करते रहे हैं।

(ग) भारती नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी ने सूचित किया है कि कम्पनी कोई एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करेगी जिसके कारण कर्मचारियों को अनावश्यक कठिनाई हो।

धार्मिक संस्थाओं के आय और व्यय सम्बन्धी खातों पर नियन्त्रण

[हिन्दी]

3744. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सभी प्रमुख धार्मिक संस्थाओं के आय और व्यय सम्बन्धी खातों पर कोई नियन्त्रण रखती है; और

(ख) क्या इन धार्मिक संस्थाओं पर आयकर अथवा कोई अन्य कर बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) केन्द्रीय सरकार धार्मिक संस्थाओं की आय और व्यय के खातों पर नियन्त्रण नहीं रखती है।

(ख) और (ग) धार्मिक संस्थाओं द्वारा अर्जित आय, कतिपय शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 11 के अधीन छूट के योग्य है। आयकर अधिनियम की धारा 10 (23ग) (v) के अधीन अधिसूचित धार्मिक संस्थाओं को भी आयकर से छूट प्राप्त है। धन कर अधिनियम की धारा 5 (1) (i) के अधीन धार्मिक-स्वरूप के किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति को भी धन कर छूट प्राप्त है। इसलिए, उपर्युक्त उपबंधों के अधीन छूट प्राप्त धार्मिक संस्थाओं की तरफ आयकर अथवा धनकर बकाया नहीं होगा। जहां तक ऐसी धार्मिक संस्थाओं की तरफ बकाया करों के ब्यौरे का सम्बन्ध है, जो उपर्युक्त उपबंधों के अधीन छूट की पात्र नहीं है, वहां ऐसे ब्यौरे केवल तभी उपलब्ध कराए जा सकते हैं यदि ऐसी संस्थाओं के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए।

"लीजिंग" तथा "फाइनेंसिंग" कम्पनियों पर नियन्त्रण

[अनुवाद]

3745. श्री अनादि चरण दास
श्री भजमन बेहेरा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने, राज्य-वार संघ राज्यक्षेत्र-वार, कितनी कम्पनियों को उपभोक्ता सामग्री टिकाऊ उपभोक्ता सामान, सम्पत्तियां इत्यादि से संबंधित "लीजिंग" तथा "फाइनेंसिंग" का कारोबार चलाने के लिए जनता से धन एकत्र करने करने की अनुमति प्रदान की है।

(ख) ब्याज तथा मूल की अदायगी के तरीकों के संबंध में शोषण को रोकने के लिए उनके क्रियाकलापों पर कारगर नियन्त्रण रखने और उनकी गतिविधियों को उनकी सहयोगी कम्पनियों तक ही सीमित न रहने देने हेतु क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितने परिमाण में कारोबार किया गया ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) पट्टा और किराया खरीद कम्पनियों को जनता से धन एकत्र करने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से विशिष्ट अनुमति प्राप्त नहीं करनी होती है। दिनांक 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार उन गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों की कुल संख्या का ब्योरा, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पास विवरणियां प्रस्तुत की है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन कम्पनियों की जमाराशियां स्वीकार करने की गतिविधियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को जारी निदेशों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है। ये नियम/निदेश, अन्य बातों के साथ-साथ किसी कम्पनी की अपनी निवल राशियों के संबंध में राशियों की अधिकतम सीमा, जमाराशियों की अधिकतम और न्यूनतम अवधि, जमाराशियों पर देय ब्याज की अधिकतम दर और दलाली की दर निर्धारित करते है, उपस्कर पट्टा और किराया खरीद वित्तीय कम्पनियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और/या मंजूर-शुदा प्रतिभूतियों में इतनी राशि निवेश करके, जो प्रति दिन की बकाया जमा राशियों कामम से कम 10 प्रतिशत हो, जमा-राशियों के द्वारा तरल परिसम्पत्तियां बनाए रखनी होती हैं। नियमो/निदेशों में इन कम्पनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कारवाई करने का भी प्रावधान है जो जमाराशियों से संबंधित नियमों/निदेशों के उपबन्धों का उल्लंघन करती है। फिर भी ये निदेश भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं कि जमाकर्ता जमाराशियों का दावा करें तो वह ऐसी कम्पनियों पर भुगतान करने के लिए दबाव डाल सकें, क्योंकि किसी कम्पनी द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना और उसकी वापसी अदायगी करना, जमाकर्ताओं और संबद्ध कम्पनी के बीच समझौता है और समझौता भंग होने की सूरत में इसका उपचार अदालत के पास होता है।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1987 और 31 मार्च, 1988 को समाप्त गत दो वर्षों की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई अपनी विवरणियों के आधार पर पट्टा और किराया खरीद वित्तीय कम्पनियों द्वारा किया गया कारोबार नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

किराये पर समान की प्रकृति	किराया खरीद कम्पनियां		उपस्कर पट्टा कम्पनियां		अन्य	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988
आटोमोबाइल्स	614.2	349.1	14.0	16.1	44.6	132.5
घरेलू टिकाऊ वस्तुएं	57.6	36.7	1.3	2.7	4.7	21.9
कृषि उपस्कर	11.9	17.0	0.1	1.7	0.3	0.4
औद्योगिक मशीनें या उपकरण	192.7	208.4	19.8	26.4	12.5	13.8
अन्य	20.4	24.0	4.4	6.2	2.9	9.0
कुल	896.8	635.2	39.6	53.1	65.0	177.6

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किराया खरीद कम्पनियां	पट्टा कम्पनियां	अन्य
1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
2. आन्ध्र प्रदेश	24	—	286
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—	1
4. असम	—	—	—
5. बिहार	—	—	4
6. चंडीगढ़	9	—	25
7. दादरा और नगर हवेली	—	—	—
8. दिल्ली	85	25	860
9. गोवा, दमन और दीव	—	—	—
10. गुजरात	3	5	1032
11. हरियाणा	7	—	23
12. हिमाचल प्रदेश	2	—	6
13. जम्मू और कश्मीर	17	1	54
14. कर्नाटक	16	7	265

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किराया खरीद कम्पनियां	पट्टा कम्पनियां	अन्य
15. केरल	10	1	316
16. लक्ष द्वीप	—	—	—
17. मध्य प्रदेश	2	—	32
18. महाराष्ट्र	13	16	2025
19. मणिपुर	—	—	—
20. मेघालय	—	—	1
21. मिजोरम	—	—	—
22. नागालैण्ड	—	—	—
23. उड़ीसा	—	—	2
24. पांडिचेरी	—	—	2
25. पंजाब	154	1	98
26. राजस्थान	—	—	34
27. सिक्किम	—	—	—
28. तमिलनाडु	102	7	791
29. त्रिपुरा	—	—	—
30. उत्तर प्रदेश	159	2	131
31. पश्चिम बंगाल	18	8	831
कुल	621	73	6889

विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना

[हिन्दी]

3746. **श्री काशीराम राणा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 से 1988-89 के दौरान आयोजित व्यापार मेलों, विचार-गोष्ठियों और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गये अन्य प्रयासों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : व्यापार विकास प्राधिकरण (टी० डी० ए०) और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (टी० एफ० ए० आई०) वह दो अभिकरण है जो मुख्यतया व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और अन्य व्यापार संवर्धन प्रयासों में लगे है। इनका खर्च निम्नलिखित है :

(लाख रुपए में).

	टी० एफ० ए० आई	टी०डी० ए०
1985-86	654.43	259.51
1986-87	869.25	312.36
1987-88	808.38	376.85
1988-89	1038.98	440.69

इसके अतिरिक्त, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदें भी व्यापार संवर्धन का कार्य करती हैं।

निर्यात किए जाने वाले माल का जहाज पर लादने से पूर्व निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण

[अनुवाद]

3747. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात किए जाने वाले माल का जहाज पर लादने से पूर्व निरीक्षण करने और उनकी गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखने की वर्तमान प्रणाली का और अधिक कड़ाई से पालन किए जाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) पोत लदान-पूर्व निरीक्षण की वर्तमान प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने से संबंधित प्रश्न का कार्य-योजना में उल्लेख है। उद्योग तथा निर्यात समुदाय के बीच गुणवत्ता नियन्त्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए, निर्यातकों तथा विनिर्माताओं को स्व-निरीक्षण और इन-हाउस गुणवत्ता नियन्त्रण के माध्यम से निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।

विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी

3748. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो वर्ष 1950 में 20 प्रतिशत थी, नवें दशक में घटकर 0.5 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 1950 में 2.1% था किन्तु 1980 वाले दशक में यह गिरकर 0.5% रह गया है।

(ख) इस कमी के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण हैं विशाल घरेलू बाजार, निर्यात के लिए उपयुक्त देशी माल का अभाव, घरेलू बाजार में उच्च लाभकारिता आदि।

(ग) जी, हां, औद्योगिक कार्यकुशलता बढ़ाकर, कच्चे माल की आपूर्ति प्रतियोगी कीमतों पर सुनिश्चित कराके, अवस्थापना को सुदृढ़ करके और निर्यातविधि को सरल बनाकर सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं ताकि निर्यातों को वाणिज्यिक दृष्टि से अधिकतम बनाया जा सके।

उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु जर्मन संघीय गणराज्य से सहायता

3749. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन संघीय गणराज्य ने उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा व्यापार के लिए अतिरिक्त संसाधन के बारे में भारत को आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अवधि

3750. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अवधि क्या है;

(ख) इसमें से अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कितना-कितना समय नियत किया गया है; और

(ग) शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा प्रसारित अधिकांश कार्यक्रमों में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का मिश्रण होता है। इसलिए, कार्यक्रमों का किसी एक श्रेणी में वर्गीकरण करना सम्भव नहीं है।

विवरण

विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों को आवंटित समय की अवधि

केन्द्र का नाम	प्रसारित कार्यक्रम की कुल अवधि (मासिक)	आवंटित समय (इसमें से अंग्रेजी को)	हिन्दी	अन्य भारतीय भाषाएं
1. दिल्ली	26,960	8,000	14,000	3,760
2. बम्बई	9899 (चै० 1 और 2)	789 (चै०2)	1548 (चै० 1 तथा 2)	6832(चै०1 और2)

केन्द्र का नाम	प्रसारित कार्यक्रम की कुल अवधि (मासिक)	आवंटित समय (इसमें से अंग्रेजी को)	हिन्दी	अन्य भारतीय भाषाएं
3. कलकत्ता	5190(चैं०1 और 2)	40	40	5010
4. मद्रास	12270	1500 (चैं० 1 और 2)	630 (चैं० 1 और 2)	9550
5. जालंधर	5400	8	1248	4556
6. जयपुर	2690	15	2620	55
7. त्रिवेन्द्रम	5230	310	—	4920
8. हैदराबाद	15650	225	100	15,300
9. अहमदाबाद	4800	शून्य	120	4440
10. बंगलौर	4700	60	शून्य	4600
11. लखनऊ	4980	230	4400	350
12. रांची	800	शून्य	696	104
13. राजकोट	800	शून्य	शून्य	800
14. गोरखपुर	700	शून्य	700	—
15. गुवाहाटी	3160	265	30	2865
16. कटक	3420	100	75	3245
17. श्रीनगर	4820	28	284	4436
18. नागपुर (मुख्य रूप से बम्बई से कार्यक्रम प्रसारित)	120	—	—	120

खाद्य तेल का निर्यात

3751. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य तेल का निर्यात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के तेल का निर्यात किया जाएगा तथा इसका किन-किन देशों को निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अजय कुमार मेहता) : (क) और (ख) खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति नहीं है । फिर भी, केवल एक बार की कोरी व्यवस्था के रूप में सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन० डी० डी०बी०) को हाल ही में अपने देसी स्टाक से 25000 मीट्रिक टन सरसों के तेल के निर्यात की अनुमति दी है ।

आयकर हेतु विवरणी भरने वाले फार्मों में संशोधन

3752. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्राधिकारियों ने आयकर हेतु विवरणी भरने वाले फार्मों में संशोधन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) सरकार ने आयकर विवरणी प्रपत्रों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।

(ख) आयकर विवरणी प्रपत्रों को संशोधित करने का मुख्य उद्देश्य फार्मों को बहुत ही सीधा और सरल बनाना रहा है ताकि करदाता उसे आसानी से भर सकें।

उत्पाद शुल्क/आयकर की बकाया राशि

3753. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री आयकर और उत्पाद शुल्क की बकाया राशि के बारे में 29 दिसम्बर, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आयकर और उत्पाद शुल्क की बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इस बकाया धनराशि को कब तक वसूल किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) आयकर और उत्पाद शुल्क की बकाया राशि को वसूल करने के लिए यथावश्यक उपयुक्त प्रशासनिक, विधिक तथा अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकांश रकम न्यायिक मामलों से सम्बन्धित है, उनकी शीघ्र सुनवाई के लिए और वसूली के विरुद्ध स्थगन आदेशों को हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

जी० आर०-I फार्म उपलब्ध न होना

3754. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक से जी० आर०-I फार्म उपलब्ध न होने के कारण जनवरी, 1990 में 50 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक का निर्यात किया जाने वाला सामान निर्यात नहीं किया जा सका था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति दुबारा न उत्पन्न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जी० आर० फार्म के उपलब्ध न होने के

कारण जनवरी, 1990 में 50 करोड़ रुपए की लागत की वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जा सका। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में ओ० आर० फार्मों का पर्याप्त भण्डार है।

"यूको" बैंक की वित्तीय स्थिति

3755. श्री चित्त बसु
श्री जनार्दन पुजारी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूको बैंक को इसकी जमा राशि में कमी और ऋणों की वसूली में कठिनाइयों के कारण वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) प्रकाशित लेखे के अनुसार, यूको बैंक ने 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 5.21 करोड़ रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 5.73 करोड़ रुपए का प्रकाशित लाभ अर्जित किया था। भारत में उसकी कुल जमाराशियां और उसके निवल घरेलू ऋण, जो दिसम्बर 1986 के अंत में 3129 करोड़ रुपए और 1724 करोड़ रुपए थे, मार्च 1989 के अन्त में बढ़कर क्रमशः 4982 करोड़ रुपए और 2663 करोड़ रुपए हो गए। 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक के लेखे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

यूको बैंक सहित बैंकों के वसूली संबंधी कार्य निष्पादन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और बैंकों को अपने वसूली कार्य में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे पुनर्उपयोग के माध्यम से अधिक से अधिक निधियां रख सकें और अपनी नकदी की स्थिति में सुधार ला सकें।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वकीलों की नियुक्ति की योजना

3756. चौ० जगदीप धनखड़ : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उपक्रमों में वकीलों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड निर्धारित करने हेतु कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पब्लिक सेक्टर उद्यम और उपक्रम अपने अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए सक्षम हैं।

न्यू बैंक आफ इंडिया में अनियमितताएं

[हिन्दी]

3757. श्री सुरेन्द्र सिंह
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में न्यू बैंक आफ इंडिया में व्याप्त कदाचार और अनियमितताओं का उल्लेख किया था,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है,

(ग) क्या बैंक को खातों में किए गए कदाचारों के लिए जुर्माने का भुगतान करना पड़ा था; और

(घ) यदि हां तो कितनी धनराशि के जुर्माने का भुगतान किया गया और यह भुगतान किसे किया गया ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास न्यू बैंक आफ इंडिया सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट रिकार्ड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक समस्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक वित्तीय पुनरीक्षा की व्यवस्था करता है। पुनरीक्षा के निष्कर्ष सम्बन्धित बैंकों को उनके कार्यों में पाई गई कमियों/अनियमितताओं को दूर करने हेतु उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए सूचित किया जाता है। कमियों को दूर करने/त्रुटियों के सुधार के लिए सम्बद्ध बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने न्यू बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1987 को उसकी स्थिति के सन्दर्भ में वित्तीय पुनरीक्षा से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की है। चूंकि रिपोर्ट गोपनीय प्रवृति की है, अतः इस बारे में अधिक विवरण प्रकट करना उचित नहीं होगा।

दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना

3758. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने के लिए सरकार की नीति क्या है; और

(ख) क्या दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक केन्द्रों, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और लोक कला को प्राथमिकता दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधा स्थापित करना मुख्यतया निम्नलिखित मानदण्डों के अधीन है :—

1. प्रत्येक राज्य की राजधानी में कार्यक्रम निर्माण सुविधा की स्थापना यह उद्देश्य प्रत्येक राज्य में उस राज्य की भाषा में प्राथमिक (क्षेत्रीय) सेवा की व्यवस्था करने के दीर्घावधिक लक्ष्य के अनुसार है ।

2. गांवों के चुनिंदा समूहों के लिए क्षेत्र विशेष के कार्यक्रमों का निर्माण करने के वास्ते "इनसेट उपयोग स्कीम" के अन्तर्गत पता लगाए गए चयनित स्थल ।

3. सांस्कृतिक महत्व के चुने हुए स्थान ।

4. असाधारण रूप से पृथक जनसंख्या समूहों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुने हुए रिले केन्द्र (राजधानियों और सांस्कृतिक केन्द्रों से इतर स्थान) ।

रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों का प्रसारण

3759. श्री गुलाब चंद कटारिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामायण और महाभारत जैसे किन्हीं धारावाहिकों का प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उन धारावाहिकों के नाम क्या है; और

(ख) क्या दूरदर्शन इस प्रकार के अच्छे धारावाहिकों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहा है, यदि हां, तो ऐसे निर्माताओं और धारावाहिकों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम प्रसारित करने का दूरदर्शन का प्रयास रहता है । यह एक सतत प्रक्रिया है ।

गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को सहायता

[अनुवाद]

3760. श्री डी० अमात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्यन उद्योग की निराशाजनक स्थिति के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं,

(ग) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग के लिए गहन उपायों के निरूपण में शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया के सामर्थ्य की जांच की है, और

(घ) पूर्वी समुद्र-तट पर गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सरकार ने देश के किसी भी हिस्से में स्थित अर्थक्षम मत्स्यन कम्पनियों के

सम्बन्ध में जो अपने पुनरुद्धार के लिए आगे आना चाहती है, अन्य बातों के साथ-साथ, उनके ऋणों की मूल रकम और ब्याज की रकम का पुनर्निर्धारण करते हुए समुचित राहत देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड पुनरुद्धार की इच्छुक ऐसी अर्थक्षम मत्स्यन कम्पनियों के संबंध में तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन करती है।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन विकास पर किया गया व्यय

3761. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास पर कितनी धनराशि व्यय की है और यह राशि किन-किन स्थानों पर किन-किन कार्यों के लिए व्यय की गई,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र का कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया और चालू वर्ष के दौरान कितने पर्यटकों के आने की आशा है; और

(घ) उक्त राज्य में पर्यटकों के लिए चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन सी नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 167.74 लाख रुपए की राशि रिलीज की है। स्थान और कार्य का नाम निम्नलिखित है :—

1. हैदराबाद में यात्री निवास
2. गोलकुंडा में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन
3. भावानीपुरम, विजयवाड़ा में जलक्रीड़ा और मनोरंजन परिसर
4. ऋषिकोंडा, विशाखापत्तनम में जलक्रीड़ा
5. नागार्जुनसागर में जलक्रीड़ा
6. कुचीपुडी नृत्य महोत्सव
7. रामप्पा और पाखल में अतिरिक्त आवास
8. लिपाक्षी में आवास सहित मार्गस्थ सुविधायें।
9. नागार्जुनसागर में जलपानगृह एवं आवास
10. हुसैन सागर में फ्लोटिंग रिक्रीएशन डेक
11. चित्तूर जिले में पालमनेर में मार्गस्थ सुविधाए
12. पुलिकट झील में कुटीर परिसर का विकास

17. ऋषि कोंडा में समुद्र तट कुटीरें ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन के विकास के लिए राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है ।

(ग) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार 1988 एवं 1989 के दौरान आंध्र प्रदेश की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या क्रमशः 122.6 लाख और 170.2 लाख है। 1987 के तुलनात्मक आंकड़े और 1990 के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) पर्यटन का विकास करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग विशिष्ट प्रस्तावों पर, उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता करता है ।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	167.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.00
3.	असम	26.50
4.	बिहार	20.00
5.	गोवा	22.28
6.	गुजरात	80.05
7.	हरियाणा	284.78
8.	हिमाचल प्रदेश	63.72
9.	जम्मू और कश्मीर	223.04
10.	केरल	462.66
11.	कर्नाटक	89.99
12.	मध्य प्रदेश	79.18
13.	महाराष्ट्र	43·53
14.	नागालैंड	81.48
15.	उड़ीसा	30.89
16.	राजस्थान	87.50
17.	सिक्किम	41.40
18.	मणिपुर	29.25

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि
19.	मेघालय	44.00
20.	मिजोरम	50.50
21.	पंजाब	47.29
22.	तमिलनाडु	168.10
23.	त्रिपुरा	36.50
24.	उत्तर प्रदेश	227.98
25.	पश्चिम बंगाल	156.09
	कुल	2580.45

नोट : उपर्युक्त विवरण में सम्मिलित 1989-90 के व्यय के आंकड़े अनन्तिम है।

केरल के फोर्ट कोचीन और चेराई क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु वित्तीय सहायता

3762. प्रो० के० वी० थामस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के फोर्ट कोचीन और चेराई क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई है,

(ख) क्या इन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अशोक कुमार मेहता) : (क) से (ग) इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत और रिलीज की गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

	स्वीकृत की गई	रिलीज की गई
1. कोचीन, कुमाराकोम, क्विलॉन एवं वेक्कडी के लिए नौकाओं की व्यवस्था	50.78	50.00
2. कोवलम एवं कोचीन के लिए लग्जरी क्रूजिज	190.00	147.49
3. कोचीन में यात्री निवास	35.00	10.00

उपर्युक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आगामी निधियां रिलीज करना परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करेगा।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों में अनियमिततायें

[हिन्दी]

3763. श्री राम सजीवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों की स्वीकृति में गंभीर अनियमिततायें और भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं,

(ख) यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकार से भी कभी परामर्श किया गया है,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या सरकार ने ऋण लेने वालों की शिकायतों को दूर करने और उन्हें राहत देने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण देने में बरती गई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण संबंधी सभी शिकायतों को, जब भी प्राप्त होती है, बैंकों के साथ उचित कार्रवाई के लिए उठाया जाता है। बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों, यदि कोई हो, की गम्भीरता को देखते हुए बैंक के सम्बन्धित प्रबन्धन सेवा विनियमों के अन्तर्गत जैसा उचित हो, आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उधारकर्ताओं की समस्याओं और शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर अर्थात, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण समर्थन सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला परामर्शदात्री समितियों, ब्लाक स्तरीय समितियों और ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति में विचार किया जाता है।

ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्र अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग

[अनुवाद]

*3764. डा० असीम बाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों तथा जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम आदि जैसे अन्य वित्तीय संस्थानों में ऐसे कितने व्यक्ति कार्यरत हैं जो कृषि, पशु चिकित्सा और डेयरी विज्ञान में स्नातक हैं, और उनकी राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त कर्मचारियों की सेवाओं का ठीक उपयोग ग्रामीण विकास के लिए किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) 17 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इन बैंकों में कृषि/पशु चिकित्सा/डेयरी विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले 7389 अधिकारी विभिन्न ओहदों पर कार्यरत हैं, इनमें से अधिकांश अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग उनसे

सम्बन्धित क्षेत्रों में किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वह पशु-चिकित्सा तथा डेयरी विज्ञान के स्नातकों को विशेष रूप से भर्ती नहीं करता है। परन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक को खुली प्रतियोगिता द्वारा प्रशिक्षु विकास अधिकारी के लिए उनके चयन होने पर, भर्ती की जाती है। भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों में 32 कृषि स्नातकों के अतिरिक्त 520 पशुचिकित्सा अधिकारी हैं। पशुचिकित्सा अधिकारियों का उपयोग पशुधन तथा अन्य ग्रामीण बीमे के विकास तथा सेवा के लिए किया जाता है, जबकि कृषि स्नातकों का उपयोग फसल बीमा स्कीम के निरीक्षण के लिए किया जाता है।

राजनीतिक नेताओं द्वारा टेलीविजन पर व्यक्त राय को दूरदर्शन द्वारा सेंसर करना

3765. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजनीतिक नेताओं द्वारा टेलीविजन पर दिये गये अपने साक्षात्कार में व्यक्त राय को दूरदर्शन द्वारा सेंसर किए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये किस प्रकार की हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस बारे में कोई नये मार्ग निर्देश जारी किए गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० धनंजय) : (क) से (ङ) दूरदर्शन द्वारा 8 फरवरी, 1990 को राज्यपालों की भूमिका पर, साक्षात्कार के आधार पर तैयार किया गया एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया था जिसमें कुछ माननीय संसद सदस्यों के विचार दिए गए थे। एक प्रतिभागी ने यह टिप्पणी की है कि उनके साक्षात्कार के एक महत्वपूर्ण अंश को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

रोमानिया का मालवाहक जहाज

[हिन्दी]

3766. श्री बालेश्वर यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1990 में रोमानिया का कोई मालवाहक जहाज पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मालवाहक जहाज से जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में रोमानिया सरकार को सूचित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) निश्चित आसूचना पर कार्यवाही करते

हुए, "वज्र" जलयान पर सवार राजस्व आसूचना निदेशालय के तथा तटरक्षक अधिकारियों ने 13 जनवरी, 1990 को बम्बई में मालाबार प्वाइंट से दूर "एम० वी० कोत्रि.." नामक एक मालवाहक जलयान को रोका था। इस जलयान को अनुरक्षा में बम्बई बन्दरगाह में लाया गया था। जलयान की तलाशी लेने के परिणाम-स्वरूप, लगभग 78.50 लाख रु० के विदेशी मूल के 500 वीडियो कैसेट रिकार्डर तथा 100 वीडियो कैसेट प्लेयर बरामद किए गए तथा जब्त कर लिए गये थे। जलयान को अभिगृहीत कर लिया गया था तथा इसे अस्थायी रूप से छोड़ दिया गया था। जलयान के "मास्टर" को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसे न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था जिसने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इन परिस्थितियों में, रोमानिया की सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा गया था।

कुछ निर्यातकों द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाना

[अनुवाद]

3767. श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आभूषण, हीरे, जवाहरात, रसायन और औषध तथा अन्य सामान के निर्यातक अपनी मशीनरी और अन्य सामग्री का आयात कम मूल्य के बीजक के अन्तर्गत दिखाकर अपने काले धन को लेखाबद्ध धन में बदल रहे हैं; और

(ख) इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

बंकों द्वारा वकीलों की नियुक्ति

3768. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में अपने मामलों की देखभाल के लिए बंकों द्वारा वकीलों की नियुक्ति की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली क्षेत्र और दिल्ली जोन में प्रत्येक वकील को यूको बैंक, सिंडीकेट बैंक, बैंक आफ बड़ोदा, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स द्वारा पृथक-पृथक कितने मामले सुपुर्द किए गये और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वकील को कितना भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने अदालती मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति

3769. श्री गुमान मल लोढा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उन्हें किन-किन वर्षों में नियुक्त किया गया तथा सेवा निवृत्ति की कितनी अवधि के बाद नियुक्त किया गया;

(ग) क्या वर्तमान सरकार ने सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है; और

(घ) क्या मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की नीति वर्तमान सरकार द्वारा समाप्त की जा रही है, यदि नहीं, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जहां इस नीति का समान रूप से अनुपालन नहीं किया गया एवं इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। उच्च न्यायालय के निम्नलिखित सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया :—

क्रम सं०	नाम	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवा निवृत्ति की तारीख	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री बहरुल इस्लाम	1-3-1980 गुवाहाटी	4-12-1980
2.	श्री के० एन० सैकिया	1-3-1988 गुवाहाटी	14-12-1988
3.	कुमारी मीरा साहिब फातिमा बीबी	20-4-1989 केरल	6-10-1989

(ग) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, संविधान के अनुच्छेद 124 के निबंधनों के अनुसार की जाती है। जिस व्यक्ति को सबसे उपयुक्त समझा जाता है उसे नियुक्त किया जाता है।

(घ) सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों को बाहर के राज्यों से नियुक्त करने की नीति का पालन कर रही है, मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्तियां और स्थानान्तरण, नीति विषयक मार्गदर्शनों के अनुसार किए गए हैं।

यद्यपि मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश के स्थानान्तरण के प्रत्येक मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना आवश्यक है, सरकार केवल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर ही अवर न्यायाधीश के स्थानान्तरण पर विचार करती है।

हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना के लिए मशीन और कच्चे माल का आयात

3770. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक मशीनें और कच्चे माल का आयात करने के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) आयात लाइसेंस के लिए कोई आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1990 के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

3771. श्री राजबीर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य और जिलावार ब्यौरा क्या है और इनके कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान जिन दूरदर्शन परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम है उनकी राज्यवार तथा जिलावार अनंतिम सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं को चालू करना विभिन्न स्थानों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, अपेक्षित उपकरण की सप्लाई के लिए देशी निर्माताओं को लगने वाला समय तथा ऐसे ही अन्य बातों पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, दूरदर्शन के वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 9 उच्च शक्ति (जिनमें 4 द्वितीय चैनल सेवा वाले ट्रांसमीटर शामिल है) तथा 25 अल्पशक्ति/अति अल्प-शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की व्यवस्था की गई है, इन ट्रांसमीटरों की स्थापना के स्थान का चयन देश के कवर न हुए भागों को दूरदर्शन सेवा पहुंचाने के लिए परस्पर प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान जिन दूरदर्शन परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम है उनका राज्यवार तथा जिलावार ब्यौरा

उ० श० ट्रा०=उच्च शक्ति (10 कि० वाट) ट्रांसमीटर

उ० श० ट्रा० (1) उच्च शक्ति (1 कि० वाट) ट्रांसमीटर

अ० श० ट्रा०=अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ० अ० श० ट्रा०=अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

का० नि० सु०=कार्यक्रम निर्माण सुविधा

राज्य		जिला	दूरदर्शन केन्द्र जिन्हें 1990-91 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनंतपुर	उ०श०ट्रा०, अनंतपुर
2.	असम	कछार	स्टुडियो, सिल्चर
		डिब्रूगढ़	स्टुडियो, डिब्रूगढ़
		कामरूप	स्टुडियो, गुवाहाटी (स्थायी व्यवस्था)
			कार्यक्रम निर्माण और पोषण केन्द्र, गुवाहाटी
3.	अरुणांचल प्रदेश	लोअर-सुबनसिरी	स्टुडियो ईटानगर
4.	बिहार	मुजफ्फरपुर	क०नि०सु०, मुजफ्फरपुर
		पलामू	उ०श०ट्रा०, डाल्टनगंज
		कटिहार	का०नि०सु०, डाल्टनगंज
			उ०श०ट्रा०, कटिहार
5.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	ट्रांस्पोजर, राजगढ़
6.	गोवा	गोवा	का०नि०सु० पणजी
7.	जम्मू एवं कश्मीर	डोडा	अ०अ०श०ट्रा०—
		लेह	अ०अ०श०ट्रा०—म्यमा
			अ०अ०श०ट्रा०—टसकिट
			अ०अ०श०ट्रा०—टिम्सोगम
		कारगिल	अ०अ०श०ट्रा०—ट्रास
			अ०अ०श०ट्रा०—सम्कू
			अ०अ०श०ट्रा०—पदम
		पुंछ	ट्रांस्पोजर, सुरनकोट
		जम्मू	ट्रांस्पोजर, नागरकोटा
			का०नि०सु०—जम्मू (अंतरिम व्यवस्था)
8.	कर्नाटक	गुलबर्ग	का०नि०सु०, गुलबर्ग

राज्य		जिला	दूरदर्शन केन्द्र जिन्हें 1990-91 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है
		धारवाड़	उ०श०ट्रा०, धारवाड़
		शिमोगा	उ०श०ट्रा०, शिमोगा
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल	स्टूडियो, भोपाल
		रायपुर	का०नि०सु०, रायपुर
			अ०श०ट्रा० रायपुर
			(वर्तमान 1 कि० वा० ट्रांसमीटर को बदलकर)
		ग्वालियर	उ०श०ट्रा०, ग्वालियर
		बस्तर	उ०श०ट्रा० (1) जगदलपुर
		जबलपुर	उ०श०ट्रा० (1) जबलपुर
10.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	उ०श०ट्रा०, औरंगाबाद
		बीर	उ०श०ट्रा०, अम्बाजोगई
11.	मणिपुर	मणिपुर-दक्षिणी	उ०श०ट्रा० (1), चूराचांदपुर
		मणिपुर-केन्द्रीय	स्टूडियो, इम्फाल
12.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ियां	स्टूडियो, शिलोंग
		पश्चिम गारो पहाड़ियां	स्टूडियो, तूरा
13.	मिजोरम	सुंगलेई	उ०श०ट्रा० (1), सुंगलेई
		आइजोल	स्टूडियो, आईजोल
14.	नागालेण्ड	कोहिमा	स्टूडियो, कोहिमा
		मोकोकचुंग	उ०श०ट्रा० (1), मोकोकचुंग
15.	राजस्थान	उदयपुर	अ०श०ट्रा० समृम्बर
16.	सिक्कम	पूर्वी जिला	अ०श०ट्रा० (1), गंगटोक
17.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा	स्टूडियो, अगरतला
18.	उड़ीसा	कालाहांडी	उ०श०ट्रा० भवानीपट्टनम
		पुरी	स्टूडियो, भुवनेश्वर
19.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	अ०भ०श०ट्रा० मुनस्यारी
		बरेली	उ०श०ट्रा०, बरेली
		सहारनपुर	अ०श०ट्रा०, हरिद्वार
		देहरादून	ट्रांसपोजर, मंसूरी
		सोनभद्र	ट्रांसपोजर, चुर्क

	राज्य	जिला	दूरदर्शन केन्द्र जिन्हें 1990-91 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है
20.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	ट्रांसपोजर, टाइगर हिल
21.	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	पाण्डिचेरी	का०नि०सु० पाण्डिचेरी
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	अण्डमान	का०नि०सु० पोर्टब्लेयर

"बोकारो इस्पात कारखाने में सरकारी पैसे का दुरुपयोग" शीर्षक से समाचार

3772. श्री गंगा चरण लोधी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1990 के "दैनिक-जनसत्ता" में "बोकारो इस्पात कारखाने में सरकारी पैसे का दुरुपयोग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र की क्षमता क्या है और इसमें पत्त तीन वर्षों से अब तक वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(घ) उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्पादन में हुई कमी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन सुविधाओं के सृजन तथा उपयोगिता से सम्बन्धित समाचार में टीका-टिप्पणी की गई है । सरकार द्वारा निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान अपरिष्कृत इस्पात की क्षमता तथा वर्षवार उत्पादन निम्नानुसार है :—

(हजार टन)

वर्ष	मद	क्षमता	वास्तविक उत्पादन
1987-88	अपरिष्कृत इस्पात	3108	2418
1988-89	अपरिष्कृत इस्पात	3330	2771
1989-90	अपरिष्कृत इस्पात	4000	2654

(घ) अनेक कारणों से उत्पादन में कमी हुई है। मुख्य कारण निम्नानुसार है :—

(1) बिजली की असंतोषजनक उपलब्धता।

(2) कोककर कोयले की सप्लाई में मात्रात्मक तथा क्वालिटी सम्बन्धी अड़चनें।

(3) रेलवे रैक मूवमेंट की समस्याएं।

(4) असन्तोषजनक औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति तथा अन्य प्रबन्धकीय समस्याएं।

(ङ) उत्पादन निष्पादन के साथ-साथ कमी होने के कारणों की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा तदनुसार निष्पादन को सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

"नीड टू मॉडर्नाइज माइनिंग इण्डस्ट्री" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

3773. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1990 के "दक्कन हेरल्ड" में "नीड टू मॉडर्नाइज माइनिंग इण्डस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास की समग्र नीति में गवेषण और विदोहन तकनीकों के आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी है, ताकि खनिज संसाधनों की सूची तैयार की जा सके और उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण तथा इष्टतम उपयोग किया जा सके।

बोकारो कोल्ड रोलिंग मिल स्कीम

[हिन्दी]

3774. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो कोल्ड रोलिंग मिल स्कीम की मूल लागत कितनी थी,

(ख) इसे पूरा करने में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त मिल की उत्पादन क्षमता कितनी है और इसका वर्तमान उत्पादन कितना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बोकारो कोल्ड रोलिंग मिल की मूल लागत निम्नानुसार है :—

सी० आर० एम०-I : 105 करोड़ रुपये
(1966 के आधार पर)

सी० आर० एम०-II　:　336.29 करोड़ रुपये
(1974 की तीसरी तिमाही के आधार पर)

(ख) कोल्ड रोलिंग मिल पर अब तक 763.98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) कोल्ड रोलिंग मिल की क्षमता तथा उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी निम्नानुसार है :—

(इकाई हजार टन)

क्षमता (विस्तार के बाद)	उत्पादन (1989-90-वास्तविक)
1,660	501.3

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की योजना

3775. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तक निर्मित नहीं हुई है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पर्यटक आधारिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पटना से बसोकुंड वारास्ता नालंदा-सरायुवा तक पर्यटक बस सेवा

[अनुवाद]

3776. श्रीमती ऊषा सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भगवान महावीर के जन्म स्थल पर जाने के लिए पटना राजगीर-नालंदा-पावापुरी-रांची-वैशाली-बसोकुंड के बीच पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करायी गई है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है,

(ग) क्या देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बसोकुंड में भगवान महावीर तीर्थंकर के जन्म स्थल का विकास करने की कोई योजना बनाई गई है,

(घ) यदि हां, तो इस स्थल पर अब तक कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध की गई है; और

(ङ) इस स्थल पर परिवहन, आवास, संचार और अन्य सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ङ) पर्यटन का विकास करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य के अन्दर परिवहन सेवाएं राज्य सरकार द्वारा परिचालित होती हैं। बिहार राज्य सरकार के अनुसार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना-रांची और रांची-पटना, पटना-हजारी बाग और हजारीबाग-पटना, पटना-राजगीर-नालंदा-पावापुरी-पटना, और पटना का स्थानीय दृश्यावलोकन पैकेज दौरों को परिचालित करता है। उनके अनुसार पटना और वैशाली के बीच स्थानीय परिवहन उपलब्ध है।

राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र, राज्य और निजी सेक्टर के संयुक्त माध्यम से चरण-बद्ध विकास के लिए तीन यात्रा परिपथों का अभिनिर्धारण किया गया है। मुजफ्फरपुर को यात्रा परिपथों में एक केन्द्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग की पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए राज्यों को प्रस्तावों के गुण-दोष, और धन की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम है।

बैंकों में नामित अधिकारी निदेशक

3777. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने विनिर्णय दिया था कि बैंक के बहुमत वाले अधिकारी संगठन का प्रतिनिधि ही बैंक के बोर्ड में अधिकारी-निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा,

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त विनिर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या कुछ बैंकों में पिछले कई वर्षों से अधिकारी-निदेशक नियुक्त नहीं किए गए हैं,

(घ) यदि हां, तो किन बैंकों में ये नियुक्तियां की जानी बाकी है और इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं,

(ङ) क्या निदेशक मंडल में अधिकारी को नामित न किए जाने से अधिकारियों के हितों की प्रबंधकों द्वारा सुरक्षा नहीं की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो अधिकारी वर्ग के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (च) इस समय भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक के निदेशक मण्डल में कोई भी अधिकारी कर्मचारी निदेशक नहीं

। अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित मामले पर कई अदालतों में काफी समय से मुकदमेबाजी चल रही थी । पिछले वर्ष, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1982 से पूर्व चल रही प्रथा को जारी रखना अथवा संबंधित अधिकारी कर्मचारी के प्रतिनिधियों के लिए मतदान आयोजित करना और अगर आवश्यक हो उस प्रयोजन के लिए योजना को उपयुक्त रूप से संशोधित करना बिल्कुल सही होगा । इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है और सरकार का यह प्रयास है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति यथासंभव शीघ्र की जाए । बैंकों के बोर्डों द्वारा अधिकारियों के हितों की सुरक्षा की जाती है ।

सभी जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण

3778. श्री हरपाल सिंह पंवार
श्रीमती जे० अमुना
श्री सत्यनारायण भाटिया } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है,

(ख) यदि नहीं, तो राज्य-वार, किन-किन जिलों को प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाना शेष है,

(ग) शेष जिलों को प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) इन्हें प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत कब तक लाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, दो जिलें, नामतः मणिपुर(दक्षिण) और मोकोकचुंग को छोड़कर, देश के सभी 412 जिले या तो पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से दूरदर्शन सेवा के अन्तर्गत आ जाते हैं । चूड़ाचांदपुर और मोकोकचुंग में लगाए जा रहे उच्च शक्ति (1 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने के बाद कवर न हुए इन दो जिलों को भी वर्ष 1991 के दौरान दूरदर्शन सेवा के अन्तर्गत लाए जाने की परिकल्पना है । देश में दूरदर्शन सेवा को और आगे बढ़ाना, दूरदर्शन प्रसार की भावी योजनाओं के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार

3779 श्री जे० चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितना कारोबार किया गया है,

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन, किराया, कार्यालय व्यय के प्रशासनिक मदों पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की गई, और

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अभी तक निगम से बाहर कितना पूंजी निवेश किया गया है और इससे कितनी वार्षिक आय होती है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान और 1.4.89 से 28.2.90 तक जीवन बीमा निगम द्वारा भारत में किया गया कारोबार नीचे दर्शाया गया है :—

I. व्यक्तिगत बीमा

अवधि	पालिसियों की संख्या (लाख में)	बीमित राशि (करोड़ रु०)
1988-89	59.79	17222.84
1.4.89 से 28.2.90	44.56	13022.60

II. व्यक्तिगत वार्षिकी

अवधि	पालिसियों की संख्या (लाख में)	पहले वर्ष का प्रीमियम (करोड़ रुपए)
1988-89	1.70	128.88
1.4.89 से 28.2.90	0.86	56 60

III. पेंशन और समूह योजनाएं

अवधि	नई योजनाओं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	नई योजनाओं से प्रीमियम (करोड़ रु०)
1988-89	8081	22.25	77.10
1.4.89 से 28.2.90	6290	18.71	35.19

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान और 1.4.89 से 30.9.89 तक जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

विवरण	अवधि	
	1988-89	1.4.89 से 30.9.89
	(करोड़ रुपए)	
(i) कर्मचारियों को बोनस सहित वेतन	381.40	256.75
(ii) आरोपित किराए सहित अदा किया गया किराया	16.63	6.23
(iii) एजेंटों को कमीशन आदि	327.41	178.82
(iv) अन्य प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय	150.53	64.99
कुल प्रबन्ध व्यय	875.97	506.29

(ग) 31 मार्च, 1988 और 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम द्वारा गृह सम्पत्ति में किए गए निवेशों और इसके स्वामित्व वाली भूमि को छोड़कर किए गए निवेशों और उनसे होने वाली आय निम्न प्रकार है :—

निम्न तारीख को	निवेश	आय
	(करोड़ रुपए)	
31.3.88	15818.03	1510.99
31.3.89	18538.89	1822.96

आदिवासी संस्कृति से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रसारण

[हिन्दी]

3780. श्री नन्दलाल मीणा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रसारित किए गए आदिवासी संस्कृति से सम्बन्धित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनके प्रोड्यूसरों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और वृत्त-चित्रण के लिए कोई योजना तैयार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जनजातीय संस्कृति पर गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है । ये कार्यक्रम, दूरदर्शन द्वारा नियमित अंतराल पर प्रसारित लोकगीतों और जनजातीय संगीत के कार्यक्रमों के अलावा है ।

(ख) दूरदर्शन का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि अपनी वर्तमान सीमाओं के भीतर, जहां तक सम्भव हो, जनजातीय संस्कृति के कार्यक्रमों सहित पुरातत्वीय मूल्य के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सुरक्षित रखा जाए ।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान जनजातीय संस्कृति पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	कार्य का शीर्षक तथा फार्मेट	निर्माता का नाम	कार्यक्रमों की संख्या
1.	बम्बई	सामाजिक सुरक्षिततावाबावबी सेवा प्राकल्पा	ए० टी० घुमरे	9
		उपेक्षितांचे अंतारंग आदिवासी कल्याणकारी योजना	बाटू पांचभाई	6
		दन दयाननदीप-अधारांची-खत आवाचा	ए० बी० देशपांडे	1
		बजारा.		2

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	कार्य का शीर्षक तथा फार्मेट	निर्माता का नाम	कार्यक्र की सं
		जे का रंजाले गंजाले	ए० टी० घुमड़े	1
				19
2.	मद्रास	एनीमल हसबेंडरी फार ट्राइबल्स	फांसिस जेवियर	1
		जावादू हिल्स को० आप सोसायटी	—तथैव—	1
		ट्राइबल अचलिपमेंटइन नील-गिरी डिस्ट्रिक्ट	के० जी० रामानुजम	1
		वेस्टलैंड कल्टीवेशन इन नदुहाली विलेज	—तथैव—	1
		दि साइन आफ सक्सेस ट्राइबल डेवलमेंट	सी० राजामणि	1
		डेयरी डेवलपमेंट अमोंग ट्राइबल्स	फांसिस जेवियर	1
		ट्राइबल डेवलपमेंट इन पेरियार डिस्ट्रिक्ट	—तथैव—	1
		कोडाईकनाल ट्राइबल वुमेन डेवलपमेंट	—तथैव—	1
		एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अमोंग ट्राइबल्स इन नार्थ आरकोट	—तथैव—	1
				9
3.	नागपुर	डी० बी०यू० विकासाची पाउले	सुरेन्द्र हुलाम्बर तथा के० नानखेड़े	7
		कलताती हाथ		
		अमाम आदिवासी	यू० वराटकर	1
				8
4.	कटक	—नहीं—		

क्र०	केन्द्र का नाम	कार्य का शीर्षक तथा फार्मेट	निर्माता का नाम	कार्यक्रमों की संख्या
	त्रिवेन्द्रम	आदिवासी वायनाड पर डाक्युमेंटरी	डी० राजन	1
		साउथ जोन आदिवासी फेस्टिवल पर एक रिपोर्ट	देव कुमार	1
		कासरगोड जिले के कोरागा आदिवासियों पर डाक्युमेंटरी	विजय प्रकाश	1
		लिटरेसी एक्टिविटीज आफ इदामालेयर आदिवासी कालोनी	बी० साजन	1
				4
6.	जालंधर	बर्फीले आंचल	एम० जी० गौतम	1
		किरणा सिन्धु के द्वार	—तदैव—	1
		हिमाचली कार्यक्रम फोक सांग्स	ए० गुरदीप सिंह	1
				3
7.	राजकोट	—नहीं—		
8.	अहमदाबाद	डंग-ट्राइबल कल्चर	ए० एन० बागी	1
		वन संरक्षण	बी० एन० जानी	1
		सानी विकास यात्रा	—तदैव—	1
		जरपल्लाबित-आन सोशल फारेस्टरी		1
		वन विकास-न्यू स्ट्रेट्जी आन फारेस्टरी		1
				5
9.	गोरखपुर	—नहीं—		
10.	हैदराबाद	गुरावयालू ड्रांस फाम अनन्तपुर		1
		असादुला विडालू उरुमुलु		1

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	कार्यक्रम का शीर्षक तथा फार्मेट	निर्माता का नाम	कार्यक्रमों की संख्या
		फोक म्यूजिक/फोक सांग		18
		ट्राइबल डांस		8
		डेवलमेंट आफ ट्राइबल एरिया		1
		ट्राइबल स्टोरी		1
		जामुल्का कथा		1
		बटुकामा पटालू फ्राम तेलंगाना		3
		विधिनाटकम		1
		ट्राइबल आर्ट्स		2
		ट्राइबल फीचर		1
		जनपदनृत्यम		3
		बुडाबुकल्लावाडू		1
		रिपोर्ट आन फोक फेस्टिवल हैल्ड एट श्रीकाकुलम		1
		हसया जनपदालू		1
		ए ट्राइबल विलेज		1
		ओगुकथा		1
		कोलाटम		1
				47
11.	दिल्ली	टी० वी० डाक्युमेंटरी आन दि डेवलपमेंट आफ बैकवर्ड एरिया पब्लिक सेक्टर		1
		साइन आफ एक्सेस-डाक्युमेंटरी आन ट्राइबल डेवलपमेंट एट कोटली हिल्स	ए० शिवपुरी	1
		सरहूल-ए फेस्टिवल आफ छोटा नागपुर	—तथैव—	1
		राउत नाच महोत्सव एट बिलासपुर	—तथैव—	1
		नेहरू एण्ड ट्राइबल वैलफेयर	—तथैव—	1
		दि लामास आफ लद्दाख	—तथैव—	1
		गारोज आफ मेघालय	—तथैव—	1

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	कार्य का शीर्षक तथा फार्मेट	निर्माता का नाम	कार्यक्रमों की संख्या
		उत्थान (दि डान)	—तथैव—	1
		ट्राइब आफ अरुणाचल प्रदेश	—तथैव—	1
		दि लैंड आफ लैंड ड्यून्स, भीलवाड़ा	—तथैव—	1
		हिमाचल की जनजातियां	—तथैव—	1
		बैगा	—तथैव —	1
		बोडो बीहू डांस	आर० दीक्षित	1
		लैसर नोन ट्राइब्स आफ इंडिया		31
		आदिवासी लोककला महोत्सव	ए० शिवपुरी	1
		ट्राइब्स आफ नार्थ ईस्ट गैरोज	—	5
		ए डाक्युमेंटरी—उत्तरी पूरबी कारबिस किरादीवासी		1
		ट्रीबिस आफ इंडिया वेस्ट	एस० नारायणन	1
		फोक एण्ड ट्राइबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट	वीरेन्द्र दास	3
				[illegible]
		अगारेया	—	1
		होत्रीबेस	—	1
		गड्डी	—	1
		वेलफेयर आफ एस० सी०/एस० टी०	एम० एम० पांधी	1
		एस० टी० वेलफेयर प्रोग्राम विकास की ओर	—तथैव—	1
		फोर एस० सी०/एस० टी० वेलफेयर	—तथैव—	1
		एनवायरमेंट एण्ड को० आपरेशन (एन० रहेन) बाई ट्राइब्ल्स इन मेनटेनिंग सेम	आर० एन० सिंह	1
		फारेस्टरी (रोल आफ ट्राइबल्स) (एन० रहेन)	—तथैव—	1
				63

महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्षमता बढ़ाना

3781. **श्री सुखदेव नन्दजी काले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में, पूरे क्षेत्र में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से, दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करने का है,

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में एक दूसरा रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) बुलढाना में पहले ही एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है जिससे 2 किलोमीटर के क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में निकटवर्ती क्षेत्र भी आ जा हैं जहां मल्टी ऐलिमेंट एंटीना और/या ऊंचे बूस्टरों से तस्वीर और आवाज साफ-साफ प्राप्त सकती है। लेकिन औरंगाबाद में लगाए जा रहे उच्च शक्ति 10 कि० वा० दूरदर्शन ट्रांसमी के वर्ष 1990-91 के दौरान चालू हो जाने पर बुलढाना जिले में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने आशा है। इस जिले के शेष कवर न हुए भागों में देश के ऐसे ही अन्य भागों की तरह दूरद सेवा में और सुधार विभिन्न चरणों में ही किया जा सकता है या और दूरदर्शन प्रसार की भ योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रबड़ का आयात

[अनुवाद]

3782. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने रबड़ के आयात के विरुद्ध कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) केरल सरकार रबड़ का आयात बन्द करने के लिए अनुरोध किया था किन्तु रबड़ का आयात बन्द नहीं किया सकता क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है। सरकार की नी यह है कि केवल उतने ही रबड़ का आयात किया जाए, जिससे मांग और पूर्ति के बीच अ समाप्त हो सके। यदि रबड़ विनिर्माता उद्योग के लिए पर्याप्त रबड़ उपलब्ध नहीं होता है इससे इस क्षेत्र की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे अंततः दीर्घकाल में रबड़ बागान उ प्रभावित होगा। तथापि रबड़ उपजकर्ताओं के हित समुचित रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं।

गंभिर अर्क का आयात

[हिन्दी]

3783. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या भारत में कत्थे का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद गैम्बिर अर्क का अ

गा जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैम्बिर अर्क को कत्थे के रूप में सीधे बाजार में बेचा जा रहा है जिसका कत्था ोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) क्या सरकार इसके आयात को बन्द करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) "गैम्बियर " सीमित स्वीकार्य मदों की सूची में है और इनके आयात की अनुमति, लोचशीलता प्रावधान अंतर्गत, केवल पूरक लाइसेंसों और आर० ई० पी० लाइसेंसों के बदले दी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) अभिवेदन की तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जाएगी और यदि कोई ारात्मक उपाय आवश्यक होंगे तो किए जाएंगे।

रंगीन फोटो फिल्में

नुवाद]

3784. श्री राम सागर (संबपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाहर से रंगीन फोटो फिल्मों की बड़ी पैमाने पर तस्करी की जा ा है,

(ख) यदि हां, तो फोटो फिल्मों की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाए किए गए है,

(ग) गत बारह महीनों के दौरान फोटो फिल्मों की तस्करी के कितने मामले पकड़े गए है; र

(घ) फोटों फिल्मों के तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है रंगीन फोटो फिल्में विदेशों से तस्करी द्वारा देश में लाए जाने के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हैं। ऐसी तस्करी को रोकने के लिए तस्करी-रोधी एजेंसियां सतर्क रहती है। ऐसी तस्करी का लगाने तथा इसको रोकने के लिए सभी सम्बन्धित अभिकरणो के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए ा जा रहा है।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) तस्करी में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों को विभागीय न्याय-निर्णयनों में दण्डित किया जा ता है तथा उपयुक्त मामलों में न्यायालयों में उनके विरुद्ध मुकदमे भी चलाए जा सकते है। यदि श्यक समझा जाता हो तो उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी-निवारण-अधिनियम, 47 के तहत नजरबन्द भी किया जा सकता है।

बिहार में अभ्रक का उत्पादन

[हिन्दी]

3785. श्री जनार्दन तिवारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की अभ्रक खानों में गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन में कितनी कमी आई है,

(ख) इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) गत तीन वर्षों में बिहार में अभ्रक उत्पादन इस प्रकार रहा :—

1987	5308 टन
1988	3513 टन (अनन्तिम)
1989	3366 टन (अनन्तिम)

(ख) बिहार में अभ्रक के उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण चालू खानों में सतह पर भंडारों की समाप्ति और सिंथेटिक प्रतिस्थापनों के विकास के कारण मांग में गिरावट आना है।

(ग) अज्ञात निक्षेपों/क्षेत्रों में अभ्रक गवेषण के मानकों का निर्धारण करने के मुख्य उद्देश्य से, भूवैज्ञानिक अन्वेषण और परीक्षण वेधन किए गए है, ताकि अभ्रक स्त्रोतों में अभिवृद्धि की जा सके। भारतीय खान ब्यूरो ने भी चालू खानों में उत्पादन बढ़ाने तथा बन्द खानों को पुनः खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए बन्द और चालू खानों का सर्वेक्षण किया है।

मालेगांव, चन्दौर, कलवां और बागलां के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम

[अनुवाद]

3786. डा० दोलतराव सोनूजी अहेर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नासिक जिले (महाराष्ट्र) के मालेगांव, चन्दौर, कलवां और बागलां के लोग दूरदर्शन कार्यक्रमों को नहीं देख पाते; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) यद्यपि महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव, मनमाड और नासिक में इस समय एक-एक अर्थात् तीन अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, कार्य कर रहे हैं, लेकिन बागलां चन्दौर और कलवां की तसवीरें इन ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र से बाहर रह जाती हैं। कुछ समय से यह भी

ता है कि असामान्य प्रसार परिस्थितियों के कारण एक दूरस्थ ट्रांसमीटर का मालेगांव ट्रांसमीटर दूरदर्शन सिगनलों के संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थिति को सुधारने के उपाय के रूप में, मालेगांव ट्रांसमीटर को एक अलग चैनल पर चलने वाले ट्रांसमीटर में बदलने की परिकल्पना है।

इस क्षेत्र में तथा देश के कवर न हुए अन्य भागों में दूरदर्शन सेवा में और सुधार/विस्तार दूरदर्शन प्रसार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विदेशी निवेशकों की गोल मेज बैठक

3787. श्री कमल नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू०एन० सेन्टर आन ट्रांसनेशनल कारपोरेशन, 'इंडिया इन्वेसटमेंट सेण्टर' तथा अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में आयोजित और हाल ही में समाप्त हुई गोल मेज बैठक में यह मांग की गई है कि विकास के प्राथमिक क्षेत्रों और प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में सरकार स्पष्ट निदेश जारी करे, ताकि भारत को विश्व निवेश में अपना पर्याप्त हिस्सा मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) बैठक में भाग लेने वाले कई प्रतिनिधियों ने ये मुद्दे उठाये थे।

(ख) नीतियों को और अधिक सुस्पष्ट बनाना और कार्य प्रणालियों को सरल व युक्तियुक्त बनाना सरकारी नीति का एक भाग है।

बिहार में पर्यटन विकास

[हिन्दी]

3788. श्री बसई चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पर्यटन के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1987 और 1989 के बीच बिहार में पर्यटन स्थानों के विकास हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई और गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, विकसित किये गये स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) 1987-88 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बिहार में पर्यटन परियोजनाओं का विकास करने के लिए 53.49 लाख रु० स्वीकृत किए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान, जहानाबाद, नालंदा, गोपालगंज, बेतला और राजगीर में पहले से चली आ रही तथा नई परियोजनाओं के लिए दी गई राशि इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	दी गई राशि
1987-88	12.00
1988-89	6.00
1989-90	2.00

केन्द्रीय पर्यटन विभाग, जापान सरकार के सहयोग से, बिहार राज्य में बौद्ध अभिरुचि वाले स्थानों का विकास भी कर रहा है।

नागपुर में भिलाई इस्पात संयंत्र का कार्यालय

3789. डा० खुशाल परसराम बोपचे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागपुर में भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यालय को बन्द करने अथवा स्थानांतरित करने का विचार है,

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। भिलाई इस्पात कारखाने का प्रबन्धन नागपुर स्थित अपने कार्यालय को बन्द कर रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। एक माननीय संसद सदस्य के पत्र के साथ संयोजक, नागपुर, बचाओ समिति तथा सचिव, स्पोर्टस क्लब, दक्षिणी नागपुर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नागपुर में भिलाई इस्पात कारखाने के कार्यालय में अब तक कार्य कर रहे कर्मचारियों को उपयुक्त स्थानों पर लगाने के प्रश्न पर "सेल" विचार कर रही है।

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

3790. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों की पृथकत: कितनी-कितनी शाखाएं कार्यरत हैं तथा उन शाखाओं की क्षेत्र-वार, संख्या कितनी है जिनमें शत-प्रतिशत, पचहत्तर प्रतिशत, पचास प्रतिशत और पच्चीस प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है;

(ख) क्या "क" और "ख" क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में रोमन लिपि में आधुनिक उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर इत्यादि के लगाये जाने के कारण हिन्दी में कम काम होने लगा है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है;

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी शाखाओं में अब भी पच्चीस प्रतिशत से कम काम हिन्दी में किया जाता है; और

(घ) क्या उन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में और कमी आने की सम्भावना है जहां

(क) क्या तैयार सामान को भी जो देश में ही उपलब्ध है, पंजीकृत निर्यात घरानों आदि जैसे विशेष वर्ग के लोगों द्वारा आयात करने दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या फोटोसेंन्सिटाइज्ड सामान के विशाल रोलो के बिना जांच हुए भारी मात्रा आयात करने दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इन विशाल रोलों को किस एजेंसी/उपक्रम के माध्यम से आयात किय गया; और

(ङ) बिना जांच के आयात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) (क) और (ख) पंजीकृत निर्यातक के लिए आयात नीति के अन्तर्गत, सीमित स्वीकार्य सूची और असंवेदनशील सरलीकृत सूची में सन्निहित मदों के आयात को अनुमति, निर्यात-पश्च आधार पर निर्यातकों द्वारा अर्जित प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के बदले है। निर्यात-पूर्व आधार पर, प्रतिबंधित सूची में शामिल मदों को छोड़कर, उन आवश्यक अन्तर्निविष्टियों के सम्बन्ध में शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत आयात की अनुमति दी जाती है, जिनकी निर्यात उत्पादन के लिए जरूरत पड़नी अपेक्षित है और इस सम्बन्ध में इनकी देशी उपलब्धता को ध्यान में नहीं लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि निर्यातों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

(ग) से (ङ) आयात किए जाने वाले फोटोसेन्सिटिव माल के जम्बोआकारी विशाल रोलों का सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी के पूर्व पत्तनों पर निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण सामान पर पाये जाने वाले चिन्हों की इस दृष्टि से जांच के लिए किया जाता है ताकि निकासी के लिए प्रस्तुत किए गए कागजात से विवरण, लम्बाई, चौड़ाई, आदि को सत्यापित किया जा सके। परीक्षण के लिए पैकज पूरी तरह से नहीं खोले जाते हैं क्योंकि ये सामान फोटोसेन्सिटिव होते है और प्रकाश पड़ने पर खराब हो सकते है।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय उत्सवों का आयोजन

3794. श्री कांशी पन्नीर सेलवम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय उत्सवों को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ भारतीय मेलों और उत्सवों के आयोजन की तैयारी की गई है ताकि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या तामिलनाडु सरकार ने तामिलनाडु के "पोंगल", थाई पूसम, "कास्ती" उत्सवों, जिनमें राज्य के काफी संख्या में भक्तजन और तीर्थयात्री भाग लेते है, को लोकप्रिय बनाने हेतु सहायता करने के लिए पर्यटन विभाग को पत्र लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार मेहरा) : (क) और (ख) विदेशों में उत्सवों संचालन करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक कैलेण्डर तैयार किया गया है। निम्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु राज्य सरकार ने पोंगल के संवर्धन की सिफारिश की थी। र ने इसे संवर्धन करने के लिए स्वीकार कर लिया है।

विवरण

पर्यटन वर्ष-1991 के दौरान संवर्धन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सवों की सूची

का नाम	तारीख और महीना	स्थान	राज्य
मरु पर्व	28 दिसम्बर-3 जनवरी	जैसलमेर	राजस्थान
मागी मेला	13-14 जनवरी	मुक्तसर(लुधियाना)	पंजाब
पतंग उत्सव	13-15 जनवरी	अहमदाबाद	गुजरात
पोंगल उत्सव	13-17 जनवरी		तमिलनाडु
हाथी दौड़	15-20 जनवरी	त्रिवेन्द्रम	केरल
नागौर उत्सव	2-5 फरवरी	नागौर	राजस्थान
गणतन्त्र दिवस	26 जनवरी	दिल्ली	दिल्ली
क्राफ्ट मेला	1-15 फरवरी	सूरज कुंड	हरियाणा
योग सप्ताह	2-7 फरवरी	ऋषिकेश	उत्तर प्रदेश
गोवा कार्निवल	9-12 फरवरी		गोवा
एलिफेंटा उत्सव	16-18 फरवरी	एलीफेंटा	महाराष्ट्र
हेली स्कीइंग	फरवरी का दूसरा और तीसरा सप्ताह	मनाली	हिमाचल प्रदेश
कोणार्क उत्सव	24-26 फरवरी	कोणार्क	उड़ीसा
चपचारकुट	25 फरवरी	मिजोरम	मिजोरम
होली उत्सव	मार्च		पंजाब
बसन्त उत्सव	मार्च	शान्तिनिकेतन	प० बंगाल
बोहग बिहु/रंगोली बिहू	14-15 मार्च	सम्पूर्ण राज्य	असम
खजुराहो उत्सव	12-18 मार्च	खजुराहो	मध्य प्रदेश
एलोरा उत्सव	23-25 मार्च	एलोरा	महाराष्ट्र
चिथिरम उत्सव	मार्च-अप्रैल		
अन्तर्राष्ट्रीय फूल उत्सव	अप्रैल	गंगटोक	सिक्किम
त्रिचूर पूरम	अप्रैल	त्रिचूर	केरल

उत्सव का नाम	तारीख और महीना	स्थान	राज्य
23. हेमिस उत्सव	जून	लद्दाख	कश्मीर
24. ग्रीष्म उत्सव	जून	माउंट आबू	राजस्थान
25. हिमाचल ग्रीष्म उत्सव	10-16 जून	शिमला	हिमाचल प्रदेश
26. आम्र उत्सव	जुलाई	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
27. रथ उत्सव	जुलाई (पहला सप्ताह)	पूरी	उड़ीसा
28. एल्लेपी नौका दौड़	अगस्त (दूसरा सप्ताह)	एल्लेपी	केरल
29. गणेश चतुर्थी	11-22 सितम्बर	बम्बई/पुणे	महाराष्ट्र
30. तरनेत्र उत्सव	24-26 अगस्त, 90 12-14 सितम्बर, 91 31 अगस्त से 2 सितम्बर, 92	सुरेन्द्र नगर	गुजरात
31. ओनम	सितम्बर	त्रिवेन्द्रम	केरल
32. नृत्य उत्सव	सितम्बर, 90		आन्ध्र प्रदेश
23. गोलकुन्डा उत्सव	सितम्बर	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
34. हैक्रू हितोंगवा	सितम्बर		मणिपुर
35. नवरात्रि उत्सव	19 सितम्बर, 90 8 अक्तूबर, 91 27 अक्तूम्बर, 92	बड़ोदा	गुजरात
36. दशहरा	अक्तूबर	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
37. दुर्गा पूजा	अक्तूबर	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
38. पर्ल उत्सव	अक्तूबर		आन्ध्र प्रदेश
39. का पोम्बबेंग नोंगक्रेम	अक्तूबर-नवम्बर		मेघालय
40. दीवाली	नवम्बर		सभी राज्य
41. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	नवम्बर	दिल्ली	
42. पुष्कर	18 से 21 नवम्बर	पुष्कर	राजस्थान
43. सोनपुर मेला	नवम्बर	बैंगासी	बिहार
44. अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय केरल खाद्य उत्सव	दिसम्बर	पणजी और कोचीन	गोवा व केरल
45. हम्पी विजयानगर	दिसम्बर	हम्पी	कर्नाटक
46. जोरमेला	दिसम्बर	चंडीगढ़	पंजाब

रथ यात्रा समारोह का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण

3795. श्री ए० एन० सिंह देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी में रथ यात्रा समारोह का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस समारोह को सीधे प्रसारण करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण राष्ट्रव्यापी प्रासंगिकता की घटनाओं यथा गणतंत्र दिवस परेड, स्वतन्त्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महत्वपूर्ण खेल घटनाओं, आदि तक सीमित है। अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का दूरदर्शन पर बाद में प्रसारण किए जाने के लिए टी० वी० रिपोर्ट तैयार की जाती है। रथ यात्रा उत्सव भी इसी प्रकार उपयुक्त ढंग से प्रसारित किया जाता है।

आई०टी०सी० लिमिटेड का आयकर निर्धारण

3796. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग, कलकत्ता में कर्मचारियों की कमी के कारण आई०टी०सी० लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का आयकर-निर्धारण का कार्य लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का, उक्त कम्पनी के आयकर-निर्धारण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में पर्यटन विकास के लिए धनराशि का आबंटन

3797. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में पालघाट जिले में मालामपुझा में पर्यटन के विकास के लिए कोई धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल के कालीकट जिले में "कापड बीच" का विकास एक पर्यटन केन्द्र के रूप में करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रा विशिष्ट प्रस्तावों पर पर्यटन आधार-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावों के गुण-दोषों, निधि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्त सहायता प्रदान करता है। तथापि, पर्यटन विभाग ने पालघाट जिले में मालामपुज्झा में जल क्रीड़ा उपकरणों के लिए 7.82 लाख रु. स्वीकृत किए हैं।

(ग) और (घ) 1988-89 में कापट में 95.00 लाख रु. की अनुमानित लागत समुद्रतट विहार-स्थल का निर्माण करने के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस रा में से 60.00 लाख रु. पहले ही दिए जा चुके है। परियोजना पूरी होने तक कार्य की प्रगति निर्भर रहते हुए और राशि दी जाएगी।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

3798. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1989 को केरल में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल कितनी शाखाएं थीं;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष में केरल में और अधिक बैंक शाखाएं खोलने प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी;

(ङ) इस समय केरल में कितनी जनसंख्या के पीछे एक बैंक शाखा है;

(च) क्या उनके मंत्रालय के पास केरल में मालाबार क्षेत्र में नई बैंक शाखाएं खो सम्बन्धी अभ्यावेदन विचाराधीन है; और

(छ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) 31-12-1989 की स्थिति के अनुस केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1554 शाखाएं कार्यरत थी जिनमें से 228 ग्रामीण क्षे में थी।

(ग) और (घ) पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति 31-3-1990 को समाप्त हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक नई शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप दे रहा है।

(ङ) केरल के लिए प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या 9000 है।

(च) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल के मालाब क्षेत्र में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन लम्बित नहीं है।

महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के तहत एजेंटों को कमीशन

3799. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अन्तर्गत कुल कितने एजेंट है;

(ख) इस योजना के खाताधारियों की कुल संख्या कितनी है तथा ये प्रति माह औसतन कितनी राशि जमा करते है;

(ग) क्या एजेंटों को आज तक देय कमीशन का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) केरल में महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अन्तर्गत 4915 एजेंट कार्य कर रहे हैं।

(ख) एजेंटों द्वारा 6,74,000 डाकघर आवर्ती जमा खाते खुलवाए गए हैं। औसत मासिक जमा 2.74 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, केरल द्वारा फरवरी, 1990 तक के कमीशन सम्बन्धी दावे पास कर दिए गए हैं। एजेंटों से दावों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, केरल को दावों को शीघ्र निबटाने की सलाह दी गई है।

गैर-सरकारी बैंकों पर रोक लगाना

3800. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनेक गैर-सरकारी बैंकों पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि उन्हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मिलाने का उद्देश्य पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा निष्क्रिय खातों पर ब्याज न लगाना

3801. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक, मद्रास को अपने कुछ घटकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके निष्क्रिय खातों पर ब्याज को अधित्यजित कर दिया जाए;

(ख) क्या ये अभ्यावेदन एक वर्ष से अधिक समय से बैंक के पास लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के असफल हो जाने के कारण कुछ खाते निष्क्रिय पड़े हैं क्योंकि इनमें इन घटकों का पास रुक गया है; और

(घ) इन खाता धारकों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि उसे अपने कुछ ग्राहकों से उनके ऋण खाते पर ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इन अभ्यावेदनों पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है और उचित निर्णय लिए जाते हैं। सामान्य नीति यह है कि जहां बताई गई रुग्णता का कारण ऋणकर्ता के वश में न हो और चूककर्ता जानबूझ कर चूक करने वाला न हो, ऐसी स्थिति में राहत सहायता

देने पर अनुकूल रूप से विचार किया जाता है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर

3802. श्री कैलाश मेघवाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के कुछ कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के खर्चे पर विदेशों का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे दौरों का उद्देश्य क्या है और प्रत्येक दौरे पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 724/90]

वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-सरकारी औद्योगिक एककों में निदेशकों की नियुक्ति

3803. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रमुख गैर-सरकारी औद्योगिक एककों का ब्योरा क्या है जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों के व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से अधिकांश शेयर है;

(ख) क्या इन वित्तीय संस्थाओं ने इन एककों की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए निदेशक नियुक्त किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ये निदेशक नियमित रूप से अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं; और

(घ) क्या सरकार का इन एककों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाना

3804. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों सरकारी/गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का ब्योरा क्या है जिन्होंने विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाए हैं;

(ख) ये उद्यम किसी क्षेत्र विशेष में लगाए गए हैं और इनमें उनकी इक्विटी भागीदार कितना है; और

(ग) उनके द्वारा अर्जित लाभ की कितनी राशि स्वदेश भेजी गई तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विदेशों में उनके द्वारा अर्जित धन के हिस्से का वे दुरुपयोग न कर सकें ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) विदेशों में चल रहे संयुक्त उद्यमों के सम्बन्ध में एक विवरण-सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 725/90]

(ग) दिनांक 31-12-89 की स्थिति के अनुसार चल रहे संयुक्त उद्यमों द्वारा लाभांश के रूप में भारत भेजी गई राशि 23.14 करोड़ रु० है। अनुमोदन पत्रों में भारतीय संवर्धनकर्ताओं के लिए इस बात के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है कि उन्हें संयुक्त उद्यमों के लाभ भारत को भेजने होंगे।

बहुमंजिले भवनों की निर्माता कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

3805. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बनाए गए कामर्शियल काम्प्लेक्सों के निर्माण पर बहुमंजिले भवनों की निर्माता कम्पनियों द्वारा खर्च की गयी धन-राशि के स्रोत और उक्त भवनों में स्थान वाणिज्यिक उपयोग हेतु किराये पर देने के बारे में कभी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माता कम्पनियों तथा उनके पट्टाधारियों, दोनों के द्वारा किए गए कितने कर अपवंचन का पता लगा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा सर्वेक्षण कराने और काले धन का पता लगाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) भवन निर्माण में भवन निर्माताओं द्वारा किए गए निवेश के स्रोतों के बारे में जांच-पड़ताल के साथ-साथ वाणिज्यिक स्थलों के पट्टेदारों द्वारा किए जाने वाले निवेश का सत्यापन आयकर प्राधिकारियों द्वारा उस समय किया जाता है जब वे सर्वेक्षण करते हैं अथवा तलाशियां लेते हैं अथवा जांच के लिए चुने गए मामलों में निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही करते हैं। अचल सम्पत्ति के लेन-देन में लेखाबाह्य धन लगाने को निरुत्साहित करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को, कुछ अधिसूचित शहरों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां अन्तरण-करार में 10 लाख रुपये से अधिक की बात स्पष्ट रूप से अन्तर्ग्रस्त हो, अचल सम्पत्ति को खरीदने के लिए पूर्व-क्रय अधिकार प्राप्त है।

ऐसी सूचना मिली है कि वित्त वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान दिल्ली में बिल्डरों के मामलों में ली गयी तलाशियों में प्रथम दृष्टया 65 लाख रु० की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत हुई।

पीटर ब्रुक्स के "महाभारत" का प्रसारण

3806. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाकाव्य "महाभारत" सीरियल का दूरदर्शन का प्रसारण कब तक पूर्ण हो जायेगा;

(ख) क्या सरकार पीटर ब्रुक्स के "महाभारत" का प्रसारण करने पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० धनंजय) : (क) धारावाहिक "महाभारत" का प्रसारण 24-6-1990 को पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन ने "पीटर ब्रुक्स" के "महाभारत" के निर्माण में अपना सहयोग दिया है और उसके पास 10 वर्ष के लिए असीमित प्रसारण अधिकार हैं।

"मेगा इश्यू" प्रयोग

3807. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने घरेलू निवेशकों की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं द्वारा "मेगा इश्यू" की स्वीकृति पर असंतोष व्यक्त किया है और वित्तीय संस्थाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वतः "मेगा इश्यू" प्रयोग का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है और वर्ष 1989-90 में लगभग कितनी धनराशि एकत्रित हुई ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) मार्च, 1990 की "मेनी मार्केट रिव्यू" पत्रिका में मेगा इश्यू विषय पर चर्चा की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि वित्तीय संस्थाओं को निवेशकों के दृष्टिकोण से परियोजनाओं का मूल्यांकन करने दिया जाता है तो निवेशकों का विश्वास और अधिक बढ़ेगा।

(ख) इस पर औपचारिक रूप से कोई विचार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, एक के सिवाए सभी मेगा इश्यू सफल रहे।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खोज

3808. श्री एन० डेनिस : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने संघ राज्य क्षेत्रों में खोज कार्य शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। 1986 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० ने अरुणाचल प्रदेश, जो तत्कालीन संघ शासित क्षेत्र था, के रूपा क्षेत्र में डोलोमाइट के भूवैज्ञानिक गवेषण का कार्य किया

था। इन गवेषण कार्यों के परिणामस्वरूप झम्पबहु ब्लॉक के डोलोमाइट के लगभग 320 लाख टन के निक्षेप सिद्ध हुए।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिशत जनसंख्या

3809. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी प्रतिशत जनसंख्या आती है और वर्ष 1990 तक कितनी प्रतिशत जनसंख्या इसके अन्तर्गत आ जाएगी, और

(ख) देश में स्थापित प्रमुख टेलीविजन ट्रांसमिशन केन्द्रों की सूची क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्तर्गत वर्तमान में आनेवाली और 1990-91 के अन्त तक आने वाली अपेक्षित जनसंख्या का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(जनसंख्या कवरेज)

प्रतिशत में

		दूरदर्शन	आकाशवाणी
1.	वर्तमान कवरेज	76.0	95.0
2.	1990-91 के अन्त तक अपेक्षित कवरेज	82.0	96.7

(ख) इस समय देश में कार्यरत उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि०वा०/1 कि०वा०)
असम	डिब्रूगढ़ (10 कि० वा०)
	गुवाहाटी* (10 कि०वा०)
	सिल्चर (10 कि०वा०)
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद* (10 कि०वा०)
	विजयवाड़ा (10 कि०वा०)
	विशाखापत्तनम (10 कि०वा०)
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर (1 कि०वा०)
बिहार	मुजफ्फरपुर (1 कि०वा०)

राज्य	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि०वाट/1 कि०वाट)
	पटना (10 कि०वा०)
	रांची* (10 कि०वा०)
गोवा	पणजी (10 कि०वा०)
गुजरात	अहमदाबाद* (10 कि०वा०)
	द्वारका (10 कि०वा०)
	राजकोट* (10 कि०वा०)
	पीज (1 कि०वा०)
हिमाचल प्रदेश	कासौलि (10 कि०वा०)
जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू (10 कि०वा०)
	पुंछ (10 कि०वा०)
	श्रीनगर* (10 कि०वा०)
केरल	कोचीन (10 कि०वा०)
	त्रिवेन्द्रम* (10 कि०वा०)
कर्नाटक	बंगलोर* (10 कि०वा०)
	गुलबर्गा (1 कि०वा०)
मध्य प्रदेश	भोपाल (10 कि० वा०)
	इन्दौर (10 कि०वा०)
	रायपुर (1 कि०वा०)
मेघालय	शिलांग (1 कि०वा०)
	तुरा (10 कि०वा०)
महाराष्ट्र	बम्बई* (चैनल-1-10 कि०वा०)
	बम्बई (चै० 2-10 कि०वा०)
	नागपुर* (10 कि०वा०)
	पुणे (10 कि०वा०)
मणिपुर	इम्फाल (1 कि०वा०)
मिजोरम	आईजोल (1कि०वा०)
नागालैण्ड	कोहिमा (1 कि०वा०)
ओड़िसा	कटक* (10 कि०वा०)
	सम्बलपुर (1 कि०वा०)

राज्य	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि०वाट/1 कि०वाट)
पंजाब	अमृतसर (10 कि०वा०)
	भाटिन्डा (10 कि०वा०)
	जलन्धर* (10 कि०वा०)
राजस्थान	जयपुर* (10 कि०वा०)
तमिलनाडु	कोडईकोनाल (10कि०वा०)
	मद्रास* (चैं० 1) (10 कि०वा०)
	मद्रास(चैं० 2-10कि०वा०)
त्रिपुरा	अगरतला (10 कि०वा०)
उत्तर प्रदेश	आगरा (10 कि०वा०)
	इलाहाबाद (10 कि०वा०)
	कानपुर (10 कि०वा०)
	लखनऊ* (10 कि०वा०)
	मैसूर (10 कि०वा०)
	वाराणसी (10 कि०वा०)
	गोरखपुर* (10 कि०वा०)
पश्चिम बंगाल	असनसोल (10 कि०वा०)
	कलकत्ता* (चैं० 1-10 कि०वा०)
	कलकत्ता (चैं० 2-10 कि०वा०)
	कुर्सियांग (10 कि०वा०)
	मुर्सिदाबाद (10 कि०वा०)
संघ शासित प्रदेश	
दिल्ली	दिल्ली* (चैं० 1-10 कि०वा० और 1 कि०वा०)
	दिल्ली (चैं० 2-10 कि०वा०)

*कार्यक्रम निर्माण सुविधा उपलब्ध है।

एडवोकेट कल्याण कोष के गठन के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें

3810. चौ० जगदीप धनखड़ क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडवोकेट कल्याण कोष के गठन के सम्बन्ध में माननीय न्यायाधीश बहरुल इस्लाम

की अध्यक्षता में गठित समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक अधिवसता कल्याण विधि का गठन करे जिनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुदान, संदान और अभिदाय आदि और केन्द्रीय कल्याण निधि स्टाप आदि का विक्रय करके प्राप्त की गई धनराशियां होंगी और सरकार एक न्यासी समिति का गठन करे जिसमें यह कल्याण विधि निहित होगी। समिति की रिपोर्ट तारीख 12 अगस्त, 1986 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी।

(ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

"निर्धारित ऋण विवरण क्षेत्र" योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों की भूमिका

3811. श्री भागेश गोवर्धन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई "निर्धारित ऋण वितरण क्षेत्र" योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या भूमिका है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) दिनांक 1-4-89 से परिचालन में आने वाली ग्रामीण ऋणों संबंधी सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक गांव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित एक बैंक शाखा को आवंटित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक बैंक शाखा 15 से 25 गांवों की जरूरतों को पूरा करेगी। सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा अपने सेवा क्षेत्र में केवल लक्ष्यगत समूहों के लिए ऋण योजनाएं तैयार करती है। उन गांवों के गैर-लक्ष्यगत समूहों वाले हिताधिकारियों की आवश्यकताएं नामित वाणिज्यिक बैंक की शाखा द्वारा पूरी की जाएगी। चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने सेवा क्षेत्र में सभी प्रकार के उधारकर्ताओं की बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवंटन करने की योजना में उनकी वित्तीय स्थिति, नई शाखाएं खोलने में होने वाली हानियों को सहने की क्षमता और सामान्य क्षमता को ध्यान रखते हुए परिवर्तन कर दिया। इसलिए, सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत पता लगाए गए नए केन्द्रों को उस जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले वाणिज्यिक बैंकों को आवंटित किया गया है। तदनुसार, सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया गया।

विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी उद्घोषक

3812. श्री भागेश गोवर्धन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्रों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्यरत नियमित हिन्दी उद्घोषकों की संख्या कितनी है और इस सम्बन्ध में आकाशवाणी केन्द्र-वार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-वार और सामान्य पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दी उद्घोषक ग्रेड-चार के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों में से कुछ पद अभी भी नहीं भरे गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी उद्घोषक ग्रेड-चार के आरक्षित बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) इस समय देश में आकाशवाणी के 100 केन्द्र हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ग्रेड-चार के हिन्दी उद्घोषकों की संख्या 30 है जिसमें से अनुसूचित जातियों के 20 और अनुसूचित जनजातियों के 10 उद्घोषक हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। सभी आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातिवार, अनुसूचित जनजातिवार और सामान्य श्रेणीवार उद्घोषक ग्रेड चार की रिक्तियों की सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण-1

आकाशवाणी केन्द्रों में अ०जा०/अ०ज०जा० हिन्दी उद्घोषक ग्रेड-4 की सूची

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	आकाशवाणी, आगरा	1	—
2.	आकाशवाणी, अम्बिकापुर	—	1
3.	आकाशवाणी, अलवर	1	—
4.	आकाशवाणी, भटिंडा	1	—
5.	आकाशवाणी, भागलपुर	—	1
6-	आकाशवाणी, छिंदवाड़ा	—	1
7.	विज्ञापन प्रसारण सेवा, नई दिल्ली	1	—
8.	आकाशवाणी, जयपुर	1	—
9.	आकाशवाणी, जमशेदपुर	1	1
10.	आकाशवाणी, जगदलपुर	2	:
11.	आकाशवाणी, जोधपुर	!	;

क्र०सं०	केन्द्र का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
12.	आकाशवाणी, कोटा	—	1
13.	आकाशवाणी, मथुरा	1	—
14.	आकाशवाणी, राजकोट	1	—
15.	आकाशवाणी, रांची	1	1
16.	आकाशवाणी, रोहतक	2	—
17.	आकाशवाणी, शिलांग	—	1
18.	आकाशवाणी, सूरतगढ़	1	1
19.	आकाशवाणी, वाराणसी	1	—
20.	राष्ट्रीय चैनल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	1	—
21.	आकाशवाणी, छतरपुर	1	—
22.	आकाशवाणी, शिमला	1	—
23.	आकाशवाणी, कलकत्ता	1	—
		20	10

विवरण-2

आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी उद्घोषक ग्रेड-4 की रिक्तियों की सूची

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य
1.	आकाशवाणी, आगरा	—	—	3
2.	आकाशवाणी, अम्बिकापुर	—	—	1
3.	आकाशवाणी, भागलपुर	—	—	2
4.	आकाशवाणी, बम्बई	—	—	1
5.	आकाशवाणी, बांसवाड़ा	—	—	2
6.	आकाशवाणी, छिंदवाड़ा	—	—	3
7.	आकाशवाणी, ग्वालियर	—	—	1
8.	आकाशवाणी, जगदलपुर	—	—	1
9.	आकाशवाणी, खंडवा	—	—	3
10.	आकाशवाणी, मद्रास	—	—	2

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य
11.	आकाशवाणी, मथुरा	—	—	2
12.	आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर	—	—	1
13.	आकाशवाणी, रामपुर	—	—	1
14.	आकाशवाणी, गोरखपुर	—	—	1
			कुल	24

खनन कार्य हेतु लाइसेंस

3813. श्री भक्त चरण दास : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खनिजों के लिए लाइसेंस और खनन पट्टे देने सम्बन्धी वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान नियमों में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) खनिजों (गौण खनिजों को छोड़कर) के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13 के अन्तर्गत निर्मित खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अधीन स्वीकृत किए जाते हैं। गौण खनिजों के लिए खनन पट्टे/उत्खनि पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 धारा 15 के अधीन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्मित संगत गौण खनिज रियायत नियमों के अधीन स्वीकृत किए जाते हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन से प्राप्त अनुभव के आलोक में कुछ संशोधन तैयार किए जा रहे हैं।

चाय में मिलावट

3814. श्री भक्त चरण दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में विशेष रूप से कर्नाटक में, चाय में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है;

(ख) क्या मिलावटी चाय की बिक्री से स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो मिलावटी चाय को जब्त करने तथा बेईमान व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठायें गये हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) हाल में केरल, तमिलनाडु

और कर्नाटक में चाय में मिलावट के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) अगर चाय में किसी ऐसे पदार्थ की मिलावट करके बेची जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाएगा।

(ग) चाय जैसी खाद्य मद में मिलावट का मामला खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आता है। इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मुख्य जिम्मेदारी स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की होती है। तथापि ऊपर उल्लिखित चाय में मिलावट से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त होने पर चाय बोर्ड ने कूनूर स्थित अपने मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालक को निदेश दिया है कि वह इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें।

निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना

3815. श्री भक्त चरण दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) सातवीं योजना में उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में कितने एकक स्थापित किए जा चुके हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को योजना के तहत उड़ीसा में कोई एकक स्थापित नहीं किया है। उसी अवधि के दौरान तीन एककों अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में एक-एक एकक की स्थापना की गई है।

डिबेंचरों के माध्यम से पूंजी जुटाना

3816. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में उन निगमित कम्पनियों का ब्योरा क्या है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान तथा फरवरी, 1990 तक डिबेंचरों के माध्यम से पूंजी जुटायी है;

(ख) वे कम्पनियां कौन-कौन सी हैं जो निवेशकर्त्ताओं को उनकी धनराशि का भुगतान न करने की दोषी पाई गई हैं और इस प्रकार कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) सरकार ने निवेशकर्त्ताओं/जमाकर्त्ताओं द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जिन कम्पनियों को निजी क्षेत्र में इक्विटी शेयर, ऋण-पत्र आदि (बोनस सहित) जारी करने की अनुमति दी गई है उनके ब्यौरे प्रैस विज्ञप्तियों के

माध्यम से वार्षिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। ये आंकड़े पूंजी निर्गम नियन्त्रण के कार्यकलाप सम्बन्धी प्रकाशित तिमाही सांख्यिकी में भी उपलब्ध हैं।

(ख) ऋण पत्र धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं और कम्पनियों से उनके लाभों में से ऋण पत्र परिशोधन निधि सृजित करना अपेक्षित है ताकि ऋण पत्रों का अनुसूची के अनुसार परिशोधन किया जा सके। ऋण पत्रों के निर्गम और आवेदनों पर विचार किए जाने के लिए, कम्पनियां लेखापरीक्षक का एक प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें कि कम्पनी ने पहले जारी किए गए अपने ऋण पत्रों को चुकाने में कोई चूक नहीं की है।

(ग) लघु निवेशकों सहित निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और जारी रहेगी।

आयात-निर्यात व्यापार समझौता

3817. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 के दौरान आयात/निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में कितने विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया, देश-वार विषयवस्तु सहित कितनी राशि के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान देशवार कितने भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों का दौरा किया तथा कौन-कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) वित्तीय दृष्टिकोण से ये समझौते कितने पूरे हुए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) आयात/निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 तक 13 विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया और 15 भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों का दौरा किया। अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 तक सरकारी स्तर पर जिन विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया और जिन भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों का दौरा तथा जिनके फलस्वरूप व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 के दौरान सरकारी स्तर जिन विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने व्यापार करारों के सम्बन्ध में भारत का दौरा किया उनका विवरण नीचे दिया गया है :—

	देश का नाम	विषय सहित किए गए करारों के ब्यौरे	कितनी धनराशि शामिल है	दिनांक 31.3.90 को आर्थिक शर्तों की पूर्ति
	1	2	3	4
1.	चीन	दिनांक 20.9.89 से 19.9.90 की अवधि के लिए संलेख	व्यापार संलेख में दोनों देशों निर्यात हित की मदों और कुछ मामलों में मूल्य/मात्रा का उल्लेख है लेकिन यह संलेख इस अवधि के लिए द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है।	जैसा कि कालम (3) में दर्शाया गया है कि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।
2.	चेकोस्लोवाकिया	वर्ष 1990 के लिए भारत-चेकोस्लोवाकिया व्यापार संलेख	आयात 3650 मिलियन रु० निर्यात 3663 मिलियन रु०	आर्थिक शर्तों में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना अभी असामयिक होगा। । तथापि व्यापार योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं।
3.	जर्मन जनवादी गणराज्य	वर्ष 1990 के लिए भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य व्यापार संलेख	आयात-3400 मिलियन रुपये निर्यात-3300 मिलियन रुपये	—वही—

(ख) अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 के दौरान सरकारी स्तर पर जिन भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने व्यापार करारों के सम्बन्ध में विदेशों का दौरा किया उनका विवरण नीचे दिया गया है :—

उस देश का नाम जिसका दौरा किया	विषय सहित किए गए करारों के ब्यौरे	कितनी धनराशि शामिल है	दिनांक 31.3.90 को आर्थिक शर्तों की पूर्ति
1. पोलैंड	वर्ष 1990 के लिए भारत-पोलैंड व्यापार योजना	आयात-4346 मिलियन रुपये निर्यात-3610 मिलियन रुपये	आर्थिक शर्तों में कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना अभी असामयिक होगा । तथापि व्यापार योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं ।
2. सोवियत संघ	वर्ष 1990 के लिए भारत-सोवियत-व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर और 1991-95 के लिए दीर्घावधि व्यापार योजना पर विचार विमर्श	आयात-3500 मिलियन रुपये निर्यात-5300 मिलियन रुपये	—वही—
3. रोमानिया	वर्ष 1990 के लिए भारत-रोमानिया व्यापार संलेख	आयात-4500 मिलियन रुपये निर्यात-4500 मिलियन रुपये	—वही—

बम्बई में तांबा उत्पाद निर्माताओं के परिसरों पर छापे

3818. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने जनवरी, 1990 के दौरान बम्बई में तांबा उत्पाद निर्माताओं के परिसरों पर छापे मारे थे और करोड़ों रुपये लेखाबाह्य राशि का पता लगाया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) दिनांक 24 जनवरी, 1990 को तांबे का तार तथा उससे सम्बद्ध उत्पादों का उत्पादन करने वाले कतिपय उत्पादकों तथा उनसे निकट रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं, जिनकी सूची नीचे दी गई है :—

(i) मैसर्स ज्योति वॉयर इण्डस्ट्रीज ।

(ii) मैसर्स भारत इन्सुलेशन कम्पनी ।

(iii) मैसर्स एटलस वायर्स लिमिटेड ।

(iv) मैसर्स नेशनल वायर्स एण्ड मेटल इण्डस्ट्रीज ।

(v) मैसर्स शाश्वत ट्रेडिंग कम्पनी लि० ।

इन तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रथर-दृष्टया नकदी, जेवर-जवाहिरात तथा अन्य परिसम्पत्तियों सहित कुल मिलाकर 73.05 लाख रुपये की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां, अभिगृहीत की गई थीं । जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी, उन्होंने इन तलाशियों के दौरान हलफनामे पर दिए गए अपने बयानों में कुल मिलाकर 2.19 करोड़ रुपये की लेखाबाह्य आय को स्वीकार किया है ।

(ग) प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अधीन यथापेक्षित अनुवर्ती जांच-पड़ताल तथा इस प्रकार की अन्य कार्यवाही की जाती है ।

बागान श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी योजनाएं

3819. श्री भक्त चरण दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई योजना आरम्भ की है,

(ख) यदि हां, तो क्या चाय, कॉफी और काजू श्रमिकों के लिए भी पृथक-पृथक योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) बागान कामगारों की रोजगार पूर्ति और कल्याण कार्य का नियंत्रण बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के उपबन्धों द्वारा होता है और इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारें करती हैं। काजू गिरी एक बागान फसल नहीं है और इसलिए इसके कामगार, बागान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। परन्तु चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड की चाय और काफी इस्टेट कामगारों और उनके आश्रितों के कल्याण की स्कीमें हैं। इन स्कीमों में शामिल है - व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बागान कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति चिकित्सा सहायता के लिए दान की मंजूरी, विद्यालयों/संस्थानों के निर्माण के लिए अनुदान आदि।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्यों को ऋण

3820. श्री प्रतापराव बी० भोसले } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा
डा० वेंकटेश काबडे }
करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कुछ राज्यों को नया ऋण देना बन्द कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को ऋण देना बन्द किया गया है,

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कुछ कार्यवाही करने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ङ) ऋण अनुशासन को लागू करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सभी राज्यों में स्थित राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी किए थे जिनमें उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे इन निर्देशों तथा ऋणों को जारी करने और उनकी वापसी अदायगी तथा ब्याज दरों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन न करें और ऋणकर्ताओं को दी जाने वाली राहतों से सम्बन्धित निर्देशों का पालन करें। उन राज्यों में, जिनमें राज्य सहकारी बैंकों या राज्य भूमि विकास बैंकों ने निर्देशों का उल्लंघन किया, उनकी पुनर्वित्त सहायता को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने रोक दिया है। उन मामलों में इसे फिर शुरू किया गया जिनमें राज्य सरकारें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निर्देशों को पालन करने और उनके द्वारा घोषित सहकारी ऋणों को माफ करने की योजनाओं को प्रभावी न बनाने के लिए सहमत हो गई।

किसानों को कम ब्याज दर पर और समय पर ऋण

3821. श्री शंकर सिंह बघेला } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा
श्री लाल कृष्ण आडवाणी }
करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को ऋण ग्रस्तता से बचाने के लिए कम ब्याज दर पर और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना प्रारम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) कृषि के लिए अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और कृषि अग्रिमों पर ब्याज की दरें अन्य श्रेणियों की तुलना में रियायती हैं। पहली मार्च, 1988 से कृषि ऋणों पर ब्याज की दर निम्न प्रकार से है :—

अल्पावधि ऋण	ब्याज की दर (% प्रति वर्ष)
(i) 7500/-रु० तक	10.00
(ii) 7500/-रु० से अधिक और 15000/-रु० तक	11.50
(iii) 15,000/-रु० से अधिक और 25,000/-रु० तक	12.00
	(1.3.1989 से)
(iv) 25,000/-रु० से अधिक	14.00 से 15.50
सावधि ऋण	
(क) सिंचाई और भूमि विकास	10.00
(ख) अन्य प्रयोजन	
(i) छोटे कृषक	10.00
(ii) अन्य कृषकगण	12.50

बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि 25,000/-रु० तक के ऋण आवेदनों को पन्द्रह दिनों के अन्दर-अन्दर और 25,000/-रु० से अधिक का 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटान किया जाए। उपर्युक्त के अलावा, अप्रैल, 1989 से कार्यान्वित की जा रही सेवा क्षेत्र योजना एक सुनियोजित ढंग से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले कृषक समुदाय सहित ग्रामीण आबादी की ऋण की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देगी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को कृषि और समुद्री उत्पादों का निर्यात

3822. श्री के० एस० राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किए जाने वाले कृषि और समुद्री उत्पादों के कितने मूल्य का निर्यात किया गया,

(ख) निर्यात किए गए उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इन उत्पादों का निर्यात किन देशों को किया गया है; और

(ग) वर्ष 1989 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय कृषि और समुद्री उत्पादों की मांग में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) ब्रसैल्स में स्थित भारतीय

दूतावास से प्राप्त ई० ई० सी० के सम्बन्ध में यूरोस्टेट कार्यालय के नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-जून, 1989 के दौरान भारत से कृषि तथा समुद्री उत्पादों का निर्यात 317.397 मिलियन ई० सी० यू० मूल्य का हुआ जबकि वर्ष 1988 की इसी अवधि के दौरान यह 205.938 मिलियन ई० सी० यू० मूल्य का हुआ था। 1988 के सम्पूर्ण वर्ष के दौरान यह निर्यात 463.4 मिलियन ई० सी० यू० मूल्य का हुआ था।

(ख) ई० ई० सी० को निर्यात की गई प्रमुख मदें ये रही है—पशु चारा मुख्यतया खली, पशु मूल के उत्पाद, फल, सब्जियां तथा काष्टफल, बासमती चावल, मसाले, फ्रोजन श्रिम्प, स्विवड, नमुद्रफेनी, लाबस्टर, आई० क्यू० एफ० श्रिम्प और डिब्बाबन्द मछलियां। जिन देशों को यह निर्यात किए गए उनमें मुख्यतया ब्रिटेन, इटली, फ्रांस तथा नीदरलैण्ड शामिल है।

(ग) ब्रसैल्स में स्थित भारतीय दूतावास से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989 में जो वृद्धि हुई है वह मुख्यतया खली तथा समुद्री उत्पादों में ई० ई० सी० में भारत की प्रतिस्पर्धा की भावना के परिणामस्वरूप हुई है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कर्मचारियों की मांग

[हिन्दी]

3823. **श्री राम लाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कर्मचारियों ने देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किए थे,

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कर्मचारी संगठन ने बैंक के क्षेत्रीय/अंचल/मुख्य कार्यालयों तथा शाखाओं पर अपनी कुछ मांगों जैसे यूनियन को मान्यता, औद्योगिक सम्बन्ध नीति की संरचना, पैनल में शामिल कर्मचारियों का अन्तर्लियन, लिपिकों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति नीति को लागू करना आदि के समर्थन में प्रदर्शन किया था। बैंक ने यह भी बताया है कि यूनियन की शिकायतें अनुचित बेबुनियाद है, अतः बैंक के लिए उनकी मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। संबंधित श्रम प्राधिकारी इस विवाद पर सोच-विचार कर रहे है।

सोवियत संघ से कोयले तथा 'स्क्रैप मेटल्स" का आयात

3824. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ देश में इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयला तथा "स्क्रैप मैटल्स" प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी समझौते की शर्तें क्या है और उक्त सामग्री की सप्लाई कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सोवियत संघ भारत का उसके इस्पात संयंत्रों के लिए स्क्रैप और कोकिंग कोयले की सप्लाई करता रहा है। वर्ष 1990 के लिए इन मदों के आयात से संबंधित शर्तों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

3825. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान को बेलाडिला से प्रतिवर्ष कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया जाता है,

(ख) क्या सरकार का विचार जापान को निर्यात किए जा रहे लौह-अयस्क के मूल्य में वृद्धि करने का है,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जापान के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैलाडीला से जापान को लौह अयस्क के निर्यात की मात्रा निम्नानुसार रही है :

वर्ष	मात्रा लाख मिलियन टन में
1987-88	52.99
1988-89	66.46
1989-90 (अप्रैल-फरवरी)	56.98

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जनवरी, 1990 में जापानी इस्पात मिलों के साथ विचार-विमर्श किया गया और लौह अयस्क पिन्डो और फाइन्स दोनों के निर्यात में वर्ष 1989-90 के कीमत स्तर की तुलना में 15.96% की वृद्धि निश्चित की गई है।

नारियल का निर्यात

3826. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नारियल का कितना निर्यात किया गया,

(ख) क्या नारियल उत्पादकों ने इस वर्ष नारियल के मूल्यों में भारी गिरावट आने के कारण इसके निर्यात में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए है और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) नारियल के निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा नारियल की बाजार समर्थन कीमत 1600 रुपए प्रति क्विन्टल निर्धारित की गई है ताकि नारियल की कीमत में आगे और गिरावट को रोका जा सके।

मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

[अनुवाद]

3827. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची ने वर्ष 1989-90 में अपने कर्मचारियों के कल्याण तथा मनोरंजन कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि व्यय की है,

(ख) क्या कम्पनी ने हिन्दी के विकास और उसके प्रचार के लिए कुछ धनराशि निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिनांक 31.12.1989 तक 30 लाख रु०।

(ख) और (ग) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करने, कवि सम्मेलनों, वाद-विवाद, सेमिनार, प्रशिक्षकों को मानदेय के भुगतान आदि पर 2.80 लाख रुपये खर्च किए गए।

पटना में भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम का कार्यालय

3828. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम का पटना में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है,

(ख) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम ने बिहार में कितनी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(ग) उक्त राज्य में भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी नहीं। तथापि, भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० (मिटको), जो एम० एम० टी० सी० की एक अनुषंगी कम्पनी है, का मुख्यालय पटना में है।

(ख) एम० एम० टी० सी० ने बिहार में कोई संयुक्त उद्यम परियोजना । नहीं की है।

(ग) एम० एम० टी० सी० का बिहार में कुल निवेश, जो इसने अपनी अनुषंगी कः मिटको मे किया है, दिनाक 29.3.90 की स्थिति के अनुसार 17.93 करोड़ रुपया है ि 8.07 करोड़ रुपए इक्विटी और 9.86 करोड़ रुपए ऋण के रूप में है। मिटको ने क्रमशः लाख रुपये, 57 लाख रुपये और 612 लाख रुपए के निवेश से एक सिल्वर्ड माइका और माइ कैपेसिटर प्लांट माइक्रोनाइज्ड माइका पाउडर प्लांट और एक माइका पेपर प्लांट स्थापित कि हैं। 880 लाख रुपए के अनुमानित निवेश से एक इन्सुलेटिंग मैटीरियल प्लांट की स्थापना की रही है। इन प्लाण्टो के अतिरिक्त मिटको ने बिहार के हजारी बाग और गिरिडीह जिलों में अ प्रसंस्करण फैक्टरियां स्थापित की है।

राज्यों को वित्तीय शक्तियां

3829. श्री अरविन्द नेताम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने पर विचार कर रही और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) कुछ राज्यो ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों प (नियुक्त) आयोग को सुझाव दिया था कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 268 और 269 सम्मिलित कर और शुल्क लगाने का अधिकार देकर, कराधान की अवशिष्ट शक्तियों का राज्य को अन्तरण करके और कुछ जिन्सों के सम्बन्ध में उन्हें कराधान की शक्तियों के अन्तरण सहि संसाधनों को जुटाने के लिए उनकी शक्तियों पर लगाए गए नियंत्रण को हटाकर/ढील देक उनकी वित्तीय शक्तियों को बढ़ा दिया जाए।

इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट योजना

3830. श्रीमती बासव राजेश्वरी क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटो के महासंघ ने सरकार से शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट योजना पर नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया है ताकि इसे अधिक आकर्षक बनाया जा सके और महासंघ ने कई संशोधनों का सुझाव भी दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी हां। शत-

प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना में परिवर्तन के लिए शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के परिसंघ द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल हैं : वाणिज्य मंत्रालय को एक कारगर नोडीय बिन्दु बनाना, पूरी नकद मुआवजा सहायता देना, शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए एक प्राधिकरण बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्ची सामग्री की आपूर्ति, मूल्य बंधन के तरीके में संशोधन, घरेलू बिक्री के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना, कुछ प्रक्रिया विषयक बाधाओं को दूर करना आदि ।

(ग) योजना को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से सरकार ऐसे प्रस्तावों की समुचित जांच पड़ताल करवाती है ।

राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋणों का पुनर्वित्तपोषण

3831. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक लाख तक के ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) कर्नाटक में वर्ष 1989 और 1990 की (31 मार्च तक) की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कितने आवासीय ऋणों का पुनर्वित्तपोषण किया गया है,

(ग) अन्य राज्यों में उक्त अवधि के दौरान बैंक द्वारा, राज्यवार, कितने आवासीय ऋणों का पुनर्वित्तपोषण किया गया; और

(घ) कर्नाटक में वर्ष 1990-91 के दौरान गरीब और दलित वर्गों के लोगों को कितना आवासीय ऋण देने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार की गई पुनर्वित्त योजना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित सारे देश पर लागू होती है । पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त कम्पनियों और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा पहली जनवरी, 1990 को तथा उसके बाद किसी व्यक्ति को 40 वर्गमीटर से अनधिक एक नए आवास एकक को प्राप्त करने/निर्माण करने के लिए दिए गए एक लाख रुपए तक के प्रत्यक्ष आवास ऋण 100% तक पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं । जहां कहीं जमीन की लागत सहित रिहायशी एकक की लागत 1.5 लाख रुपए से कम है वहां प्राथमिक ऋण दात्री अभिकरण के विवेकानुसार क्षेत्रफल संबन्धी सीमा में छूट दी जा सकती है । बड़े पैमाने पर मरम्मत तथा बढ़ोतरी के लिए 30 हजार रुपए तक के ऋणों पर भी 100 प्रतिशत पुनर्वित्त दिया जाता है । निधियों का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता । प्राथमिक ऋणदात्री अभिकरणों द्वारा मंजूर किए गए विशिष्ट ऋणों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक पूरा-पूरा पुनर्वित्त देगा ।

निधि का अन्तरक्षेत्रीय हस्तांतरण

3832. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निधि के अन्तरक्षेत्रीय हस्तांतरण की सम्भावनाओं का पता लगा रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई ठोस फार्मूला या योजना बनाई गई है,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग के सुझाव पर भी विचार किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निधियों के अन्तरक्षेत्रीय अन्तरण की सम्भावनाओं का पता लगाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाएं

3833. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने देश के विभिन्न भागों में संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी,

(ग) इन परियोजनाओं में अनुमानतः कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(घ) इस संदर्भ में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थान स्थिति, अनुमानित कुल उत्पादन तथा निर्णय लेने के लिए संभावित समय के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :—

परियोजना	प्रस्तावित स्थान	कुल उत्पादन	निर्णय लेने के लिए संभावित समय
स्लैग सीमेंट परियोजना	बोकारो	प्रतिवर्ष 10 लाख टन	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। परियोजना की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के पश्चात् निर्णय लिया जाएगा तथा सरकार के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

परियोजना	प्रस्तावित स्थान	कुल उत्पादन	निर्णय लेने के लिए संभावित समय
कैप्रोलैक्टम	बोकारो	प्रतिवर्ष 50,000 टन	इंजीनियर्स इंडिया लि० द्वारा तैयार की गई मसौदा सक्षमता रिपोर्ट की सह-प्रवर्तकों द्वारा जांच की जा रही है। परियोजना की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के पश्चात् अंतिम निर्णय लिया जाएगा और सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
हॉट ब्रिक्विटेड आयरन/स्पंज आयरन	मंगलौर	प्रतिवर्ष 7,50,000 टन	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श-दाता की नियुक्ति तथा कंपनी बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

नवीं लोक सभा तथा विधान सभा चुनावों के दौरान अनियमितताएं इत्यादि

3834. श्री शंकर सिंह वघेला
श्री लाल कृष्ण आडवाणी } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले लोक सभा चुनाव के दौरान अवैध मतों; मतदान सूचियों से नाम गायब होने, अन्य व्यक्तियों द्वारा मतदान किए जाने, ड्यूटी पर लगाए गए सिविल तथा रक्षा कर्मचारियों को डाक मतपत्र उपलब्ध न कराए जाने, एवं मतों की गिनती में कदाचार के मामलों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है,

(ख) फरवरी, 1990 में कुछ राज्यों में हुए विधान सभा चुनावों के दौरान हुई गड़बड़ियों के तत्संबंधी आंकड़ों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इसका अवधारण, जानकारी तथा उस पर निर्वाचन आयोग के विचार, प्राप्त होने पर किया जाएगा।

सामायिक विषयों पर कार्यक्रम

3835. श्रीमती उमा गजपति राजू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी गैर सरकारी निर्माता द्वारा सामयिक विषयों पर तैयार किए गए किसी कार्यक्रम का प्रसारण जनवरी से मार्च, 1990 की अवधि के दौरान रोका गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन द्वारा तीन कार्यक्रमों नामतः मीडिया वर्कशाप द्वारा निर्मित "डेमोक्रेसी एण्ड मनी पावर", रमेश शर्मा द्वारा निर्मित "असम" तथा पी० टी० आई० टी० वी० द्वारा निर्मित कश्मीर का प्रसारण नहीं किया गया। जहां "डेमोक्रेसी एण्ड मनी पॉवर" और "असम" कार्यक्रमों के प्रसारण से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों का उल्लंघन होता, वहां कश्मीर का निर्माता कार्यक्रम के परस्पर सम्मत दायरे में नहीं रहा।

निर्यातोन्मुख बाक्साइट खनन कम्पलेक्स

3836. श्रीमती उमा गजपति राजू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले में एक निर्यातोन्मुख बाक्साइट खनन कम्पलेक्स स्थापित करने के सम्बन्ध में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार हो गई है और प्रस्तुत कर दी गई है,

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा आधारभूत सुविधायें देने की पुष्टि की है; और

(ग) इस परियोजना के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है और क्या उनके मंत्रालय ने इस योजना के लिए अनुकूल हल निकालने हेतु सोवियत संघ सरकार के साथ कोई वार्ता की थी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान):(क) और (ग) सोवियत संघ को बाक्साइट निर्यात हेतु आंध्र प्रदेश में 2.3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की बाक्साइट खान खोलने के लिए भारतीय तथा सोवियत विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट पर भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के अलौह-धातु कार्यकारी दल की दिसम्बर, 1987 की बैठक में विचार हुआ था, जिसका निष्कर्ष था कि विहित पैरामीटरों के अन्तर्गत, परियोजना की अर्थक्षमता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तथापि, संगत हल ज्ञात करने की दृष्टि से, अप्रैल, 1989 में, सोवियत तथा भारतीय विशेषज्ञों के अधिकारप्राप्त दल ने पुनः

विचार विमर्श किया। सोवियत संघ पक्ष ने अब सूचित किया है कि 2.3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की बाक्साइट खान पूंजी निवेश साध्यता मानदण्ड को पूरा नहीं करेगी।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा, लगभग 2438 एकड़ भूमि सुलभ कराने तथा खनिज अधिकार कर तथा उपकरों के भुगतान में छूट देने की भी पुष्टि की है।

रंगीन फोटोग्राफिक जेम्बो रोल्स का आयात

3837. श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान तैयार ग्राफिक आर्ट फिल्म पर आयात शुल्क में कमी कीगई थी, जबकि कच्चे माल (जेम्बो रोल्स) पर आयात-शुल्क वही रहने दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुल्क की घटी दरों पर किन आयातकर्त्ताओं ने ग्राफिक आर्ट फिल्मों का आयात किया,

(ग) क्या "जेम्बो रोल्स" पर विभिन्न दरों से सीमा-शुल्क लगाया जाता है और सभी पत्तनों पर इनकी जांच की जाती है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ङ) क्या जेम्बो रोल्स में फोटोग्राफिक रंगीन पेपर के आयात में इसकी चोरी कम घोषित किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (च) वर्ष 1989 में, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 19क के अन्तर्गत यथा भारत के समाचार-पत्रों के पंजीकार के पास पंजीकृत किसी समाचार-पत्र संस्थापन द्वारा भारत में आयात की जाने वाली तैयार ग्राफिक आर्ट फिल्म पर आयात शुल्क की दर को दिनांक 2.3.1989 की अधिसूचना सं० 103/89-सीमाशुल्क के द्वारा कम करके मूल्यानुसार 40% कर दिया गया था। दिनांक 7.7.1988 की अधिसूचना सं० 216/88-सीमा शुल्क के द्वारा ग्राफिक आर्ट फिल्मों के जेम्बो रोल्स पर मूल्यानुसार 105% की आयात शुल्क की रियायती दर लागू होती है बशर्ते कि आयातकर्ता के पास उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अतर्गत के जेम्बो रोलों से फोटोसेंसीटाइज्ड सामग्री की स्लिटिंग और कनवेर्टिंग के लिए औद्योगिक लाइसेंस हो और वह इस आशय का वचन देता हो। जो आयातकर्ता उपर्युक्त अधिसूचना सं० 216/88 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते उनको ग्राफिक आर्ट फिल्म के जेम्बो रोलों के आयात के लिए मूल्यानुसार 145 प्रतिशत की मानक दर पर आयात शुल्क अदा करना होगा।

जिन आयातकर्ताओं ने शुल्क की घटी हुई दर पर ग्राफिक आर्ट फिल्मों का आयात किया था, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

फोटो सेन्सटिव माल के जेम्बो रोलों के आयात पर निकासी से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सभी पत्तनों पर उनकी जांच की जाती है। निकासी के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संदर्भ में विवरण, लम्बाई, चौड़ाई आदि के सत्यापन के लिए माल के ऊपर अंकित चिन्हों की जांच-पड़ताल के लिए निरीक्षण किया जाता है। पैकेटों को जांच के लिए पूर्ण रूप से खोला नहीं जाता क्योंकि ये फोटो सेन्सटिव होते हैं और इनको प्रकाश में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से ये खराब हो जाते हैं।

(ङ) और (च) इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि फोटोग्राफिक रंगीन पेपर के जेम्बो रोलों के कुछ आयातकर्ता चौड़ाई की गलत घोषणा करके सीमा शुल्क का अपवंचन कर रहे थे। इन शिकायतों के अनुसरण में 24.1.1990 को केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो और राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से मैं० भीमताल फोटो फिल्मस लि०, भीमताल (नैनीताल) और मैं० नारदन प्लास्टिक्स लि०, गाजियाबाद के कार्यालय और कारखाना परिसर की तलाशियां ली गई थीं। तलाशियों के दौरान अपराध आरोपणिय दस्तावेज और माल पकड़ा गया था। प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि ये फर्में फिल्मों की वास्तविक चौड़ाई की गलत घोषणा कर रही थीं। इन फर्मों द्वारा विगत में किए गए आयात की भी जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच-कार्य चल रहा है।

जांच-कार्य पूरा होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

1. मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस, मदुरै।
2. मैसर्स कस्तूरी एण्ड संस, मद्रास।
3. मैसर्स ऊषोदय एंटरप्राइसेज, हैदराबाद।
4. मैसर्स मलयालम मनोरमा, कोट्टायम।
5. मैसर्स कुमुदम प्रिंटर्स, मद्रास।
6. मैसर्स मनिपाल प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स लि०, मनिपाल।
7. मैसर्स दि प्रिंटर्स माइल्ट्ड, बंगलौर।
8. मैसर्स डेकन क्रोनिकल, सिकन्दराबाद।
9. मैसर्स दिनामलार, मदुरै।
10. मैसर्स विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता।
11. मैसर्स सिने एडवांस, कलकत्ता।
12. मैसर्स शाश्वत् प्रिंटर्स (प्रा०) लि०, वाराणसी।
13. मैसर्स जनमण्डल लि०, वाराणसी।
14. मैसर्स आनन्द बाजार पत्रिका लि०, कलकत्ता।
15. मैसर्स दि चित्र कथा काली गली, कटक।
16. मैसर्स दि सरला काली गली, कटक।

बढ़ाए सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। तथापि, 70 से 75 वर्ष की आयु के लोगों के सम्बन्ध में कुल लाभ राशि 10% कम कर दी जाएगी और 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के संबंध में यह 20% कम कर दी जाएगी।

(5) सामूहिक पालिसी के अन्तर्गत जहां पर अधिवासीय अन्तः चिकित्सालय कवच का लाभ नहीं लिया गया है, उन मामलों में प्रीमियम में छूट देने पर विचार किया जाता है।

(6) इस योजना के अधीन 3,000/-रुपए तक देय प्रीमियम पर आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 80-घ के अधीन कर लाभ भी उपलब्ध है।

(ग) व्यक्तिगत जारी की गई मेडिक्लेम पालिसियों की संख्या और प्राप्त हुए प्रीमियम संबंधी सूचना निम्नानुसार है :—

जारी की गई पालिसियों की संख्या	=	2,57,590
प्रीमियम की राशि	=	28.22 करोड़ रुपए

(घ) से (च) इस योजना के प्रति प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही और यह एक लोकप्रिय योजना है।

बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध

3843. श्री के० एस० राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती पर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रतिबन्धों के कारण बैंकों में "ग्राहक सेवाओं" जो कि कर्मचारियों की कमी के कारण गम्भीर रूप से अव्यवस्थित हुई है, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो बैंकों के ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए बनाये गये मानदण्डों में कुछ कड़ाई करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश इस बात को ध्यान में रख कर की गई है कि खासकर महानगरीय तथा शहरी क्षेत्रों में अभी भी फालतू कर्मचारी हैं और बैंक कर्मचारियों के वेतन में संशोधन हो जाने के परिणामस्वरूप बैंकों में उत्पादकता के स्थापना व्यय में सम्भावित वृद्धि से अधिक होने की दृष्टि से भी ऐसा किया गया है। बैंक में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि पर वर्ष 1987 में कुछ अधिकतम सीमाएं लगा दी गई थी। स्टाफ की कमी के कारण ग्राहक सेवा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बैंकों को कोई शिकायत नहीं मिली है। बैंकों से कहा गया है कि वे अपने वर्तमान फालतू

कर्मचारियों की कमी वाले क्षेत्रों में लगाये ताकि ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

विदेशों के साथ व्यापार सन्तुलन

3844. श्री एन० डेनिस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का किन-किन देशों के साथ व्यापार असन्तुलन है; और

(ख) इन देशों के साथ व्यापार असन्तुलन कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1989 के दौरान भारत का जिन प्रमुख देशों के साथ विपरीत व्यापार सन्तुलन रहा है, उनमें शामिल हैं बेल्जियम, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, ईरान, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, जापान, यूगोस्लाविया, इटली, मोरक्को, स्वीटजरलैंड, नीदरलैंड आदि।

(ख) इन देशों के साथ व्यापार असन्तुलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं—उनमें शामिल है—द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विदेशों में प्रदर्शनियां और मेले आयोजित करना, प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, बाजार अध्ययन आदि। साथ ही साथ, देशी माल निर्यात करने और अनावश्यक मदों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कई एक उपाय किए गए हैं।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

3845. श्री जनार्दन पुजारी
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने मूल्य के इंजीनियरी सामान का निर्यात किया गया; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) गत दो वर्षों के दौरान इलैक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर सहित इंजीनियरी माल का निर्यात मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	निर्यात (मूल्य करोड़ रु० में)
1987-88 (पी० आर०)	1433.04
1988-89 (पी० आर०)	2321.66
1989-90 (पी०) (अप्रैल-दिसम्बर, 1989)	2233.65
1988-89 (अप्रैल-दिसम्बर, 1988)	1580.38

स्रोत : डी० जी० सी० आई० ऐंड एस०, कलकत्ता ।

(ख) इन वर्षों के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है । इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रयास किए गए :

(1) विभिन्न इंजीनियरी मदों पर 1.4.1989 से दी गई सी०सी०एस० की दरें चालू वर्ष के दौरान जारी रहेंगी ।

(2) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आर० ई० पी० योजना में सरलीकरण और हस्तांतरणीयता लाने हेतु इसे युक्तिसंगत और सरल बनाया गया है । उन उत्पादों के निर्यात को अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिनका घरेलू मूल्य वर्धन अधिक है । आयात प्रतिपूर्ति की दर को भी सरल बनाया गया है, जो 15-20% के बीच है ।

(3) पंजीकृत निर्यातकों को औपचारिक लाइसेंस अनुमोदन के बगैर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाएगी और निर्यातक अपनी खुद की आर०ई०पी० का पूरा मूल्य तथा साथ में उसके अपने नाम में बंध आर०ई०पी० लाइसेंसों को मिलाकर बनने वाले मूल्य तक के अपेक्षित पूंजीगत सामान का आयात कर सकता है ।

(4) निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने हेतु निर्यात उत्पादन के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूंजी गत माल आयात करने की योजना आरंभ की गई है । इस योजना के तहत, नियमित-विनिर्माता निर्यातक 10 करोड़ रुपए (सी०आई०एफ०) मूल्य तक के पूंजीगत माल का आयात करने के पात्र होंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि उन्हें पूंजीगत माल से सम्बन्धित उन उत्पादों का अतिरिक्त निर्यात करना होगा, जिनका मूल्य के लिए आयात किया जाता है और यह मूल्य आयातित सी०आई० के मूल्य से तीन गुना होता है ।

(5) एक खुली अग्रिम लाइसेंस योजना बनाई गई है, जिसके तहत प्रमुख निर्यातक उन नियत विदेशी मुद्रा के रूप में 10 करोड़ रुपए मूल्य या उससे अधिक का निर्यात कर सकेंगे, जो उनकी शुल्क मुक्त आयातित अन्तरनिविष्टियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमाई जाती है ।

(6) मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना को तर्कसंगत बनाया गया है ।

(7) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ई०ई०पी०सी०) जो इंजीनियरी माल के निर्यात की नोडल एजेन्सी है, विदेशों में प्रतिनिधिमंडल आयोजित करती है, भारत और विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेती है, विदेशों में अपने कार्यालयों के जरिए बाजार सर्वेक्षण करती है ताकि हमारे इंजीनियरी वस्तुओं के लिए और बाजारों का पता लगाया जा सके ।

(8) अमेरीका में सामरिक महत्व के स्थानों पर बेयरहाउसिंग स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

(9) विभिन्न निर्यात धृष्ट क्षेत्रों के लिए आवश्यक मशीनरी पर समय-समय पर रियायती आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। ये रियायतें चालू वर्ष के दौरान गढ़ाई हस्त उपकरण उद्योग को भी दी गई है।

अभ्रक का एजेंसी के माध्यम से निर्यात

3846. **श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में अभ्रक का एजेंसी के माध्यम से निर्यात करने के पूर्व कितनी राशि का संसाधित अभ्रक का निर्यात किया गया;

(ख) एजेन्सी के माध्यम से निर्यात शुरू करने के पश्चात वर्ष 1988-89 में स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का संसाधित अभ्रक का एजेन्सी के माध्यम से निर्यात न करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) संसाधित अभ्रक का वर्ष 1971-72 में इसके सरणीयन से पहले और 1988-89 में निर्यात निम्नलिखित है :

मात्रा : 000 मी० टन में
मूल्य : करोड़ रुपए में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1971-72	19.63	15.23
1988-89	15.98	23.31

(ग) और (घ) टी० चन्द्र शेखर रेड्डी समिति ने, हाल ही में अभ्रक उद्योग और व्यापार की समस्याओं का अध्ययन किया है तथा उसने अन्य बातों के साथ-साथ मिटको/एम०एम०टी०सी० के माध्यम से रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों को संसाधित अभ्रक के निर्यात का क्रमप्राप्तिगत सरणीयन करने तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को निर्यात का असरणीकृत करने की सिफारिश की है। ऐसे अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जो संसाधित अभ्रक को पूरी तरह असरणीकृत करने के लिए और संसाधित अभ्रक का सरणीयन करने दोनों ही बातों के लिए है। समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेते समय सरकार संसाधित अभ्रक को पूरी तरह असरणीकृत करने के पक्ष और विपक्ष दोनों में प्राप्त अभिवेदनों पर समुचित ध्यान देगी।

अभ्रक पर निर्यात शुल्क

3847. **श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान अब तक अभ्रक पर निर्यात शुल्क से सरकार को कुल कितना कर राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इसमें से कितनी प्रतिशत राशि अभ्रक के घटते हुए व्यापार को सहायता देने पर और अभ्रक खानों के बहुमुखी विकास पर खर्च किया गया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार मेहरा) : (क) वर्ष 1989-90 में दिनांक 1-4-1989 से 31-1-1990 तक की अवधि के दौरान अभ्रक पर लगाए गए निर्यात शुल्क और निर्यात उपकर से क्रमशः 2.06 करोड़ रुपए और 1.08 करोड़ का कर राजस्व प्राप्त हुआ।

(ख) निर्यात उपकर (श्रम कल्याण उपकर) के सम्बन्ध में वर्ष 1989-90 के दौरान जनवरी, 1990 तक अभ्रक खनन में लगे हुए कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण कार्यों पर 1.38 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि राजस्व 1.08 करोड़ रुपए था।

वर्ष 1989-90 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड (मिटको) ने उन क्षेत्रों योजनाओं में 1.71 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जो मूल्य वर्धित अभ्रक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

गोवा में खनन परियोजनायें

3848. प्रो० गोपालराव मायकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा राज्य में नदियों के तल में खनन अपशिष्ट के अनियन्त्रित रूप में जमा हो जाने के कारण खनन क्षेत्रों में किसानों को हो रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या अपशिष्ट को तुरन्त हटाने और पर्याप्त मुआवजा देने के मामले में कानूनों का ठीक से पालन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली पर ऋण वितरण क्षेत्र

3849. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्रामीण ऋण वितरण में सुधार करने की दृष्टि से "ऋण वितरण-क्षेत्र" योजना अपनायी है;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत बैंकों के कार्य-निष्पादन के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) बैंकों के ग्रामीण ऋणों की उत्पादकता को अनुकूलतम बनाने के प्रयोजन से दिनांक 1-4-1989 से ग्रामीण ऋणों संबंधी सेवा क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा को विशिष्ट क्षेत्रों का आबंटन करना था ताकि

वे उत्पादक ऋणों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अथवा अर्धशह बैंक शाखा को 15 से 25 गांवों के समूह आवंटित किए गए थे ताकि समुचित एवं नियोजि ढग से ऋणों का संवितरण किया जा सके। इस योजना के कार्यान्वयन पर भारतीय रिज बैंक द्वारा नजर रखी जा रही है और समुचित संशोधनों पर उनके द्वारा आवश्यकतानुसार विचा किया जाएगा।

इस्पात का आयात

3850. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितने इस्पात का आयात किया गया और इस पर कितनी राशि की विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

. न अवधि के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने-कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन हुआ ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये इस्पात की मात्रा तथा मूल्य का ब्योरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1986-87	25.6	974
1987-88 (अनंतिम)	16.9	1017
1988-89	डाइरेक्टर जेनरल आफ कमर्शियल इंटलिजेन्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कलकत्ता से अभी आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं।	

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों द्वारा विक्रेय इस्पात के उत्पादन की प्रतिशत का ब्योरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	उत्पादन की प्रतिशतता	
	सरकारी क्षेत्र ("सेल"/इस्को)	निजी क्षेत्र (टिस्को सहित)
1986-87	58.95	41.05
1987-88	59.12	40.88
1988-89	60.48	39.52

इस्पात का उत्पादन

3851. श्री भार्गव गोवर्धन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न प्रकार के इस्पात के लिए उत्पादन लक्ष्य क्या था और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है;

(ख) वर्ष 1988-89 की इसी अवधि के दौरान इस्पात का उत्पादन कितना था; और

(ग) यदि उत्पादन कम हुआ है तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) मुख्य उत्पादकों के लिए ही इस्पात के उत्पादन हेतु श्रेणीवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तैयार इस्पात के लिए मुख्य उत्पादकों (सेल/इस्को/टिस्को) के बारे में जानकारी निम्नानुसार है :—

(हजार टन)

तैयार इस्पात	1989-90		1988-89
	लक्ष्य	उत्पादन (अनुमानित)	उत्पादन
लम्बे उत्पाद	3067	2618	2647
चपटे उत्पाद	5004	4352	4447
कुल	8156	6970	7094

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण आन्तरिक और बाहरी दोनों कारणों से 'सेल' के उत्पादन में चूक होना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी खराब स्थिति में रही जबकि भिलाई इस्पात कारखाने में कुछ स्थायीकरण संबंधी समस्याएं थी। औद्योगिक संबंध की समस्याओं के कारण लोह अयस्क की सप्लाई में आई अड़चनों से भी भिलाई इस्पात संयंत्र को क्षति उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त, दामोदर घाटी निगम से बिजली की भारी कटौती की गई विशेष रूप से बोकारो के सम्बन्ध में। कोककर कोयले की अपर्याप्त सप्लाई तथा उसकी अनुपयुक्त क्वालिटी के कारण उत्पादन में कमी आई।

मुख्य उत्पादकों के निष्पादन का लगातार प्रबोधन किया जा रहा है और अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं जिसमें निजी बिजली सृजन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा उपस्करों का बेहतर रख-रखाव, प्रौद्योगिकीय प्राचलों का कड़ाई से पालन और उच्च उत्पादकता से जुड़ी लाभदायक कार्य पद्धति को अपनाना शामिल है।

हीरों का निर्यात

3852. श्री भार्गव गोवर्धन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान हीरों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई थी, और

(ख) वर्ष 1990-91 में हीरों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद से मिली सूचना के अनुसार अप्रैल-फरवरी 1989-90 के दौरान तराशे हुए और पालिश किए गए हीरों के निर्यात से 4336.14 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया।

(ख) तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से सरकार ने पहले ही अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल है विनिर्माण औजारों, उपस्करों और सहायक सामग्रियों को रियायती शुल्क पर आयात के लिए खुले आम लाइसेंस सूची में रखना, प्रतिबंधात्मक सुविधा में सुधार, कच्चे हीरों की आसानी से उपलब्धता, निर्यात के बदले आयात प्रतिपूर्ति के अनुपात में संशोधन और निर्यात लाभों को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के अन्तर्गत आयकर से छूट। सरकार निर्यात की प्रगति पर कड़ी नजर रखती है ताकि जब आवश्यक हो तो अन्तर्निविष्ट उत्पादन-सामग्री की और अधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

विदेशों के सहयोग से फिल्मों का निर्माण

3853. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं देशों के सहयोग से फिल्में बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक देश के साथ किस रूप में सहयोग करने पर सहमति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 1 जनवरी, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक प्राप्त फीचर फिल्मों के संबंध में विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेशी सहयोग से फीचर फिल्म बनाने के लिए (1 जनवरी, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक प्राप्त) प्रस्तावों का ब्यौरा, जिसमें सहयोग की प्रकृति शामिल है, नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	भारतीय पार्टी	विदेशी पार्टी	सहयोग की प्रकृति	टिप्पणी
1.	शाखा प्रोशाखा	सत्यजीत रे प्रोडक्शन, कलकत्ता	इरोडो फिल्मस पेरिस, फ्रांस	भारतीय पार्टी द्वारा लागत के 65% तथा फ्रैंच पार्टी द्वारा 35% की वित्तीय भागीदारी	फिल्म निर्माणाधीन
2	शिकारी	मैसर्स ईगल फिल्मस बम्बई	सक्रिय निर्माण सहयोग शार्क फिल्मस ताशकंद सोवियत रूस	निर्माण लागत दोनों पार्टियां बराबर वहन करेंगी।	वर्ष 1990 के दौरान निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव।
3.	रेड पीपल	शेषाद्री फिल्मस केरल	कट्टाखिस फिल्मस अल्मा आटा, सोवियत रूस	प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय सहयोग शामिल है।	निर्माण कार्य वर्ष 1990 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	भारतीय पार्टी	विदेशी पार्टी	सहयोग की प्रकृति	टिप्पणी
4.	देश हम्मैट : वेजिंग दि ड्रेगन	प्रभु मूवीज मद्रास	डालिन इंटरटेनमेंट, आई० एम० सी० लॉस ऐंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सहयोग शामिल है।	भारतीय पार्टी द्वारा अनुसूची का अभी उल्लेख किया जाना है।
5.	प्रोसेस फाम काठमांडु	कालिदीस्कोप फिल्मस, बम्बई	डा० अर्जुन सिंह गौड़, इंग्लैंड	दोनों पार्टियों द्वारा लागत का बराबर-बराबर भाग वहन किया जाएगा।	प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
6.	ह्वाक्स आई	एम० सी० सुरेश चक्रवर्ती मद्रास	एंजिल फिल्मस लिमि०, सिंगापुर	भारतीय पार्टी से अभी प्राप्त होना है।	प्राप्त हो जाने पर प्रस्ताव की जांच की जाएगी
7.	टू बरजिन्स	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	मैसर्स टू बरजिन्स प्रोडक्शंस लॉस एंजिल्स	प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय सहयोग शामिल है।	संविदा की शर्तों की रूपरेखा अभी तैयार की जानी है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर हेरोइन का जब्त किया जाना

3854. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1990 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई थी,

(ख) यदि हां, तो पकड़े गए तस्करों समेत, इस मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार जब्त की गई हेरोइन का निपटान कैसे किया जाता है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, हां।

(ख) 26 फरवरी, 1990 को नाइजीरिया के छः राष्ट्रिकों को के० एल० एम० फ्लाइट सं० 836 पर चढ़ते समय रोका गया था। उनके असबाबों की विस्तृत जांच पड़ताल करने पर, 18.270 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई थी। जांच-पड़ताल के आधार पर बाद में नाइजीरिया के दो और राष्ट्रिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विवरण नीचे दिए गए हैं :—

	व्यक्ति का नाम	पासपोर्ट संख्या
1.	श्री जौन ओबुमनेमे सुपुत्र स्वर्गीय जेरी ओबुमनेमे	ए०-434764
2.	श्री चकवूमा ओकूपाला सुपुत्र ओकूपाला	ए०-742094
3.	श्री ईम्मानुअल उहेमना उजोंइम्ना	ए०-653832
4.	कुमारी जुलियाना अमाका इग्वेबुइके	ए०-693272
5.	श्री तैबो ओलजिडे डालिमा	ए०-245574
6.	श्री ग्रेगोरी इबिले उगारोह	ए०-679529
7.	श्री कलेब ओकूपाला	ए०-653795
8.	श्री मैक्रॉम्नेडी अमका उजोमाह	ए०-788043

(ग) मुनासिब कानूनी/प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब्त किए गए मादक-द्रव्य को नष्ट कर दिया जाएगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार

3855. **श्री ए० के० राय**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की क्षमता बढ़ाकर 100 लाख टन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने वाले स्थानों का विकास

3856. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने वाले स्थानों के विकास पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों में शामिल है—पर्यटक परिसरों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, यात्रिकाओं, यात्री-निवास रेस्तराओं/अल्पाहार-गृहों का निर्माण, वन्य जीवों को देखने के लिए परिवहन, वन गृह, साहसिक खेलों के लिए उपकरण, स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था, ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन, मेले और त्यौहारों के लिए सहायता, आदि।

सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए, पर्यटन विभाग राष्ट्रीय विरासत केन्द्रों, महत्वपूर्ण स्मारकों और तीर्थ स्थानों, आदि पर सुविधाएं मुहैया कराता है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की विशिष्ट संस्कृति को उजागर करने वाले विभिन्न उत्सवों का समुचित प्रचार भी किया जाता है।

इलैक्ट्रानिक पुर्जों, मशीनों के औजार और घड़ियों का आयात

3857. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलैक्ट्रानिक पुर्जों, मशीनों के औजारों और घड़ियों के आयात में कटौती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम फास्फोरस वाले धातुमय कोक के आयात पर सीमाशुल्क में रियायत

3858. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढलवां लोहे के लघु निर्माताओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से पिछले वर्ष कम फास्फोरस वाले धातुमय कोक के आयात पर सीमा शुल्क में दी गई 85 प्रतिशत से 0 प्रतिशत की छूट का बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया, जिन्होंने ऐसे कोक के जलपोतों का आयात कर, उसका डिटर्जेंट्स आदि उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयोग किया; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) कम फॉस्फोरस वाले कोक के लिए 1 मार्च, 1989 से आयात शुल्क मूल्यानुसार 85 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया था। संगत छूट अधिसूचना द्वारा इस छूट को आयातकों की किसी भी श्रेणी तक सीमित नहीं रखा गया था तथा उस समय लागू आयात नीति के अन्तर्गत यह मद किसी भी वास्तविक प्रयोगकर्ता द्वारा आयात की जा सकती थी। 1 अप्रैल, 1990 से लागू नई आयात नीति के अन्तर्गत धातुकर्मीय कोयला (12 प्रतिशत से कम राख की मात्रा वाला) कोक (15 प्रतिशत से कम राख की मात्रा वाला) तथा धातुकर्मीय उद्योग को अपेक्षित "आस्ट्रेलियन चार" को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। अन्यत्र विनिर्दिष्ट न किए गए कोयले/कोक को प्रतिबन्धित मदों की सूची के अन्तर्गत रखा गया है।

बिहार में संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के साथ भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का सहयोग

3859. श्री माधवराव सिंधिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कच्चे माल एवं बोकारो इस्पात संयंत्र के पास उपलब्ध सह-उत्पादों का उपयोग करने के लिए बिहार में संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के साथ सहयोग करके इसके क्रियाकलापों का विविधीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। "सेल" का बोकारो में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को लगाने का प्रस्ताव है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	इस्तेमाल किए जाने वाला उपोत्पाद	सह-प्रवर्तकों के नाम
1.	10 लाख टन वार्षिक स्लैग सीमेंट प्लांट	ब्लास्ट फर्नेस स्लैग	बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (बी० एस० आई० डी० सी०) तथा ओरिएण्ट पेपर इंडस्ट्रीज लि० ।
2.	50000 टन वार्षिक कैप्रोलेक्टम प्लांट	बेंजीन ऐन्हाइड्रस, अमोनिया	बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० तथा श्रीराम फाइबर्स लि०, दिल्ली ।

कैप्रोलेक्टम प्लांट के लिए बेंजीन तथा ऐन्हाइड्रस अमोनिया की कुछ मात्रा "सेल" के अन्य कारखानों से भी सप्लाई की जानी है ।

निर्यात प्रधान क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन

3860. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न निर्यात प्रधान क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन क्या रहा और उनके निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या नए निर्यात प्रधान क्षेत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सरकार ने नोयडा, मद्रास तथा सीप्ज स्थित जोनों के प्रसार का कार्य शुरू कर दिया है और दिनांक 15.3.1989 को अधिसूचित विशाखापतनम स्थित सातवें जोन में विकास कार्य प्रगति पर है ।

[illegible] ... ([illegible] उपमंत्री) : क)

[illegible] नहीं ।

(ख) यह [illegible] [illegible] ही नही होता ।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान अनुमानतः 2.70 लाख मीट्रिक टन [illegible] कागज का [illegible] किया जाएगा ।

(घ) जी हां। सप्लाई के आधार को बढ़ाने के लिए हर साल नए स्त्रोत जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

पंजाब में बैंक शाखाएं

3862. श्री कमल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चल रहे बैंकों के नाम क्या हैं,

(ख) 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार पंजाब में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक और प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में और अधिक बैंक शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) 31.12.89 की स्थिति के अनुसार पंजाब में कार्यरत बैंकों के नाम और सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति 31.3.90 को समाप्त हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक नई शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप दे रहा है।

विवरण

31.12. 1989 की स्थिति के अनुसार पंजाब में कार्यरत बैंकों के नाम और उनकी शाखाओं की संख्या

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
	भाग-क (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंक)	
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	217
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	6
3.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	289
4.	इलाहाबाद बैंक	27
5.	आंध्रा बैंक	1
6.	बैंक आफ बड़ौदा	42
7.	बैंक आफ इंडिया	57
8.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5
9.	केनरा बैंक	70
10.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	86
11.	कारपोरेशन बैंक	2

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
12.	देना बैंक	8
13.	इंडियन बैंक	21
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	35
15.	न्यू बैंक आफ इंडिया	132
16.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	108
17.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	312
18.	पंजाब नेशनल बैंक	335
19.	सिंडीकेट बैंक	10
20.	यूको बैंक	85
21.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	52
22.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	4
23.	विजया बैंक	6
24.	फरीदकोट-भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22
25.	गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	53
26.	कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43
27.	माल्वा ग्रामीण बैंक	33
28.	शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	41
भाग-ख (अन्य अनुसूचित बैंक)		
29.	ग्रिन्डलेज बैंक पी० एल० सी०	2
30.	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	1
31.	बैंक आफ राजस्थान	3
32.	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	4

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की योजनाएं

3863. श्री चित बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने कुछ योजनाओं को अद्यतन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी धन-राशि खर्च होगी;

(ग) इन योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) विभिन्न योजनाओं के प्रौद्योगिकीय अद्यतन से संबंधित आवश्यकता की समीक्षा करना 'सेल' की सतत प्रक्रिया है। उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागतों को कम करने और तकनीकी आर्थिक निष्पादन को सुधारने के लिए दुर्गापुर, राऊरकेला, "इस्को" (बर्नपुर) तथा बोकारो स्थित 'सेल' को अपने 4 एकीकृत इस्पात संयत्रों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने को 2667 करोड़ रुपए की लागत से तथा राऊरकेला इस्पात कारखाने को 2461 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण करने की मंजूरी दे दी है परन्तु 'इस्को" तथा बोकारो के आधुनिकीकरण के लिए निवेश संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) अनुमोदित लागत तथा समयावधि में परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाए किए गए हैं, जिनमें परियोजना-दल को पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार देना, प्रत्येक परियोजना अवयव के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व केन्द्रों को भली-भांति रूप से करना और कड़ी प्रवीक्षण शामिल है।

(घ) दुर्गापुर के आधुनिकीकरण हेतु छः अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए तथा दस देशीय पैकेजों में से आर्डरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। राऊरकेला के आधुनिकीकरण के चरण-I तहत दस पैकेजों में से 7 के लिए तथा चरण-II के अन्तर्गत एक पैकेज के लिए आर्डरों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है।

"इस्को" तथा बोकारो के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अनुमोदन को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया गया है तथा शीघ्र ही निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

संगमरमर का निर्यात

3864. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का संगमरमर आयात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इसका आयात किया गया था;

(ख) क्या संगमरमर के आयात से संगमरमर निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का संगमरमर के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा इसके निर्यात को प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) संगमरमर के आयात को दर्शाने वाले आंकड़े "मन्थली स्टैटिसटिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया वोल्यू०II (इम्पोर्ट्स)" में प्रकाशित किये जाते हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन वाणिज्यिक जानकारी एवं संकलन महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा किया जाता है। इसकी प्रतियां संसद के ग्रन्थागार में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति में संगमरमर प्रतिबंधित मदों की सूची में है तथा आमतौर

पर इसके आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए, ऐसा कोई आयात हो नहीं होता जिससे संगमरमर के घरेलू उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसके अलावा, आन्तों पर संगमरमर के स्लेबों और टाइलों के निर्यात के लिए निर्यात दायित्व सम्बन्धित पूंजीगत सामान के आयात को अनुमति देते समय ही लगा दिया जाता है। वर्ष 1990-93 की आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत 5% की दर से आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति इस मद के निर्यात को बढ़ाने के लिए है ताकि इसके निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके।

इन्दिरा विकास पत्र

3865. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा विकास पत्रों के माध्यम से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ख) इस धन का उपयोग किस तरह से किया गया है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) योजना के शुरू होने की तारीख अर्थात् 19-11-1986 से इन्दिरा विकास पत्र की बिक्री से 31-1-1990 तक प्राप्त कुल संग्रह की राशि 5900 करोड़ रुपए थी।

(ख) अन्य अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत हुए संग्रहों सहित इन्दिरा विकास पत्र के माध्यम से निवल संग्रहों की राशि का उपयोग राज्य सरकारों को दीर्घावधिक ऋण देने के लिए किया जाता है।

उपभोक्ताओं को शुद्ध कॉफी की सप्लाई

3866. **श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शुद्ध कॉफी का उत्पादन करने और उपभोक्ताओं को इसकी उचित मूल्य पर सप्लाई करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) काफी बोर्ड देश के विभिन्न भागों में 71 संवर्धनात्मक एकक चला रहा है। उपभोक्ता समुदाय को इन एककों के जरिए उचित दर पर अपरिष्कृत रूप में, पाउडर के रूप में और द्रव रूप में क्वालिटी कॉफी सप्लाई की जाती है। इसके अलावा कॉफी बोर्ड गैर सरकारी व्यक्तियों को एजेंट के रूप में भी नियुक्त करता है जोकि बोर्ड के संवर्धनात्मक एककों से कॉफी पाउडर और अपरिष्कृत कॉफी लेकर अपनी पसन्द के स्थानों पर बेच सकते हैं। यह उपभोक्ता समुदाय के लिए उचित कीमतों पर क्वालिटी कॉफी की सप्लाई भी सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों को मोटर बीमा में घाटा

3867. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों को मोटर बीमा में इन बीमा कम्पनियों द्वारा उन गैर-सरकारी वित्त कम्पनियों को भारी राशि का भुगतान करने के कारण भारी घाटा उठाना पड़ रहा है जो वित्त कम्पनियां मोटर बीमा पालिसीधारकों को अपने सम्पर्कों के माध्यम से बीमा

कम्पनियों से उनके दावों की किस्तों की अदायगी करवाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी वित्त कम्पनियों द्वारा किए जा रहे बीमा कम्पनियों के शोषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का एक ऐसी योजना कार्यान्वित करने का विचार है, जिसके अन्तर्गत केवल पंजीकृत वाहन-मालिकों से ही प्रीमियम लिया जाए और पंजीकृत वाहन-मालिकों को ही दावों का भुगतान किया जाए; और

(ङ) क्या सरकार का उस मोटर बीमा पालिसी के प्रीमियम पर प्रभार लगाने का विचार है जो वित्त कम्पनी के माध्यम से कराई गई हो और जहां गैर-सरकारी कम्पनी के बंधकित वाहन के लिए विगत समय में कई बार बीमा दावा पेश किया हो ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं। यह कहना उचित नहीं है कि निजी वित्तीय घरानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों पर किसी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है, जिससे कि वे बीमा कम्पनियों से अपने दावों की किस्तें प्राप्त कर सकें।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(ङ) एक अप्रैल, 1990 से लागू होने वाले संशोधित मोटर टैरिफ के अनुसार सामान्य रूप से सभी बीमाकृतों के लिए जोखिम के खराब अनुभव के मामले में प्रीमियम प्रभार की व्यवस्था की गई है।

साधारण बीमा निगम की सहयोगी कम्पनियों को हुआ घाटा

3868. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम की सभी सहयोगी कम्पनियों को हामीदारी बीमा के कारण घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों में भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियों को वर्ष 1988-89 को छोड़कर, जबकि उन्हें 106 84 करोड़ रुपए की हामीदारी हानि हुई थी, जिसका मुख्य कारण मोटर दावों के सम्बन्ध में प्रतिकूल अनुभव होना था, कभी हामीदारी नुकसान नहीं हुआ। वर्ष 1988-89 में भी निगम की सहायक कंपनियों को उनके द्वारा किए गए निवेश और अन्य आय के फलस्वरूप 241.22 करोड़ रुपए की राशि का सकल लाभ हुआ था।

(ग) साधारण बीमा उद्योग ने, मोटर बीमा कारोबार में होने वाली हानियों को कम करने की दृष्टि से कई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, जैसे कि :—निरंतर उच्च मोटर हानि अनुपात दर्शाने वाले डिवीजनल कार्यालयों की विशेष तकनीकी लेखा-परीक्षा, पिछले 3 वर्षों में

दौरान 90 प्रतिशत से अधिक हानि अनुपात वाले सभी प्रमुख मार्गों की विशेष समीक्षा, हानि दर्शाने वाली डिवीजनों के मामले में लक्ष्यों का निर्धारण और इन लक्ष्यों को सामने रखकर उनके कार्यनिष्पादन का परिवीक्षण, अपेक्षाकृत बड़े दावों के मामलों में वाहनों की जांच करना और जहां तक सम्भव हो सके यह जांच कंपनी के अपने इंजीनियरों और अधिकारियों से करवाना और इसके साथ ही मरम्मत कार्य के लिए गराजों में पड़े वाहनों की अचानक जांच करना, छोटे दावों का सर्वेक्षण करने के लिए और सर्वेक्षकों के कार्य का भी निरीक्षण करने के लिए आटो-मोबाइल इंजीनियरों को नियुक्त करना आदि ।

दूरदर्शन कार्यक्रमों का समय बढ़ाना

3869. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर 24 घंटे कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रस्ताव कब से लागू किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं । इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों से आय

[हिन्दी]

3870. **श्री राजवीर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के पहले और दूसरे चैनल पर वाणिज्यिक विज्ञापनों से वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान वर्ष-वार कितनी आय हुई है; और

(ख) उस धारावाहिक का नाम क्या है जिससे विज्ञापनों के माध्यम से अधिकतम आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) वित्तीय वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान दूरदर्शन के वाणिज्यिक विज्ञापनों से हुई कुल आय का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1987-88	136.30	करोड़ रुपये
1988-89	161.26	करोड़ रुपये
1989-90	210.13	करोड़ रुपये

(ख) वाणिज्यिक विज्ञापनों में हुई आय का किसी धारावाहिक विशेष के प्रसारण में जोड़ना उचित नहीं है क्योंकि इसमें कार्यक्रम के स्वरूप के अलावा कार्यक्रम के समय वर्गीकरण, प्रसारित की गई कड़ियों की संख्या और वाणिज्यिक विज्ञापनों को आबंटित समय जैसे कई बातें शामिल होती हैं। वाणिज्यिक विज्ञापनों से अधिकतम आय अभी तक "महाभारत" धारावाहिक के प्रसारण से प्राप्त हुई है।

आठवीं योजना के दौरान आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए आबंटन

3871. **श्री राजवीर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमो के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तार पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई हैं; और

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन की आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान विकास के लिए आकाशवाणी द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए और दूरदर्शन द्वारा लगभग 715 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

(ग) चूंकि अभी आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः स्थानों के चयन का सवाल पैदा ही नहीं होता।

सातवीं योजना के दौरान चाय का निर्यात

[अनुवाद]

3872. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय निर्यात के लिए वर्ष-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या उक्त योजनावधि मे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आठवी योजना के दौरान चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना मूल्य रूपों में चाय सहित वस्तुओं के निर्यात परिव्ययन दिए गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1989-90) के टर्मिनल वर्ष के लिए चाय के लिए निर्यात परिव्ययन 770 करोड़ रुपए था।

(ख) और (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान भारत से चाय का निर्यात निम्नलिखित रहा है :

वर्ष	निर्यात का मूल्य (करोड़/रुपए)
1985-86	674.25
1986-87	615.00
1987-88	621.82
1988-89*	644.26
1989-90* (अप्रैल-फरवरी)	812.63

*अनन्तिम

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार का आठवीं योजना अवधि के दौरान चाय का निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में प्रारम्भिक रूप से 4% की वृद्धि दर का सुझाव दिया गया है।

कॉफी का उत्पादन

3873. **श्री ओकान्त दत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान काफी-उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या सरकार कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कॉफी के लिए निर्धारित लक्ष्य और कुल उत्पादन निम्नलिखित है :—

टनों में

वर्ष (जुलाई-जून)	लक्ष्य	उपलब्धि
1988-89	1,71,000	2,15,000
1989-90	1,80,000	1,30,000 (संशोधित अनुमान)

चूंकि कॉफी की फसल चक्रीय प्रवृत्ति की है इसलिए इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चला रही है जिनमें शामिल हैं कॉफी की खेती में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण, सघन मृदा परीक्षण, कीटाणु निगरानी एकक, कॉफी प्रदर्शन फार्म खोलना, आदि कॉफी बोर्ड उपजकर्ताओं को अपनी जमीन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऋण और उपदान भी प्रदान करता है।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3874. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर
श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० का अधिग्रहण कब किया गया था,

(ख) क्या सरकार ने इस कम्पनी के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार का इस संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० (वी० आई० एस० एल०) को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) द्वारा 1.8.1989 से अधिग्रहण किया गया था।

(ख) और (ग) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० अब 'सेल' की एक सहायक कंपनी है और इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० बोर्ड (जिसमें सरकार और सेल के प्रतिनिधि शामिल है) और 'सेल' दोनों द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार और "सेल" विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० के आधुनिकीकरण और आवश्यक संतुलन सुविधा का अध्ययन एक कार्य-दल, जिसको इस प्रयोजन के लिए गठित किया गया है, के माध्यम से कर रहे हैं।

वैशाली, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

3875. श्रीमती ऊषा सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वैशाली में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक स्थापित किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। वस्तुतः समूचा वैशाली जिला पटना में पहले से कार्यरत उच्च शक्ति (10 किलोवाट)

दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है और बैंगलोर नगर सहित जिले के कुछ भागों को मुजफ्फरपुर के उच्च शक्ति (1 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर से भी सेवा प्राप्त होती है।

काजू बोर्ड का गठन

3876. **श्री रमेश चेन्नीथला**
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या केरल सरकार ने इस बोर्ड के गठन पर आपत्ति जताते हुए एक ज्ञापन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (घ) काजू बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में केरल सरकार से पत्र प्राप्त हुए है जिन पर विचार किया जा रहा है।

कत्था उद्योग से अभ्यावेदन

[हिन्दी]

3877. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय कत्था उद्योग संघ से इस उद्योग की समस्याओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी हां। ऐसोसिएशन ने अभिवेदन दिया है कि गैम्बीयर अर्क "नेपाल कत्था" का आयात बंद किया जाए ताकि इसकी कत्था में मिलावट रोकी जा सके। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि गैम्बीयर अर्क इम्पैक्स नीति, 1990-93 की सीमित स्वीकार्य सूची में शामिल एक मद है, अतः इसे केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही अनुपूरक लाइसेंसों पर आयात कर सकते हैं। गैम्बीयर को लोचशीलता प्रावधानों के अंतर्गत आर० ई० पी० लाइसेंसों के तहत भी अनुमति है। इसके अलावा, अभिवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि नेपाल कत्था बड़ी मात्रा में भारत में तस्करी द्वारा लाया जा रहा है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने अपने तस्करी विरोधी अभियान को पहले ही तेज कर दिया है।

[अनुवाद]

3878. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार कितनी शाखाएं हैं,

(ख) उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या अपर्याप्त है,

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य के किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंकवार संख्या संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

(ख) से (घ) नीति उद्देश्य के अनुसार 17,000 जनसंख्या के लिए कम से कम एक बैंक कार्यालय की परिकल्पना की गई है, जबकि इसकी तुलना में उड़ीसा में औसत 14,000 जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय है। पहले मंजूर किए गए परन्तु कार्यान्वित न हुए लाइसेंसों के अन्तर्गत शाखाओं के खोलने पर निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्य दल गठित किया गया है और इन शाखाओं को खोलने के रास्ते और तीन माह की अनुमति दी गई है। पहली शाखा लाइसेंसिंग नीति (1985-90) 31.3.1990 को समाप्त हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

31.12.1989 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या

	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	377
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2
4.	इलाहाबाद बैंक	43
5.	आंध्रा बैंक	69
6.	बैंक आफ बड़ोदा	13
7.	बैंक आफ इण्डिया	87
8.	केनरा बैंक	31

	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
9.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	41
10.	कारपोरेशन बैंक	2
11.	देना बैंक	2
12.	इण्डियन बैंक	33
13.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	61
14.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	10
15.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	2
16.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	2
17.	पंजाब नेशनल बैंक	22
18.	सिन्डिकेट बैंक	21
19.	यूको बैंक	147
20.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	36
21.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	85
22.	विजया बैंक	5

उड़ीसा में कारपोरेशन बैंक की शाखाओं में अनियमितताएं

3879. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कारपोरेशन बैंक की कुछ शाखाओं में बड़ी संख्या में अनियमितताएं पाई गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) जी नहीं । कारपोरेशन बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा में उसकी केवल दो शाखायें हैं और ये दोनों शाखाएं गत तीन वर्षों से "संतोषजनक" मानी गई हैं ।

उत्तर प्रदेश में रामनगर (बरेली) का पर्यटन के लिए विकास

हिन्दी

3880. **श्री राजवीर सिंह**
श्री संतोष कुमार गंगवार } : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रामनगर (बरेली) का, जहां पांडवों का ऐतिहासिक किला और जैन मन्दिर स्थित हैं, पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने रामनगर (बरेली) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

दुबई में आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय बसंत मेले" में भारतीय मंडप

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई में हाल में आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय बसंत मेले" में भारतीय मंडप में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, सूती और ऊनी वस्त्रों की अत्यधिक मांग थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च, 1990 तक दुबई विश्व व्यापार केन्द्र दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में हुए अंतर्राष्ट्रीय बसंत मेले में संसाधित खाद्य और सूती परिधानों के लिए क्रमशः 160.00 लाख रुपए और 30.00 लाख रुपए के आर्डर बुक किए गए थे। संसाधित खाद्य, सूती परिधानों और ऊनी परिधानों के लिए जो व्यापारिक पूछताछ गम्भीरता से हुई वह क्रमशः 215 लाख रुपये, 130.00 लाख रु० और 40 लाख रुपए की थी।

उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण

[अनुवाद]

3882. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पौड़ी, चमोली, देहरादून और अन्य पर्वतीय जिलों में बैंकों द्वारा बैंक-वार और जिला-वार कुल कितने व्यक्तियों को और कितना-कितना ऋण दिया गया,

(ख) बैंकों द्वारा ग्रामीण लोगों और किसानों को ऋण सम्बन्धी प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला ऋण वहां की जनसंख्या के अनुरूप नहीं है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में दिए गए कृषि ऋणों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) लघु और सीमांत कृषकों एवं कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर, वर्तमान देय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाना, अन्य 10,000 तक के ऋणों पर सपार्श्विक प्रतिभूति अथवा अन्य पर्याप्त गारंटी पर बल न देना जैसे कई उपाए किए गए हैं। अल्पावधि फसल ऋणों के मामलों में ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। फसल नष्ट होने के मामलों में, बकाया राशि को 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निधारण किया जाता है और कृषकों को नए ऋण मंजूर किए जाते हैं।

अश्लील फिल्मों के अवैध प्रदर्शन पर रोक

[हिन्दी]

3883. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों से यौन-शिक्षा के नाम पर दक्षिण भारत की डब की हुई अश्लील फिल्में निर्बाध रूप से प्रदर्शित की जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है जिनमें सेंसर किए हुए दृश्य पुनः जोड़ दिए गए; और

(ग) इस अवैध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) समय-समय पर इन आरोपों के साथ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ डब की हुई फिल्में अश्लील और अशिष्ट हैं। हाल ही में, सरकार को डब की गई निम्नलिखित फिल्मों के बारे में शिकायतें मिली हैं :—

1. मिलन की प्यास (हिन्दी)
2. पहली रात (हिन्दी)
3. गर्म जवानी (हिन्दी)
4. प्यार के जलवे (हिन्दी)

संभव है कि ऐसी फिल्मों को यौन शिक्षा फिल्मों के रूप में विज्ञापित किया जाता हो। सरकार ने इन फिल्मों के बारे में चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जांच के आदेश दे दिए हैं।

(ख) बीच में अन्य दृश्य जोड़े जाने के मामले देखने में आए हैं। जहां केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अस्वीकृत या प्रमाणन के दौरान बोर्ड को न दिखाए गए अंश प्रमाणित फिल्मों के भाग के रूप में जोड़ दिए गए हों वहां बीच में इस दृश्यों को जोड़ना अधिनियम का एक प्रकार से उल्लंघन है। इस तरह बीच में जोड़े गए दृश्यों के बारे में अनभिज्ञ जनता को ऐसे अंशों की "स्वीकृति" या ऐसी फिल्मों को प्रमाणित किए जाने पर बहुत गुस्सा और क्रोध आता है। वर्ष 1989 में बोर्ड ने बीच में दृश्य जोड़े जाने के 7 बड़े मामलों पर विचार किया।

(ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 के दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करना, राज्य सरकारों

और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। उन्हें ऐसी फिल्मों के प्रिन्टों को जब्त करने का अधिकार है जिनके बारे में यह संदेह हो कि उन्हें प्रमाणन की शर्तों का उल्लंघन कर दिखाया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे अपराधियों के खिलाफ चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। करीब 20 फिल्मों के विषय में, जिनमें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकारियों ने विधिवत् सत्यापन के पश्चात् बीच में दृश्य जोड़ने के मामले को सही पाया है, चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 (ङ) के अन्तर्गत सेंसर प्रमाणपत्र निलंबित करने या रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

[अनुवाद]

3884. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संघ ने हाल ही में बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में की गई मुख्य मांगों का ब्योरा क्या है और उन पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है,

(ग) क्या पदोन्नत होने पर बैंक की महिला कर्मचारियों को एक पदावधि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो उन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें महिलाएं रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की तैनाती न करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो क्या-क्या कदम उठाए गए है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संगठन ने पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को दिनांक 17.3.1990 को एक ज्ञापन दिया है। संगठन द्वारा उठाई गई मांगों में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 30,000/-रुपये तक करना, सभी कर्मचारियों को उनके वेतन पर ध्यान दिए बिना बोनस का भुगतान, तीसरे लाभ के रूप में पेंशन, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने की नीति को समाप्त करना, द्विपक्षीय समझौतों में बैंक कर्मचारी राष्ट्रीय संगठन को शामिल करना, ब्याज मुक्त वाहन ऋण, आवास ऋण में वृद्धि आदि शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार, महिला अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिए कार्य करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति करने की अपेक्षाएं एक सेवा शर्त के रूप में सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होती है, अतः महिला अधिकारियों को इससे कोई छूट नहीं है।

सोने और चांदी के आभूषणों का निर्यात

3885. **श्री कमल नाथ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान सोने और चांदी के आभूषणों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इनका निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चांदी के आभूषण सहित स्वर्ण आभूषण एवं गैर-स्वर्ण आभूषण के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नानुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वर्ण आभूषण	गैर-स्वर्ण आभूषण (बनावटी आभूषण, चांदी के आभूषण तथा सम्मिश्रित नगीनों सहित)
1987-88	86.21	6.30
1988-89	165.47	5.66

स्रोत : जी० जे० ई० पी० सी०

(ख) स्वर्ण आभूषण का निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन, सं० रा० अ०, सं० अ० अमीरात, कुवैत, कतर तथा जापान को किया जाता है।

गैर-स्वर्ण आभूषण का निर्यात प्रमुख रूप से सं० रा० अ०, इटली, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, दुबई (सं० अ० अमीरात) बहरीन तथा कुवैत को किया जाता है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए "पर्यटन पखवाड़ा" का आयोजन

[हिन्दी]

3886. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे और राज्य परिवहन निगमों के सहयोग से स्वदेशी पर्यटकों के लिए एक "पर्यटन पखवाड़ा" आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पखवाड़े के दौरान रेलवे और राज्य पर्यटन की बसों द्वारा रियायती दरों पर यात्रा सुविधायें उपलब्ध कराने का है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में शेयर बाजार में गिरावट

3887. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शेयर बाजार में पिछले 100 दिनों में गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज सूचकांक के अनुसार इस अवधि के दौरान दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में शेयरों के मूल्य कुछ तेजी-मन्दी के साथ आमतौर पर स्थिर रहे है, जो किसी भी बाजार की सामान्य बात है। 21 दिसम्बर, 1989 को सूचकांक 229.8 पर और 30 मार्च, 1990 को 224.4 पर था। दैनिक सूचकांक का एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज दैनिक इक्विटी मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1983=100)

तारीख	सूचकांक
21.12.1989	229.82
22.12.1989	233.55
02.01.1990	233.38
03.01.1999	227.96
04.01.1990	226.19
05.01.1990	226.74
08.01.1990	228.95
09.01.1990	226.55
10.01.1990	229.16
11.01.1990	229.06
12.01.1999	229.12
15.01.1990	223.54
16.01.1990	219.74
17.01.1990	217.55
18.01.1990	217.43
19.01.1990	209.94
22.01.1990	207.81
23.01.1990	211.96
24.01.1990	212.11

तारीख	सूचकांक
25.01.1990	209.88
29.01.1990	208.81
30.01.1990	207.71
01.02.1990	203.42
02.02.1990	201.53
05.02.1990	199.60
06.02.1990	197.60
07.02.1990	198.93
08.02.1990	197.20
09.02.1990	195.78
12.02.1990	199.52
13.02.1990	201.84
14.02.1990	204.09
15.02.1990	206.70
16.02.1990	206.63
19.02.1990	203.61
20.02.1990	202.04
21.02.1990	203.73
22.02.1990	201.81
26.02.1990	202.62
27.02.1990	201.77
28.02.1990	200.82
01.03.1990	205.25
02.03.1990	203.94
05.03.1990	203.12
06.03.1990	201.68
07.03.1990	202.06
08.03.1990	200.68

तारीख	सूचकांक
09.03.1990	200.59
12.03.1990	202.68
13.03.1990	206.89
14.03.1990	206.17
15.03.1990	203.17
16.03.1990	204.69
19.03.1990	203.68
20.03.1990	213.17
21.03.1990	211.75
22.03.1990	217.09
23.03.1990	223.52
26.03.1990	222.80
27.03.1990	222.40
28.03.1990	225.47
29.03.1990	223.73
30.03.1990	224.43

पूंजी निवेश के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ संयुक्त मंच

3888. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कुछ यूरोपीय देशों का विचार, एक संयुक्त मंच से पूंजी निवेश करने और औद्योगिक सहयोग के कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश के लिए संभावित क्षेत्रों के नाम क्या है और यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) यूरोपीय समुदाय ने विकासशील देशों में स्थानीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में निजी समुदाय उद्यमों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संवर्धन करने के उद्देश्य से हाल ही में "ई० सी० इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स" नामक एक वित्तीय साधन का सृजन किया है।

(यूरोपीय) समुदाय के देशों के प्रस्तावों सहित सभी प्रस्तावों की मौजूदा नीति के ढांचे के अन्तर्गत जांच की जाती है और की जाती रहेगी।

जनजातीय क्षेत्रों में टी० वी० रिले केन्द्र

3889. **श्री नन्द लाल मोता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय क्षेत्रों में किन स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र खोले गए हैं और 1990-91 के दौरान किन स्थानों पर इनके खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) अब तक खोले गए केन्द्रों से कितनी जनजातीय जनसंख्या को दूरदर्शन की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० धनंजय) : (क) और (ख) पचास प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में कार्यरत 43 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के अंतर्गत 119 जिलों में इस समय 179 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है। इन ट्रांसमीटरों के स्थान क्रमशः विवरण-1 और 2 में दिए गए हैं। ये ट्रांसमीटर जनजातीय जनसंख्या सहित लगभग 12.76 करोड़ जनसंख्या को सेवा प्रदान करते है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1990-91 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को सेवा के लिए चालू किए जाने का कार्यक्रम है :—

1. डाल्टनगंज (बिहार) में उच्चशक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटर
2. जगदलपुर (मध्यप्रदेश) में उच्चशक्ति (1 किलोवाट) ट्रांसमीटर (वर्तमान अल्पशक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर)
3. रायपुर (मध्यप्रदेश) में उच्चशक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटर (वर्तमान 1 कि० वा० ट्रांसमीटर के स्थान पर)
4. चुराचांदपुर (मणिपुर) में उच्चशक्ति ट्रांसमीटर (1 किलोवाट)
5. भवानीपटना (उड़ीसा) में उच्चशक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटर (वर्तमान अल्पशक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर)
6. मोकोकचुंग (नागालैंड) में उच्चशक्ति (1 किलोवाट) ट्रांसमीटर
7. लुंगलेई (मिजोरम) में उच्चशक्ति (1 किलोवाट) ट्रांसमीटर
8. सालुम्बर (राजस्थान में अल्पशक्ति ट्रांसमीटर।

विवरण-I

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर जहां 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जन जाति की जनता रहती है।

उ० श० ट्रा० (10) : उच्च शक्ति (10 कि० वा०) ट्रांसमीटर

उ० श० ट्रा० (1) : उच्च शक्ति (1 कि० वा०) ट्रांसमीटर

अ० श० ट्रा० : अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ० अ० श० ट्रा० : अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ट्रांसमीटर (दिनांक 6.4.90 की स्थिति के अनुसार)
अरुणाचल प्रदेश	उ०श०ट्रा०(1), ईटानगर
	अ०श०ट्रा०, पासीघाट
	अ०श०ट्रा०, तेजू
	अ०अ०श०ट्रा०, दापोरेजो
	अ०अ०श०ट्रा०, अलांग
	अ०अ०श०ट्रा०, अनीमी
	अ०अ०श०ट्रा०, बमर
	अ०अ०श०ट्रा०, बमदिला
	अ०अ०श०ट्रा०, चंगलांग
	अ०अ०श०ट्रा०, दीरांग
	अ०अ०श०ट्रा०, खोंसा
	अ०अ०श०ट्रा०, मायो
	अ०अ०श०ट्रा०, नमसाई
	अ०अ०श०ट्रा०, रागा
	अ०अ०श०ट्रा०, रवाइंग
	अ०अ०श०ट्रा०, सेपा
	अ०अ०श०ट्रा०, तवांग
	अ०अ०श०ट्रा०, जीरो
	अ०अ०श०ट्रा०, हायूलियांग
नागालैण्ड	उ०श०ट्रा०, (1) कोहिमा
	अ०श०ट्रा०, दीमापुर
	अ०श०ट्रा०, त्युंगसांग
	अ०अ०श०ट्रा०, मोन
	अ०अ०श०ट्रा०, वोखा
	अ०अ०श०ट्रा०, जुन्हेबोटो
	ट्रांसपोजर, कोहिमा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ट्रांसमीटर (दिनांक 6.4.90 की स्थिति के अनुसार
मिजोरम	उ०श०ट्रा०, (1) आइजल
	अ०अ०श०ट्रा०, लुंगलेई
	अ०अ०श०ट्रा०, सैहा
मेघालय	उ०श०ट्रा०, (1), शिलांग
	उ०श०ट्रा०,(10), तुरा
	अ०श०ट्रा०, जोवई
	अ०अ०श०ट्रा०, नांगस्टवायन
लक्षद्वीप समूह	अ०अ०श०ट्रा, अगत्ती
	अ०अ०श०ट्रा०, अमीनी
	अ०अ०श०ट्रा०, आंद्रोत्त
	अ०अ०श०ट्रा०, चेतलात
	अ०अ०श०ट्रा०, केलपनी
	अ०अ०श०ट्रा०, कावारती
	अ०अ०श०ट्रा०, कदमत
	अ०अ०श०ट्रा०, मिनीकोय
	अ०अ०श०ट्रा०, किलटन
दादरा और नगर हवेली	अ०अ०श०ट्रा०, सिलवासा

विवरण-2

जन जातीय उप योजना के अन्तर्गत कवर जिले में स्थित ट्रांसमीटर

उ०श०ट्रा० —उच्च शक्ति (10 कि० वा०) ट्रांसमीटर

उ०श०ट्रा० (1) —उच्च शक्ति (1 कि० वा०) ट्रांसमीटर

अ०श०ट्रा० —अल्प शक्ति ट्रांसीटर

अ०अ०श०ट्रा० —अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

जन जातीय उप योजना जिलों में कार्यरत दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य	ट्रांसमीटर (दिनांक 6.4.1990 को विद्यमान)
1. आन्ध्र प्रदेश	अ०श०ट्रा०, अदिलाबाद
	अ०श०ट्रा०, अनन्तपुरम
	अ०श०ट्रा०, करीमनगर
	अ०श०ट्रा०, राजमुन्दरी

राज्य	ट्रांसमीटर (दिनांक 6.4.1990 को विद्यमान)
	अ०श०ट्रा०, खमाम
	अ०श०ट्रा०, कोठागुड्डम
	अ०श०ट्रा०, मछलम
	अ०श०ट्रा०, श्रीकाकुलम
	उ०श०ट्रा०, विषाखापत्तनम
	ट्रांसपोजर, विषाखापत्तनम
	अ०श०ट्रा०, वारंगल
	अ०श०ट्रा, भीमावौलू
2. असम	उ०श०ट्रा०, सिलचर
	अ०श०ट्रा०, तेजपुर
	उ०श०ट्रा, डिब्रूगढ़
	अ०श०ट्रा०, कोकराझहर
	अ०श०ट्रा०, गोलपाड़ा
	अ०श०ट्रा०, धूबरी
	अ०श०ट्रा०, नागौन
	अ०श०ट्रा०, नाजीरा
	अ०श०ट्रा०, जोरहाट
	उ०श०ट्रा०, गुवहाटी
	ट्रांसपोजर, गुवहाटी
3. बिहार	उ०श०ट्रा०, रांची
	अ०श०ट्रा०, दुमका
	अ०श०ट्रा०, देवघर
	अ०श०ट्रा०, चायिब्सा
	अ०श०ट्रा०, जमशेदपुर
	अ०श०ट्रा०, घाटसीला
4. गुजरात	अ०श०ट्रा०, पालनपुर
	अ०श०ट्रा०, अम्बाजी
	अ०श०ट्रा०, भभर
	अ०श०ट्रा०, थरद
	अ०श०ट्रा०, भरौच

राज्य	ट्रांसमीटर (दिनांक 6.4.1990 को विद्यमान)
	अ०श०ट्रा०, कवादीया कालोनी
	अ०श०ट्रा०, देवीया पाडा
	अ०श०ट्रा०, अहवा
	अ०श०ट्रा०, गोधरा
	अ०श०ट्रा०, दोहद
	अ०श०ट्रा०, सोनगढ़
	अ०अ०श०ट्रा०, काकरापर
	अ०श०ट्रा०, सूरत
	अ०श०ट्रा०, कोसम्बा
	अ०श०ट्रा०, गोदोदरा
	अ०श०ट्रा, छोटा उदयपुर
	अ०श०ट्रा०, नवासरी
	अ०श०ट्रा, बलसाद
5. हिमाचल प्रदेश	अ०अ०श०ट्रा०, चम्बा
	अ०अ०श०ट्रा०, कल्पा
	अ०अ०श०ट्रा०, केलोंग
6. कर्नाटक	अ०श०ट्रा०; चिक्कमंगलूर
	अ०श०ट्रा०, मादीकेरी
	अ०श०ट्रा०, मैसूर
	अ०श०ट्रा०, मंगलौर
	अ०श०ट्रा०, उदीपी
	अ०श०ट्रा०, बंटवाल
7. केरला	उ०श०ट्रा०, त्रिवेन्द्रम
	अ०श०ट्रा०, पठानमथिट्टा
	अ०श०ट्रा०, इदुक्की
	उ०श०ट्रा०, कोचीन
	अ०श०ट्रा०, मालापुरम
	अ०श०ट्रा०, कालीकत
	अ०श०ट्रा०, कल्पेटा
	अ०श०ट्रा०, तेलीचेरी

राज्य	ट्रांसमीटर (दिनांक 6.4.1990 को विद्यमान)
	अ०श०ट्रा०, कन्नानोर
	अ०श०ट्रा०, पालघाट
	अ०श०ट्रा०, तोरानुर
8. मध्य प्रदेश	अ०श०ट्रा०, मालनजखांड
	अ०श०ट्रा०, बालाघाट
	अ०श०ट्रा, जगदलपुर
	अ०श०ट्रा०, बेलादिला
	अ०श०ट्रा०, कांकर
	अ०श०ट्रा०, बेतुल
	अ०श०ट्रा, बिलासपुर
	अ०श०ट्रा०, कोरबा
	अ०श०ट्रा०, छिंदवाड़ा
	अ०श०ट्रा०, राजरा-झरा धुली
	अ०श०ट्रा०, हर्दा
	अ०श०ट्रा, इटारसी
	अ०श०ट्रा, पंचमढ़ी
	अ०श०ट्रा० झबुआ
	अ०श०ट्रा०, खांडवा
	अ०श०ट्रा०, बुरहानपुर
	अ०श०ट्रा०, खारगांव
	अ०श०ट्रा०, मंडला
	अ०श०ट्रा०, शिवपुर
	अ०श०ट्रा०, रायगढ़
	उ०श०ट्रा०, (1), रायपुर
	अ०श०ट्रा०, दुंगरगढ़
	अ०श०ट्रा , रतलाम
	अ०श०ट्रा०, शेवोनी
	अ०श०ट्रा०, शहडोल
	अ०श०ट्रा०, सिंढी
	अ० श०ट्रा, सिंगरोली

राज्य	ट्रांसमीटर (दिनांक 6.4.1990 को विद्यमान)
	अ०श०ट्रा०, अंबिकापुर
	अ०श०ट्रा०, कुरासिया
	अ०स०ट्रा०, मनिदरगढ़
9. महाराष्ट्र	अ०श०ट्रा०, अहमद नगर
	अ०श०ट्रा०, अचलपुर
	अ०श०ट्रा०, अमरावती
	अ०श०ट्रा० चन्द्रपुर
	अ०श०ट्रा०, धुले
	अ०श०ट्रा०, नन्दुरबार
	अ०श०ट्रा०, शहादा
	अ०श०ट्रा०, गढ़चिरौली
	अ०श०ट्रा, जलगाव
	अ०श०ट्रा०, अमलनेर
	अ०श०ट्रा०, चालीस गांव
	अ०श०ट्रा, भुसावल
	अ०श०ट्रा०, नानदेड़
	अ०श०ट्रा०, किनवट
	अ०श०ट्रा०, दिगलुर
	अ०श०ट्रा०, मनमाड
	अ०श०ट्रा०, नासिक
	अ०श०ट्रा०, माले गाव
	उ०श०ट्रा०, पुणे
	अ०श०ट्रा०, यवतमाल
	अ०श०ट्रा०, पुसाद
10 मणिपुर	अ०श०ट्रा०, उखरूल
	अ०अ०श०ट्रा०, सेनापती
	अ०अ०श०ट्रा०, तमेंगलोंग
	अ०अ०श०ट्रा०, चन्देल
11. उड़ीसा	अ०श०ट्रा०, बालेश्वर
	अ०श०ट्रा०, भद्रक

राज्य	ट्रांसमीटर (दिनांक 6.4.1990 को विद्यमान)
	अ०श०ट्रा०, बलियापाल
	अ०श०ट्रा०, फुलबनी
	अ०श०ट्रा०, पार्लाकिमुंडी
	अ०श०ट्रा०, बहरामपुर
	अ०श०ट्रा०, भंजनगर
	अ०श०ट्रा०, भवानी पटना
	अ०श०ट्रा०, क्यूंझर गढ़
	अ०श०ट्रा०, आनन्दपुर
	अ० श०ट्रा, जोदा
	अ०श०ट्रा०, कोरापुट
	अ०श०ट्रा०, रायगढ़ा
	ट्रांसपोजर, सुना बेडा
	अ०श०ट्रा०, जयपोर
	उ०श०ट्रा०, बारीपाड़ा
	उ०श०ट्रा०, (1), सम्भलपुर
	अ०श०ट्रा०, बाड़गढ़
	अ०श०ट्रा०, ब्रजराज नगर
	अ०श०ट्रा०, राउरकेला
	अ०श०ट्रा०, सुन्दरगढ़
12. राजस्थान	अ०श०ट्रा, बांसवाड़ा
	अ०अ०श०ट्रा०, रावतभट्टा
	अ०श०ट्रा०, चित्तौड़गढ़
	अ०श०ट्रा०, डूंगरपुर
	अ०श०ट्रा०, सिरोही
	अ०श०ट्रा० उदयपुर
13. सिक्किम	अ०अ०श०ट्रा०, मानगांव
14. तमिलनाडु	अ०श०ट्रा०, धर्मपुरी
	अ०श०ट्रा, वेल्लोर
	अ०श०ट्रा, तिरुवनामलाई
	अ०श०ट्रा०, वनियामबाड़ी
	अ०श०ट्रा०, तिरुपत्तुर

राज्य	ट्रांसमीटर (दिनाक 6.4.90 को विद्यमान)
	अ०श०ट्रा०, सलेम
	अ०श०ट्रा०, टिंडीवनम
	अ०श०ट्रा, विल्लूपुरम
	अ०श०ट्रा०, नेयवेली
	अ०श०ट्रा०, कुड्डालोर
	अ०श०ट्रा०, तिरुचिल्लापल्ली
15. त्रिपुरा	ट्रांसपोजर, बेलोनीया
	उ०श०ट्रा, अगरतला
16. उत्तर प्रदेश	अ०श०ट्रा,०, लखीमपुर
17. पश्चिम बंगाल	अ०श०ट्रा, शांतिनिकेतन
	उ०श०ट्रा०, आसनसोल
	अ०श०ट्रा०, बर्दमान
	उ०श०ट्रा०, कुर्सियाग
	अ०श०ट्रा०, दार्जिलिंग
	अ०श०ट्रा०, कालिमपोंग
	अ०श०ट्रा०, अलीपुर दौर
	अ०श०ट्रा०, माल्दा
	अ०श०ट्रा०, खरगपुर
	अ०श०ट्रा०, मेदीनीपुर
	उ०श०ट्रा०, मुर्शिदाबाद
	अ०श०ट्रा०, बालुरघाट
संघशासित क्षेत्र	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	अ०अ०श०ट्रा०, नानकावरी
	अ०श०ट्रा०, कार-निकोबार
2. दमन और दीव	अ०श०ट्रा०, दमन

बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से सांपार्श्विक प्रतिभूति मांगना

[अनुवाद]

3890. **श्रीमती ऊषा सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देते समय ऋण लेने वालों से सांपार्श्विक प्रतिभूति की मांग न करें;

(ख) क्या बैंक विशेषकर बिहार में ऋण लेने वालों से सांपार्श्विक प्रतिभूति मांग रहे हैं और इसे न दे सकने वालों को वे ऋण नहीं दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कारंवाई करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना और शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत, बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं से मार्जिन राशि, सपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा अन्य पार्टी की गारंटी लिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें किसी ऐसे विशिष्ट मामले की जानकारी नहीं है जिसमें किसी बैंक ने बिहार में इन स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत किसी उधारकर्ता से सपार्श्विक प्रतिभूति की मांग की हो।

इंजीनियरी सामान के निर्यात का लक्ष्य

3891. **श्री प्रतापराव जी० भोसले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात लक्ष्य में कोई संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के लिए निर्यात के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

पलामू, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र

[हिन्दी]

3892. **श्री जोरावर राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू जिले में दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार के पलामू जिले में डाल्टनगंज में उच्च शक्ति (10 कि०वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर और कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र के भवन और टावर का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया

है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस परियोजना के चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् (1990-91) के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

तमिलनाडु में लौह अयस्क के भंडार

[अनुवाद]

3893. **श्री ई०एस०एम० पाकीर मोहम्मद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में लौह अयस्क के नए भण्डारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इन भण्डारों में लोहे का अंश कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन भण्डारों से लोहे और इस्पात का वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए कोई परियोजना स्थापित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास पर व्यय

3894. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इस कार्य पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब और हिमाचल प्रदेश में किन-किन तीर्थ स्थानों का विकास किया जाएगा ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1989-90 के दौरान पंजाब में पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए 14.29 लाख रुपए और हिमाचल प्रदेश को 23.28 लाख रुपए की राशि केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की है।

(ख) और (ग) पर्यटक स्थलों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटक आधार-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके विशिष्ट प्रस्तावों पर उनकी गुणवत्ता निधियों की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आयकर के मामले निपटाना

3895. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच लाख रुपए से अधिक राशि की बकाया आयकर धन-राशि से संबंधित परिनिर्धारण/अपीलों इत्यादि के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल कितने मामले समझौता आयुक्तों के समक्ष लंबित पड़े है;

(ख) कितने मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े है;

(ग) सरकार प्रतिवर्ष इन समझौता आयोगों पर कितनी धन-राशि खर्च करती है तथा आयोगों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितनी धन-राशि राजस्व के रूप में संगृहीत की जाती है; और

(घ) समझौता आयोगों के पास लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) चूंकि आयकर बकाया संबंधी अभिलेख आयकर प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, इसलिए 5 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि वाले परिनिर्धारण के लिए लंबित मामलों का पता लगाना सम्भव नहीं है। फिर भी, समझौता आयोग की विभिन्न पीठों के समक्ष दिनांक 1-9-1989 तक लम्बित आवेदनों की कुल संख्या 2168 थी।

(ख) दिनांक 1-9-1989 तक एक वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित पड़े मामले इस प्रकार है :—

(क) मुख्य पीठ, नई दिल्ली	788
(ख) अतिरिक्त पीठ, बम्बई	409
(ग) अतिरिक्त पीठ, मद्रास	428
(घ) अतिरिक्त पीठ, कलकत्ता	200
	1825

(ग) आयोग की सभी पीठों के लिए वित्तीय वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रतिवर्ष औसत खर्च लगभग 56,65,000 रु० था। समझौता आयोग द्वारा निपटाए जाने वाले सभी मामलों में करों की वसूली चूंकि समूचे देश में फैले सम्बन्धित निर्धारण अधिकारियों द्वारा की जाती है इसलिए राजस्व के रूप वसूल की गई राशि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) समझौता आयोग के पास लम्बित मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए तीन अतिरिक्त पीठें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित की गई थी। बम्बई पीठ का सृजन दिनांक 4-12-1986 से तथा कलकत्ता और मद्रास की पीठें 22-12-1987 से सृजित की गई थी।

बस को भाड़े पर लेकर चलाने वालों की आय पर कर

3896. श्री भवन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों की आय जो चार्टर बसों से होती है पर करारोपण प्रयोजनों से ध्यान दिया जाता है, जो दिल्ली में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बस मालिकों के साथ करार कर लेते हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जिन व्यक्तियों ने ऐसे करार सम्पन्न किए हैं, उन व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई आय पर आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर लगाया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर कार्यालय को मुजफ्फरपुर से पटना स्थानांतरित करना

[हिन्दी]

3897. श्री दसई चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर में आय-कर कार्यालय है;

(ख) क्या बिहार में वैशाली और सोनपुर के लोगों को मुजफ्फरपुर स्थित आय-कर कार्यालय जाने में बहुत असुविधा होती है क्योंकि यह बहुत दूर है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन क्षेत्रों को पटना स्थित आय-कर कार्यालय से सम्बद्ध करने का विचार है क्योंकि मुजफ्फरपुर की तुलना में वैशाली और सोनपुर के अधिक निकट है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, हां।

(ख) इस आशय के अभ्यावेदन पटना में सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों को दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मुख्य आयकर आयुक्त, पटना ने बताया है कि दिए गए अभ्यावेदनों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा इस मामले में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली चार्जर ट्रोम यूनिटें

[अनुवाद]

3898. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली चार्जर ट्रोम यूनिटों को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के अर्जन के बावजूद घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन यूनिटों को नकदी प्रतिपूरक सहायता तथा विपणन सहायता प्रदान नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही

की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) चार्ज कोम का उत्पादन करने वाली तीन 100% निर्यातोन्मुख एककें हैं। इन एककों ने न्यून निर्यात उपलब्धि के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं और नकद मुआवजा सहायता की उच्चतर दर के लिए अनुरोध किया है। नगद मुआवजा सहायता का अनुमोदन उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक लागत आकड़ों पर आधारित होता है। इस समय फेरो एलायज के निर्यात पर 10% की दर से नकद मुआवजा सहायता उपलब्ध है और 100% निर्यातोन्मुख एककें 50% की लागू दर पर नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र है। बाजार सहायता के उद्देश्य के लिए निर्यात एककें विभिन्न निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप करने के लिए दाजार विकास सहायता निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

दिल्ली में हीरे जवाहरात के प्रमुख व्यापारियों पर छापे

3899. श्री हंस राज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और आयकर अधिकारियों द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली में हीरे-जवाहरात के प्रमुख व्यापारियों पर कोई छापे मारे गए थे,

(ख) यदि हां, तो बरामद हुए लेखा-बाह्य स्वर्ण, नकदी तथा हीरों का ब्यौरा क्या है और 5 लाख रुपए से अधिक की अनियमितताएं करने वाली पार्टियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) आयकर विभाग ने वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली के ज्वैलर्स के सम्बन्ध में 5 मामलों में तलाशियां लीं और 60 लाख रुपए के मूल्य की (जिसके अन्तर्गत नकदी, सोना, चांदी तथा बहुमूल्य धातु भी है) लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां जब्त की गईं।

मैसर्स मेहरासन्स तथा मैसर्स श्रीराम हरिराम के मामलों में प्रत्येक से 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लेखा बाह्य जेवरात पकड़े गए।

(ग) अनुवर्ती जांच पड़ताल और ऐसी अन्य कार्रवाई जो प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अधीन आवश्यक हो की जाती है।

सीमा शुल्क छापों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक की जमुनापार स्थित शाखाओं द्वारा
महिलाओं उद्यमियों को दी गई वित्तीय सहायता

3900. श्री रामजी लाल सुमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रारम्भ की गई "स्त्री शक्ति पैकेज स्कीम" के अन्तर्गत जमुनापार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की

शाखाओं द्वारा कितनी महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदनकर्ताओं को 5000 रुपए तक का ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी/सांपार्श्विक प्रतिभूति देनी होती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त शाखाओं द्वारा इस आधार पर कितने आवेदन रद्द किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस आधार पर आवेदन रद्द करने के लिए उक्त शाखाओं के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उक्त शाखा द्वारा योजना के तहत 10 महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। गारंटी/सांपार्श्विक प्रतिभूति 10,000 रुपए से अधिक के कृषि संबद्ध कार्यकलापों के लिए दिए गए अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिमों के लिए नहीं ली जाती है। बैंक ने यह भी कहा है कि उपरोक्त वर्णित आधार पर किसी आवेदन को नामंजूर नहीं किया गया है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा विद्यालयों को दी गई धनराशि

3901- **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का विचार भीलवाड़ा और उदयपुर के मूक और बधिर विद्यालयों के लिए धनराशि की व्यवस्था करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा मूक और बधिर विद्यालय, उदयपुर को, राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता से पूरा न होने वाले शेष व्यय हेतु एक लाख रुपए वार्षिक की सीमा तक धन दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) मूक और बधिर विद्यालय, भीलवाड़ा को सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

दक्षिण में संसद का सत्र

3902. **श्री टी० बशीर** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद का सत्र दक्षिण में किसी स्थान पर आयोजित करने की मांग काफी समय से चली आ रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) हां, श्रीमन।

(ख) सरकार का इस समय दिल्ली से बाहर संसद का सत्र आयोजित करने का कोई विचार नहीं है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम द्वारा केरल में दी गई सहायता

3903. **श्री टी० बशीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम द्वारा वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान केरल में कितनी धनराशि की सहायता दी गई है;

(ख) इन संस्थानों के पास केरल की वर्ष 1990-91 के लिए कितनी परियोजनाएं विचाराधीन है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु इन संस्थानों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड द्वारा केरल में मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

संस्था का नाम	अप्रैल-मार्च		
	1987-88	1988-89	1989-90* (अप्रैल, 1989-दिस०, 1989)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मंजूरिया	129.94	172.74	100 50
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम की मंजूरिया	13.27	7.70	3.63

*वर्ष 1989-90 के लिए आंकड़े अनन्तिम है ।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि 29-3-90 की स्थिति के अनुसार केरल के एककों में से प्रत्यक्ष वित्त योजना के अन्तर्गत चार आवेदन लम्बित पड़े हैं । इनमें से एक को अविलम्ब मंजूर होने की आशा है । शेष तीनों मामले जांच-पड़ताल प्रकृति के है । 28-2-90 के अनुसार, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के पास केरल से सम्बन्धित केवल एक आवेदन-पत्र लम्बित है ।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन

3904. **श्री पी० सी० चाको** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के हाल ही के केरल दौरे के दौरान कुछ संगठनों ने उन्हें कोई ज्ञापन दिया था जिसमें ईसाई वसीयतनामों के लिए जैसा कि हिन्दुओं और अन्य धर्मों के मामले में है, ईसाईयों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के दायित्व से मुक्त करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन करने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। इस सम्बन्ध में सरकार की सदैव यह नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधि में तब तक कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक उसके लिए स्वयं अल्पसंख्यक समुदायों से पर्याप्त पहल न की जाए। इस विषय में विशिष्टजन की समुदाय की सर्व-सम्मति या बहुमत अभिनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे है।

भीलवाड़ा में दूरदर्शन रिले केन्द्र

3905. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलवाड़ा में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी प्रसारण क्षमता कम होने के कारण पूरे भीलवाड़ा जिले को इसका लाभ नहीं हुआ है; और

(ग) सरकार का इसकी ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां। भीलवाड़ा में अगस्त, 1989 से एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) भीलवाड़ा में वी०एच०एफ० बैंड का अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगभग 25 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत सेवा प्रदान करता है जिसमें ऐसे इलाके भी आते है जहां भूभागीय स्थिति के अनुरूप ऊंचे एण्टीनो और/या बूस्टरों आदि से संतोषजनक संग्रहण के कारण आनुषंगिक सेवा प्राप्त करना सम्भव है। 1991-92 के दौरान त्रैदी में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू हो जाने से भीलवाड़ा जिले में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की उम्मीद है। भीलवाड़ा में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करना दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए वित्तीय की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवा स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिया गया ऋण

3906. श्री सी०एम० नेगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवा स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को जिले-वार और विशेषकर गढ़वाल जिले को वर्ष-वार कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या इस योजना को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में लागू करने के बाद तथा समेकित योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और युवकों को ऋण देकर इस योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिससे कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) *शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना* के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सभी बैंकों का गत तीन वर्षों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वास्तविक लक्ष्य	स्वीकृत ऋण	
		सं०	राशि
1986-87	31,300	23197	50.02
1987-88	15,550	14102	31.67
1988-89	31,300	24373	53.41

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत जिला-वार विवरण, जैसाकि मांगा गया है, उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है और जवाहर रोजगार योजना में बैंक शामिल नहीं है।

उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत लघु उद्योगों के मामले

3907. **प्रो० गोपाल राव मायकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क अधिनियम के उल्लंघन के लघु उद्योगों के विरुद्ध कितने मामले सरकार की जानकारी में आये और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितने मामलों में अन्ततः उक्त उद्यमों के पक्ष में निर्णय दिये गये ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित यूनिटों के विरुद्ध समग्र देश में (शिलांग स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय को छोड़कर) कैलेण्डर वर्ष, 1989 के दौरान 1,522 मामले रजिस्टर किए गए है जिनमें 3,122 लाख रुपए के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ग्रस्त होने का अनुमान है।

(ख) उपर्युक्त (क) में बतलाये गये मामलों में से 1,460 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

(ग) जिन मामलों में न्यायनिर्णयन हो चुका है उनमें से अभी तक 60 मामलों में निर्धारितियों के पक्ष में निर्णय दिये गये है ।

मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में जशपुर सब-डीवीजन के इचकेलागांव में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

3908. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में जशपुर सब-डिवीजन के आदिवासी बहुल क्षेत्र इचकेलागांव में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० धनंजय) : (क) और (ख) इस समय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । देश के कवर न हुए भागों में यथाशीघ्र दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का सरकार का प्रयास है किंतु यह अनिवार्य रूप से दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

अभ्रक व्यापार कम्पनी का कार्यनिष्पादन

[अनुवाद]

3909. **श्री ए० के० राय**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अभ्रक व्यापार कम्पनी (एम० आई० टी०सी० ओ०) का कुल उत्पादन, निर्यात लाभ औ: हानि का ब्यौरा क्या है,

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान देश में अभ्रक की कितनी खपत थी,

(ग) क्या अभ्रक व्यापार कंपनी के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) विगत तीन वर्षों के लिए निदेशों के कारोबार, लाभ तथा हानि के आकड़े नीचे दिए है :—

मूल्य लाख रु० में

	1987-88	1988-89	1989-90 (अनन्तिम)
बिक्री कारोबार	2361.00	2540.12	3065.00
निवल हानि	146.96	174.49	115.00

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निदेशों द्वारा अभ्रक कागज, अभ्रक पाउडर तथा

फैब्रिकेटेड अभ्रक के उत्पादन के लिए अभ्रक छीलन तथा अभ्रक फ्लेक्स की प्रति वर्ष औसत क्षमता 600 से 700 मे० टन रही है।

(ग) और (घ) मिटको के कार्यनिष्पादन में हालांकि वर्ष 1989-90 में वर्ष 1987-88 तथा वर्ष 1988-89 की तुलना में सुधार हुआ है किन्तु मिटको को वर्ष 1987-88 से हानि हो रही है जिसका मूल कारण यह है कि मिटको द्वारा स्थापित मूल्यवर्धित परियोजनाओं द्वारा अपने उत्पादन एवं बिक्रियों का बिना लाभ-हानि का स्तर प्राप्त किया जाता है।

पंजाब में खेतिहर मजदूरों के लिए बीमा योजना का कार्यान्वयन

3910 **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की ग्रामीण मजदूरों/खेतिहर मजदूरों के लिए किसी दुर्घटना में होने वाली मौत से सम्बन्धित निःशुल्क बीमा पालिसी वाली बीमा योजना पंजाब में कब लागू की गई थी,

(ख) क्या यह योजना अन्य विभिन्न राज्यों में लागू किए जाने के बाद पंजाब में लागू की गई थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पंजाब में यह योजना लागू किए जाने के बाद विशेषकर होशियारपुर में कितने लाभार्थियों को बीमे की राशि का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार की सामूहिक बीमा योजना को 15 अगस्त, 1987 में पंजाब में लागू कर दिया गया था, इसी तारीख से केन्द्रीय सरकार की यह योजना पूरे देश में शुरू की गई थी।

(ग) राज्य में योजना के कार्यान्वयन से अब तक होशियारपुर जिले सहित पंजाब में भूमिहीन मजदूरों के 1377 परिवारों को लाभ पहुंचा है।

दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फिल्मों और धारावाहिकों के चयन सम्बन्धी शिकायतें

3911. **श्री ए० अशोकराज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फिल्मों और धारावाहिकों के चयन में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सरकार को समय-समय पर ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं जिनमें धारावाहिकों और फिल्मों के चयन के मामले में दूरदर्शन द्वारा अनियमितताएं बरतने के आम आरोप लगाए गए होते हैं। ये

शिकायतें आमतौर पर सामान्य किस्म की होती हैं और इनके समर्थन में कोई विशेष सबूत नहीं होते। इसलिए, ऐसी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई करना सम्भव नहीं है। तथापि, जब कभी ऐसी रिपोर्टों में विशिष्ट आरोप लगाए गए होते हैं जिनकी जांच की जा सकती है तो उस मामले की विधिवत जांच की जाती है। सरकार का यह प्रयास है कि प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके कदाचार के सभी सम्भावित स्त्रोतों को समाप्त कर दिया जाए।

खान डिवीजन की स्थापना

3912. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान डिवीजन को इस्पात संयंत्रों से अलग करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भुवनेश्वर में खान डिवीजन तथा क्योंझर में इनका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सूचना सेवा के भर्ती नियम

3913 **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूचना सेवा में किसी अन्य सेवा के पद शामिल करने अथवा इस सेवा से कोई पद हटाने के बारे में इस सेवा के भर्ती नियमों में कोई प्रावधान है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रावधान के अन्तर्गत अब तक इस सेवा में कितनी बार पदों को शामिल किया गया है और कितनी बार हटाया गया है,

(ग) क्या इस सेवा के अधिकारियों ने यह प्रावधान समाप्त करने की मांग की है और मंत्रालय इससे सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना सेवा नियमों में केन्द्रीय सूचना सेवा में पदों को सेवा में शामिल करने/सेवा से अलग करने का प्रावधान है। 1967 में केन्द्रीय सूचना सेवा नियमों में संशोधन के बाद 29 बार इस प्रावधान का प्रयोग किया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने उक्त प्रावधान को समाप्त करने की केन्द्रीय सूचना सेवा कार्मिकों की मांग को नहीं माना है।

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमि सम्बन्धी विवादों के लम्बित मामले

[हिन्दी]

3914. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमि सम्बन्धी विवादों के लंबित मामलों का, राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि उच्च न्यायलय में, अनु० जा/अनु० जनजाति से सम्बन्धित विभिन्न प्रवर्गों के लंबित मामलों के बारे में कोई पृथक रजिस्टर नहीं रखा जाता है।

(ख) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ-साथ, उच्च न्यायालयों ने, सभी प्रकार के मामले के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक उपाए किए हैं—जैसे—एक जैसे विधि के प्रश्न वाले मामलों का एक समूह में रखा जाना, विशेष न्यायपीठों का गठन। सरकार ने उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायलयों में बकाया मामलों की समस्या का गहन अध्ययन करने और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्याय-मूर्तियों की एक समिति भी गठित की है। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया है जो तारीख 30.1.1990 को प्रवृत्त हुआ है इसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ साथ, भूमि और भूमि की जुताई तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर इस प्रकार के अत्याचार सम्बन्धी सभी अपराधों पर नियन्त्रण रखना है। इस अधिनियम में, उनके अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए, विशेष न्यायालय स्थापित करने का उपबंध किया गया है।

बारहवें विधि आयोग की रिपोर्ट

[अनुवाद]

3915. डा० जगदीप धनखड़ : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहवें विधि आयोग द्वारा कितनी तथा किन-किन विषयों पर रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बारहवें विधि आयोग ने निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की है :—

रिपोर्ट सं०	रिपोर्ट की विषय वस्तु
132	उपेक्षित महिलाओं, बच्चों और माता-पिता की कठिनाइयां दूर करने और उनके कष्ट कम करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के उपबंधों के संशोधन की आवश्यकता।
133	अवयस्कों की संरक्षकता और अभिरक्षा से सम्बन्धित मामलों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का निवारण और कल्याणकारी सिद्धांतों का वितरण।
134	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के कतिपय उपबंधों की कमियों को दूर करना।
135	अभिरक्षा में महिलाएं।
136	केंद्रीय विधियों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों का परस्पर विरोधी होना—निवारण और समाधान।

(ख) 132वीं, 133वीं और 134वीं रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई है।

गर्म मसाला अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत काली मिर्च को शामिल करना

3916. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू। क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च को गर्म मसाला अधिनियम, 1985 के दायरे के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 से है। मसाला काली मिर्च का निर्यात पहले ही से इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

12.00 मध्याह्न

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यन्त खेद के साथ सभा को सूचित करना है कि सर्वश्री वी० टी० रणदिवे तथा आर० मोहनरंगम का निधन हो गया है।

श्री रणदिवे एक विख्यात स्वतन्त्रता सेनानी तथा मार्क्सवाद के सिद्धान्तवादी थे और वह अनेक श्रमिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे। वह 1970 में सैन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स की स्थापना के समय से ही इसके अध्यक्ष थे।

श्री रणदिवे कम उम्र में ही स्वतन्त्रता संग्राम तथा साम्यवादी आन्दोलन में कूद पड़े थे और अनेक बार जेल गए।

वह एक बड़े लेखक थे तथा उन्होंने राजनैतिक विषयों पर मुख्य रूप से अनेक पुस्तकों की रचना की।

श्री रणदिवे बम्बई में टाटा मैमोरियल अस्पताल में आज सुबह संक्षिप्त बीमारी के बाद 85 वर्ष की उम्र में चल बसे।

श्री मोहनरंगम ने छठी लोक सभा अर्थात 1977 से 1979 के दौरान तमिलनाडु के चेंगलपट्टु निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बाद में, वह जून, 1980 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए और सितम्बर, 1982 तक इसके सदस्य रहे। वह फरवरी, 1983 में इस सभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।

श्री मोहनरंगम एक प्रमुख राजनैतिक कार्यकर्त्ता होने के साथ-साथ वर्ष 1973 से 7 के दौरान मद्रास विश्वविद्यालय की सिनेट के सदस्य रहे। श्री मोहनरंगम गरीबों और दलितों के प्रबल संरक्षक थे तथा उन्होंने हरिजनों के कल्याण के लिए अथक कार्य किया। श्री मोहनरंगम ने संसदीय कार्य में गहन रुचि ली और इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योगदान किया। वह इस सभा की विशेषाधिकार समिति के भी सदस्य रहे।

श्री मोहनरंगम का 56 वर्ष की आयु में कल मद्रास में निधन हो गया।

हमें इन मित्रों के निधन पर अत्यधिक दुःख है और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को हमारा शोक प्रकट करने के लिए सभा मेरे साथ है।

सदस्यगण अपना दुःख प्रकट करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े हो

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

———

राजनीतिज्ञों के टेलीफोन टेप किए जाने तथा उनके घरों में गुप्त यंत्र लगाकर उनकी बातचीत सुने जाने के आरोप के बारे में

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मैं किस को सुनूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमको तकलीफ हो रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी की बात नहीं सुन सकता। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं तो आपकी बात शान्ति से सुनना चाहता हूं लेकिन आप मुझे सुनने नहीं दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हां, श्री साठे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको सुनूंगा। आप कोआपरेट करेंगे तो मैं सबको सुनूंगा। आपका यह तरीका ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले विपक्ष को सुनने दें।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मुझे विश्वास है कि आप और समस्त सदन आज समाचारपत्रों में छपे इस समाचार से अत्यधिक चिन्तित होंगे कि इस सरकार द्वारा न सिर्फ टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं बल्कि मकानों में गुप्त यंत्र लगाकर बातचीत सुनी जा रही है ...(व्यवधान) महोदय, आपको याद होगा कि यह सरकार और सत्तापक्ष में बैठे लोग जब विपक्ष में थे तब वे इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करने पर अत्यधिक चिन्तित थे और ऐसे सभी तरीकों के विरुद्ध थे। महोदय, हम चाहते हैं कि इस सूची के नामों और उन 27 व्यक्तियों के बारे में सभी तथ्यों के बारे में गृह मंत्री तथा संचार मंत्री वक्तव्य दें जिनको स्वयं जनता दल के

एक अति वरिष्ठ सदस्य ने प्रैस के सम्मुख प्रकट किया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री बसंत साठे : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन चल नहीं सकता, यदि हमको यह मालूम नहीं हो कि हमारे टेलीफोन टेप हुए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने साठे जी को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बोलने दो, क्यों चिल्ला रहे हो।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : महोदय, आप तो जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री को टेलीफोन टेप करने पर इस्तीफा देना पड़ा था। उसी मुख्यमंत्री की पदोन्नति करके यहां पर योजना आयोग में लगाया गया है। अब केन्द्र में यह सरकार भी इस घृणित, निन्दनीय तथा गैर-लोकतांत्रिक कार्य को कर रही है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है, इस बात का ?

श्री बसंत साठे : दिया है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप मुझे क्षमा करेंगे। जब तक यह हकीकत, यह फैक्ट्स और यह 27 नाम हमारे सामने नहीं आ जाते, तब तक यह सदन हम आगे नहीं चलने देंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, मैं श्री साठे के कथन में और वृद्धि करना चाहता हूं। यह प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है, "आप टेप रिकार्डर बन्द कर दीजिए, मैं आपको कुछ बताऊंगा।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिदम्बरम जी, कुछ मत पढ़िए। आप अपनी बात एक मिनट में कहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, इसमें कहा गया है :

"आप टेप रिकार्डर बन्द कर दीजिए। मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप इस उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित सरकार की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे मेरे सभी फोन टेप करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने मेरे कमरों में भी गुप्त यंत्र लगाकर बातचीत सुनी है। मैंने यह पता लगाने वाले यंत्र से इसकी जांच की है।" (व्यवधान)

यह वक्तव्य जनता दल के एक वरिष्ठ नेता द्वारा दिया गया है। आप गृह मंत्री को बुलाएं। (व्यवधान) कृपया यह देखें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर चले जाइए।

श्री पी० चिदम्बरम : गृह मंत्री, संचार मंत्री यहां पर आएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मुद्दे पर सरकार के विचार सुनने हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने यह मामला उठाया है। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रधान मंत्री कहां हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं या नहीं?

श्री पी० चिदम्बरम : केवल गृह मंत्री ही इसका जवाब दे सकते हैं। कोई अन्य नहीं। गृह मंत्री कहां हैं? (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : यह प्रश्न सरकार और एक संसद सदस्य के बीच नहीं है। यह तो नागरिकों की बातचीत की गोपनीयता के मौलिक अधिकार का प्रश्न है। जब टेलीफोन टेप किया जाए और आवास पर गुप्त यंत्रों से बातचीत सुनी जाए तो यह सरकार का एक घृणित कार्य है। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। प्रधान मंत्री कहां हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। प्रश्न यह है कि साठे साहब ने जो सवाल उठाया है, उसके नोटिसेज हम को मिले हैं। प्रिविलेज मोशन मिला है, कालिंग एटेंशन मिला है और नियम 193 के अधीन भी नोटिस मिला है। मैं उन पर विचार कर रहा हूं और विचार करके ही आपको बताऊंगा। यह विचाराधीन है।

...(व्यवधान)...

श्री वसंत साठे : इस पर क्या विचार करना है। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अरुण कुमार नेहरू।

12.12 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 198.-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 9क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 620/90]

संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 621/90]

12.12½ म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 30 मार्च, 1990 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त मैं निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990

(2) विनियोग विधेयक, 1990

12.13 म० प०

राजनीतिज्ञों के टेलीफोन टेप किए जाने तथा उनके घरों में गुप्त यंत्र लगाकर उनकी बातचीत सुन जाने के आरोप के बारे में—(जारी)

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : गृह मंत्री जी कहां हैं ? प्रधान मंत्री जी कहां हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : वे मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं किन्तु वे इस तरह से कार्य कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हम गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। गृह मंत्री कहां हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम इस मामले पर गृह मंत्री जी का वक्तव्य चाहते हैं। (व्यवधान) आपका टेलीफोन भी टेप किया गया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : होम मिनिस्टर को बुलाओ। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपका भी टेप हो गया है। ये आपको छोड़ेंगे नहीं। (व्यवधान)

श्री आर० एम० राकेश (चैल) : प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : हम जानना चाहते हैं कि वे कौन हैं जो हमारे घरों में गुप्त यंत्र लगाकर हमारी बातचीत सुन रहे हैं। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री सभा में आकर इसका स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। वे नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही जारी रहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 3 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.25 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.00 म० प०

लोक सभा 3.00 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राजनीतिज्ञों के टेलीफोन टेप किए जाने तथा उनके घरों में गुप्त यंत्र लगाकर उनकी बातचीत सुने जाने के आरोप के बारे में—(जारी)

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : टेलीफोन वाले मामले में हेगड़े ने इस्तीफा दिया था, इसलिए वी० पी० सिंह भी इस्तीफा दें। यह बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्थिति की गम्भीरता से अवगत हैं। यह संगत नहीं है कि श्री चन्द्रशेखर ने कोई वक्तव्य दिया है या नहीं। मेरे विचार से, यह एक गौण मामला है। मामला यह है कि क्या सरकार राजनीतिज्ञों के टेलीफोन टेप कर रही है या नहीं। हमारा अनुरोध यह है कि सरकार को अपने वक्तव्य में यह बताना चाहिए कि क्या वे ये टेलीफोन टेप कर रहे हैं और वे किन लोगों के टेलीफोन टेप कर रहे हैं तथा क्या वे राजनीतिज्ञों के घरों में गुप्त यंत्र लगाकर उनकी बातें सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि इस विशेष मामले पर ही एक राज्य सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा क्योंकि यह महसूस किया गया कि यह गलत प्रक्रिया है। इसलिए हमें आशा है कि जितनी गम्भीरता से हम इस मामले को उठा रहे हैं, सरकार भी इसे उतनी ही गम्भीरता से लेगी। यह सौभाग्य की बात है कि एक माननीय सांसद द्वारा वक्तव्य दिया गया है। लेकिन हमारा मूलाधार यह नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ऐसा कर रही है और यदि हां तो यह बताया जाए कि क्यों टेप किए जा रहे हैं और घरों में गुप्त यंत्र लगाकर उनकी बातें क्यों सुनी जा रही है। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलेरियो (मारमागाओ) : मैंने गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रिवीलेज नोटिस मिला है।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलोरो : मैंने नोटिस इसलिए दिया है क्योंकि वे गुप्तचर एजेंसियां ही हैं जिन्होंने सांसदों की संप्रेषण की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप किया है। इसीलिए उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है (व्यवधान) मैं दो बातें रखता हूं। पहली यह कि पूर्ववर्ती बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उन सभी सांसदों तथा अन्य राजनेताओं के नाम को सूची सभा पटल पर रखनी चाहिए जिनके टेलीफोन टेप किए गए हैं। दूसरे, जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े, जिन्होंने स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दिया, के समान गृह मंत्री को भी विशेषाधिकार हनन के इस मामले पर इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (बनगम) : यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित बातें सच हैं तो निःसन्देह यह खेदजनक तथा अक्षम्य है। इसमें दो राय नहीं कि इस तरह के कार्य की निंदा की जानी चाहिए। और यह दुर्भाग्य की बात है कि नई सरकार के सत्ता में आने के 100 दिन के बाद भी वे इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पाए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे कि इस सूची में किन-किन के नाम हैं और टेलीफोन टेप करने का क्रम कब से और कब तक चल रहा है। यह सारी सूचना सभा के समक्ष रखी जानी चाहिए (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुंडु (बालासोर) : मैं इस प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह न केवल विपक्षी सदस्यों अपितु हम सब की चिन्ता का विषय है। किन्तु साथ ही बड़े खेद से मुझे यह कहना पड़ता है कि मैं विपक्षी सदस्यों के आचरण से प्रभावित नहीं हूं (व्यवधान) कांग्रेस (आई) के शासन काल में मंत्रियों के टेलीफोन गुप्त रूप से सुने जाते थे। यहां तक कि उनके आर० ए० एक्स० फोन भी गुप्त रूप से सुने जाते थे। (व्यवधान)

हमारे राजनैतिक जीवन में यह दुःख की बात है कि कोयला कभी अपना रंग नहीं बदल सकता। वे इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे। महोदय, उन्हें आपको धमकाने के लिए इस मंच का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब आपने श्री उपेन्द्र को जवाब देने के लिए कहा था, उन्होंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। उन्हें ऐसी बातों से राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। यदि श्री चन्द्रशेखर का टेलीफोन टेप किया जा रहा है तो सर्वप्रथम मैं सरकार से कहता हूं कि वह इसकी पूरी जांच करे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सदन इससे सहमत होगा कि मंत्री महोदय को अब वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राजनीतिज्ञों के टेलीफोन टेप किए जाने तथा उनके घरों में गुप्त यन्त्र लगाकर उनकी बातचीत सुने जाने का आरोप

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : कुछ सदस्यों ने आज सुबह सदन में समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर का जिक्र किया है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर ने 'इलस्ट्रेटिड वीकली ऑफ इंडिया' को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा की उनके तथा 27 अन्य राजनीतिज्ञों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं। श्री चन्द्रशेखर और अन्य राजनेताओं के टेलीफोन सुने नहीं जा रहे है । (व्यवधान) महोदय, मैं पुनः यह दोहराता हूं कि श्री चन्द्रशेखर अथवा किसी अन्य राजनीतिज्ञ के टेलीफोन बीच में सुने नहीं जा रहे हैं। न ही श्री चन्द्रशेखर अथवा किसी अन्य राजनीतिज्ञ के घरों में गुप्त यन्त्र लगाकर उनकी बातें सुनी जा रही है। तथापि मैं बता दूं कि विशेष परिस्थितियों में भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) के उपबन्धों के तहत टेलीफोन टेप किए गए है।

इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निदेशक को यह अधिकार दिए हैं कि वह अपनी शक्ति को इस्तेमाल करें। अनेक सुरक्षा उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो और इसका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाये जिसके लिए यह दी गई है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : यह किस उद्देश्य के लिए है ?

श्री पी० उपेन्द्र : आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं। आप में चालीस वर्षों तक रहे थे। क्या आप यह नहीं जानते ?

प्रधानमंत्री जी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह आदेश दिया है कि वह इन सभी आरोपों की जांच-पड़ताल करे (व्यवधान) पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इन सभी आरोपों की छानबीन करने का आदेश दिया है। और इससे पूर्व की गतिविधियों की भी जांच का आदेश दिया है जो इस सम्बन्ध में की गई हैं। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : इससे बात नहीं बनेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में माननीय श्री उपेन्द्र ने यह बताया था कि (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह (दौसा) : क्या आप इस पर बहस किए जाने की अनुमति प्रदान करने जा रहे है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे : बात यह तय हुई थी और श्री उपेन्द्र ने यह वादा किया था कि वह इस बात की जांच करेंगे कि क्या जनता दल के नेता माननीय श्री चन्द्रशेखर द्वारा दिया गया वक्तव्य सही है अथवा नहीं और उस समय श्री कुन्दू भी वहां मौजूद थे। उन्होंने ऐसा ही कहा

है। माननीय श्री चन्द्रशेखर एक घंटे से भी अधिक देर तक दोपहर बाद यहीं केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित थे। महोदय, मैं श्री उपेन्द्र से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने माननीय श्री चन्द्रशेखर से उनके कथन की सत्यता के बारे में पूछताछ की है। (व्यवधान) वह ऐसा नहीं करेंगे यदि श्री उपेन्द्र यह बयान देते हैं कि श्री चन्द्रशेखर के टेलीफोन को टेप नहीं किया गया था। जहां तक श्री चन्द्रशेखर द्वारा लगाये गए आरोप का सम्बन्ध है, केवल एक व्यक्ति ही ऐसा है जो इसका खंडन कर सकता है और वह स्वयं श्री चन्द्रशेखर ही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे श्री वसुदेव आचार्य को सुनने दें।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : महोदय, क्या आप इस पर बहस किए जाने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री आचार्य।

[हिन्दी]

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, यहां आज जितने लोग पहल कर रहे हैं, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति का फोन भी इन्होंने टेप किया था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने पहले ही वक्तव्य दे दिया है। मैंने श्री आचार्य को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कुछ दिनों पहले श्री जनार्दन पुजारी और अजीत पांजा ने बिरला के समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर सदन में यह झूठा आरोप लगाया था कि भारत के मार्क्सवादी दल ने 200 करोड़ रु० इकट्ठे किए थे। (व्यवधान) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने वित्तमंत्री प्रो० मधु दण्डवते को इस बारे में लिखा था। प्रो० मधु दण्डवते ने इस बात से साफ इंकार किया कि गुप्तचर विभाग से ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। (व्यवधान) महोदय, मेरी यह मांग है कि श्री जनार्दन पुजारी और श्री अजीत पांजा द्वारा लगाया गया आरोप वापस लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : भगत जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री भगत को बुलाया है। बनातवाला जी, कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री भगत जी, बोलिए।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। (व्यवधान) श्री दिनेश सिंह ने इस बारे में अत्यन्त सीधा सा प्रश्न पूछा है बिना इस बात की परवाह करते हुए कि श्री चन्द्रशेखर ने ऐसा कहा है अथवा नहीं कि टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं अथवा नहीं। इस बात से इंकार न करते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया है कि विधि के कतिपय प्रावधानों के अन्तर्गत अनेक टेलीफोन टेप किये गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह हमें उनके नाम बतायेंगे और क्या उसे सभापटल पर रखेंगे अथवा नहीं (व्यवधान) चूंकि आप सभी ये भी उनके नाम जानने चाहें है तो क्या वह सभापटल पर सम्बन्धित दस्तावेज रखेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मल्होत्रा।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : आपको श्री चन्द्रशेखर से बातचीत करनी चाहिए थी। परन्तु आप ऐसा नहीं कर सके हैं। अतः हम नियम 193 के अधीन सोमवार को इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 193 के अधीन इस मामले पर एक नोटिस दीजिए। मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियम 193 के अधीन नोटिस दें। इस विषय पर अब और बहस नहीं की जाएगी। अब मैं कार्यसूची के अगले मद को लेना चाहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल उठाया गया है, मैं समझता हूं कि काफी गम्भीर मामला है और इस बात पर आपने कांग्रेस पार्टी के कई आदमियों को बोलने का मौका दिया। अगर आपने बहस शुरू कर दी थी, तो जो हाउस के अंदर हाउस को न चलने को पूट दें, वे ही इस पर बोलेंगे, यह तो नहीं होना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी पालिटिकल आदमी का टेलीफोन टेप करना, निहायत गलत और शर्मनाक बात है। यह नहीं होना चाहिए। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तियों के टेलीफोन टेप न हों यह गवर्नमेंट को एश्योर करना चाहिए। सिवाय उन लोगों के कि जो टैररिस्ट्स हैं या देशद्रोही हैं उनके टेलीफोन टेप करने के, दूसरे व्यक्तियों के टेलीफोन टेप करने का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें आप सी०बी०आई० की इन्क्वायरी कराना मानते हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह जब वे राष्ट्रपति थे तब उनका भी टेलीफोन टेप किया गया था और सारी अपोजीशन के टेलीफोन टेप किए गए थे, इस बात की इन्क्वायरी भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने टेप किए थे उन लोगों को वही सजा दी जाए, जो इस मामले में बिना अनुमति टेप करने वालों को दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इनको ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स याद आई है, (व्यवधान) चन्द्र शेखर जी को इन्होंने जेल में डाला, और बिना किसी दोष के इमर्जेन्सी

में जेल में डाला था, तब याद नहीं आई, (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, तीन महीने पहले तक मेरी डाक सेंसर होती रही, सारे अपोजीशन के लोगों की डाक सेंसर करते रहे। हम यह चाहते हैं कि जो गलतियां कांग्रेस पार्टी करती रही है, वे नैशनल फ्रन्ट की गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। किसी पोलिटिकल आदमी का न टेलीफोन टेप होना चाहिए और न डाक सेंसर होनी चाहिए, इस बात को पूरा एन्श्योर करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बिरनापुर) : इन सब बातों से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सदन में हम सभी उत्तेजित है चाहे हम सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। यह एक अत्यन्त गम्भीर मसला है और हम सब यह मांग करेंगे कि इस मामले की पूरी जांच की जाए क्योंकि अब यह मामला श्री चन्द्रशेखर द्वारा सदन के बाहर दिये गए वक्तव्य से सबके सामने आ गया है। चूंकि अब यह मामला पूरे देश की जानकारी में आ गया है अतः इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए और सारे तथ्यों का पता लगाने के पश्चात्, मुझे विश्वास है सरकार सदन के समक्ष अपना पूरा बयान देगी। मैं अपने मित्र राजा दिनेश सिंह से पूरी तरह सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि श्री चन्द्रशेखर ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है परन्तु मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इस प्रकार की टैपिंग हो रही है अथवा नहीं। परन्तु श्री साठे ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है।

श्री बसन्त साठे : मैं यही कहना चाहता हूं···(व्यवधान)···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, श्री साठे का यह कहना है कि आपको इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या श्री चन्द्रशेखर ने···(व्यवधान)·· आप अनेक बार कह चुके हैं परन्तु मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। मेरे कांग्रेसी मित्र इस पर सोच विचार कर लें। राजा दिनेश सिंह द्वारा उठाया गया मुद्दा मेरे विचार में बिल्कुल सही है···(व्यवधान)···और श्री साठे का इस बात पर अड़े रहना कि मुख्य बात यह है कि श्री चन्द्रशेखर से यह पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा कहा है अथवा नहीं, यह अप्रासंगिक है।···(व्यवधान)· यहां आने से पहले आपको सलाह कर लेनी चाहिए थी···(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : हमें सलाह मत दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कभी-कभी आपको कुछ सलाह भी ले लेनी चाहिए। आप गुस्सा मत कीजिए···(व्यवधान)···

मुझे इस बात में कोई रुचि नहीं है कि जो कुछ अध्यक्ष के कक्ष में हुआ, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। आप किसी ऐसी बात का उल्लेख कर रहे है जो वहां पर हुई है (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : यह बात महत्व नहीं रखती कि श्री चन्द्रशेखर ने ऐसा कहा था अथवा नहीं ··(व्यवधान)··· हम उनके नाम जानना चाहते है और हम तथ्य चाहते हैं। मैंने सुबह भी यही कहा था···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर श्री साठे यह मानते हैं कि श्री उपेन्द्र ने तथ्यों की जांच किए बिना सरकार की ओर से यह बयान दिया है। यह बात उन्हें कैसे पता है ? उन्होंने जांच सम्बन्धी किसी समझौते का उल्लेख किया। वह यह कैसे जानते हैं कि बिना किसी तथ्य की जांच किए हुए उन्होंने यह वक्तव्य दिया है···(व्यवधान) आप सदन के बाहर कई ऐसे वक्तव्य दे सकते हैं···(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : हम चाहते हैं कि एक संसदीय समिति इस सब की जांच करें (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : मैं नहीं जानता कि जिस समय मैंने वक्तव्य दिया था वहां पर उस समय माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त भी उपस्थित थे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी राजनैतिक नेता का कोई भी टेलीफोन टेप नहीं किया जा रहा है। मैंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने तथ्यों की जांच करने का पश्चात ऐसा कहा था।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार नागरिकों के स्वतन्त्रता के अधिकार को और उनके गोपनीयता के अधिकार को मान्यता देती है और गैर-कानूनी कार्य करने में विश्वास नहीं रखती है। इसी के साथ-साथ हम संसद-सदस्यों और विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं को सर्वाधिक महत्व देते हैं। मैंने इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था ···(व्यवधान)

जहां तक श्री चन्द्रशेखर के वक्तव्य का सम्बन्ध है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच का आदेश दिया गया है···(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : हम चाहते हैं कि संसद द्वारा इसकी स्वतन्त्र जांच की जाये न कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

महोदय, सी० बी० आई० की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और श्री चन्द्रशेखर के वक्तव्य के बिना यह जांच नहीं हो सकती। केन्द्रीय जांच ब्यूरो निश्चित रूप से श्री चन्द्रशेखर से सम्पर्क करेगा और उनका वक्तव्य लेगा। मैंने राष्ट्रीय मोर्चे के अपने माननीय नेता से क्या बातचीत की है, मैं वह उन्हें बताना जरूरी नहीं समझता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। दिनेश सिंह जी, मेरे विचार से आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आबंटित समय को नहीं लेंगे। 3.30 बज चुके हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य ले रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

3.31 म०प०

चुनाव सुधारों के बारे में संकल्प—(आरी)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे कि :

"इस सभा की यह राय है कि नौवें आम चुनावों की पृष्ठ भूमि में, विशेष रूप से धन शक्ति तथा बाहुबल के प्रभाव को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भावी चुनाव पूर्ण रूप से स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूप से हों, चुनाव सुधार शीघ्र किए जाएं।"

श्री मान्धाता सिंह जी, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, कृपया हमें यह बताएं कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात् आप नियम 193 के अधीन मामले लेंगे या नहीं।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, यह चर्चा पहले से ही कार्य सूची में दर्ज है। यदि माननीय सदस्यगण इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि वह नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करना चाहते हैं या वह इसे स्थगित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो 193 असम जैसे महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में है, मैं चाहता हूं कि इसको आज नहीं मंडे को लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता कि हम इस पर सोमवार को विचार करेंगे ही। इसका फैसला कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बी० ए०सी० में बैठ कर इस संबंध में बात कर लेंगे। अगर आप सहमत है तो इस पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को क्यों नहीं सुनते।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। हम सी० बी० आई० जांच के लिए सहमत नहीं हैं क्योंकि यह एक सिपाही द्वारा दूसरे की जांच करवाना होगा। यह या तो संसदीय जांच होनी चाहिए या न्यायिक जांच होनी चाहिए। सी० बी० आई० की जांच करवाना ही पर्याप्त नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी मान्धाता सिंह जी बोल रहे हैं। आप किस प्वाइंट आफ आर्डर की बात कर रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरे दो प्वाइंट आफ आर्डर हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, मेरे व्यवस्था के दो प्रश्न हैं। एक टेलीफोन टेप करने के बारे में है। सी० बी० आई० की जांच का आदेश देकर प्रधानमंत्री जी ने सराहनीय कदम उठाया है (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, आप इतने नासेंजेबल आदमी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया, श्री सिंह को उनका भाषण जारी रखने दें।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं प्वाइंट आफ आर्डर बता रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका हो गया, आप बैठ जाए।

[अनुवाद]

मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति नहीं दी। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

3.34 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

श्री नाथू सिंह : नियम 377 के अन्तर्गत मामलों का क्या हुआ ?

सभापति महोदय : मैं आपको नियम 377 के अन्तर्गत मामलों के बारे में बताता हूं।

अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार कर रहे हैं। यह समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए निर्धारित है। इसलिए, हम इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। यदि आप नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करना ही चाहते है तो हम 6 बजे के बाद इन पर विचार कर सकते है। इससे पहले हम इन्हें नहीं ले सकते। यदि यही, तो हम इस पर सोमवार को विचार करेंगे।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : सभापति महोदय, मैं चुनाव सुधारों पर बहस को आगे

बढ़ाता हूं जो पहले शुरू हुई थी। आगे बढ़ने से पहले, मैं संक्षेप में वह सब दोहराता हूं जो मैंने दो सप्ताह पहले कहा था।

श्री आडवाणी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात मैंने कहा था कि चुनाव सुधारों की ओर ध्यान देना चाहिए जो अति आवश्यक हो गया है। इस सदन में हमें आज सुबह से ही जो उच्छृंखल दृश्य देखने को मिल रहे हैं वह शायद हमारी चुनाव प्रणाली का ही दोष है जो इस पुनीत सदन में ऐसे लोगों को चुनकर भेजती है जो इस सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार और मर्यादा को भी नहीं बनाए रखना चाहते। अध्यक्ष पीठ की अवज्ञा कौन करना चाहता है? जो सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें कौन बीच में टोकना चाहता है? इसलिए, किसी पर भी आरोप लगाए बिना मैं अपनी बात का सूत्र पकड़ता हूं।

मैंने उस दिन कहा था कि हम मजबूत चुनाव सुधारों के बारे में तब तक विचार नहीं कर सकते जब तक इस प्रक्रिया पर आरम्भ से ध्यान नहीं देते। चुनाव की प्रक्रिया मूलतः मतदाता सूची पर आधारित है जो लेखपालों या छोटे मुलाजिमों द्वारा तैयार की जाती है। देश भर में हमारा दुखद अनुभव यह है कि न केवल मतदाता सूचियां तैयार करने बल्कि उनके संरक्षण में भी भारी पैमाने पर हेराफेरी होती है। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था मैं स्वयं पिछले लोक सभा चुनावों में इसका शिकार रहा हूं और मेरे लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूचियों से 4 लाख नामों का अपहरण कर लिया गया। इसलिए यदि चुनाव सुधारों के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करना है तो हमें दोष रहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने और चुनाव की तारीख तक उन्हें सम्भाल कर रखना होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां चुनाव होते ही रहते हैं—कभी स्थानीय निकायों के, कभी राज्य विधान सभाओं के और कभी संसद के इसलिए मेरा यह सुझाव है कि एक स्वतन्त्र निर्वाचन तंत्र तैयार किया जाए जिसमें शीर्ष पर निर्वाचन आयोग तथा नीचे जिला स्तर या ब्लाक स्तर या जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, तैयार किया जाए। मैं इस बात पर फिर बल दूंगा कि इस स्थायी निर्वाचन तंत्र को न केवल मतदाता सूचियां तैयार करने का काम सौंपा जाए बल्कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव कराए जाने का काम भी सौंपा जाए।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पांच वर्षों तक एक जिला न्यायाधीश अथवा पुलिस अधिकारी सरकार के अधीन कार्य करता है और जब अधिसूचना जारी की जाती है तो उसी अधिकारी को निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि सरकार बार-बार दोहराती है कि चुनाव अधिकारी एक स्वतन्त्र अधिकारी होता है और सरकार का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं होता जबकि तथ्य इस सब घोषणाओं को झूठा साबित करते हैं। एक हजार एक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जबकि बूथों पर कब्जा करने के लिए और दूसरी हेराफेरियों के लिए जिला प्रशासन तथा तथाकथित चुनाव अधिकारियों पर दबाव डाला गया, पुलिस तंत्र का दुरुपयोग किया गया।

इसलिए दूसरी बात जिस पर कि मैं जोर देना चाहूंगा वह यह कि सम्पूर्ण स्वतंत्र और स्थाई चुनाव मशीनरी होनी चाहिए जो कि पांच वर्षों तक सम्पूर्ण कालिक संस्था के रूप में काम करे क्योंकि चुनाव तो समय-समय पर कराए ही जाते हैं।

[श्री मान्धाता सिंह]

तीसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह यह है कि विधान सभा तथा संसद के चुनावों के लिए नामांकन भरते समय हमें यह शपथ लेनी पड़ती है कि हम संविधान में निहित तीन सिद्धांतों लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में विश्वास रखते हैं। मैं बीच के शब्द धर्मनिरपेक्षता पर जोर देना चाहूंगा। आज हम चुनाव अधिकारी के सामने धर्मनिरपेक्ष होने की शपथ लेते हैं और उसी दिन दोपहर को या दूसरे दिन हम जहर उगलना शुरू कर देते हैं। हम सांप्रदायिक प्रचार और सांप्रदायिकता का जहर फैलाना शुरू कर देते हैं जो कि सारे वातावरण को दूषित कर देता है। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि लोगों के अपने चुनाव प्रचार के समय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को तोड़ते हुए पाया जाता है और वे जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आधारित प्रचार करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून में यथोचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि ऐसे व्यक्तियों को अतिशीघ्र ऐसे प्रचार से रोका जा सके। हमें प्रभावित व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दौरान पांच साल या राज्य सभा के मामले में छः साल की अवधि गुजर जाती है और सारी बात कानूनी अड़चनों में समाप्त हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिस पर कि मैं अपना सुझाव दे रहा हूं। मुझे आशा है कि वे माननीय सदस्य जो कि मेरी बात सुन रहे हैं मेरे सुझाव पर गौर करेंगे कि जो शपथ का उल्लंघन करते हैं उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाना चाहिए जिसका अर्थ यह है कि उन्हें चुनाव अभियान अवधि के दौरान ही चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

चुनावों में धन और शक्ति के प्रयोग को समाप्त करने के विषय में बहुत सी बातें की जाती हैं। शक्ति के प्रयोग की बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं चुनावों में धन के दुरुपयोग के विषय में अपने विचार प्रकट करूंगा। धन का घिनौना प्रदर्शन, जैसी कि शब्दावली वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में प्रयोग की है, केवल शादी ब्याह जैसे अवसरों पर ही नहीं किया जाता, जिसके साथ कि वित्त मंत्री जी ने सख्ती से निपटने का प्रस्ताव किया है।

धन का घिनौना प्रदर्शन चुनावों के दौरान भी किया जाता है। इसलिए मैं एक बहुत ही ठोस सुझाव देना चाहूंगा और मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। मेरा सुझाव यह है कि हर चुनाव क्षेत्र चाहे वह संसदीय चुनाव क्षेत्र हो या विधान सभा क्षेत्र, उसे मण्डलों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए, और यह विभाजन चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों अथवा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सलाह से किया जा सकता है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। यदि समूचे चुनाव क्षेत्र को मण्डलों में विभाजित किया जाता है तो चुनाव अधिकारी प्रत्येक मंडल में चुनाव सभाएं आयोजित करवा सकता है जहां पर एक ही मंच से सभी उम्मीदवार जनता को सम्बोधित करते हुए अपने चुनाव घोषणा पत्र के बारे में बता सकते हैं और इससे मसला हल हो जायेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप यह यहां कर सकते हैं।

श्री मान्धाता सिंह : यही तो हम सुबह से यहां कर रहे हैं। यह हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में है। इसलिए लोगों ने हमें यहां सारा दिन बर्बाद करने के लिए भेजा है। एक ऐसा मसला

जिसे कुछ ही मिनटों में समाप्त किया जा सकता था, दोपहर से लटक रहा है और अब चार बज रहे है। इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रो० एन० जी० रंगा से मेरी सादर विनती है। मुझे आशा है कि यह सब कहने के लिए वह मुझे क्षमा करेंगे। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि धन के दुरुपयोग को एक तो चुनाव क्षेत्र को विभिन्न मण्डलों में विभाजित करके समाप्त किया जा सकता है। सुविधाजनक स्थानों का चयन करके सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार साझी चुनाव सभाओं को सम्बोधित कर सकते है और यह लोगों तक उम्मीदवार को अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है।

हम सभी जानते हैं कि अमरीका में टेलीविजन पर एक चर्चा के द्वारा सारा देश राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस देश में हर व्यक्ति के पास टेलीविजन नहीं है, अन्यथा मैं भी इसी तरीके को अपनाने का सुझाव देता। परन्तु हमें अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिये रैलियां और सभायें करने की आदत है। दुर्भाग्यवश, हम इन रैलियों के लिये आदमी किराये पर लेते हैं जो कि राजनैतिक संस्कृति का एक आवश्यक अंग बन गया है। हम इसे सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाना कहते हैं। यदि कोई मेरे से यह पूछे कि इन सभाओं का आयोजन कौन करेगा, लाऊड स्पीकर के किराए और दूसरे प्रबन्धों के लिये पैसा कौन देगा तो मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यदि हम चुनावों के लिये सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव करें तो इसमें करोड़ों रुपये का खर्चा नहीं आयेगा। प्रत्येक जिला न्यायाधीश या चुनाव अधिकारी यह कर सकता है और यदि जरूरत पड़े तो सम्बन्धित राज्य सरकार धन उपलब्ध करवा सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। इसलिये चुनाव चिन्ह बहुत ही महत्व रखते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि चुनाव चिन्हों का व्यापक प्रदर्शन किया जाना चाहिए और काफी संख्या में उन्हें छपवाकर उन्हें चुनाव क्षेत्र में सभी जगह, सभी मुहल्लों, सभी गांवों में वितरित किया जाना चाहिये ताकि लोग विभिन्न राजनैतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्हें यह पता होना चाहिये कि यदि वे कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं तो उन्हें हाथ पर मोहर लगानी है और यदि वे जनता दल को वोट देना चाहते हैं तो उन्हें चक्र के निशान पर मोहर लगानी है। यह कार्य भी राज्य द्वारा धन की सहायता से किया जा सकता है।

मेरा अगला मुद्दा शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध मे है। यह हमारे राजनैतिक पतन तथा राजनैतिक नैतिकता के ह्रास का बहुत ही दुःखद पक्ष है। हम इसका प्रयोग करते रहे हैं। लगभग सभी राजनैतिक दल इसका प्रयोग करते रहे है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या दल का नाम लेना नहीं चाहता। कुछ आकड़े सामने आये है जिनके अनुसार कुछ विधान सभाओं में 100 से भी अधिक सदस्य ऐसे है जिनका आपराधिक रिकार्ड है। इसलिय केवल इस सदन में कोई प्रस्ताव लाने से, कोई कानून बनाने से अथवा जन प्रतिनिधित्व कानून में कोई और धारा जोड़ने से यह बुराई समाप्त होने वाली नही है। शक्ति के प्रयोग को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रमुख राजनैतिक दल इसके लिए सामने आएं। यह नेतृत्व के गुणों और राजनैतिक नैतिकता को खुली चुनौती है। इस सम्बन्ध में हमें, प्रमुख राजनैतिक दलों और उनके नेताओं को बहुत ही सावधान रहना होगा ताकि इन गतिविधियों पर निगाह रखी जा सके। अन्यथा सारा चुनावी ढांचा चरमरा जायेगा। जबकि यह ढांचा कमजोर हो रहा है तो हम देख रहें है कि अवांछित

[श्री मान्धाता सिंह]

तत्व सभी अवसरों पर सभी जगह उभर कर सामने आ रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लाए गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये और इस सदन के सामने ऐसा कानून लेकर आए जो कि भविष्य में निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से चुनाव करवाए जाने में सहायक हो सके।

लगभग बीस मिनट तक मेरी बात सुनने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने धैर्यपूर्वक मुझे सुना।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फर्रुखाबाद) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में अपनी बात कहने का समय दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं।

मान्यवर, हमारे देश की संसद संसार में लोकतंत्र की एक मिसाल है और इस लोकतन्त्र की रक्षा कैसे होगी, कैसे इनकी बुनियाद का गठन होगा, इस पर आज हम विचार कर रहे हैं। पार्लियामेंट के गठन और गठन के पीछे जो बुराइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, यह चुनाव सुधार में जो संशोधन करने की बात कही गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है। इस पर विचार करते समय 3-4 मुद्दों पर विचार करना बहुत जरूरी है, जिससे चुनाव व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।

पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग का गठन नीचे ऊपर तक होना चाहिए। जब तक स्वतन्त्र चुनाव आयोग नहीं होगा, जब तक हमारी मतदाता सूचियां प्राइमरी स्कूल के अध्यापक और लेखपाल दरुस्त करेंगे, बेटे को बाप और बाप को बेटा बनाते रहेंगे, मुर्दे को जिंदा और जिंदा को मुर्दा बनाते रहेंगे, तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान जैसे लोकतन्त्र में अगर कोई मतदाता जिंदा है, लेकिन सूची में उसका नाम नहीं है तो वह मतदान नहीं कर सकता और मतदान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लेखपाल ने मतदाता सूची में उसका नाम नहीं रखा या हमारे मास्टर साहब ने नहीं रखा और कई ऐसे लोगों का नाम भी मतदाता सूची में रहता है जो मर चुके है। यह इस व्यवस्था की सबसे घटिया मिसाल है। मतदाता सूची बनाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए और सबसे उच्च बाडी जो चुनाव आयोग है, इसकी भी ऊपर से लेकर नीचे तक अलग एजेंसी बननी चाहिए, जैसा कि मघाता सिंह जी ने कहा, उनकी इस बात से हम सहमत हैं कि चुनाव सिंबल का होना चाहिए, विचार का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। आज चुनाव व्यक्ति का होता है और जब व्यक्ति का चुनाव होता है तो लाजमी है व्यक्तिवाद पनपता है, जातिवाद पनपता है और सम्प्रदायवाद पनपता है और धन तथा बल का प्रयोग होता है। यही कारण है कि जिस कांस्टीच्यूएंसी में जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है पैसे से, डण्डे से वह हर करप्शन को एडोप्ट कर लेता है। चाहे उसमें कातिलाना हमला होता हो, लूट-पाट होती हो, मार-पीट होती हो, बूथ कैपचरिंग होती हो, जो वोट डालने चाहते हैं उन्हें वोट न डालने दिया जाता हो। तो सिम्बल का चुनाव नहीं होता, चुनाव व्यक्ति का होता है और जब व्यक्ति का चुनाव होता है तो इस चुनाव के पीछे तमाम बुराइयां पैदा होती हैं। इसलिए चुनाव समानुपातिक होना

चाहिए। इससे ही हमारी पार्लियामेंट का गठन होना चाहिए। यह देश में लागू किया जाना चाहिए।

दूसरा मान्यवर, दूसरा है परिचय-पत्र। हम मतदान करने जाते हैं तो पता लगता है कोई दूसरा हमारा वोट डाल कर चला गया। उसकी कोई पकड़ नहीं होती है। इसलिए परिचय-पत्र की भी बहुत आवश्यकता है। यह हमारा सबसे बड़ा सर्टीफिकेट होगा। जो व्यक्ति वोट देने जाता है और जिसका मतदाता सूची में नाम है, उसका फोटो उसके परिचय-पत्र पर है, अगर परिचय-पत्र उसके पास होगा तो सही मतदान हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि मतदाता को मत देने के लिए बाध्य किया जाए। उसके लिए कानून होना चाहिए कि मतदान व्यक्ति जरूर करे। जो मतदान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जुर्माना या किसी अन्य तरीके की कार्यवाही होनी चाहिए। ताकि मतदान को अवाइड न कर सकें। हमारे देश की जैसी सामाजिक संरचना है और देश का जैसा ढांचा है उसमें मान्यवर, बहुत से गरीब तबके के लोग, गरीब जातियों के लोग, आदिवासी लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, मजदूर तबके के लोग स्वतन्त्ररूप से अपना मतदान नहीं कर पाते हैं और जो बुराइयां हैं उनके कारण उनके मत का सही प्रयोग नहीं हो पाता है। हमें ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे देश के छोटे-बड़े सभी लोग स्वतन्त्र रूप से मतदान कर सकें। इसके लिए हमें गरीब तबके के मतदातों के लिए गारण्टी करनी चाहिए कि वे स्वतन्त्ररूप से मतदान कर सकें। सारे देश के अन्दर चुनाव में जो कमजोरियां आ गई हैं, बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करने के लिए हमें देश-विदेश के तमाम उदाहरणों को, तमाम ऐतिहासिक चीजों को, सुधारों को भी देखना चाहिए और साथ ही साथ जो हमारे देश में आज तक चुनाव प्रक्रिया में बुराइयां हैं, जो हमारे अनुभव हैं उनको सामने रखकर उन अनुभवों के आधार पर चुनाव में नये सुधार किए जाने चाहिएं। चुनाव में अगर सुधार करना है तो यह चीज लाजमी है कि नये सिरे से हमारे चुनाव आयोग का गठन ऊपर से नीचे तक एक स्वतन्त्र बॉडी के रूप में किया जाए और समान अनुपातिक चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की मान्यता पर, सिम्बल के आधार पर, पार्टी के आधार पर चुनाव करवाये जाएं। इससे विभिन्न बुराइयां, व्यक्तिवाद, सम्प्रदायवाद जैसी जो बुराइयां हैं उनकी समाप्ति होगी। मेरा कहना है कि परिचय-पत्र जारी किया जाए, मतदाता सूची बनाने के बाद, स्वतन्त्र एजेंसी ही सही मतदाता सूची बना सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने सुझावों पर, बिन्दुओं पर बल देते हुए कि परिचय-पत्र जारी किए जाएं, समान अनुपातिक प्रणाली हो, स्वतन्त्र चुनाव आयोग हो, मतदान आवश्यक हो, ये चार-पांच बिन्दू अगर लागू कर दिए जाए तो शायद लोकतन्त्र की स्वच्छता, शुद्धता बनी रहेगी और हमारा विश्वास लोकतन्त्र पर कायम रहेगा। मान्यवर, आपने समय दिया, मैं चर्चा में भाग लेते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

4.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने इस वाद-विवाद में हिस्सा केवल कुछ सुझाव प्रस्तुत करने के लिए लिया है और किसी के लिए नहीं। वास्तव में, श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना था

[श्री चित्त बसु]

कि हमारी चुनाव प्रणाली में बाहुबल एवं धन शक्ति का मुकाबला किस प्रकार करना है। यही संकल्प का मुख्य उद्देश्य था। जहां तक विस्तृत चुनाव सुधार के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि नई सरकार ने मामले में कुछ पहल की है। पिछली सरकार ने भी इस दिशा में शुरुआत की थी। विभिन्न राजनैतिक दलों, और चुनाव आयोग ने भी हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए थे परन्तु पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार—मेरा तात्पर्य पिछली सरकार से है—एक विस्तृत नीति सम्बन्धी दस्तावेज अथवा एक मुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी और विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करेगी, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं समझता हूं कि उन्हें मौका नहीं मिला। अथवा चुनाव सुधार के उस विस्तृत एक मुक्त कार्यक्रम को पेश करने के लिए हमारे देश के निर्वाचक मंडल ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसके अतिरिक्त, चुनाव खर्च बढ़ता जा रहा है और लोगों के निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यह एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। मेरे पास यह दिखाने के लिए, कुछ आंकड़े हैं कि चुनाव व्यय में वर्ष-प्रतिवर्ष किस प्रकार वृद्धि हुई है क्योंकि न केवल राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों बल्कि सरकारी खर्च में भी वृद्धि हुई है, मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनसे ज्ञात होता है कि चुनाव आयोग ने इस वर्ष ऐसे आंकड़े निकाले हैं कि चुनाव आयोग को कितना चुनाव खर्च वहन करना होता है। यह इस प्रकार है : "इस वर्ष"—अर्थात पिछले लोक सभा चुनावों में—"चुनाव आयोग ने 330 करोड़ रुपए व्यय किये क्योंकि प्रति मतदाता 3.50 रुपए बैठता है" यही चुनाव आयोग का खर्च है। यह राशि 1952 में 60 पैसे प्रति मतदाता और 1984 में 2.20 रुपए प्रति मतदाता थी। यह कुल खर्च का केवल एक भाग है और यह याद रखें कि यह खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है और यह खर्च वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस वर्ष—मेरा तात्पर्य पिछले लोक सभा चुनावों से है—केवल लोक सभा चुनावों पर 1,000 करोड़ रुपए से भी अधिक व्यय किए गये हैं जिसमें 6,084 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। आप इस बात को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे देश ने अधिक खर्च वहन किया। देश को चुनाव कराने में 1,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी। विपक्ष के मेरे मित्र मेरे से अत्यधिक नाराज होंगे यदि मैं भी कुछ आंकड़े पेश करूं कि कांग्रेस दल ने पिछले चुनावों में कितनी रकम खर्च की थी। यह कहा जाता है : कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का केवल प्रचार बजट 75 करोड़ रुपए का था और कुल खर्च अब तक का सबसे अधिक खर्च था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सार्वजनिक तौर पर घोषित किया था कि उन्होंने 75 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था। उनके पास धन है वे खर्च कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विज्ञप्ति में ऐसा कभी नहीं कहा था। हमने इतनी रकम कभी भी व्यय नहीं की थी। आप शायद किसी समाचार-पत्रों से उद्धृत कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : यह एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट है। कुछ भी सही, आपने एक पाई भी खर्च नहीं की। परन्तु यह वही है जिसे वे कहते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास प्रचार के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट था। मेरा इशारा पार्टी अथवा किसी व्यक्ति की

ओर नहीं है कि उसने चुनाव के लिए खर्च किया और किसके लिए ? परन्तु प्रश्न यह है : क्या लोकतन्त्र में दलों को इस खर्च के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति मिल सकती है और इससे लड़ने के लिए इस खतरे को दूर करने के लिए चुनाव के लिए सरकार द्वारा धन देने के प्रस्ताव का बहुत अधिक महत्व है और मुझे आशा है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी।

महोदय, इस पद्धति में भी कमियां हैं। मैं नहीं कहता कि यह एक दोष रहित पद्धति है। उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह सोचकर कि सरकार चुनावों में सरकार द्वारा धन देने के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य के लिए धन नकद नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को आवश्यक सामग्री जैसे पत्र, प्रचार के लिए उपस्कर, गाड़ियां, पोस्टर्स, झण्डे, मतदाता पर्चियों की छपाई आदि की पूर्ति के लिए सहमत होना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : कारों और पेट्रोल का क्या होगा ?

श्री चित्त बसु : हां, वह भी दिया जाना चाहिए। परन्तु एक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए जो देखे कि उम्मीदवारों द्वारा इस सामान का उचित प्रयोग किया गया है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेरा यह सुझाव है कि इस सामान के प्रयोग पर नजर रखने के लिए एक स्वतन्त्र संगठन स्थापित किया जाये।

तीसरे, सरकार द्वारा चुनाव के लिए दी जाने वाली राशि के अलावा पार्टियां भी अंशदान दे सकती हैं। दलों में चुनाव खर्च की सीमा, जिसमें सरकार द्वारा दिये गए सभी सामान शामिल है, निर्धारित करने में आम सहमति होनी चाहिए। अधिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकारी सहायता की शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन के लिए और चुनाव खर्च की सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में सर्वदलीय सहमति के उल्लंघन पर अयोग्य घोषित करने के लिए एक कानूनी प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए भी एक कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि दूसरे स्रोतों के अतिरिक्त सरकार द्वारा दिए गए धन का अतिरिक्त संसाधनों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाये इस सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जायें।

महोदय, मैं श्री बसन्त साठे के भाषण को सुन रहा था जिन्होंने बराबर सुझाव दिया था कि हमारी सम्पूर्ण निर्वाचन पद्धति बदली जानी चाहिए और इसे बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जानी चाहिए। महोदय, मैं इस सुझाव के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि भारत की स्थिति इस पद्धति के अनुकूल नहीं है जिसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। उसके अनेक कारण हैं। भारत के आकार, भारत की संस्कृति, इसकी विशेषताएं, इसकी जातीय समस्याएं और दूसरी समस्याओं वाले देश के लिए इस पद्धति को अपनाना अनुकूल नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इससे ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे जो राष्ट्रपति प्रणाली के लिए सहायक हों।

अन्त में, महोदय, एक दूसरा प्रस्ताव है। पहले हमारी निर्वाचन पद्धति कुछ भिन्नाकर विधान सभाओं और संसद के चुनाव साथ-साथ कराने की थी। एक साथ चुनाव कराए जाते थे। वह प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। अब पंचायतों के चुनाव की तिथियां अलग हैं, स्थानीय स्वायत्त शासी निकायों के चुनाव कराने की तिथियां अलग हैं। विधान सभाओं एवं संसद के चुनाव

[श्री चित्त बसु]

कराने की तिथियां अलग-अलग होती हैं। इस प्रकार चुनाव कराने से खर्च में वृद्धि होती है। मेरे विचार से हमें देश में सभी निर्वाचित निकायों के चुनाव एक साथ कराने की अपनी पिछली पद्धति को बहाल करना चाहिए। यदि यह सम्भव है तो मैं सुझाव दूंगा कि पंचायतों से लेकर संसद तक के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे देश में निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक एक विशेष राजनीतिक शक्ति का सूत्रपात होगा। इससे न केवल जनमत के आधार पर एक विशेष प्रतिमान कायम होगा बल्कि इससे चुनाव खर्च और सामाजिक तनाव भी कम होगा जो चुनाव प्रचार के दौरान पैदा हो जाते हैं। इससे दूसरी बुराइयां भी काफी हद तक कम होंगी जिनका हम चुनाव प्रचार एवं दूसरे मामलों में भी सामना करना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, हम जितने सांसद हैं, वे सब चुनाव लड़कर यहां आये हैं और हमने देखा है कि चुनावों में हर जगह धांधली होती ही है, खास तौर से शासक दल तो करता ही है। हमने इससे पहले विधान सभा का चुनाव भी लड़ा है और हम जब भी वोट मांगने जाते थे तो यह देखते थे कि शासक दल वहां के प्रशासन से मिलकर कुछ न कुछ लाभ उठा ही लिया करता है। इसलिए चुनाव सुधार अति-आवश्यक है। जैसा यहां हमारे कई अनुभवी बुजुर्ग सांसदों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, मैं भी एक दो सुझाव आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमें लोकसभा और विधान सभा चुनावों में, एक दल अधिक से अधिक कितना पैसा खर्च कर सकता है, खर्च की सीमा लगा देनी चाहिए। चुनाव कमीशन ने इस सम्बन्ध में एक निश्चित राशि सुझायी है कि एक संसदीय क्षेत्र में अधिक से अधिक इतना रुपया खर्च करना चाहिए लेकिन हमने देखा है कि कहीं उसका पालन नहीं किया जाता, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता और जो सदस्य निर्वाचित घोषित होते हैं, या जो हारते हैं, वे जैसे वाउचर तैयार करके, चुनाव सम्बन्धी खर्च देते हैं, वही मान्य हो जाता है। इसका मतलब है कि मुख्य रूप से हम अभी तक कोई पाबन्दी लगा नहीं पाये हैं।

मेरा दूसरा सुझाव है कि एक संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा इलाका होता है जबकि हर जिले में पुलिस बल पोपुलेशन की दृष्टि से बहुत कम होता है। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि एक प्रखण्ड की आबादी मिनिमम डेढ़ या दो लाख हुआ करती है, जबकि एक थाने में पुलिस बल मात्र 20-25 ही होते है। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि इतने कम पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन कैसे चुनाव करा लेता है, जब कि लाठी और हाकी लेकर कुछ दलों के लोग आ जाते हैं। फिर गांव के लोग उन राइफलधारियों या बमधारियों से जान बचाने के लिए वोट डालने नहीं जाते और यहां तक कि आपके पोलिंग ऑफिसर और प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी उनसे जान बचा कर भागते है। इस तरह चुनावों में बूथ कैप्चरिंग होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चुनाव के दृष्टिकोण और इंसानियत की हिफाजत के दृष्टिकोण, दोनों ख्यालों से, पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। इससे हमको तीन फायदे होने जा रहे हैं। एक तो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम होगा, प्रत्येक ब्लॉक पर संरक्षण का काम होगा और इसमें पुलिस द्वारा चुनाव भी ठीक से करा सकते हैं। चौथा सुझाव देना चाहता हूं कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 6-7

विधान सभा क्षेत्र हुआ करते हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि तीन विधान सभा क्षेत्र पर ही एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए और सभापति महोदय, मैं तो बिहार से आता हूं। मेरा अनुरोध है कि बिहार में एक-एक जिले की आबादी 24, 25, 26, 27 और 28 लाख तक होती है और इतनी आबादी पर एक संसदीय क्षेत्र होता है और पूरे जिले में पुलिस प्रशासन मुश्किल से 50 या 100 आदमियों का हुआ करता है। इसलिए संसदीय-क्षेत्र को कम करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं यहां पर यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी भी यहां पर पार्टियां हैं, वे जातीय आधार पर टिकिट बांटने का काम करती हैं। यादव-बहुल क्षेत्र में यादव को दो और आदिवासी-बहुल क्षेत्र में आदिवासी को दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इसमें पार्टी या दल, प्रधान मंत्री या विरोधी दल के लोग, या सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, बी० जे० पी० के जो नेता हैं, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि जिस जाति की जिस क्षेत्र में आबादी ज्यादा हो, उसको टिकिट न देकर जो अन्य संख्या में जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार हो, उसको आप टिकिट दीजिए, तब आपकी बूथ कैप्चरिंग रुक सकेगी और चुनाव में सुधार हो सकता है। आज हिन्दुस्तान में किसको क्या कहा जाए अब अमेठी जैसी जगह में जहां प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा था वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई, तो जिस देश के प्रधान मंत्री के क्षेत्र में इस तरह से बूथ-कैप्चरिंग का काम होगा चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि वह चुनाव में कोई सुधार कर दे। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट बनाया जाए और उस संस्था पर किसी किस्म का कोई प्रभाव न पड़े, जब ऐसा होगा, तब वह इंडिपेंडेंट संस्था अच्छा काम करेगी। अभी तो जिस दल की सरकार होती है, उसके मुताबिक उसको काम करना पड़ता है और किसी किस्म का सुधार करने में वह हिचकिचाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, चुनाव-कानून हमारे राजनीतिक जीवन की गंगोत्री है क्योंकि यहीं से राजनीति की और राजनीतिक-प्रणाली की शुरुआत होती है और यदि हम इस गंगोत्री को साफ नहीं रखेंगे, वहां पर नाना प्रकार की बुराइयों को इकट्ठा होने देंगे, तो धीरे-धीरे जो प्रणाली वहां से निकलेगी वह भी दूषित हो जाएगी। आडवाणी जी का जो संकल्प यहां पर है वह वास्तव में जो चिन्ता आज सब लोगों के मन में है चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में, उसको ठीक तरीके से परिलक्षित करता है। लेकिन एक कमी इसमें रह गई है। माननीय आडवाणी जी ने यह कहा है कि धन और बल लाठी की ताकत और पैसे की ताकत को किस प्रकार से समाप्त किया जाए उस पर विचार किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि यदि वह इसमें इतना और जोड़ देते कि धार्मिक नारों, धार्मिक आधार, जाति आधार को भी चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता है, उन प्रभावों को भी किस प्रकार से नियंत्रण किया जाये तो जो संकल्प है वह एक प्रकार का पूर्ण संकल्प बनता है। यह सत्य है कि इस समय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमारी राजनीति धन और लाठी की ताकत से ज्यादा प्रभावित की जाती है। कई स्थानों पर तो हालत यह है बल्कि लोकसभा का जो वर्तमान चुनाव हुआ है, इसमें तो पार्टियों की जीत और हार का निर्धारण ही धार्मिक नारों ने

[श्री हरीश रावत]

किया है। आज जो मित्र हमारे उधर की तरफ बैठे हैं, उनमें से अधिकांश लोगों की उत्पत्ति इसी प्रकार के धार्मिक नारों के कारण हुई है। हम इस बात को देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर या धार्मिक स्थलों के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, धार्मिक वस्त्रों को पहनकर वोट मांगने का काम करते हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो धर्म पर आधारित हैं। आज पंजाब की जो समस्या है, वह महज पैदा ही इसलिए हुई कि हमने वहां पर धार्मिक आधार पर पार्टियों के गठन को स्वीकार किया। आज हालत यह पहुंच गई है देश भर में कई-कई राजनीतिक दल धार्मिक नारों और धर्म के आधार पर उठकर खड़े हो गए और उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बार इस सदन में और इस सदन से बाहर चर्चा उठी है कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। लेकिन हर बार हमने अपने आप में कुछ संकल्प लेने की क्षमता का अभाव पाया है और यही कारण रहा है कि चाहते हुए भी पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, सदन के लोग, सदन से बाहर के लोग दबाव डालते रहे हैं, कहते रहे हैं लेकिन हम धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने, धार्मिक नारों के आधार पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं कर पा रहे हैं। मैं दूसरा सुझाव देना चाहूंगा कि क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रीय नारों के आधार पर भी पार्टी के गठन पर रोक लगानी चाहिए। राजनीतिक दलों का उद्भव मित्रसेन जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, विचारधारा के आधार पर होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में व्यक्तिपरक राजनीति हो सकती है क्योंकि हम विकासशील देश हैं और विकासशील देशों में यदि राजनीतिक व्यक्ति उभरकर नहीं आते हैं तो सारा राष्ट्र उसके पीछे चल नहीं पाता है। उससे कई प्रकार की दिक्कतें, कठिनाइयां खड़ी होती हैं, राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है। राजनीति में व्यक्ति का उभरकर आना अपने आप में एक अच्छा लक्षण भी हो सकता है, अच्छी बात भी हो सकती है। हम कई देशों का उदाहरण ले सकते हैं। इंडोनेशिया, मिश्र, घाना इन देशों में जब तक प्रखर व्यक्तित्व के लोग रहे, इन देशों की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चली और ज्यों ही वे व्यक्ति राजनीति से हटे, इन देशों में तानाशाही स्थापित हो गई, कई प्रकार की दिक्कतें, कठिनाईयां स्थापित हुई हैं। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सहमत हूं कि विचारधारा के आधार पर पार्टी का उद्भव होना चाहिए, पार्टी को यह ऐक्सप्लेन करना चाहिए कि किन राजनीतिक पालिसीज के आधार पर वे देश का संचालन करें। उनकी आर्थिक नीति क्या होगी, उनकी सामाजिक नीति क्या होगी ? मुश्किल यह है कि केवल एक क्षेत्र के आधार पर पार्टी का नाम रखकर लोग चुनाव लड़ लेते हैं। तेलगु देशम पार्टी इस बात का ज्वलंत प्रमाण रही है। कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, केवल एक नारे के आधार पर एक स्थान विशेष की भावना को उभार कर चुनाव लड़कर सदन में पहुंच गए और प्रदेश में शासन में आ गए। आज हम देख रहे हैं कि यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे सब स्थानों पर बढ़ती जा रही है। अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक दल कई स्थानों में इररैलेवेंट होते जा रहे हैं और उनका महत्व घटता जा रहा है। इसलिए क्षेत्रीय दलों के पागलभाव पर भी रोक लगायी जाए। हमें अपने चुनाव कानून में ऐसा संशोधन करना पड़ेगा और ऐसा कहना पड़ेगा कि क्षेत्रीय नारे में किसी को दल गठित करने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई दल ऐसा है तो उन दलों को कहें कि एक सरटेन परसेंटेज आफ टोटल वोट्स को लेकर लोक सभा के लिए आयें,

उसके बाद ही उनको मान्यता मिलेगी और तभी अगले चुनाव में उन्हें लड़ने दिया जाएगा। यदि वे उस परसेंटेज को नहीं लाते हैं तो चुनाव में लड़ नहीं पाएंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक धन की शक्ति को नियंत्रित करने की बात है, हमारे विद्वान मित्रों ने कई प्रकार के सुझाव यहां दिए। वे सुझाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं. मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं इस बात को बड़ी गम्भीरता से महसूस करता हूं कि जब तक लोकतांत्रिक प्रणाली में धन के महत्व को हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे इस सदन के अंदर जनता के बीच में काम करने वाले लोग नहीं आ पायेंगे बल्कि वह लोग आ पाएंगे जो धन के चमक-दमक के साथ मतदाताओं को अन्तिम क्षणों में प्रभावित कर सकेंगे। इससे हमारी संसद का जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है वह भी कुप्रभावित होगा। यदि सरकार के पास इतना धन हो तो हम लोग मांग करेंगे कि दूसरे क्षेत्रों से काट करके चुनाव के स्टेट फंडिंग के सवाल पर गम्भीरता से विचार करें। उसके लिए भी पैसा निर्धारित किया जाना चाहिए। एक-एक पैसा उसके लिये सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। जब स्टेट फंडिंग हो उसके सम्बन्ध में यह भी आवश्यक हो कि मतदान करना लोगों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। हम उन्हीं नागरिकों को सुविधायें दें जो नागरिक मतदान में भाग लेते हों। इस समय हालत यह है कि बहुत कम परसेंटेज चुनाव में मतदान में आया है और उसमें भी 5-6 पार्टियों में वह वोट बंट जाता है। ऐसे में जो लोग चुनकर आते हैं उन लोगों का अपने वोटरों के साथ जो तारतम्य होना चाहिए वह नहीं रह पाता है। इसलिए मतदान का अधिकार भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इसके अलावा पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद की इकाइयों को प्रभावित करते हैं। इस समय बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायतों या म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव सामान्य तौर पर हो रहे हैं या सामान्य समय के अनुसार हो रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जिस समय हम लोक सभा और विधान सभा के मामले पर विचार करें तो वहां इस बात पर भी विचार करें कि पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी चुनाव को समय पर निर्धारित करना कांस्टीट्यूशनल ऑब्लिगेशन राज्य सरकारों के लिए हो।

यहां लाठी की ताकत का उल्लेख हुआ। कई हमारे मित्र और यादव साहब अभी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कह रहे थे। सवाल आज अमेठी या किसी और स्थान का नहीं है। सवाल यह है कि लाठी की ताकत कब तक देश की राजनीति को प्रभावित करती रहेगी। यदि इसी प्रकार से इसका प्रभाव चलता रहा तो हालत यह हो जाएगी कि माफिया किंग्स ही चुनकर यहां आएंगे, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले और उनके दुख-दर्द को समझने वाले लोग यहां नहीं आ पाएंगे।

श्री मानिक सान्याल (जलपैगुड़ी) : वही अब आ गए हैं।

श्री हरीश रावत : अगर आ गए हैं तो यह हमारे लिए दुख का विषय है। लाठी की ताकत की शुरूआत सबसे पहले राजनीति में उत्तर प्रदेश से हुई थी और उत्तर प्रदेश में बागपत से हुई थी। इसके जो जनक थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। पहले हमारे देश की राजनीति में बूथ कैपचरिंग एक अननॉन फैक्टर था। यह फैक्टर कहां से शुरू हुआ, यदि उस पर

[श्री हरीश रावत]

जाएगे तो उधर की तरफ वह चेहरे दिखाई देंगे जो कांग्रेस के विरोध में हैं। लेकिन मेघ विधान सभा का जो चुनाव हुआ है, वह अपने आपमें एक मिसाल है।

यह बीमारी कितनी गम्भीर हो सकती है, कितना भयानक रूप ले सकती है, यह उसका एक जीता जागता प्रमाण है। हम यह कह सकते हैं कि हमारे राजनैतिक शरीर में धीरे-धीरे जो फोड़े इकट्ठे हो रहे थे, उन फोड़ों में कैंसर के रूप में यदि कोई फोड़ा उभरकर आया है तो वह मेहम का होगा ....(व्यवधान) यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिमला में कहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नाथू सिंह जी, आप अपने लीडर को खुद कहिए कि इतनी गलत बात न कहें, मैं तो उन्हीं को कोट कर रहा हूं कि हमारे राजनैतिक शरीर पर जो फोड़े फुंसी निकल कर आए थे धनशक्ति के प्रयोग से और लाठी की शक्ति के प्रयोग से, उसमें कैंसर बनकर आया है तो वह मेहम का है। वहां न केवल लाठी का इस्तेमाल हुआ बल्कि सरकारी लाठी का भी इस्तेमाल हुआ और लाठी के जरिए, वहां के जो सत्तानशीं व्यक्ति थे, उनको चुनाव जिताने की चेष्टा की गई और जब यह देखा गया कि सारा देश उठकर खड़ा हो गया है और चुनाव में नहीं जीत सकते हैं तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश की गई, ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि वहां के सारे चुनाव को रद्द कर दिया गया इसलिए आज हम सब लोगों को विचार करना आवश्यक हो गया है कि मेहम के रूप में जो कैंसर हमारे राजनैतिक शरीर में फोड़े के रूप में पैदा हो गया है, इसका ईलाज कैसे हो। उसका ईलाज करने के लिए बड़े कुशल सर्जन की जरूरत है और उसके साथ सारे राजनैतिक दल के लोगों को बैठकर मनन करना होगा, उनको असेस करना होगा, सहायता देनी होगी तभी हम लाठी की ताकत को कम कर सकते हैं और क्योंकि लाठी की ताकत के साथ जाति की ताकत भी जुड़ी हुई है, यह जो उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव हुए हैं।

[अनुवाद]

(व्यवधान) आप श्री मित्रसेन यादव से पूछ सकते हैं। मैं जो कुछ यहां कह रहा हूं वे उसका समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में और बिहार के अन्दर लाठी की ताकत के साथ जाति का शब्द भी जुड़ा हुआ है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जाति के लोगों को उभार कर, आगे लाकर उनसे कहा जाता है कि तुम लाठी चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम बूथ कैप्चरिंग करो इसलिए हमको गम्भीरता से इस बात पर सोचना होगा। इस बात पर माननीय यादव साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जहां जिस जाति का बहुमत है, उस जाति को नहीं बल्कि हर राजनैतिक दल के लोगों को एक ऐसी आम प्रथा बना लेनी चाहिए कि वहां माइनोरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति को, जो छोटी जाति का है, जिसकी बिरादरी कम है, जिसके बहुत कम लोग है, उस व्यक्ति को खड़ा करें ताकि जाति के नाम पर, लाठी की ताकत एकदम न हो सके, वह बूथ कैप्चरिंग न कर सके।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डीलिमिटेशन बहुत दिनों से नहीं हुआ है और यह बहुत अब इसमें बहुत विलम्ब हो गया है। इसके विषय में गम्भीरता से सरकार को विचार करना चाहिए और इस विषय में तत्काल कदम उठाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जितनी रिजर्व कांस्टीट्वेंसीज है, उनको रोटेट करना चाहिए। यदि दो बार रिजर्व कांस्टीट्वेंसी रह जाए तो तीसरी बार उसको रिजर्व कांस्टीट्वेंसी नहीं रहना चाहिए, इसका प्रभाव वहां पर स्वस्थ राजनीति के विकास में पड़ेगा। इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र या लोक सभा क्षेत्रों का निर्धारण केवल जनसंख्या के आधार पर ही नहीं होना चाहिए, क्षेत्रफल को भी देखा जाना चाहिए। बीकानेर संसदीय क्षेत्र और मेरे अपने ही संसदीय क्षेत्र में दो जिले हैं, जिनमें से एक जिला हिन्दुस्तान के तीन चार सबसे बड़े जिलों में से गिना जाता है तो ऐसे संसदीय क्षेत्रों में जनता के नजदीक तक पहुंच कर उनके दुख और तकलीफ में लगातार शामिल होना किसी भी प्रतिनिधि के लिए बहुत कठिन काम है। यदि मैं ईमानदारी से भी कोशिश करूं तो हर गांव में पहुंचने के लिए मुझे पांच साल का वक्त चाहिए, यदि मैं यहां न आऊं और यहां कोई काम न करूं, संसदीय क्षेत्र में ही घूमूं तो इतने ज्यादा गांव हमारे यहां हैं। इस प्रकार की स्थिति कई विधान सभा और लोक सभा क्षेत्रों की है। जितने बड़े विधान सभा के क्षेत्र हैं, उससे दुगुने बड़े मेरे क्षेत्र के अन्दर विकास खण्ड हैं, ब्लाक्स हैं। कम से कम इस विषय में गम्भीरता से विचार होना चाहिए, चाहे लोकसभा के लिए इस काम को नहीं भी कर सकें लेकिन विधान सभा के लिए तो कम से कम कर देना चाहिए, क्योंकि जनता की छोटी कठिनाई का ताल्लुक विधान सभा के सदस्य के साथ होता है जैसे पीने के पानी की समस्या है, अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं तथा दूसरी-तीसरी छोटी-मोटी जरूरतें हैं। जब विधान सभा का क्षेत्र बड़ा होता है तो विधान सभा सदस्य के लिए अपने क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द में शामिल होना मुश्किल हो जाता है तथा इस प्रभाव में उस क्षेत्र के नेतृत्व में भी मजबूती के साथ विकास नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम इसकी शुरूआत उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात इसलिए भी उठ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोग यह महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विशाल विधान सभा में उनकी आवाज ठीक से सुनी नहीं जाती है, उठ नहीं पाती है, उनके दुख दर्द की बात वहां पर उठ नहीं पाती है। इसलिए माननीय, उत्तर प्रदेश के विधान सभा के कुछ क्षेत्रों में, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, वहां के विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन इस तरह से होना चाहिए कि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके और उनका आकार छोटा हो सके।

अन्त में, मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि चुनाव कानून में संशोधन के विषय में विचार-विमर्श के लिए जो सर्वदलीय बैठक की आपने शुरूआत की है, उसको आगे और आगे बढ़ायें। इस मामले में यह नहीं होना चाहिए कि यह कांग्रेस है, जनता दल है या भारतीय जनता पार्टी है, हमको विचार करना होगा कि आज हमारी राजनीतिक प्रणाली कैसे स्वस्थ हो सकती है। हम लोग बिना अपने पूर्वाग्रहों के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर अपने सुझाव दें और सरकार की मदद करें। हम नहीं कहते हैं कि सरकार ने कहा है कि हम स्टेट इलैक्शन फंडिंग कराये चुनाव के समय आप पैसा लेकर आइए। हम इस कठिनाई में सरकार को नहीं डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक नेशनल कन्सैंसस बने, राष्ट्रीय सहमति बने और उस सहमति के आधार पर सरकार के हाथों को मजबूत कर सकें,

[श्री हरीश रावत]

ताकि चुनाव कानून में सुधार हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्यारे लाल हाण्डू (अमृतसर) : महोदय, जिस संकल्प पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय नेता द्वारा आरम्भ की गई है, सम्भवतः यहां मैं उसका विरोध कर रहा हूं, से परम्परावाद और अपरम्परावाद में विवाद उत्पन्न हो सकता है। जब हमने 26 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार भारत को गणतंत्र घोषित किया था। उसके तत्काल बाद वर्ष 1952 से ही हमारे चुनाव सम्बन्धी कानून बने हुए हैं। यह सही है कि वर्ष 1952 से अब तक हुए चुनावों के दौरान हमने चुनावी प्रक्रिया में की गई कुछेक गड़बड़ियां पाई हैं। परन्तु इस आधार भूत कानून के विद्यार्थी के रूप में मैं इस सम्माननीय सदन के सभी सदस्यों से यह प्रश्न पूछने का आग्रह करूंगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का वह कौन सा उपबन्ध है जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी की गई है अथवा की गई है, उनके लिए जिम्मेदारी है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का वह कौन सा उपबन्ध है जिसे मेरे सम्माननीय मित्र श्री आडवाणी जी ने चुनावी प्रक्रिया में धनशक्ति और बाहुबल का नाम दिया है? क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के 1 से लेकर 135 तक में से हम एक भी ऐसा उपबन्ध उद्धृत कर सकते हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि एक राजनैतिक दल को चुनाव जीतने के लिए बाहुबल जुटाना ही चाहिए अथवा जिसमें यह बताया गया हो कि एक राजनैतिक दल को चुनाव जीतने के लिए अपने आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना चाहिए? यह एक वास्तविक है कि चुनाव संबंधी कानून में इन सभी बातों पर रोक है। वास्तव में, इसमें उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के कार्य नहीं किये जाने चाहिए। परन्तु फिर भी ऐसा किया जाता है। हमें जानना चाहिए कि समस्या की जड़ कहां है? हम ऐसा क्यों करें? हममें से प्रत्येक को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि उसने अपने निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए कितना खर्च किया? क्या मैंने स्वयं कानून का पालन किया अथवा अपने दल के आदेश का पालन किया? इसका उत्तर निश्चित रूप से सकारात्मक होना चाहिए। इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता। परन्तु इन अपवादों से यह सिद्ध हो जाएगा कि समस्या कानून से उत्पन्न नहीं हुई है बल्कि वास्तव में यह राजनीतिज्ञों की चुनावी गतिविधियों के कारण पैदा हुई है।

कानून के विद्यार्थी के रूप में यदि आप देश की चुनाव याचिकाओं के इतिहास को देखें और वह भी न केवल वर्ष 1952 से लेकर 1990 तक बल्कि वर्ष 1919 के संविधान के अन्तर्गत और तत्पश्चात् वर्ष 1935 के संविधान के अन्तर्गत जब से पहले चुनाव हुए हैं, आप देखेंगे कि यदि चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं तो वे उम्मीदवारों द्वारा कानून के उल्लंघन के सम्बन्ध में होती हैं न कि कानून के बारे में। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता हूं।

वर्ष 1967 में मेरे राज्य में ऐतिहासिक चुनाव हुआ था। जम्मू और कश्मीर के इतिहास का यह ऐसा पहला वर्ष था जब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था और नेशनल कांफ्रेंस ने अपनी पहचान बनाने के लिए राज्य के सभी 76 निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस अथवा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। आपको याद होगा कि

76 स्थानों में से 22 चुनाव परिणाम नामांकन पत्रों की जांच के दिन ही पता लग चुके थे जबकि नेशनल कांफ्रेंस के सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अधिकारी की मेज पर ही 22 स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली।

न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था और यह चुनावों के बारे में नहीं था और न ही यह वर्ष 1967 के चुनाव के बारे में था बल्कि यह कश्मीर में आम कु-प्रबन्ध के बारे में गठित किया गया था। और देखिए कि दोषारोपण इस पद्धति पर किया गया और एक चुनाव अधिकारी जो एक आई० ए० एस० अधिकारी था उसका नाम लेना उचित नहीं है उसके बारे में कहे गए शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि कोई भी सभ्य देश अपनी सेवा में ऐसे सरकारी अधिकारी को सहन नहीं कर सकता अगर वे चुनाव के मामलों में इस तरह का व्यवहार करते हैं।

पुनः मैं केवल यह बात कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कानून में कुछ भी खामी नहीं थी परन्तु राजनैतिक दलों के व्यवहार में ही खामियां थीं। निर्वाचन अधिकारियों के आचरण में गलती थी और सारी गलती उस व्यक्ति की थी जो कानून को लागू करता था।

हमारे अपने देश में ही विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्ति हैं। हमें बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा, वर्ष 1975 के आसपास श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव रद्द किये जाने का अभूतपूर्व उदाहरण हमारे पास है। पुनः न्यायाधीश द्वारा दिये गए निर्णय में यही बताया गया था कि चुनाव सम्बन्धी कानूनों में कोई खामी नहीं थी। वास्तव में न्यायाधीश के निर्णय के बाद ही चुनाव सम्बन्धी कानून में परिवर्तन किया गया था जिससे कि इसे आचरण, व्यवहार और कार्य के अनुरूप लाया जा सके।

अतः सम्भवतः हमारे लिए सही समय अब आया है जब राजनैतिक दलों को एक सैमिनार का आयोजन करना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि हम चुनाव सम्बन्धी कानून का उल्लंघन क्यों करते हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं स्वयं चुनाव सम्बन्धी कानून में विश्वास नहीं रख सकता। संविधान के बाद जो कि मूलभूत कानून है यह चुनाव सम्बन्धी कानून है जो मूलभूत कानून है—परन्तु मैं इसे मूलभूत कानून नहीं कहता क्योंकि संविधान ही मूलभूत कानून है। परन्तु मूलभूत कानून जो अन्तिम रूप से इन विधान सभाओं और इस सम्माननीय सदन के सृजन के लिए जिम्मेदार है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। परन्तु ऐसा क्यों होता है कि एक राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में अथवा राजनैतिक दल के सदस्य के रूप में इस कानून का उल्लंघन करने में मुझे प्रसन्नता होती है। इस कानून का उल्लंघन करने में किसे प्रसन्नता होती? महोदय हमने देखा है तथा मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा कि चुनाव के तुरन्त बाद निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जिसका अभिप्राय यह है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्र भरने के समय भी वह व्यक्ति एक अभियुक्त था और उस पर हत्या का मुकदमा चल रहा था। हमने अभी हाल ही में पिछले चुनावों के दौरान यह देखा है कि एक निर्वाचित विधायक को छेड़छाड़ के आरोप में छः वर्ष की सजा दी गई तथा यह कृत्य उसने नामांकन पत्र भरने से पहले और राजनैतिक दल से आदेश मिलने से पहले ही किया था। जिस समय उसने राजनैतिक दल से आदेश प्राप्त किया था उस समय उस पर मुकदमा चल रहा था।

[श्री प्यारे लाल हान्डू]

क्या आप यह आशा करते हैं कि चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के बाहुबल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। राजनैतिक दल का उद्देश्य चुनाव जीतना है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि इंग्लैंड में रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है और यहां पर हम कानून की भावना को भी नहीं मानते ?

इसके पश्चात् चुनाव में हुए खर्च के ब्यौरे के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जब हम अपने या अपने दल के चुनावी खर्च का ब्यौरा देते हैं तब सच बोलने की शपथ लेते हैं अथवा दूसरे शब्दों में इस देश के नागरिक के रूप में हमें सच बोलना चाहिए। चुनाव के तुरन्त बाद खर्च का ब्यौरा देना होता है परन्तु इसे प्रस्तुत करते समय हम सच नहीं बोलते हैं। कानून के मुताबिक हमें अपने खर्चों का विवरण रखना चाहिए और चुनाव के बाद उन्हें देना चाहिए। क्या हमें यह कहना चाहिए कि हमें कानून में परिवर्तन करना चाहिए जबकि इस कानून के अनुसार हमसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि हम अधिक खर्च करें ? जो कुछ भी हम खर्च कर चुके होते हैं उसके बाद जब हम विवरण पेश करते हैं तो यह कहते हैं कि हमने काफी कम खर्च किया है। अपवादस्वरूप मामलों में हो सकता है यह सत्य न हो। परन्तु वे सब अपवाद हैं न कि नियम—यह नियम जिसके मुताबिक कानून हमें जितने खर्च की अनुमति देता है उससे कहीं अधिक हम सभी खर्च करते हैं और अपना खर्च-ब्यौरा देते समय हम सच नहीं बोलते हैं। क्या इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिए कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ? हमें अपने कानून का सम्मान करना चाहिए और हमें अपने कानूनों का पालन करना चाहिए न कि हम कानून की अवहेलना करें। हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह सही है कि कभी-कभी हम इससे अधिक प्रभावित हो जाते हैं और फिर हम कानून से बचने के आसान तरीके ढूंढते हैं। यहीं पर अक्सर हम गलत होते हैं। हमने अनेक बार अपने संविधान में परिवर्तन किए हैं, हमने अनेक बार लोक प्रतिनिधित्व अधि-नियम में भी परिवर्तन किया है। चाहे हम इसे पसन्द करें अथवा नहीं हमने इस शताब्दी के पूर्व भारतीय दंड संहिता का निर्धारण किया है। यदि ऐसा है तब यह कैसे हो सकता है कि हमें अभी तक इस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई ? चुनावों के दौरान अभी भी वहां बाहुबल का प्रयोग होता है। यह समाप्त हो सकता है परन्तु केवल तभी जबकि हममें से हर एक सदस्य यह याद करे कि हम महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रपिता कहते हैं। हम उन्हें ऐसा कहते हैं और इसी से हमें सन्तुष्टि होती है। उन्हें याद करने के बाद हम वही कर रहे हैं जो हमने पहले ही करने का निश्चय कर लिया है। आज के चुनावों में, और चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया, जो कि हमारे चुनाव का सबसे नया हिस्सा है, हम आदर्शों को भूल जाते हैं। परन्तु संख्यात्मक गणित अत्यन्त महत्वपूर्ण है, उम्मीदवार को कैसे हरायें, यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनाव कैसे जीतें, यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सातवें और आठवें दशकों के आरम्भ में हम आदर्शों की बात करते थे। इन दिनों हम आदर्शों की बात नहीं करते विशेषकर से उस प्रकार के राजनैतिक ढांचे में रहते हुए जिसका हमने अपने लिए चयन किया है। चुनावी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के बारे में हम सुनते हैं जो किसी कानून के परिणामस्वरूप नहीं हैं बल्कि उस कानून के दुरुपयोग के कारण होती हैं। इस प्रकार की बातों से अपने आपको बचाने के लिए कानून में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मार्क्सवाद का अनुयायी रहा हूं और उस समय चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्राथमिकता आदर्शों की दी जाती थी। चुनावी गणित ऐसा होता

है जो हम देखते हैं कि यहां तक कि सी० पी० एम० चुनावी गणित के दबावों के कारण पक्ष बचाव न लेने योग्य की बात का भी पक्ष ले रहा है। परन्तु खैर, उन्हें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उन्हें चुनावी जीतना है और किसी को चुनाव में हराना है। इस समय मैं किस चीज का बलिदान कर रहा हूं ? जो मेरा मन कहता है मैं उसी का बलिदान कर रहा हूं। और जिस बात को मैं मानता हूं वह मेरा विश्वास है। जिस प्रकार के चुनाव सम्बन्धी गठबंधन में हम हैं उसमें हम कहते हैं कि "इसमें ऐसा क्या है जिसे वरीयता दी गई है ? इसे सबसे अधिक वरीयता किस लिए दी गई है ? अतएव मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया सतर्क रहें। हमें इंतजार करना चाहिए। इस समय भारत सरकार ने चुनाव-प्रणाली में सुधार करने से सम्बन्धित एक समिति का गठन किया है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अन्त में वह समिति हमारे सामने क्या तथ्य प्रस्तुत करती है। उस पर उचित विचार करने के पश्चात् हमें चुनाव सम्बन्धी कानूनों में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए। परन्तु चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। यह सही है कि पश्चिम जर्मनी में सूची प्रणाली और चुनाव के लिए धन आदि की व्यवस्था है जैसा कि आप इन्हें कहते हैं। इन्हें कोई भी नाम दे दीजिए। परन्तु इस प्रणाली के पीछे इतने अधिक आसक्त मत होइये। अपनी ही प्रणाली के प्रति ईमानदार बनिये। यदि इसमें परिवर्तन किया जाता है तब यह परिवर्तन तब होना चाहिए जब हम यह महसूस करें कि यह प्रणाली सफल नहीं रही है। समाज शास्त्र का छात्र होने का कारण मेरा विनम्र मत है कि इस प्रणाली से अभी तक हम किसी प्रकार छले नहीं गए हैं। यह परीक्षा में खरी उतरी है। समाज में पूरी तरह से परिवर्तन करने का निश्चित रूप से यह एक माध्यम होगा जिसकी देश में इस समय आवश्यकता है। मैं आपका आभारी हूं कि इतना कुछ कहने का आपने मुझे अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री राघवजी (विदिशा) : माननीय सभापति जी, इस सदन में श्री आडवाणी जी ने जो चुनाव कानून में सुधार का मुद्दा उठाया है, वह निहायत जरूरी है। 1952 से इस देश में चुनाव होते आ रहे हैं और चुनाव कानून बनाते वक्त इस बात की कोशिश जरूर की गई थी कि इसमें बुराइयां न आने पाएं। पैसे या ताकत के माध्यम से चुनाव न जीते जाएं। किन्तु जो प्रावधान किए गए थे वे पर्याप्त नहीं थे और इसलिए सारी बुराइयां प्रवेश कर गयीं।

अभी पिछले वर्षों में जितने चुनाव हुए हैं उनमें अंग्रेजी के "एम" का विशेष महत्व रहा है—मनी, मसल, मशीनरी और मिसचीफ। इन चार "एम" के सहारे पर कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही है। जब कभी भी चुनाव होते हैं, खुल कर ये ताकतें सामने आ जाती हैं। इसलिए इन ताकतों पर प्रतिबन्ध लगाना बहुत जरूरी है। वर्तमान में जो प्रावधान हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए माननीय आडवाणी जी ने यह मुद्दा उठाया है।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा सभापति महोदय, कि मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अभी जो मतदान केन्द्र हैं, किसी-किसी मतदान केन्द्र में 6, 7 या 8 गांव लगते हैं और उनकी दूरी 3 से 6 कि०मी० की होती है। जो सूची भेजी जाती है रिटर्निंग आफिसर के द्वारा,

[श्री राघव जी]

उस सूची में डेढ़ किलोमीटर की दूरी दिखायी जाती है। लेकिन वस्तुतः 7-8 किमी० तक की दूरी भी होती है। इतने मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने के लिए राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगती है, साधन लगते हैं, वाहन लगते हैं और खर्च होते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस गांव में 300 से अधिक मतदाता हों, वहां मतदान केन्द्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चुनाव खर्च सरकार वहन करे, इस बारे में मैं पूरी तरह से सहमत हूं और यह चुनाव खर्च जो सरकार वहन करे यह कुछ धनराशि के रूप में और कुछ सामान के रूप में हो। उदाहरण के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चार-चार मतदाता सूचियां निःशुल्क देनी चाहिएं। अभी केवल दो दे रहे हैं। तो दो के स्थान पर चार होनी चाहिएं। इसके बाद सभापति महोदय, प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को मतदाता पर्चियां पूरी की पूरी प्राप्त होनी चाहिए। इसको खरीदने में, छपवाने में काफी खर्च करना पड़ता है। ये मतदाता पर्चियां छपी हुई और भरी हुई मिलें केवल राजनीतिक दलों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, अन्यों को नहीं। इसके साथ पम्फलेट और पोस्टर छापने के लिए सरकार कागज दे और वह कागज विशिष्ट रंग और क्वालिटी का हो। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के पोस्टर और पम्फलेट छापने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। इससे चुनाव खर्च में कमी आयेगी और उतने ही पम्फलेट तथा पोस्टर छपेंगे जितना कागज दिया जायेगा। यह सभी राजनीतिक दलों में समान रूप से वितरित होना चाहिए, किसी के साथ कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। नकद धनराशि भी अन्य खर्चों जैसे लाऊड स्पीकर और यातायात आदि कार्यों के लिए दी जानी चाहिए। इस प्रकार चुनाव का खर्च राज्य शासन और केन्द्र शासन वहन करे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था इस प्रकार की है कि एक-एक विधान सभा चुनाव में और लोक सभा के चुनाव में एक दर्जन नहीं, बल्कि कभी-कभी 100 और उससे भी अधिक उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। विधान सभा के चुनाव में दो सौ पचास रुपये की जमानत राशि होती है और लोक सभा के चुनाव के लिए पांच सौ रुपए की जमानत राशि होती है जो कि 1952 में निर्धारित की गई थी। आज वही पांच सौ रुपए की कीमत 10 हजार के बराबर हो गई है। इसलिए विधान सभा के चुनाव के लिए पांच हजार रुपए और लोक सभा के चुनाव के लिए दस हजार रुपये की जमानत राशि होनी चाहिए। यह राशि सभी प्राप्त मान्यता दलों के लिए भले ही न हो, लेकिन निर्दलीयों के लिए यह राशि अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है वे आने वाले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पायें, यहां तक कि नगर पालिका और स्थानीय निकायों के चुनाव में लड़ने के लिए भी उन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए। इससे उम्मीदवारों की संख्या घटेगी और जो केवल सौदेबाजी और राजनीतिक तोड़-तोड़ के लिए खड़े होते हैं उनकी संख्या में कमी आएगी।

राज्यों में वर्तमान में इस देश के अन्दर दो व्यवस्थाएं हैं। विधान सभा तो सभी राज्यों में हैं, लेकिन विधान परिषदें भी कुछ राज्यों में हैं। यह दोहरी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। विधान परिषदों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। इसीलिए यह जिन राज्यों में है उसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके स्थान पर यह व्यवस्था होनी

चाहिए कि जितने लोग निर्वाचित होकर आते हैं सदन में, वह अपनी संख्या के अनुपात में एक बटा चार सहयोजन तय कर लें, कि इतने अतिरिक्त व्यक्तियों को भी सदन में स्थान मिलेगा। जो चुनाव में जीतकर नहीं आ सकते हैं किन्तु अपना प्रभाव रखते हैं तथा राज्य के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको लिया जाना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि 25 प्रतिशत का सहयोजन करके उनको चुना जावे। हर आदमी को मतदान करना चाहिए और जो न करे उसके लिए पांच सौ रुपए जुर्माना होना चाहिए। इससे यह होगा कि सारे लोग वोट डालेंगे और पता चलेगा कि जनता वास्तव में क्या चाहती है। मतदान के दिन सारे वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, केवल सरकारी वाहनों और राज्यों की बसों तथा रेलों को छोड़ कर। चुनाव आयोग ने कुछ नार्म्स बनाकर रखे हैं, लेकिन उनको कानून की संज्ञा नहीं मिल रही है। चुनाव घोषणा के बाद नई नियुक्तियों और तबादलों पर भी रोक लगानी चाहिए। लेकिन आजकल सारा काम होता रहता है, क्योंकि उन पर वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं लगा है। इसलिए कानून में प्रावधान होना चाहिए कि तबादला नहीं होगा और नई नियुक्ति नहीं होगी चुनाव घोषणा के बाद। इसके साथ-साथ कोई शिलान्यास या उद्घाटन नहीं होगा। इसके अलावा लोक सभा और विधान सभा के चुनाव साथ-साथ होने चाहिएं। अभी हाल ही में लोक सभा के चुनावों और कई विधान सभा के चुनावों में केवल दो महीने का अन्तर था, चुनाव आयोग के कहने के बावजूद भी कांग्रेस ने लोक सभा के साथ विधान सभाओं के चुनाव नहीं कराये। क्योंकि इससे सत्ताकूढ़ दल को लाभ होता है। मेरी राय है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव यथासंभव साथ-साथ होने चाहिए।

5.00 म० प०

आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन होते रहना चाहिए। जो अनारक्षित क्षेत्र हों, उनको आरक्षित क्षेत्र बनाना चाहिए। वीडियो द्वारा जो प्रचार और प्रसार होता है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक मांग और करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो तिरंगा झण्डा लेकर चुनाव क्षेत्र में जाती है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चूंकि भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और आमतौर पर गांव के अनपढ़ लोगों में यह गलतफहमी पैदा होती है कि सरकार और पार्टी एक चीज है और कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर इसका राजनैतिक लाभ उठाया है, उसके इस प्रकार के प्रयत्न को समाप्त कर उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात और कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। चुनाव के बाद हारे हुए उम्मीदवारों द्वारा न्यायालयों में चुनाव याचिकायें डाली जाती हैं जिसका निर्णय बहुत लम्बे समय तक नहीं हो पाता है। कई बार तो पूरे के पूरे पांच साल ही इसमें निकल जाते हैं ऐसे अनेकों उदाहरण लोकसभा के चुनावों में और अब मध्य प्रदेश विधान सभा में मिल रहे हैं जिनका निर्णय अभी तक नहीं हुआ। मेरे विचार में चुनाव याचिका का निर्णय छः महीने के अन्दर-अन्दर हो जाना चाहिए। इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बाई-इलेक्शन्स होते हैं, वे समाप्त किए जाने चाहिएं। जिस व्यक्ति ने जिस पार्टी के टिकट से अमुक सीट जीती हो, उसी पार्टी के व्यक्ति को लोकसभा या विधान सभा में भेजे जाने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा करने से अनावश्यक व्यय को कम किया जाएगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए आवंटित समय पहिले ही समाप्त हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सभी इस हेतु और अधिक समय बढ़वाना चाहते हैं। मेरे पास भाग लेने के इच्छुक सदस्यों की लम्बी सूची है। विषय भी बहुत रोचक है। क्या समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाये ? अभी तीस सदस्य ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आज शुक्रवार है।

सभापति महोदय : हां, सभा 6.00 म० प० स्थगित हो जाएगी।

श्रीमती वासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : समय दो घंटे बढ़ा दिया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : जी हां, दो घंटे।

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर) : जो लोग सदन में उपस्थित हैं और जिन्हें अभी बोलना है उनमें से प्रत्येक को पांच-पांच मिनट बोलने दिया जाये। इस हेतु समय दो घंटे बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : ठीक है, इस चर्चा के लिए समय अगले दो घंटों तक बढ़ाया जाता है।

सदन की बैठक 6,00 म०प० पर स्थगित होगी और उसके पहिले नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लिया जाएगा।

अब, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य बोलेंगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : सभापति महोदय, अब सभा की बैठक समाप्त होने वाली है और मैं पूर्व-चर्चित बातों को दोहराने का प्रयास नहीं करूंगी और केवल कुछ बातों के उल्लेख तक ही अपने को सीमित रखूंगी।

मेरे विचार से, कुछ बातों पर, यथा वर्तमान मतदान प्रणाली को कैसे सुधारा जाए, कुछ अंश तक मतैक्य रहा है। उदाहरणार्थ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात को, पूर्णरूप से तो नहीं, किन्तु कुछ सीमा तक अवश्य स्वीकार किया गया है। एक और मुद्दे अर्थात, राज्य द्वारा चुनाव-हेतु धन मुहैया करने के बारे में भी मेरे विचार से आम सहमति व्यक्त की गई है। राज्य द्वारा चुनाव व्यय को वहन करने के साथ-साथ, कम्पनियों और बड़े उद्योगपतियों द्वारा चुनावों में वित्तीय सहायता दिए जाने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

मेरे विचार से इन मामलों का खुलासा किए जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, मैं वर्तमान स्थिति की पृष्ठभूमि पर कुछ कहना चाहूंगी जिसके कारण चुनाव-सुधारों पर इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल, हमारे यहां की स्थिति ऐसी है कि—जैसा कि संकल्प में कहा गया है—हमारे चुनावों में धन-शक्ति और बाहुबल दोनों की भूमिका बहुत बड़ी है। मैं कहूंगी कि वस्तुतः यह ऐसी स्थिति में अपरिहार्य है जहां पर धन शक्ति—और आप जानते ही हैं कि धन-शक्ति से बाहुबल खरीदा जा सकता है—कुछेक हाथों में ही केन्द्रित है। धन-शक्ति का प्रभाव हर क्षेत्र में परिलक्षित होता है और यह अस्वाभाविक नहीं कि चुनावों में भी धन-शक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। भारत में चुनावों के प्रारम्भ से ही, इसका थोड़ा-बहुत प्रभाव सदैव रहा है। तथापि मैं यह कहना चाहूंगी कि इसने एक बड़ी समस्या का रूप उस समय लेना शुरू किया जब सबसे बड़े राजनैतिक दल कांग्रेस पार्टी और बाद में कांग्रेस (आई) ने धनाधार होना प्रारम्भ कर दिया।

तबसे ही राजनीति का बड़े पैमाने पर अपराधीकरण भी प्रारम्भ हो गया। मैं कहूंगी कि बाद में—चुनाव-धांधली, मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा, विपक्षी दलों को आतंकित करना, मतदाताओं से दहशत बैठाना—आदि जो कुछ भी बुराइयां पनपीं—इन सभी का पूर्वाभ्यास 1971-72 में पश्चिम बंगाल में हो चुका था। मेरा विचार है कि बाद में त्रिपुरा, मिजोरम, अमेठी अथवा मेहम में जो कुछ हुआ, उस सबका पूर्वाभ्यास आठवें दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में हो चुका था। और मैं समझती हूं कि ऐसा तभी होना शुरू हुआ था कि पश्चिम बंगाल में देश की विशालतम सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता पर अपना एकाधिकार खोने लगी थी।

उसके बाद, निःसन्देह 1975 में कुख्यात निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम लाया गया जिसके सम्बन्ध में माननीय श्री इन्द्रजीत गोप्त बोल चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने 1977 में सुझाव दिया था कि कम्पनियों द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार की अंशदान राशि देने पर रोक लगाई जानी चाहिए और निर्वाचन-आयोग के इस सुझाव के विपरीत, 1985 में कम्पनियों के विगत 3 वर्षों से कुल औसत शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत तक के चन्दे दिए जाने की अनुमति दी गई। सिद्धान्तों से यह एक और समझौता था जो 1985 में किया गया था।

अन्य मुद्दा जो मैं कहना चाहती थी, उसे वस्तुतः दूसरों ने भी उठाया है और वह आजकल चुनावों के दौर में बढ़ते जा रहे साम्प्रदायिक नारों के सुने जाने के बारे में है। यह एक बुरा लक्षण रहा है और चुनावों में साम्प्रदायिक मुद्दे की भूमिका बढ़ती जा रही है। यह सही है कि यह कानूनन प्रतिबन्धित है। हमारे चुनाव संबंधी कानून व चुनावी परम्पराएं इसका निषेध करती हैं। किन्तु फिर भी पिछले लोक-सभा चुनावों में हमने इसका विकराल रूप देखा था। हमने राजनीति के साम्प्रदायीकरण की बुराइयों को बढ़ते हुए देखा। मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति के इस साम्प्रदायीकरण से धर्म का भी अपराधीकरण होता है। मैं स्वयं आस्तिक नहीं हूं, किन्तु मुझे विश्वास है कि इस सदन में अनेक सच्चे धर्म-निष्ठ लोग हैं और वे सब मुझसे सहमत होंगे कि धर्म का यह अपराधीकरण अथवा राजनैतिकरण जिसके द्वारा धर्म अन्य लोगों को प्रभावित करने का साधन बन जाता है—आज हमारे देश के वातावरण को दूषित कर रहा है। हमारे ख्याल से सभी धर्म-निष्ठ लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में कड़े सख्त उपाय किए जाने चाहिए।

अन्त में, मेरा यह कहना है कि हमने पंजाब में राजनीति के साम्प्रदायीकरण का प्रभाव देखा है। हमने देखा है कि आतंकवाद किस प्रकार फैला है। पंजाब में राजनैतिक मुद्दों का धार्मिक मुद्दों के साथ किस प्रकार का विभ्रम पैदा हुआ है। किन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगी कि एक ऐसे देश में, जिसके धर्म-निरपेक्ष होने का हम दम भरते हैं, अल्पसंख्यकों में जो दहशत बैठा दी गई है, उसका कारण बहुसंख्यक समुदाय के आक्रामक रवैये में हुई निश्चित वृद्धि है। बहुसंख्यक समुदाय की असहिष्णुता, उसकी आक्रामकता की प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक धार्मिक कट्टरवाद में प्रतिबिम्बित होती है। बहुसंख्यकों के धार्मिक कट्टरवाद से अल्पसंख्यकों का धार्मिक कट्टरवाद पनपता है। मेरे विचार से इसके विरुद्ध बड़े सख्त उपाय होने चाहिए। इस मुद्दे पर मैं विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य की बात से पूर्णतः सहमत हूं। फिर भी, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अपने ही द्वारा सृजित राक्षस द्वारा पीछा किए जाते हुए डा० फ्रैंकेन्स्टीन को देखकर बड़ा दुख हुआ था। मैं निश्चय ही यह कहूंगी क्योंकि, राजनीति के इस साम्प्रदायीकरण में, जो आज हमारे देश के

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

वातावरण को दूषित कर रहा है, भूतपूर्व सत्तारूढ़ दल की बहुत बड़ी भूमिका थी।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : सर्वप्रथम, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महोदय, इस सदन में नई होने के नाते, मैं गल्तियां कर सकती हूं, किन्तु मुझे विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि अपने छोटे से अनुभव से मुझे पता है कि इस सदन के नए सदस्यों अथवा कभी-कभी बोलने वाले सदस्यों की आप सहायता करते हैं।

और, मैं सम्बद्ध विषय अर्थात् चुनाव सुधारों की बात करती हूं। मुझे बहुत कुछ कहना है मतदाता सूचियां बनाने में भी धांधली की जाती है। कुछ अधिकारियों को यह कार्य सौंपा जाता है। उन्हें घर-घर जाकर उन व्यक्तियों के नाम एकत्रित करने होते हैं जो निर्धारित आयु-सीमा के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु कोरी राजनीति के प्रभाव से, यह अधिकारीगण उन व्यक्तियों के नाम शामिल कर लेते हैं जो उनके राजनैतिक पक्षधर होते हैं। जब भी कोई नई प्रविष्टि करनी होती है, तो उस व्यक्ति के पक्ष में नियमों को शिथिल कर देते हैं जो उनकी पार्टी का पक्षधर हो। वे लोग किसी सोलह या सत्तरह साल की लड़की अथवा इसी आयु के किसी के लड़के का नाम सूची में डाल देते हैं, हालांकि कठोर नियम यह है कि केवल अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले ही मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, कुछ अन्य लोग जो 19 या 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूचियों में नहीं हैं, इसका एक कारण यह होता है कि वह लोग उस पार्टी के समर्थक नहीं होते जिसे मतदाता सूची तैयार करने वाला पसन्द करता है।

पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान मेरे निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार के कदाचारों के काफी अनुभव हुए थे। कुछ 'कान्वेंटों' में मतदान करने योग्य बहुत सी 'सिस्टरों' के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए थे क्योंकि मेरे राज्य में सत्ताधारी दल का यह विश्वास था कि वे शायद सरकार के पक्ष में मतदान न करें। समाचार-पत्रों में इस प्रकार के समाचार थे कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी उन लोगों के साथ मैत्री करने को तैयार है जो 'चर्च' और पादरियों को छोड़ने की स्थिति में हैं। इसका अर्थ निश्चित रूप से यह है कि सी०पी० आई (एम०) के मेरे भाईयों को कुछ क्षेत्र में कुछ मतदाताओं से भय था और वह उस क्षेत्र विशेष से मतदाताओं की संख्या को यथा सम्भव सीमित रखना चाहते थे। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि मतदाता सूचियों में गैर-कानूनी रूप से की गई प्रविष्टियों तथा जानबूझकर छोड़े गए नामों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। आजकल, बेशक, यदि शिकायत की जाए तो काफी लम्बी लड़ाई के बाद इसे ठीक कर दिया जाता है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस कदाचार के जिम्मेवार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरा यह नम्र निवेदन है कि मतदाता सूचियां तैयार किए जाने को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है।

मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा एक समस्या है। मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं है कि मेहम में क्या हुआ था। मुझे समाचार पत्रों से ही पता चला। किन्तु मैं जानती हूं कि पिछली फरवरी में मेरे राज्य में हुए चुनावों में क्या हुआ था। हरिपद निर्वाचन क्षेत्र, जिसका प्रति-

निश्चित्त मेरी पार्टी कर रही थी, पिछले लोक सभा चुनावों में भारी असफलता के बाद सत्ताधारी दल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। इसलिए वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा (एल०डी०एफ०) को वह स्थान जिताने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र में हर प्रकार की धांधली की गई थी।

महोदय, मतदान वाले दिन दोपहर से पहले कुछ सीमा तक तो सब ठीक-ठाक था। किन्तु दोपहर बाद महिला पोलिंग एजेन्टों तक को पीटा गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यदि महात्मा गांधी के सच्चे अनुयाई, कांग्रेसियों ने अहिंसा का पालन न किया होता तो स्थिति और भी बिगड़ गई होती।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह न केवल हरिपद बल्कि मेहम में तथा देश में कहीं भी मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने वालों को कड़ी सजा देने के आदेश देने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, चुनाव कराए जाने सम्बन्धी अनुदेशों में लिखा है—मैं उद्धृत करती हूं—"किसी भी व्यक्ति को कोई उपहार या कोई लालच न दें, विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर दुश्मनी या घृणा न फैलाएं।' एक और नियम भी है : किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के बारे में झूठे वक्तव्य प्रकाशित न करें। किन्तु, वास्तव में यह सब बातें हमारे देश में अन्यथा बेकार हैं।

अपने राज्य में उप-चुनावों पर आते हुए मैं कहना चाहती हूं कि सत्ताधारी दल में बहुत से ऐसे लोग थे जो पानी के नए कनेक्शनों, बिजली के कनेक्शनों, रोजगार दिलाने आदि के वायदे कर रहे थे और जिस प्रकार वह लोगों को भ्रमित कर रहे थे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक बुजुर्ग दम्पत्ति, जिनका उच्च शिक्षा प्राप्त इकलौता बेटा बेकार था, उससे बात करने का ढंग कुछ इस प्रकार था, "अंकल। (या आंटी, जैसा भी मामला हो) आपके बेटे को अभी तक नौकरी नहीं मिली? कृपया एक अर्जी जल्दी लिखिए। मैं देखता हूं इसे।" आप देखिए, नई सरकार के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार हर साल 10 या 100 या हजार नहीं बल्कि रोजगार के 10 लाख अवसर होते हैं। इसलिए लोग सत्ताधारी दल की बातों पर तत्काल विश्वास कर लेते हैं और एक सादे कागज पर अर्जी लिखकर इस आशा के साथ पार्टी के नेता को सौंप देते हैं कि उन्हें जल्द नौकरी मिल जाएगी और वह सत्ताधारी दल को अपना वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किन्तु 'वायदे न करने' सम्बन्धी नियम का क्या हुआ? जब चुनाव से दो या तीन दिन पहले बिना बारी के बिजली, टेलीफोन और पानी के कनेक्शन दे दिए जाते हैं, तो इस प्रभुसत्ता सम्पन्न देश में कुछ नहीं होता। मेरे विचार से चुनाव संबंधी सुधारों में इन सभी बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह अत्यन्त खराब स्थिति है कि निगमों के पदाधिकारियों के चुनाव में भी पार्षदों तक का अपहरण किया जाता है। सरकार सहित हर कोई यह बात स्वीकार करता है कि पार्षदों का अपहरण किया गया है और उनकी अनुपस्थिति में जब सत्ताधारी दल विजयी हो जाता है तो कोई भी प्रतिवाद नहीं करता। चुनाव परिणामों का अनुमोदन हो जाता है और अगले दिन अपहृत पार्षद जनता के बीच प्रकट हो जाते हैं। यदि वह मतदान के लिए उपस्थित होते तो परिणाम इसके विपरीत होता। मेरी जानकारी के अनुसार, इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आप कृपया एक निश्चित अवधि निर्धारित कर दें जिसके भीतर चुनाव याचिकाओं का फैसला किया जाना होगा। कई बार इनमें पांच वर्ष से अधिक का समय लग

[प्रो० सावित्री लक्ष्मणन]

जाता है और इतने लम्बे समय के पश्चात् याचिकादाता को क्या लाभ मिलेगा ? इसी के साथ-साथ गैर-जिम्मेदार स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या पर भी प्रतिबन्ध लगाना होगा।

मुझे एक बात और कहनी है। चुनावों से पहले विभिन्न दलों के गठबन्धन की बात तो मुझे समझ आती है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि अमुक-अमुक पार्टियां एक ग्रुप में हैं और वह उसी ग्रुप को वोट देते हैं और चाहते हैं कि वही ग्रुप शासन करें, किन्तु घोषणा पत्र का सम्मान किए बिना, वह आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, गुर्राते हैं, जैसाकि हम इस सदन में भी देखते हैं। जब जनता दल के नेता केरल आए थे तो स्वागत समारोह सी०पी०एम० और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। मुझे एक पुरानी कहानी याद आ रही है जो हमारे राज्य में नानियों-दादियों द्वारा सुनाई जाती है। केरल में एक समय अस्पृश्यता का चलन था। उस समय एक नम्बूदरीपाद, जिसका जन्म ऊंची जात में माना जाता है एक नीची जात की युवती से मिला; लड़की बहुत सुन्दर थी। नम्बूदरीपाद उस पर आसक्त हो गए। किन्तु उन्हें छुआछूत का डर था और उसने उस लड़की से कहा, "प्रिय, मुझे बिना छुए मेरा आलिंगन करो"। सी०पी०एम० और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस प्रकार का अवैध गठबंधन है और वह मिलकर जनता दल का समर्थन कर रहे हैं। मेरे विचार से इस प्रकार के सहयोग से लोगों को धोखा दिया गया है। यदि कोई दल सरकार के गठन में दूसरे दल का समर्थन करना चाहता है तो यह बात भी चुनाव से पूर्व स्पष्ट की जानी चाहिए। किसी एक विचारधारा पर मत प्राप्त करने तथा सत्ता पक्ष में दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ बैठने की क्या तुक है ? रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद पर लड़ने वाले इस सदन में शान्तिपूर्वक एक साथ बैठे हैं और बाहर उसी मुद्दे पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। महोदय, मेरा अनुरोध है कि चुनाव सुधार तैयार करते समय इन बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मैं एक बार फिर आपका तथा आपके माध्यम से इस सभा का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उनके निर्वाचन क्षेत्र में सी०पी०एम० ने चुनाव केन्द्रों पर कब्जा किया था और तो भी वह चुनाव जीत गईं। यह आज का सबसे बड़ा मजाक है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री एम०एस० पाल।

[हिन्दी]

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं, कि आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया।

मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा कि चुनाव सुधार में सबसे पहले परिचय पत्र दिए जाने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए जिससे यह पता लग सके कि कौन आदमी वोट देने आ रहा है, उसकी उम्र का पूरा हाल भी उससे पता लग सकता है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता कि 1977 में आचार्य कृपलानी जी मेरठ में वोट देने गए तो उससे पहले ही उनका वोट कोई दे चुका था। जब आचार्य कृपलानी जैसे महापुरुष और जाने माने नेता का वोट कोई दूसरा आदमी दे सकता है तो साधारण आदमी का वोट तो दूसरा देता ही है इसलिए परिचय पत्र होना चाहिए। माननीय प्रोफेसर रंगा जी यहां बैठे हुए हों और अगर इनका वोट कोई दूसरा व्यक्ति दे जाए तो कितने आश्चर्य की बात होगी इसलिए परिचय पत्र दिए जाने चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बूथ छोटे-छोटे होने चाहिए, छोटे एरिया में होने चाहिए जिससे लोग आसानी से आ जा सकें। इसमें गाड़ी या साधन की जरूरत ही न पड़े। आदमी सरलता के साथ जाकर अपना वोट दे सके जिससे उसे दूसरे की गाड़ी या कार आदि किसी साधन का इन्तजार न करना पड़े। बूथ नजदीक होने से बूथ कैप्चरिंग की प्रक्रिया भी कम हो ती क्योंकि अगर कानून में यह न रोका जा सके तो एक दूसरे का लिहाज करके भी रुक सकता है। क्योंकि छोटे एरिया में लोग एक दूसरे को जानते हैं। यह एक सामाजिक पहल भी हो सकती है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री, मंत्री और केन्द्र के बड़े मंत्री सब सरकारी गाड़ियां वगैरह यूज करते हैं, हैलीकॉप्टर और यहां तक कि जहाज यूज करते हैं साधनों को यूज करते हैं पिछले इलैक्शन में जब मैं नैनीताल से इलैक्शन लड़ रहा था तो मैं रोड से जाता था, वहां का इलाका पहाड़ी है, वहां मुख्य मंत्री हैलीकॉप्टर से एक पीक से दूसरे पीक पर, एक चोटी से दूसरी चोटी पर पहुंच जाते थे, जहां मैं सुबह को चलकर शाम को पहुंचता था, वहां मुख्य मंत्री दो घण्टे में सारे पहाड़ का चक्कर लगाकर चले जाते थे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक आदमी पैदल या गाड़ी से जाए और एक आदमी हैलीकॉप्टर या बड़े साधनों से जाए तो किस प्रकार से एक अच्छी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, सुधार हो सकता है। इसलिए इसके लिए लेजिस्लेशन बनाना चाहिए जो सरकार के हाथ में है, हम सब के हाथ में है, जो सदन में बैठे हैं, इस बात पर भी विशेष रूप से गौर किया जाना चाहिए।

चौथी राय यह है कि प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और गृह मंत्री जिस क्षेत्र से भी एक बार चुनाव लड़ कर आते हैं, वहां से उनको दोबारा नहीं लड़ना चाहिए। वैसे तो सभी अपने-अपने इलाके में अपनी शक्ति के हिसाब से पैसा लगाते हैं, जो भी साधन उनके पास होते हैं, वे उसमें लगते हैं, लेकिन मंत्रियण जिस हिसाब से पैसा, साधन और प्लानिंग करते हैं, इसकी वजह से इलाके में इतना प्रभाव हो जाता है कि दूसरा आदमी कितनी ही अच्छी विचारधारा लेकर आए, वह कुछ नहीं कर सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको अमेठी चुनाव क्षेत्र का दे सकता हूं। अमेठी में इससे पहले जो चुनाव हुए थे, उसमें इसी तरह से हुआ था। वहां तो यहां तक हुआ था कि लोग एक घण्टे के अन्दर पूरे वोट डालकर बाहर चले आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, और गृह मंत्री जहां से वे एक दफा चुनाव लड़ चुके हैं उनको वहां से दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होने

[श्री एम०एस० पाल]

चाहिए। ऐसा करने से काफी सहायता मिलती है। जो कमजोर पार्टियां हैं, जिनके पास कमजोर साधन हैं, वे भी अपनी अच्छी तरह से व्यवस्था कर लेते हैं। एम० एलएज० और एम० पीज० दोनों को मिलाकर अपनी मैन-पावर को ध्यान में रखते हुए प्रचार के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म मिल जाता है। इसलिए मेरी राय है कि केन्द्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होने चाहिये।

छठी राय मेरी यह है कि इंडिपेंडेंट इलैक्शन कमीशन होना चाहिये। जैसा कि नियम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिटर्निंग आफिसर बना दिया जाता है, उसे न बनाकर किसी दूसरे आफिसर को बनाना चाहिए। क्योंकि जो डी० एम० होते हैं, वे शासक दल से पहले ही अपने आदमी निश्चित कर लेते हैं, जिस प्रकार की मशीनरी होती है वह मैनिपुलेट करती है। इसको रोकने के लिये एक नया रिटर्निंग आफिसर होना चाहिए। वहां जो डी० एम० पोस्टेड है, उसको ही रिटर्निंग आफिसर की पावर नहीं होनी चाहिए।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पैंडिंग है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज ऐसे कितने ही लोग हैं, एम० एलएज०, एम० पीज० और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी जिनके खिलाफ केस पैंडिंग है। मैं अखबार में देखता हूं, उनके द्वारा कहा जाता है कि केस पैंडिंग है तो क्या हुआ, कोई क्रिमिनल थोड़े ही हो गए। जब कोई आदमी सत्ता में आ जाता है तो वे केस तो वैसे ही विदड्रा हो जाते हैं और इसके अलावा केस में जो उनके खिलाफ गवाही देने वाले हैं, गवाही भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव सुधार प्रक्रिया में यह व्यवस्था तो होनी चाहिए कि जिस आदमी के खिलाफ कोर्ट में केस पैंडिंग हैं, चार्जशीटेड हो चुके हैं, उन लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान, हमारे कानून और हमारे नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अच्छी नीयत की जरूरत है। अच्छी नीयत के साथ यदि इसमें सुधार किया जाए तो इलैक्शन में काफी सुधार हो सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इस समय जिनहोंने कोई वायदा न करके एक अच्छी नीयत की बात करते हैं और चुनाव में सुधार की बात करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय, जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस मौके पर संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेदकर ने यह कहा था कि आजादी के पहले इस देश का राजा रानी के पेट से पैदा होता था लेकिन अब भारत का यह संविधान लागू होने के बाद और देश को आजादी मिलने के बाद इस देश का राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि लोकतंत्र के आधार पर मत-पेटियों से पैदा होगा। हमारे महान पुरुषों ने जो स्वप्न देखे थे क्या वे स्वप्न पिछली सरकार या मौजूदा सरकार के जमाने में चुनावों के दौरान

ईमानदारी से पूरे हुये है ? इस बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहती हूं। राजनीति के मामले में मेरी उम्र बहुत कम है। लेकिन जब मैं राजनीति में आई हूं तो मैं अपना तजुर्बा आपको बताना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार एक जगह है। वहां 1987 में पार्लियामेंट के लिये बाई इलेक्शन हुआ था। वह कांग्रेस की हुकूमत के दौरान हुआ था। वहां से कांग्रेस पार्टी के श्री रामसिंह चुनाव लड़ रहे थे और बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ जनता पार्टी की तरफ से श्री रामविलास पासवान चुनाव लड़ रहे थे जिन्होंने इन लोक सभा चुनावों में बिहार के एक चुनाव क्षेत्र से पांच लाख से भी ज्यादा मतों से विजय प्राप्त करके गिनीज रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि उस उपचुनाव में किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। जो ब्योरोक्रेटिक पावर है उसका सहारा ले करके किस तरीके से लोकतन्त्र का मजाक उड़ाया गया। यदि वहां निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुआ होता तो मैं बहुत पहले पार्लियामेंट में चुनकर आ सकती थी। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को 1,49,000 वोट मिले थे और मुझे 1,36,399 मत मिले थे : श्री रामविलास पासवान को 25 हजार मत मिले थे और उनकी जमानत जप्त हो गई थी।

जिस दिन उस उपचुनाव में वोट पड़े तो हरिद्वार में एक तनहेटी जगह है वहां पर पोलिंग वाले दिन जिला मुजफ्फर नगर के विधायक श्री दीपक जो उस समय उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर थे, खुद पोलिंग बूथ से मतपेटी ले कर के भागे। वहां के लोगों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने हिम्मत करके उनसे मत पेटी छीनी और छीनाझपटी में बैलट पेपर फट गए। जब बैलट पेपर फट गए तो इलेक्शन कमिश्नर को टेलीग्राम दिया गया और वहां पर दोबारा से पोलिंग हुआ। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि कांग्रेस राज में यह हुआ। किस तरीके से दबे और कुचले हुए लोगों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से वोट नहीं डालने दिया जाता था।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के जमाने में अभी विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं। इन विधान सभा चुनावों में हमने यह महसूस किया है कि कांग्रेस के राज में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता था लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में जो सामंतवादी ताकतें हैं वे सामने आ गयी हैं। चूंकि वी० पी० सिंह एक बड़े जमींदार के बेटे हैं। वे पुराने राजघराने से संबंधित हैं और श्री वी० पी० सिंह का सहारा लेकर जिन 8 राज्यों में अभी चुनाव हुए, वहां पर फ्यूडल लार्ड्स ने हर ताकत का सहारा लेकर, असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर देबे-कुचले लोगों को वोट नहीं डालने दिया।

सभापति महोदय, एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि इस देश में चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है, लेकिन मैं समझती हूं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराता, उस पर सरकार का दबाव होता है। इसलिए इस देश के अंदर यदि हमें स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो हमें चुनाव आयोग को स्वतन्त्र छोड़ना होगा, उसके ऊपर से सरकारी बंधन हटाना होगा।

दूसरी बात जो आडवाणी जी ने अपने प्रस्ताव में रखी है कि चुनावों में धन और बाहुबल को रोका जाए। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर अपने खयालात का इजहार किया है, लेकिन किसी ने यह बात नहीं रखी कि जब धन और बाहुबल का इस्तेमाल होता है तो वह किस पर होता है। जो पूंजीपति लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, फ्यूडल लार्ड्स हैं, उन पर धन और बाहुबल का

[कुमारी मायावती]

इस्तेमाल नहीं होगा, इनका इस्तेमाल दबे-कुचले लोगों पर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोगों पर जिनमें सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट आते हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 85 प्रतिशत बन जाती है, इन लोगों पर धन और बाहुबल का इस्तेमाल होता है। इसलिए मान्यवर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस देश में धन और बाहुबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए पोलिंग बूथ उन इलाकों में बनाए जाएं जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति या कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, इससे धन और बाहुबल के इस्तेमाल के प्रयोग पर रोक लगेगी। मैंने देखा है, मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, पोलिंग बूथ वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर पूंजीपति लोग रहते हैं, उन बस्तियों में बनाए जाते हैं जिन लोगों के पास जमीन होती है, या दूसरी किस्म की ताकत होती है, वे दबे कुचले लोगों को चुनाव के दौरान डराते रहते हैं कि यदि तुमने हमारी मर्जी के मुताबिक वोट नहीं डाला तो तुम अपने पशुओं को चारा कहां से खिलाओगे, हम तुमको अपने खेतों में नहीं आने देंगे, इस तरह का उन पर दबाव डाला जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि गरीबी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है, रोजी-रोटी के लिए दबे कुचले लोग लाचार नजर आ रहे हैं और अपनी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए, सामंतवादी ताकतों, व जमींदारों के दबाव में आ जाते हैं और मजबूरी की हालत में उनकी मर्जी के मुताबिक वोट देते हैं। इसलिए मेरी आपसे, गुजारिश है कि पोलिंग बूथ अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों की बस्तियों में बनाए जाएं। इस तरह से मैं समझती हूं कि धन और बल को रोका जाए तथा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाए।

दूसरी बात कुछ मान्य सांसदों ने कही कि रिजर्व सीट्स का समय फिक्स होना चाहिए, हर 2-3 साल के बाद, रिजर्व सीट बदली जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि रिजर्व सीट को जरूरत बनाने का क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए। बाबा साहेब डा० अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को पोलीटिकल रिजर्वेशन देने का जो क्राइटेरिया रखा था, या आधार रखा था, कि जहां पर दबे कुचले, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज्यादा तादाद में रहते हैं, उस सीट को रिजर्व रखा जाना चाहिए, यह क्राइटेरिया उन्होंने रखा था, क्योंकि इसी तरह से वहां के लोगों का सही प्रतिनिधित्व संसद और विधान सभाओं में हो सकता है। ऐसे इलाकों में, जहां शैड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग ज्यादा रहते हैं और पिछड़े हुए इलाके हैं, आप बिना किसी क्राईटीरिया के हर दो साल बाद सीट बदल दें, इससे दबे-कुचले लोगों का भला नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को बाबा अम्बेडकर की बातों को ध्यान में रखते हुए, जहां अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी अधिक व क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उन सुरक्षित सीट को नहीं बदलना चाहिए।

मैं फिर दोहराती हूं—पोलिंग बूथ शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग जहां रहते हैं, वहीं बनाएं जिससे वे अपना वोट डाल सकें। उससे पहले चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हर कांस्टीच्यूएंसी में आदेश जारी करे कि जहां-जहां शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग रहते हैं और सामंतवादी ताकतें या बड़े-बड़े जमींदार उनको वोट डालने नहीं देते हैं, वे लिखकर भी देते हैं, लेकिन लिखने के बावजूद भी पोलिंग बूथ उनके इलाके में नहीं बनते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि पोलिंग बूथ कमजोर वर्ग के लोगों की बस्तियों में होने चाहिए।

रिजर्व सीट को जनरल सीट में बदलने से पहले कोई क्राइटीरिया रखना चाहिए। रिजर्व सीट को जनरल सीट में बदलने के लिए यह देखना होगा कि उस इलाके में वे कुचले लोगों का कितना विकास हुआ है। रिजर्व सीट वहां रखनी चाहिए जहां वे कुचले लोग ज्यादा रहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती बालव राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस संकल्प पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। बहुत से सदस्यों ने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं, और मैं भी इस मुद्दे पर कुछ बातें कहना चाहूंगी।

महोदय, आजकल लोग राजनीति के प्रति बहुत ही उच्चाकांक्षा रखने लगे हैं। इसके और भी बहुत से कारण हैं। यह बात काफी प्रसिद्ध है कि राजनीति पैसा कमाने का एक आसान तरीका है। (व्यवधान) यह सब बकवास है। परन्तु मैं यहां पर सहमत नहीं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। एक और कारण यह है कि बेरोजगारी के कारण बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ पैदा हो रहे हैं और भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ रहा है। मेरी मित्र, माननीय महिला सदस्या मतदाता सूचियां तैयार करने की बात कर रही थीं। महोदय, भ्रष्टाचार इसी स्तर से पनपता है। किसी राज्य में चाहे कोई भी दल सत्तारूढ़ हो, जहां भी उनके समर्थक मतदाता होते हैं, वहीं वे इन सूचियों में नाम जोड़ना चाहते हैं। दूसरी स्थिति, मतदान केन्द्र स्थापित करने के स्थान की है। यहां पर भी भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरी स्थिति चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है। यहां भी भ्रष्टाचार काफी प्रचुर है। इस प्रकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ चुनावों का खर्चा बढ़ रहा है। इस संकल्प को लाने का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह खर्चा कैसे कम किया जा सकता है। कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार है कि खर्चा कम करने लिए सरकार को चुनाव का खर्चा स्वयं वहन करना चाहिए। महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे अधिक खुशी होती अगर वे चुनाव का खर्चा और भ्रष्टाचार कम करने के लिए सुझाव देते। इसका कोई अर्थ नहीं कि सरकार को चुनाव व्यय वहन करना चाहिए अथवा राजनैतिक दलों को यह व्यय वहन करना चाहिए अथवा स्वयं उम्मीदवार भी कुछ खर्च वहन करे। मेरे विचार में यह व्यावहारिक नहीं है। कहने और उसके कार्यान्वयन में काफी अन्तर होता है। हम अस्पृश्यता की बातें करते हैं, हम इसमें कहां तक सफल रहे हैं? हम बाल विवाह की बात करते हैं परन्तु अभी भी बहुत से बच्चों के विवाह करवा दिए जाते हैं। हम सती-प्रथा की बात करते हैं लेकिन वह आज भी प्रचलित है। हम देवदासी प्रथा को समाप्त करने की बातें करते हैं, परन्तु क्या इसे समाप्त किया जा सका है? यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार, अगर हम कहें कि चुनाव का खर्च सरकार उठाएगी, तो मेरे विचार में यह खर्चा का कोई व्यावहारिक हल नहीं होगा।

महोदय, मैं चुनावों पर खर्चा कम करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगी। मेरी माननीय मित्र अपने भाषण में यह कह रही थीं कि सार्वजनिक स्थान का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की

[श्रीमती वासव राजेश्वरी]

प्राप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने एक कानून भी पास किया है क्योंकि अगर यह प्रथा चलती रही तो यह इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। चुनाव सुधार लाते समय हमारी पिछली सरकार ने यह स्पष्ट कहा था कि धार्मिक स्थानों का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमें ऐसी बातों को रोकना होगा। एक और बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगी, यह है कि चुनाव के समय लोगों को मद्य उपलब्ध करवाया जाता है, जिसे रोका जाना चाहिए। कई-कई दिनों तक लगातार उन्हें ताड़ी पिलाई जाती है। करोड़ों रुपया इन मादक द्रव्यों पर खर्च किया जाता है। बेशक हम इन मादक द्रव्यों की बिक्री पर तीन दिन के लिए प्रतिबन्ध लगाते हैं, परन्तु यह काफी नहीं है। उन दिनों लोग हमसे केवल काफी की फरमाईश करते थे। आजकल काफी या चाय की बात कोई नहीं करता। वे केवल ताड़ी मांगते हैं।

सभापति महोदय : महोदया, उस समय वे ऐसी ही बातें करते थे लेकिन अब समय बदल गया है।

श्रीमती वासव राजेश्वरी : महोदय, मैं इसी बात पर आ रही हूं। हम इस देश में संपूर्ण मद्यनिषेध क्यों नहीं लागू करते ? इतनी महिलाएँ रोज विलाप करती हैं। कम से कम महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए हमें इस देश में पूर्ण मद्य-निषेध लागू कर देना चाहिए। जब तक हम इसे बन्द नहीं करते। मैं नहीं समझती कि हम चुनावों में शक्ति प्रदर्शन और मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा करने की घटनाओं को रोकने में सफल होंगे। यह सब बातें नशे की लत के कारण हो रही हैं। इस पर सभी को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

महोदय, चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण बहुत लम्बे समय से नहीं हुआ है। बहुत से चुनाव क्षेत्र पिछले 15-20 वर्ष से भी अधिक समय से आरक्षित हैं और लोग इन बातों से तंग आ चुके हैं। हमें अविलम्ब चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण आरम्भ करना चाहिए। कई चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आरक्षण कई-कई वर्षों तक लगातार चलता रहता है। चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जितनी जल्दी होगा, उतना ही अच्छा होगा और आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में परिवर्तन भी आवश्यक है। मद्य-निषेध के अतिरिक्त मैं कुछ और सुझाव भी देना चाहूंगी।

मेरा सुझाव है कि हर गांव में मतदान केन्द्र होना चाहिए। अगर हम प्रत्येक गांव में मतदान केन्द्र बनवाते हैं तो इससे भी खर्च को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आजकल स्थानीय निकायों के चुनाव भी दलीय आधार पर लड़े जाते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अगर स्थानीय निकायों के चुनाव, यहां तक कि पंचायत के लिए चुनाव भी राजनीतिक दलों के टिकटों पर लड़े जाते हैं, तो इससे हमें और अधिक खर्चा करना पड़ेगा। और फिर गांव का वातावरण भी काफी हद तक बदल जायेगा। इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि स्थानीय निकायों के चुनाव राजनीतिक दलों के टिकटों पर नहीं लड़े जाने चाहिएँ। हमें उन्हें स्वतंत्र रूप से होने देना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर कि सर्वसम्मति से चुने गए उम्मीदवार इकट्ठे बैठ कर मसलों पर निर्णय लेते हैं। हमें गांव के ऐसे वातावरण को बदलने नहीं देना चाहिए। स्थानीय निकायों के चुनाव राजनैतिक दलों के टिकटों पर लड़वा कर हम प्रत्येक गांव को अलग-अलग गुटों में बांट रहे

हैं जिससे एक दूसरे के ऊपर गंभीर अत्याचार कराये जाते हैं।

महोदय, चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन दिए जाते हैं। मैं नहीं समझती कि चुनाव प्रचार के लिए इतने दिनों की आवश्यकता होती है। अगर चुनाव प्रचार के लिए दी जाने वाली अवधि कम कर दी जाये तो इससे भी खर्चा कम हो सकता है।

और अन्त में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और शक्ति प्रयोग के बारे में; मैं कहूंगी कि इस सबन्ध में पिछले दिनों से काफी कुछ सुनने में आ रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह जमाना और था तथा यह जमाना और है। परन्तु उन दिनों हमने मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और बल प्रयोग की बात कभी नहीं सुनी थी। हमने अपने राज्य में भी कभी ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सुना था। अगर चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, बल प्रयोग और निर्दोष लोगों की हत्याओं की घटनाएं होती रहीं तो दक्षिण भारत के लोग क्या सोचेंगे? हमारे राज्य में चुनाव निष्पक्ष ढंग से होते हैं और मेरे ख्याल में हमारे राज्य में पुनर्मतदान की बहुत कम घटनाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में जब हम समाचार पत्रों में लोगों के मरने, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार चुनाव कराये जाने की बातें पढ़ते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या ऐसे लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं? अगर ऐसा होता रहा तो हम भविष्य में क्या लेकर जायेंगे।

इसलिए माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे कुछ सुझाव दें। सरकार से धन की मांग करने की अपेक्षा यह बेहतर होगा कि हम इस विषय में सुझाव दें कि किस प्रकार चुनाव व्यय को कम किया जाए, किस प्रकार भ्रष्टाचार को कम किया जाए और किस प्रकार हम लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को सत्ता में ला सकते हैं।

इन सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री ए० एन० सिंह देव (आसका) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा लाए गए संकल्प का विरोध नहीं करता। परन्तु, चूंकि सरकार जन-प्रतिनिधित्व कानून और दूसरे चुनाव कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना चाहती है, इसलिए इस संकल्प को लाने वाले सदस्य यह अनुभव करेंगे कि इस संकल्प को पास करना इस सदन के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि सरकार ने चुनाव सुधार के लिए एक तन्त्र स्थापित कर लिया है।

यह भी कहा गया है कि चुनाव दिन प्रतिदिन इस देश के लिए एक समस्या बनते जा रहे हैं।

600 म०प०

यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना, धन का अत्यधिक प्रयोग, बल प्रयोग तथा दूसरी अनियमितताओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमें यह अहसास अवश्य होना चाहिए कि दूसरे पक्ष के हमारे मित्रों ने हमेशा यह साबित करने की कोशिश की है कि हम लोग जो इस तरफ बैठे हैं, हमने ही चुनावों में इन कदाचारों का सूत्रपात किया है।

सभापति महोदय : आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं। अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए महाजन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर (मैसूर) : महोदय, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद इस सभा में तथा बाहर भी बार-बार उठाया जाता रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाजन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू की जानी चाहिए। इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यह हैरानी की बात है कि कुछ नेताओं ने हाल ही में बम्बई में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। वास्तव में महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई कन्नड़ शिक्षण संस्थान बन्द कर दिए गए है। दूसरी तरफ, कर्नाटक सरकार कर्नाटक में मराठी शिक्षण संस्थाओं को हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है। 1960 में, दोनों राज्यों के सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी किन्तु उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। इस समस्या के समाधान के लिए दोनों राज्यों को महाजन आयोग की सिफारिशें मान लेनी चाहिए।

अतः केन्द्र सरकार के मेरा अनुरोध है कि वह महाजन आयोग की सिफारिशों को तुरन्त कार्यान्वित करे।

(दो) दूसरे विश्व युद्ध से भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दिए जाने की मांग

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकरा) : महोदय, देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देकर हमने उनका सम्मान बढ़ाया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग गुजारने वाले भूतपूर्व सैनिकों को भी पेंशन दी जाती है। तथापि भूतपूर्व सैनिकों की एक श्रेणी ऐसी भी है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। उनका त्याग, स्वतन्त्रता सेनानियों अथवा अन्य भूतपूर्व सैनिकों के त्याग से किसी प्रकार भी कम नहीं है। उन्होंने भी लगभग इससे भी अधिक खराब परिस्थितियों में युद्ध किया। ऐसा लगता है हमने उन वीरों को भुला दिया है। उन सैनिकों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है किन्तु उनके मामले पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दिए जाने के बारे में विचार करें।

(तीन) बिहार के सहरसा जिले में उद्योग लगाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि बिहार का सहरसा जिला एक पिछड़ा औद्योगिक जिला है। भारत सरकार ने बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि बिहार के पिछड़े जिलों की सूची पेश की जाए। बिहार

सरकार ने लगभग 10 जिलों की सूची भेजी थी, जिसमें एक सहरसा जिला भी है। सहरसा जिला बिहार का पिछड़ा क्षेत्र है। यहां बेरोजगारी की समस्या भयावह है, चूंकि सहरसा जिले की आबादी 35 लाख है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस जिले में कम-से-कम 4 उद्योग, जिसमें जूट मिल, प्लास्टिक बोरे निर्मित करने का उद्योग तथा 2 चीनी मिलें स्थापित करने की शीघ्र घोषणा की जाए। उपरोक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। वर्तमान में यह कच्चा माल सहरसा जिले से बाहर भेजा जाता है।

आशा है सरकार इस समस्या के निदान हेतु शीघ्र कार्यवाही करेगी।

(चार) बोलनगीर जिले में 1982 में बाढ़ के कारण आई दरारों की मरम्मत करने के लिए उड़ीसा सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : महोदय, बाढ़ ने बोलनगीर जिले में वर्ष 1982 में तबाही मचाई थी। उड़ीसा सरकार में अपनी रिपोर्टों में यह स्वीकार किया है कि इस बाढ़ के कारण 800 जगहों पर कटाव और दरारें आई हैं। 1982 से 1990 तक केवल 48 दरारों की ही मरम्मत की गई है। शेष 59 दरारों की मरम्मत अभी भी की जानी है। उड़ीसा सरकार यह तर्क दे रही है कि धन की कमी के कारण इनकी मरम्मत का काम नहीं किया जा सकता। जहां तक इस जिले की अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, इन कटावों और दरारों की मरम्मत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इनकी मरम्मत तुरन्त नहीं की गई तो 1982 की भांति फिर से बाढ़ के कारण असंख्य गांव बह जाएंगे और कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा भाग में रेत भर रेगिस्तान बन जाएगा।

खड़ी फसलें नष्ट हो जाएंगी। भारी मात्रा में वनों की कटाई के कारण नदियों के तलों में गाद जमा हो गई है और उनका जल स्तर ऊंचा उठ गया है। बोलनगीर जिले के लोग बाढ़ों के कारण हर समय चिंतित रहते हैं।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह उड़ीसा में बोलनगीर जिले में आए कटावों और दरारों का सर्वेक्षण करे, परियोजनाओं पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाए और 1982 में आई बाढ़ के कारण हुई क्षति की मरम्मत के लिए विशेष धनराशि आवंटित करें।

(पांच) राजस्थान सरकार को, राज्य में पेय जल की कमी दूर करने तथा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री नाथू सिंह (दौसा) : सभापति महोदय, राजस्थान का स्थान भू-भाग की दृष्टि से देश में दूसरा है व जनसंख्या की दृष्टि से पांचवां है। देश में यदि सबसे गंभीर समस्या पानी की है, तो वह रेगिस्तान होने के कारण राजस्थान में है, क्योंकि जहां देश के अन्य भागों में 50 फीट पर ही कुआं खोदने पर पानी आ जाता है वहां राजस्थान में 400-500 फीट गहराई में जाकर पानी आता है। वहां औसतन वर्षा 2 से 10 इंच तक ही हो पाती है। इस कारण देश का एक प्रतिशत ही पानी राजस्थान में उपलब्ध है। परिणामस्वरूप 21 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई हो

[श्री नाथू सिंह]

पाती हैं। इसके साथ ही पीने का पानी हमेशा ही गम्भीर स्थिति बनी रहती है। यही कारण है कि वहां कई गांवों में तो मीलों दूर से ऊंट-गाड़ियों पर पानी लाया जाता है एवं कई स्थानों पर तो शुद्ध पीने का पानी न होने के कारण लोगों को भयंकर बीमारियां हो जाती हैं व लोग कुबड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि देश में राजस्थान ही ऐसा एक प्रदेश है जहां अपेक्षा सबसे अधिक है। बावजूद इसके पीने के पानी हेतु केन्द्र द्वारा जो राज्यों को सहायता दी जाती है राजस्थान इससे 19 वें स्थान पर है जब कि वहां सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा गांवों व ढाणियों में हैंड पम्प लगाए जा रहे हैं, मगर धनाभाव के कारण वे अपर्याप्त हैं। जिन गांवों में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां नल योजनाओं की आवश्यकता होती है जो कि केन्द्र की सहायता पर ही सम्भव है।

अतः मैं मांग करता हूं कि हैंड पम्प न योजनाएं एवं लिफ्ट कैनाल की सिंचाई योजनाएं बनाने हेतु केन्द्र राज्य को अधिक धनराशि उपलब्ध कराए।

(छः) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच विवाद निपटाए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीप सिंह जू देव (जांजगीर) : सभापति महोदय, जांजगीर संसदीय क्षेत्र में कोरबा स्थित भारत एल्यूमीनियम कम्पनी में जहां 7500 कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण, जो कि 13 अप्रैल, 1989 से लागू होना था, अभी तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से असन्तोष व्याप्त है।

इसके परिणामस्वरूप 'बालको' में 20 जनवरी, 1990 से लेबर स्ट्राइक हुई। 26 जनवरी को मजदूरों व मैनेजमेंट के बीच मध्यस्थता कर मैंने इस स्ट्राइक को समाप्त कराया।

मुझे उस समय यह कहा गया कि इस स्ट्राइक के दौरान 55 से 60 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय हानि हुई जिसे बाद में अब मैनेजमेंट 9 करोड़ रुपए बता रहा है।

वेतन पुनरीक्षण समझौते पर प्रतिनिधि संघ एवं 'बालको' प्रबन्ध-तन्त्र के बीच सहमति-पत्र पर दिनांक 19-10-89 को हस्ताक्षर हो चुकने के बाद भी उसे लागू नहीं करवाया गया है। यदि इसे लागू नहीं करवाया गया, तो इस 9 करोड़ की राष्ट्रीय हानि के लिए कौन जिम्मेदार होगा ?

मेरी जानकारी के अनुसार आज भी यह समझौता लागू नहीं किया गया है और कोरबा में पुनः कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है और बढ़ाकर फिर से कारखाने के बंद होने की सम्भावना बन सकती है।

अतः सरकार से आग्रह है कि इस दिशा में तुरन्त कारगर कदम उठाए।

(सात) केरल को चावल का अधिक कोटा दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुक्तुपुझा) : महोदय, केरल में चावल की कमी उस राज्य के लिए

बहुत चिंता का विषय है। चूंकि खाद्यानों, जिसमें चावल भी शामिल है, की पर्याप्त मात्रा में खरीद करने में हमें सफलता मिली है, इसलिए केरल को तुरन्त चावल का अधिक कोटा दिया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि चावल का कोटा बढ़ाकर कम से कम 1 लाख 60 हजार टन प्रतिमाह कर दिया जाना चाहिए।

(आठ) विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापत्तनम) : आन्ध्र प्रदेश राज्य में एकमात्र दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, हैदराबाद में है। राज्य में विशाखापत्तनम जैसे कई बड़े शहरों में भी हैदराबाद में प्रसारित कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते हैं। विशाखापत्तनम एक औद्योगिक नगर है तथा भविष्य में इसे एशिया का सबसे बड़ा शहर बनाए जाने की योजना है, इसे ध्यान में रखते हुए यह अत्यावश्यक है कि वहां तुरन्त एक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किया जाए। इस केन्द्र से श्रीकाकुलम और अन्नाकपाल्ल जैसे निकट क्षेत्रों और उड़ीसा के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब सभा 9 अप्रैल, 1990 के 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.10 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 9 अप्रैल, 1990/19 चैत्र, 1912 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, खाडय मौजपुर, दिल्ली-53